2 March, 1994
फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

2 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के
हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
[illegible]	2	नवां	नौवां
[illegible]	नीचे से 1	"हो" शब्द का लोप करिये ।	
[illegible]	8	प्रर्वत	प्रवृत्त
2	नीचे से 6	श्री बासुदेव आदार्य	श्री बसुदेव आचार्य
4	16	जोइष्ट वेंचर्स	संयुक्त उद्यम
61	11	श्री संदोपान भगवान थोराम	श्री संदोपान भगवान थोरात
92	10	श्री उत्तमभाई हरजी- भाई पटेल	श्री उत्तमभाई हारजी- भाई पटेल
99	नीचे से 7	प्रेपारा	प्रेपारा
110	2	श्री सो॰पो॰गुदाल- गिरियप्पा	श्री सो॰पो॰मुदालगिरियप्पा
187	11	संसद्दोय	संसदोय
192	14	बंगालौर	बंगलौर
224	नीचे से 10	पेयजल योजनार्थ	पेयजल योजनायें
249	1	उद्योग मंत्रलय	उद्योग मंत्रालय
249	नीचे से 2	श्री मल्लिकार्जन	श्री मल्लिकार्जुन
259	12	श्री वो॰एस॰विजराघ- वन	श्री वो॰एस॰ विजयराघवन
373	नीचे से 2	तत्पचात्	तत्पश्चात्

विषय-सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 7, बुधवार, 2 मार्च, 1994/11 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		**1-22**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 104 से 107		1–14
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**23-260**
तारांकित प्रश्न संख्या : 101–103 और 108 से 120		23-28 और 31-61
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1097-1118, 1120-1126, 1128-1131, 1133-1136, 1138-1179, 1182-1293 और 1295-1300	62-81 और 82-254
सभा पटल पर रखे गए पत्र		**264-270**
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत		270
लोक लेखा समिति		
उनसठवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत		271
कार्य मंत्रणा समिति		271-277
अड़तीसवां प्रतिवेदन सहमति प्रस्ताव		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी ही सदस्य ने पूछा था।

श्री पवन कुमार बंसल 271

श्री नीतीश कुमार 271

श्री शरद यादव 273

श्री जार्ज फर्नान्डीज 273

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 275

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 275

नियम 377 के अधीन मामले **277-280**

(एक) उड़ीसा में नेशनल एल्युमीनियम कंपनी के विस्तार कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री के. प्रधानी 277

(दो) नासिक और मुम्बई के बीच विमान सेवाएं शीघ्र चलाने की आवश्यकता

डा. वसन्त पवार 278

(तीन) मराठवाड़ा क्षेत्र को, जो इस समय रेलवे के दक्षिण–मध्य जोन के अंतर्गत आता है, मध्य जोन में लाये जाने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे 278

(चार) नर्मदा–छिपरा संपर्क परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया 278

(पांच) गुजरात के अहमदाबाद शहर को दूरदर्शन पर मैट्रो चैनल की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक 279

(छः) बिहार के छपरा और सीवान में क्रमशः दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और आकाशवाणी प्रसारण केंद्र स्थपित करने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी 279

(सात) केरल की लंबित विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री एम. रमन्ना राय 280

जम्मू तथा कश्मीर के संबंध में प्रवर्त राष्ट्रपतीय उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदनार्थ सांविधिक संकल्प 281-373

श्री एस.बी. चव्हाण 281

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी 286

श्री सैयद शहाबुद्दीन 299

श्री एस.एम. लालजान बाशा 305

श्री मणि शंकर अय्यर 311

श्री सुदर्शन राय चौधरी 315

श्री शरद दिघे 319

श्री भोगेन्द्र झा 323

श्री शरद यादव 329

श्री प्रेम धूमल 334

श्री याइमा सिंह युमनाम 340

श्री उमराव सिंह 341

श्री पी.जी. नारायणन 349

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 350

श्री चित्त बसु 353

श्री सुधीर सावन्त 356

श्री विजय कुमार यादव 358

श्री रमेश चेन्नितला 359

प्रो. रासा सिंह रावत 361

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 363

श्री एस.बी. चव्हाण 363

लोक सभा

बुधवार, 2 मार्च, 1994/11 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड की क्षमता

*104. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की आठवीं योजना के दौरान प्रस्तावित क्षमता वृद्धि कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिल्स लिमिटेड की क्षमता-वृद्धि योजना में कमी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय को विदित है कि दिनांक 13 जनवरी, 1994 के "दी इकॉनामिक टाइम्स" नई दिल्ली संस्करण में "बी.एच.ई.एल. रिस्पोंडिंग टू चेंज" नामक शीर्षक के अंतर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की आठवीं योजना के दौरान प्रस्तावित 38000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता वृद्धि को कम करके 30000 मेगावाट कर दिया गया है। यदि हां, तो मंत्री महोदया की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में कहा है कि बी.एच.ई.एल. की आठवीं योजना में कटौती नहीं की गई है। उपलब्ध क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि देश में जो मांग है, वह पर्याप्त है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 30000 मेगावाट का लक्ष्य है। देश में जितनी जरूरत है, उसे बी.एच.ई.एल. में पूरा करने की क्षमता है।

[अनुवाद]

मैंने अपने उत्तर में पहले ही यह उल्लेख कर दिया है कि आठवीं योजना के दौरान भारत

हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की प्रस्तावित क्षमता वृद्धि को कम नहीं किया गया है। बी.एच.ई.एल. की उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट प्रति वर्ष है। विद्युत क्षेत्र में 6000 मेगावाट से अधिक कोई क्षमता वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता सातवीं योजना एवं आठवीं योजना के दौरान देश की विद्युत क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह कहा है कि यह समाचार दी इकॉनामिक टाइम्स में छपा है। मैंने इसका उल्लेख किया है। यदि वह इस समाचार को देखना चाहती हैं तो मैं उन्हें दिखा सकती हूं। इकॉनामिक टाइम्स जैसे जिम्मेदार समाचार पत्र में अनेक शब्दों में यह कहा गया है कि सातवीं एवं आठवीं योजना के दौरान बी.एच.ई.एल. की प्रस्तावित क्षमता वृद्धि में क्या कमी की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मन्त्री महोदया द्वारा इस सभा में दिए गए वक्तव्य पर ही विश्वास करना पड़ेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्हें 'हां' अथवा 'नहीं' कहने दीजिए। उन्हें यह कहने दीजिए कि यह समाचार गलत है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि क्षमता वृद्धि को कम नहीं किया गया है।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं बी.एच.ई.एल. के बारे में कह रही हूं यह प्रश्न बी.एच.ई.एल. से संबंधित है। लेकिन माननीय सदस्या एक सामान्य प्रश्न पूछ रही हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे कम नहीं किया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं भी बिल्कुल यही कह रही हूं। क्या यह सच नहीं है कि बी.एच.ई.एल. की क्रयादेश पुस्तिका की स्थिति में धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है। मैं यह बात जो मंत्री महोदया ने कहा है, मैं उसी के संबंध में कह रही हूं–क्या सातवीं योजना के दौरान 77 प्रतिशत एवं इससे पूर्व की योजनाओं के दौरान 85 प्रतिशत की तुलना में आठवीं योजना के दौरान सकल क्रयादेश की स्थिति 44 प्रतिशत नहीं रह गयी है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में क्या आता है, क्या नहीं आता है, उससे तो...**(व्यवधान)**

श्री बासुदेव आचार्य : आपके पास क्या है ?

श्रीमती कृष्णा साही : वह मैं बता रही हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि ऑडर्स कम हो गये हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : उन्होंने "इकॉनामिक टाइम्स" का हवाला दिया है, उसका ही मैं उत्तर दे रही हूं...**(व्यवधान)**...आप जरा सुनने का धीरज रखिये। ऑडर्स के आधार पर क्षमता के उपयोग में कोई खास कमी नहीं आई है।

[अनुवाद]

आगामी वर्षों में बी.एच.ई.एल. की क्षमता का उपयोग...

अध्यक्ष महोदय : वह क्षमता के उपयोग के बारे में नहीं पूछ रही है। वह तो यह पूछ रहीं हैं कि क्रयादेश की स्थिति में कमी क्यों आई है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : ऑर्ड्स की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। थोड़ी कमी इसलिए हुई है कि इसमें थोड़ा बायलैटरल में जाना पड़ा है। देश में रिसोर्सिज कम थे। इस कारण दूसरे डाइवर्सिफिकेशन करने पड़े हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अभी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और दूसरे अन्य क्षेत्रों में हमने इसमें सफलता पाई है। मैं यहां तक कह सकती हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह बढ़ती ही चली गई और उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई। हमें ऑर्ड्स भी अच्छे मिले। चूंकि

[अनुवाद]

आगामी वर्षों में बी.एच.ई.एल. की क्षमता उपयोग इस कम्पनी के अनुमानित क्रयादेशों के संदर्भ में निम्नानुसार है :

अध्यक्ष महोदय : वह यह नहीं पूछ रही हैं। आपने पहले ही यह जानकारी दे दी है कि धनराशि उपलब्ध नहीं है, अतः क्रयादेश नहीं दिये गये हैं।

डा. आर. मल्लू : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदया विदेशों से क्रयादेश प्राप्त करने की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह पूछ रहे हैं कि विदेशों से और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बिहारी-सांसद दूसरे-बिहारी सांसद की बात के बीच में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : हमारे भाई नीतिश जी और उधर बैठे हुए दूसरे साथियों को मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वह समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूं।

[अनुवाद]

बी.एच.ई.एल. अपनी क्रयादेश पुस्तिका की स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपना रही है। उन नये क्षेत्रों में विविधिकरण करना, जिनमें कि इसके वर्तमान मूलभूत ढांचे का लाभकारी ढंग से उपयोग किया जा सकता हो। इसने गैस-टरबाईन, ए.सी. लोकोस आदि जैसी परियोजनाएं पहले ही लागू कर दी हैं। प्रकोलेटिंग फ्लूडिस्ड बेड़ बॉयलर, स्टिम्यूलेटरस,

इलैक्ट्रिक जेनरेटरस आदि जैसी कुछ नयी परियोजनाएं लागू करने के लिए प्रक्रिया जारी है, जिनसे कि विद्युत परियोजनाओं को चयनित आधार पर वित्तीय समर्थन प्रदान करने तथा संयुक्त उद्यमों में बी.एच.ई.एल. के प्रवेश की संभावनाओं का पता लगाया जा सकेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश की वजह से भविष्य में बी.एच.ई.एल. की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है और इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि :

[अनुवाद]

फिलहाल विद्युत उत्पादित करने वाले उपकरण की क्षमता का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका भविष्य अंधकारमय नहीं है, क्योंकि बी.एच.ई.एल. नये व्यापारिक क्षेत्रों में विविधिकरण कर रही है। इसे विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु कुछ बड़े आदेश एवं निजी क्षेत्र की विदेशी कम्पनियों से कार्य मिलने की भी उम्मीद है।

[हिन्दी]

जैसा कि मैंने बताया है कि हम जोइण्ट वैंचर्स में जा रहे हैं और

[अनुवाद]

परस्पर हित, अद्यतन प्रौद्योगिकी एवं निवेश के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ इक्विटी-भागीदारी की जायेगी। बी.एच.ई.एल. तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं देशीय सुविधाएं उपलब्ध करायेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इस प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहता हूं। हम विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं। विदेशी निवेशक बाहर से विद्युत मशीनरी हमारे देश में ला रहे हैं। और इसीलिए बी.एच.ई.एल. को कोई क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं। क्या यह सच है अथवा नहीं ? विद्युत क्षेत्र में जितना अधिक आप विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे, बी.एच.ई.एल. को उतने ही कम क्रयादेश मिलेंगे। क्या यह बात सही है अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : इसी तरीके का एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऊर्जा विभाग को ये उपकरण–जो भारत में ही बनाये जाते हैं तथा जो उसी क्षमता एवं उसी प्रौद्योगिकी के हैं–बी.एच.ई.एल. से खरीदने के लिए कोई निर्देश अथवा

दिशा-निर्देश जारी किये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन बहराष्ट्रीय कम्पनियों जो कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं–को कोई ऐसे निर्देश अथवा दिशा-निर्देश दिये हैं कि उन्हें ये उपकरण बी.एच.ई.एल. से ही खरीदने चाहिये, क्योकि इसके पास इन उपकरणों के बनाने की पहले ही अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, भेल को इण्टरनेशनली कम्पीटीटिव बनाने का सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में जो भी...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जो फारेन के लोग यहां आ रहे हैं, उनका भेल से इक्विपमेंट लेना जरूरी है क्या ?

श्रीमती कृष्णा साही : जरूरी इसलिए है क्योंकि हम भेल का इण्टरनेशनली कम्पीटीटिव बनाने जा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा किया कि सवाल का स्पष्ट उत्तर ले लिया। जो विदशी यहां पावर सैक्टर में पूंजी लगाना चाहते हैं, वह अनेक शर्तें लगा रहे हैं और उनमें से एक शर्त यह भी है कि वह अपने इक्विपमेंट लायेंगे, अपना सामान लायेंगे। तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सवाल है, वह जो पब्लिक सैक्टर के भेल से सम्बन्धित है। इसमें हमारी सरकार की नीति यही है कि हम नई औद्योगिक नीति के तहत पब्लिक सैक्टर को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ग्लोबल कम्पीटीशन में उसको भेजना चाहते हैं। सरकार की नीति है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाय और स्पून फीडिंग हम नहीं करें, इसलिए हम भेल का इण्टरनेशनली कम्पीटीटिव ग्लोबल मार्केट में बनाना चाहते हैं...**(व्यवधान)**...

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, साफ जवाब नहीं आ रहा है। जवाब तो साफ आना चाहिए। यह क्या बात हुई।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने उत्तर सही तरीक से नहीं दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, सुस्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ऐसे सवालों के जवाब के लिए प्रधान मंत्री क्यों नहीं रहते हैं। प्रधान मंत्री को यहां रहना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे सूचित किया है कि उनकी तबियत आज ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों नहीं समझते कि हम समूचे बजट पर चर्चा कर रहे हैं और आप इस मुद्दे को उस समय रख सकते हैं।

पंचायती राज विधान पर सम्मेलन

*105. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज विधान पर चर्चा करने के लिए पंचायतों के प्रभारी मंत्रियों तथा सचिवों का एक सम्मेलन जुलाई, 1993 में हुआ था;

(ख) क्या इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में नए विधान को राज्यों की विधान सभाओं में पुनः स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या अनेक राज्य ने इस आशय का विधेयक अभी तक पुनः स्थापित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान पंचायती राज विधान के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति होने की ओर दिलाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) पंचायती राज विधान को पूरे देश में लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें किस कार्ययोजना पर विचार कर रही हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि नये कानून को संबंधित राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

(ग) राज्यों को 24 अप्रैल, 1994 से पूर्व पंचायतों के बारे में कानून बनाने हैं। तथापि, कुछ राज्यों ने पहले ही आवश्यक कानून बना लिये हैं।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से मामले को उठा रही है और प्रगति की निगरानी कर रही है। राज्य सरकारें 24 अप्रैल, 1994 से पूर्व आवश्यक कानून बनाने पर सहमत हो गयी हैं, और उन्होंने इस दिशा में पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये पंचायतें कितने वर्ष के लिए चुनी जाएंगी तथा इनको क्या-क्या विशेष अधिकार दिए जायेंगे ? दूसरा, क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस समय जो स्थिति है, वह कायम रहेगी। मेरा यह कहना है कि जब एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है तो यह सभी जगहों पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका क्या कारण है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : श्रीमान्, संविधान संशोधन के मुताबिक जो कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार चुनाव के बाद सभी पंचायतों के कार्यकाल की अवधि पांच साल की होगी। उन्हें दो तरह के अधिकार दिए गए हैं, वह अधिकार जो संविधान में दिया है यानी ग्राम पंचायत को योजना बनाने का है, और उसको कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार 11वीं सूची में जो शेड्यूल 11 कांस्टीट्यूशन में लगाया गया हैं, 29 ऐसे अदद हैं, जिनके कारण पंचायती राज की व्यवस्था पर, उनके ग्राम पंचायत के स्तर पर, ग्राम समिति के स्तर पर और जिला परिषद के अध्यक्ष स्तर पर कार्यान्वित करने का राज्य के कानून के मुताबिक अधिकार दिया जाएगा। जो पूर्वांचल का सवाल है, वहां जो राज्य है उसकी दो-तीन स्थितियां हैं एक तो है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इस समय वहां यह कानून अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। यदि वहां की सरकार चाहे तो अपना विधान पास करके इसके प्रावधान को लागू कर सकती है। यह स्थिति वहां की है और मैं समझता हूं कि बाकी पूर्वांचल राज्यों में भी यह कानून पास करने की व्यवस्था हो रही है और वह सुचारु रूप से इसका संचालन और पालन करेंगे, यह हमारी उनसे अपेक्षा है।

श्री देवी बक्स सिंह : क्या यह सच है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की ट्रेनिंग के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर रही है; यदि है तो कब तक तैयार हो जाएगा ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : पंचायती राज के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। सर्वप्रथम केन्द्र की ओर से हमने तीन बड़े प्रतिष्ठान नेशलन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवेलपमेंट, लालबहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट जो मंसूरी में है और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली में है, इन तीनों को यह भार दिया गया था कि वे जो प्रशिक्षण देंगे उसमें प्रशिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले करें। उसके लिए आवश्यक कार्यक्रम, अवधि और प्रक्रिया तय की गई है और वह सब राज्यों को भेजा गया है। देश के 150 ऐसे संस्थान हैं, जिनको चुना गया है, जो विभिन्न राज्यों में इस कार्य को करेंगे। केन्द्र सरकार ने यह तय किया है कि जो स्वैच्छिक संस्थान महिलाओं का और खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करेगी उसके लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की ओर से दी जाएगी। कई राज्यों में प्रशिक्षण का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है, अन्य राज्यों में भी शुरू हो इसके लिए हम राज्यों से आग्रह कर रहे हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं, वैसे तो हमारा हिन्दुस्तान कृषि प्रधान और ग्रामीण प्रधान है और गांधी जी ने भी पंचायती राज के लिए बहुत सिफारिश की थी, लेकिन हो नहीं सका था। इसी तरह हमारे गुजरात के बलवंत राय मेहता जी ने भी इसके लिए बहुत सिफारिश की थी और अम्बेडकर जी ने भी इसके लिए कहा था लेकिन यह आज तक नहीं हुआ और अब यह होने जा रहा है। यह खुशी की बात है कि पंचायती राज आ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सरकार ने माना है कि एक-तिहाई भाग जिसका कि महिलाओं को प्रावधान दिया जाएगा, यह बात भी सही है कि जैसा कि कल जीरो ऑवर में भी उठाया गया था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ दुष्कृत्य किए जा रहे हैं, तो हिन्दुस्तान में पंचायतों में जो 1/3 पद महिलाओं को देने की बात की गई है, यह

बहुत अच्छी बात है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सभी राज्यों ने इसको स्वीकार किया है और जिन नई सिफारिशों को माना गया है, इनका विवरण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब कांस्टीट्यूशन में आ गया है।

[अनुवाद]

मृत्युन्जय नायक : महोदय, यह एक स्वागत योग्य कदम है कि कुछ राज्य विधान सभाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विधेयक को पुरःस्थापित करें। लेकिन इस बारे में कुछ मतभेद हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह साफ तौर पर यह जानना चाहता हूं कि पांचवीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए क्या पंचायती राज संवैधानिक संशोधन आरक्षित वर्गों अर्थात अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होगा।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, पंचायती राज संवैधानिक संशोधन में ऐसे अनिवार्य उपबंधों का प्रावधान किया गया है, जोकि संवैधानिक संशोधन में ही समाहित हैं। सभी राज्यों को उनकी अनुपालना करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी विधान सभाओं में इस संवैधानिक संशोधन की अभिपुष्टि करने की सहमति व्यक्त की है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है। मैंने इससे पहले यह उल्लेख किया है कि कुछ राज्यों को इस विषय में छूट उपलब्ध हैं। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में छूट उपलब्ध हैं। ये छूट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जायेगी।

श्री विजय कुमार यादव : महोदय, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वह 24 अप्रैल 1994 से पहले पंचायती राज्य पर कानून बना लें।

[हिन्दी]

यह 24 अप्रैल 1994 डैड लाईन तय की गई है और संविधान संशोधन के मुताबिक सभी राज्य सरकारें पंचायती राज एक्ट बनाने जा रही है। क्या केन्द्र सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि सभी राज्य मोटे-मोटे तौर पर एक समान कानून बनाएं ?

इसके अलावा आज भी यह कोशिश की जा रही है कि इसके बाद भी चुनाव टाले जा सके।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह कांस्टीट्यूशन में है।

श्री विजय कुमार यादव : लेकिन सरकार इसके लिए क्या गारंटी कर रही है कि चुनाव न टाले जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है कि यदि कोई राज्य सरकार इसके अनुसार काम नहीं करेगी तो इसको बरखास्त भी किया जा सकता है।

श्री विजय कुमार यादव : मोटे मोटे तौर पर सारे राज्यों में समान रूप से कानून बनाएं जाएं, इसके लिए क्या केन्द्र सरकार कोई मानेटरिंग का काम कर रही है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों और सचिवों की बैठक 3 जुलाई, 1993 को बुलाई थी, जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री जी ने किया था और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर 15 प्रस्ताव स्वीकार किए हैं, जिसमें यह भी है कि यथासंभव पास किए गए कानून के अनुसार ही काम किया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद द्वारा भी कानून का एक प्रारूप सभी राज्यों को भेजा गया है, जिसके अनुसार स्वेच्छापूर्वक राज्य सरकारें चलेंगी और अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन कर सकेंगी इसके अलावा 7 राज्यों की एक उप समिति का गठन किया गया है, जिसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें इन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है कि यथासंभव समान नीति अपनाई जाए और इस संबंध में राज्य सरकारों को भी अधिकार दिए गए हैं, उनमें भी समानता है। किस प्रकार से पंचायतों को अधिकार दिए जाएं, जो राज्य के कानून के क्षेत्र में हो, इस पर समान रूप से विचार हो रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों से अभी तक संतोषजनक उत्तर मिल रहे हैं और इन चीजों को स्वीकार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री डी.के. नायकर : महोदय, क्या मंत्री महोदय को यह विदित है कि कर्नाटक राज्य ने संविधान संशोधन के अनुरूप पहले ही एक कानून पारित कर दिया है लेकिन उसे लागू करने के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं की गई है। क्योंकि उन्होंने अधिनियम में पिछड़े वर्गों के लिए 33 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। पिछड़े वर्गों की पहचान किये बिना, उन्होंने ग्राम पंचायतों के चुनाव करा दिये हैं। यह कठिनाई पिछड़े वर्ग के केवल उसी एक व्यक्ति की नहीं थी जो कि यह आरक्षण पाने का वास्तव में ही हकदार था तथा जो कि एक भी सीट जीतने के योग्य था। अतः जब उस राज्य सरकार ही की इस विषय में ऐसी विफलता है, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को इसके उपबंधों के अनुरूप लागू करने हेतु क्या निर्देश दिए जाने हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : बिहार सरकार ने किया है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर ठाकुर : अभी तक कर्नाटक ही पहला ऐसा राज्य है, जिसने कि इस संशोधन प्रस्ताव को मई, 1993 में पारित कर दिया था। उन्होंने हाल ही में चुनाव कराये हैं तथा अभी तक हमें यही जानकारी मिली है कि राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण कोटे की अनुपालना की है तथा इसी के अनुसार चुनाव कराये हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अथवा चुनाव कराने के बारे में कोई कठिनाई नहीं आई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि कर्नाटक में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित सीटों की बजाय महिलाओं ने सामान्य वर्ग की सीटों के लिए भी चुनाव लड़े हैं, तथा हाल ही के चुनावों में 43 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुई हैं।

[हिन्दी]

श्री हरि सिंह चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में लिखा है कि कई राज्यों ने

हिन्दुस्तान में प्रसार किया है और 33 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित किया है तो क्या किसी महिला संस्था ने मांग की है कि आरक्षण 50 परसेंट होना चाहिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष जी, ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं आई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विधान मंडल में ग्रामं पंचायतों के अधिक अधिकार देकर गांवों के विकास की तरफ ध्यान दिया गया है। जिस गांव का विकास देशी और स्वावलम्बन, कुटीर और ग्राम उद्योग से संबंधित है तो क्या उद्योगों के विकास की तरफ राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं देगी ? क्या देशी और स्वावलम्बन के आधार पर गांव के विकास के लिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के एफ पार्ट में पंचायती राज कानून के क्रियान्वयन के संबंध में सवाल पूछा गया है। इसके दो पक्ष हैं। एक तो यह है कि राज्य सरकारें संविधान संसोधन के अनुरूप अपने राज्य विधान मंडल के द्वारा उसमें पंचायती राज से संबंधित कानून बनाए। दूसरा यह है कि पंचायती राज कानून के अंतर्गत इन पंचायती राज संस्थाओं का विधिवत चुनाव हो और जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं और जहां पंचायती राज कानून संविधान संशोधन के अनुरूप परिवर्तित किए जा चुके हैं तो वहां किस समय सीमा के अंतर्गत राज्यों में पंचायती चुनाव सम्पन्न होंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आठ राज्यों में कानून का परिवर्तन किया जा चुका है और पांच राज्यों ने अपनी असेम्बली में बिल पेश किया है और बाकी राज्यों में 31 मार्च तक ये कानून पास होने की सूचना मिली है या बजट सत्र में हो जाएंगे। कई राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया जैसे कर्नाटक में पूरी की जा चुकी है और दूसरे राज्यों में इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हमें आशा है कि वह कानून के मुताबिक अपने चुनाव करेंगे।

[हिन्दी]

भूकम्प प्रवण क्षेत्र

*106. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर भूकम्प विज्ञान संबंधी वेधशालाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क)से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, ब्यूरो आफ इंडियन स्टैन्डर्ड द्वारा प्रकाशित भूकम्प जोनिंग मानचित्रण के मुताबिक, देश को पांच भूकम्पीय जोनों में बांटा गया है। भूकम्प की दृष्टि से जोन V सर्वाधिक संवेदनशील है तथा जोन I सबसे कम I जोन V के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां, कच्छ का रन, उत्तरी बिहार, सम्पूर्ण उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इलाके आते हैं।

जोन IV के अंतर्गत मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते हैं। देश का बाकी हिस्सा भुकम्पीय जोन III, II तथा I के अंतर्गत आता है, जो अपेक्षाकृत कम भूकम्पीय है। प्रथा के मुताबिक भूकम्पीय जोनिंग मैप को समय-समय पर आधुनिक बनाया जाता है।

(ग) और (घ) इन इलाकों में भूकम्पीय वेधशालाओं का एक नेटवर्क पहले से ही कार्य कर रहा है। इसके अलावा, भूकम्पीय नेटवर्क को उन्नत बनाने की भी योजना है।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में दो मास से भूकम्प के झटके लग रहे हैं। दादरिकलां, सारोला और शेदरगांव ज्यादा प्रभावित हैं। क्या ऐसे क्षेत्रों में भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी वेधशाला स्थापित करने का सरकार कोई इरादा रखती है ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : सरकार को इसकी जानकारी है, और वहां पर वेधशाला स्थापित की जा रही है।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : भूकम्पीय प्रभावित क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सावधानी बरती गई है और क्या सहायता दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : रिहेबिलिटेशन एक अलग मामला है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

[अनुवाद]

पुनर्वास एक अलग मामला है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : संक्षेप में मैं यह कहना चाहती हूं कि हाल ही में अक्तूबर, 1993 में भूकम्प वैज्ञानिकों ने कहा है कि भूकम्प विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाओं को उन्नत एवं आधुनिक बनाने पर पर्याप्त धनराशि व्यय नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत-सी प्रयोगशालाओं

को और अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए। वे इस तथ्य के बारे में भी गम्भीर रूप से चिन्तित हैं कि इन प्रयोगशालाओं की बड़ी कमियों का कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि वे ऐसे संवेदनशील स्थानों में कारगर प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए क्या करना चाहते हैं। वे इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च करना चाहते हैं। इन प्रयोगशालाओं एवं राज्य सरकार के बीच क्या संस्थागत समन्वय है ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हम यह स्वीकार करते हैं कि ये प्रयोगशालाएं ज्यादा कारगर नहीं थीं एवं ये प्रयोगशालाएं अधिक सहायक नहीं हैं। लेकिन हाल ही के निष्कर्षों के बाद, हम इन्हें समर्थ बनाने एवं साजो-सामान से सुसज्जित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि ये वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकें। हम इस समय इन पर खर्च की जाने वाली वास्तविक धनराशि के बारे में ब्यौरे देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने राज्य सरकारों एवं इन प्रयोगशालाओं के बीच आपसी समन्वय के बारे में भी पूछा था।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : इन प्रयोगशालाओं एवं राज्यों के बीच आपसी समन्वय है। विभाग इसका समन्वय कर रहा है। **(व्यवधान)**

डा. वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, भूकम्पीय जोन मानचित्र आफ इंडियन स्टैन्डर्ड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह भूकम्पीय जोन मानचित्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र को जोन-IV में रखा गया है। लेकिन सच तो यह है कि हाल ही में मराठवाड़ा, लातूर एवं उस्मानाबाद में आये भूकम्प में यह पाया गया है कि भारत में महाराष्ट्र सर्वाधिक भूकम्पीय प्रवण क्षेत्र में आता है। क्या सरकार इस ब्यूरो से भूकम्प संबंधी योजना संशोधित करने के लिए कहने जा रही है ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : भूकम्पीय जोनों को लगातार परिवर्तित किया जाता है। फिलहाल, लातूर में आये भूकम्प के बाद, हम इन सभी पहलुओं की पुनः जांच कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस कार्य को पूरा कर पायेंगे ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सामान्यतः ऐसा होता है कि भूकम्प की सूचना नहीं मिल पाती है। कुछ दिन पहले एक अखबार में कुछ वैज्ञानिकों के दल की रिपोर्ट आई थी कि एक मिनट पहले इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या इस तरह की जानकारी मंत्री महोदय को है जिससे कम से कम लोग घरों से बाहर तो निकल सकें ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : एक मिनट में क्या हो सकता है। **(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती : अगर लातूर में ऐसी जानकारी मिल जाती तो काफी जानें बच सकती थीं।

अध्यक्ष महोदय : चूहे, सांप वगैरह बिल से बाहर आ जाते हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : तरह-तरह के मत चल रहे हैं तथा आब्जर्वेशन भी आ रहे हैं। यह

बात सही है कि समस्त विश्व में ऐसी कोई पुख्ता जानकारी एडवांस में नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड ने भूकम्प जोनिंग के लिए विभिन्न मापदंड प्रकाशित किये हैं। लातूर में आये भूकम्प से वे मानचित्र गलत साबित हो गए हैं और इस समूचे क्षेत्र का नये सिरे से मानचित्रण करने का कार्य चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी देश भर में भूकम्प विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाओं की एक ग्रिड स्थापित कर रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि देश में वेधशालाओं की यह समूची ग्रिड कब स्थापित की जाएगी। भूकम्प संबंधी इन प्रयोगशालाओं को स्थापित किए बिना और वैज्ञानिकों की पर्याप्त जानकारी दिये बिना, मानचित्रण का कार्य कैसे पूरा किया जा सकता है ? मनचित्रण का कार्य किस समय तक पूरा किये जाने की उम्मीद है ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है, ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं और अधिकतर स्थानों पर ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। हम इन संस्थानों को साजो-सामान से सुसज्जित करके आधुनिक बना रहे हैं।

श्री मुमताज अंसारी : समूचे देश को पांच भूकम्पीय जोनों में बांटा गया है। उत्तरी बिहार जोन-V के अंतर्गत आता है, जोकि सर्वाधिक संवेदनशील एवं खतरनाक जोन है और समूचा बिहार राज्य जोन IV के अंतर्गत आता है, जोकि दूसरा अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक जोन है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय द्वारा बिहार में स्थित भूकम्प विज्ञान संबंधी वेधशालाओं को उन्नत बनाने के लिए कोई प्रमुख उन्नतशील योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदय, इस समय मेरे पास बिहार के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सामान्य तौर पर मैं यह निवेदन करता हूं कि प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। मैं यह विशिष्ट जानकारी माननीय सदस्य को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह आपको जानकारी दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, लातूर में भूकम्प आने से पहले, लगभग एक साल एक भूकम्प के छोटे-छोटे उसी प्रकार के झटके आते रहे, इसके बारे में आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। क्या यह अपना दोष है कि इस प्रकार के झटके आते हुए भी, उसकी जानकारी सरकार को प्राप्त नहीं हुई और इस भूमिका में सरकार ने कुछ इसमें सोचा है कि क्या इसमें कुछ व्यक्तियों का दोष है, मशीनें जब लगायेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मशीनें न लगाने के बारे में, जांच करने के बाद, क्या सरकार कुछ विचार करेगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अग्रिम रूप से ऐसा पता लगाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विद्यमान नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप इसका उत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रमाणित तथ्य हैं। हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, महाराष्ट्र में इस गंभीर भूकम्प के आने के बाद तथा इसके बाद भूकम्प के बार-बार आने के कारण, महाराष्ट्र की जनता ने यह सामान्य मांग की थी कि जापान तथा अन्य देशों से भी विशेषज्ञ बुलाये जायें और वे संयुक्त रूप से कार्य करें। क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को महाराष्ट्र में विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की सिफारिशें की हैं ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : इस वक्त मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन देशों से विशेषज्ञ वहां पहुंच गए हैं। मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं।

[हिन्दी]

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

107. **श्री गुमानी मल लोढा :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई निर्माणाधीन परियोजनाएं अपनी निर्माण अवधि से काफी पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी निर्माण लागत में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) दिसंबर 1993 के अंत तक ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं हैं तथा ये किन-किन मंत्रालयों से संबंधित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 20 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय परियोजनाओं का प्रबोधन करता है। दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार, प्रबोधन की जा रही 367 परियोजनाओं में से 177 परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे थीं तथा उनकी लागत 53930 करोड़ रु. से बढ़कर 78363 करोड़ रु. अर्थात उनकी नवीनतम अनुमोदित तारीख और लागत के संबंध में 45.3 प्रतिशत हो गई है। इन परियोजनाओं को क्षेत्र/मंत्रालय वार अलग-अलग विवरण-I में दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा उठाये गए कदम अलग-अलग परियोजनाओं में उनकी समस्याओं के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। सामान्य रूप से, सरकार द्वारा किए जा रहे उपचारी उपायों को विवरण-II दिया गया है।

विवरण-I

नवीनतम अनुमोदित चालू होने की तारीख (31-12-93 की स्थिति के अनुसार) के संबंध में विलंबित परियोजनाओं की क्षेत्रवार संख्या

	क्षेत्र/मंत्रालय	परियोजनाओं की संख्या
1.	परमाणु ऊर्जा	7
2.	नागर विमानन	2
3.	कोयला	20
4.	वित्त	1
5.	उर्वरक	1
6.	सूचना और प्रसारण	6
7.	खानें	1
8.	इस्पात एवं लौह अयस्क	7
9.	रसायन और पेट्रो-रसायन	2
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	21
11.	विद्युत	29
12.	भारी उद्योग	7
13.	रेलवे	44
14.	भूतल परिवहन	18
15.	दूरसंचार	11
	कुल	177

विवरण-II

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- परियोजना प्राधिकरणों और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक/तिमाही प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं का गहन प्रबोधन।
- प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की गई प्रगति की विस्तृत आवधिक समीक्षा तथा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु परियोजना प्राधिकरणों पर लगातार दबाव डालना।
- ठेका पैकेजों को त्वरित गति से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य कठिनाइयों को हल करने के लिए कार्यदल/शक्तियां प्राप्त समितियों का गठन।
- विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकारों, उपकरण संभरणकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं एवं अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ निकटतम अनुवर्ती कार्रवाई।
- अंतर-मंत्रालयीय समन्वय एवं पारस्परिक आदान-प्रदान।
- वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना और अनुमानों को तैयार करने पर बल देना।
- सचिवों की समिति द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा।
- संशोधित लागत अनुमानों का समय पर अनुमोदन तथा बजट संबंधी सहायता, आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजट सहायता को बढ़ाने के माध्यम से वित्त अन्तर को पूरा करना।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष जी, अब तक 177 परियोजनाओं का इम्पलीमेंटेशन विलम्ब से होने के कारण राष्ट्र को एटॉमिक एनर्जी, कोल, कैमिकल्स, पेट्रोलियम, पावर, रेलवेज, हैवी इंडस्ट्रीज आदि में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है, आपके पास 1992 दिसंबर तक उन योजनाओं को पूरा करने के लिए अमरीकी डालर में 11 अरब रुपये कर्जे में जमा थे लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया और वह रकम अनुपयुक्त रही ? उसके कारण अब तक लगातार वृद्धि होती जा रही है। जो कीमत से ऐकसलरेट होकर 100 प्रतिशत बढ़ गई है। आपके पास कितनी रकम है जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से कर्जे में आई और आपके पास जमा है ? क्या वह रकम 11 अरब या उसके आसपास है ?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, मंत्रालय इसकी निगरानी कर रहा है। धनराशि का अभाव है। माननीय सदस्य को यह प्रश्न संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग से पूछना चाहिए।

कोई बात नहीं, मैं जानकारी हासिल करूंगा कि उन्होंने कितनी धनराशि प्रदान की है। मैं आपको इनकी लागत में वृद्धि तथा निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि के बारे में जानकारी दे सकता हूं। मैं परियोजनावार जानकारी भी एकत्रित करूंगा तथा इसे माननीय सदस्य को दूंगा। उपयोग में न लाई गई धन-राशि कहां और किस मंत्रालय अथवा विभाग के पास पड़ी हुई है। यह जानकारी इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : इसके बारे में राज्य सभा में 23 फरवरी; 1993 को एक प्रश्न में बताया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सभा का नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : आपके पास है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय, यह जानकारी एकत्रित करके माननीय सदस्य को दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : क्या यह सच है कि श्री गनतर जी, एशियन डैवलपमैंट बैंक के वाइस प्रैजीडैन्ट भारत में आए थे ? उन्होंने बताया था कि 4 बिलियन डालर अनयूटिलाईज्ड प्रोजैक्ट में रखे हुए हैं और भारत में यह अनयूटिलाइज्ड रकम होने के कारण सारी परियोजनाओं में रकम काम में नहीं आ रही है। 5 नवम्बर को भारत में मीटिंग और प्रेस कौन्फ्रैंस में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। क्या यह सच है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आपको यह विदित होना चाहिए कि कितनी धनराशि उपलब्ध है तथा उस धनराशि को खर्च क्यों नहीं किया गया है एवं परियोजनाएं उनकी नियत समय-सीमा के अनुसार क्यों नहीं चल रही हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : बात यह है कि मंत्रालय-वार जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, वह हम दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब संसद आपको इसकी सही तरीके से निगरानी करने के लिए जिम्मेदार ठहरा देगी।

(व्यवधान)

श्री गिरिधर गोमांगो : यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं आपको यह जानकारी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास यह जानकारी उपलब्ध है, तो आप इसे उन्हें दे सकते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : हम संबंधित परियोजनाओं से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम संबंधित मंत्रालय को सूचित करते हैं। नियत समय-सीमा एवं लागत में जो भी वृद्धियां होती हैं, उनकी संबंधित मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही है। हम वह जानकारी मंत्रालयवार संकलित कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं जानकारी एकत्रित करुंगा तथा इसे माननीय सदस्य को दे दूंगा। मैं यही कुछ जानकारी उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री गोपीनाथ गजपति : महोदय, यह ठीक ही कहा जाता है कि किसी देश की आर्थिक प्रगति का आंकलन–उस देश में जिस गति से विकास परियोजनाएं लागू की जाती हैं। उसके द्वारा ही किया जाता है।

प्रधान मंत्री महोदय ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने में हुए अत्यधिक विलम्ब के लिए ठीक ही अपनी नाराजगी एवं चिन्ता जाहिर की है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में आज तक विलंबित परियोजनाओं की एक अत्यंत प्रभावशाली सूची पेश की है। परियोजना लागतों में मात्र 45.3 प्रतिशत की वृद्धि को, मैं वास्तविक लागत वृद्धि से कम आंकलन करना समझता हूं। इस बारे में (नौ नकद न तेरह उधार) वाली लोकप्रिय कहावत ज्यादा सच्ची होती। मेरे ही राज्य उड़ीसा–जिसके कि मंत्री महोदय भी रहने वाले हैं–में अनेक परियोजनाएं ऐसी हैं; जिन्हें कि आज तक लागू नहीं किया गया है।

अतः **क्या मैं** माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाये जाने पर विचार किया गया है तथा वह यह भी बतायें कि क्या सरकार विलंबित परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए संबंधित राज्यों से समन्वय कर सकती है।

श्री गिरिधर गोमांगो : प्रधान मंत्री महोदय ने इन परियोजनाओं को, जो मंत्रालय लागू कर रहे हैं, उनकी 14 फरवरी को समीक्षा की है तथा मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है, जो निर्माणाधीन परियोजनाओं के समय-सीमा से विलंबित होने के कारण जिनकी वजह से अन्ततः इनकी लागत में वृद्धि हुई है–दर्शाते हुए एक महीने के अंदर-अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। अतः हम इनके निर्माण अवधि से विलंबित होने तथा लागत में वृद्धि के लिए अनेक कारण एवं घटक बता सकते हैं।

इसके अलावा, विशेषज्ञों एवं मंत्रियों के विचारों के मुताबिक इन समस्याओं को, तुरंत हल करने के लिए क्या संभावित कारण हो सकते हैं, ताकि जो परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं, उन्हें सिफारिशों के आधार पर समय पर पूरा किया जा सके।

उड़ीसा के बारे में मेरे पास परियोजनाओं की राज्यवार-सूची उपलब्ध है। हम इस सूची को हर महीने अद्यतन बनाते हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि परियोजनाएं लागू नहीं की जा रही हैं; जबकि परियोजनाए लागू की जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रधान मंत्री जी इस मंत्रालय के कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। यह एक नया विभाग इंप्लीमेंटेशन देखने के लिए खोला गया है। मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है कि 35.3 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और वह भी 177 प्रोजेक्ट्स में। जब से यह नया विभाग बना है जिस तरीके से रेलवे के 34 प्रोजेक्ट्स और पावर के 29 प्रोजेक्ट्स हैं, क्या विभाग ने और मंत्री महोदय ने इस बारे में छानबीन की है कि ये सारा जो भारी नुकसान हो रहा है और ये सारे आर्थिक मंत्रालय हैं और देश का भविष्य इन मंत्रालयों के कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस एस्केलेशन कोस्ट के लिए और काम ठीक समय पर न होने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ? कौन व्यक्ति या कोन्ट्रेक्टर है इसकी कोई जांच हुई है और उनको दंड देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ? अगर इस प्रकार किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आगे चलकर स्थिति और बदतर हो जाएगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, इसका ब्यौरा दें और इसके लिए क्या दंड-विधान है यह भी मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : इन 367 परियोजनाओं में से, 94 परियोजनाएं रेलवे से संबंधित हैं; यह संख्या सबसे अधिक है। 69 परियोजनाएं कोयला क्षेत्र की हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित 41 परियोजनाएं तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित 42 परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण मंत्रालयों द्वारा लागू की जा रही हैं। परियोजना प्राधिकारियों से हमें सीधे ही जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित मंत्रालय से संपर्क स्थापित करता है तथा जो भी जानकारी प्राप्त होती है, उस पर चर्चा की जाती है और उसका निपटान कर लिया जाता है। यदि यह जानकारी संबंधित मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो इसे उनके ध्यान में लाकर निबटाया जा रहा है। यदि इसके निबटान के लिए अंतर्मंत्रायल स्तर पर चर्चा की जरूरत होती है तो ऐसी चर्चा भी आयोजित की जा रही है। संबंधित मंत्रालय भी इसकी निगरानी करता है। हमें निगरानी रिपोर्ट प्राप्त होती है। उसमें विद्यमान त्रुटियों एवं कमियों के निराकरण का उत्तरदायित्व प्रशासनिक मंत्रालय पर है।

इस मंत्रालय जिसका कि 1985 में सृजन किया गया था–का उद्देश्य जानकारी एकत्रित करना और उसे समेकित करके प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजना है। प्रधान मंत्री उन परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं, जिनके कि निर्माण कार्य में देरी हो गई है तथा ऐसी परियोजनाओ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वह हमें एक महीने के अंदर-अदंर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिए कहते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए अनावश्यक विलम्ब का निश्चित रूप से हमारे विकास कार्य पर विपरीत असर पड़ेगा, यदि आप लम्बित अथवा विलंबित पड़ी परियोजनाओं के स्वरूप का अध्ययन करें, तो आप शायद इस निष्कर्ष पर पहुंच पायेंगे कि ऐसा अंतर्मंत्रालय स्तर पर समन्वय तथा एक दूसरे के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण हुआ है।

अतः मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों में बेहतर समन्वय एवं आपसी तालमेल स्थापित करने के लिए आपके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : अनेक ऐसे विषय हैं, जहां कि अंर्तमत्रालय स्तर पर चर्चा की जरूरत होती है। मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। लेकिन अनेक समस्याओं के बारे में मेरे पास यहां सूची उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है।

श्री गिरिधर गोमांगो : विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न मंत्रालय के बीच आपसी समन्वय स्थापित है। विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में अंर्तमंत्रालय स्तर पर जो भी समस्याएं विद्यमान है, उनको संघटित किया जा रहा है, उन पर चर्चा की जा रही है तथा उन्हें हल किया जा रहा है। जब यह मंत्रालय रिपोर्ट देता है, तो सभी संबंधित मंत्रालय समस्याओं को हल करने के लिए सम्मिलित रूप से समस्याओं का समाधान करते हैं। यह व्यवस्था पहले ही विद्यमान है। लेकिन अनेक प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनकी कि संबंधित मंत्रालय द्वारा जांच पड़ताल की जानी होती है और उसी के आधार पर उन्हें समस्याओं को हल करना होता है।

मेरे मंत्रालय को मात्र यह जानकारी देनी होती है कि परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब तथा इनकी लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा उन्हें यह सूचित करना होता है कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। यह मंत्रालय सुधारात्मक कदम भी उठा रहा है क्योंकि हमें परियोजना-प्राधिकारियों द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि जिन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा था, अब उनके कार्य में तेजी आ रही है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, हमें आशा है कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने की स्थिति में और सुधार कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह बात सही है कि कई योजनाएं विभाग का मंत्री बदलने से, बजट में प्रैफरेंस बदलने के कारण और बजट में प्रावधान नहीं रखने से अधूरी रह कर ठप्प पड़ जाती हैं और कई करोड़ रुपया यूं ही बर्बाद हो जाता है। इसके लिए किस को जिम्मेदार माना जाता है ? ऐसी योजनायें पुनः कार्यान्वित हों, इसके लिए क्या टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने की योजना है ? ऐसा कितना करोड़ रुपया अब तक आधे-अधूरे कामों पर खर्च हुआ है ? इसकी जानकारी मंत्री जी देने का कष्ट करें।

कई बार ऐसा होता है कि मंत्रियों का प्रिफरेंस बदल जाता है, जैसे इन्दौर दाओद रेल लाइन पर कई करोड़ रुपये खर्च करने के बाद रेल मंत्रालय ने उस पर बजट में प्रावधान ही नहीं रखा, इसलिए योजना ठप्प हो गई। देश का पैसा ऐसी आधी-अधूरी योजनाओं पर खर्च होता है। एक रुपया प्रावधान रखा है और अब इससे कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगी जब फिर से शुरू होगा।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, सचिव-समिति की बैठक होगी तथा उसमें इन समस्याओं को हल किया जायेगा और मैंने पहले ही यह कार्यक्रम तैयार कर लिया है। माननीय सदस्य उन परियोजनाओं के ब्यौरे तथा सूची चाहते थे, जिनका कि कार्य लम्बित पड़ा है तथा उनका कार्य बंद होने के कारण पूछे हैं। कुल मिलाकर ऐसी 367 परियोजनाएं हैं। लम्बित महत्वाकांक्षी (मेगा) परियोजनाओं की संख्या 36 है और इनमें लगभग 61 प्रतिशत निवेश है। लम्बित पड़ी प्रमुख परियोजनाओं की संख्या 135 है तथा इनके लिए 32 प्रतिशत धनराशि की जरूरत है। मझौले-स्तर की 196 परियोजनाएं लम्बित हैं, जिनके लिए कुल निवेश के सात प्रतिशत के बराबर धनराशि की आवश्यकता है। हमें आज कुल मिलाकर यही सूचना मिली है। सकल परियोजनाओं में से केवल चार ही परियोजनाओं का कार्य उनकी नियत निर्माण अवधि से आगे चल रहा है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मंत्रियों के प्रिफरेंस बदलने से कौन सी योजनाएं ठप्प हो गई हैं; यह मैंने पूछा है।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : यह बताया गया है कि 178 परियोजनाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं, जो परियोजनाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार नहीं चल रही हैं। उनके बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया है। 177 परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा से पीछे हैं, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया है। इन सभी परियोजनाओं के लिए धनराशि संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी जाती है।

हमारा मंत्रालय इन परियोजनाओं को वित्त-पोषक प्रदान करने वाली एजेंसी नहीं हैं। इन परियोजनाओं को लागू करने तथा वित्तपोषित करने वाली एजेंसी संबंधित मंत्रालय है। हमें मंत्रालय से जो भी सूचना प्राप्त होती है, हम उसे संकलित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको ऐसी बातें सभा-पटल पर कहने की अनुमति नहीं देंगे। आपको जानकारी हासिल करनी होगी तथा यह जानकारी सभा को देनी होगी।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के बारे में, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने अनेक राज्यों की परियोजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी की है। 367 परियोजनाओं में से 177 परियोजनाओं के कार्य निष्पादन में देरी हो रही है। अतः मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी समीक्षा एवं निरीक्षण के दौरान किन-किन समस्याओं का सामना किया है तथा इन परियोजनाओं के कार्य में देरी होने के क्या कारण हैं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में ऐसी परियोजनाओं का विवरण तथा किए जा रहे उपचारी उपायों का ब्यौरा भी दिया है। इन परियोजनाओं के कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यंत रोचक प्रश्न है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि लागत एवं निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि क्यों हो जाती है।

श्री गिरिधर गोमांगो : निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ?

श्री गिरिधर गोमांगो : कई बार धनराशि की कमी के कारण निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने मंत्रालय का विश्लेषण दीजिए।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं ऐसा मेरे मंत्रालय द्वारा किये गए विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं। सिविल कार्यों में देरी हुई है। कुछ परियोजनाओं को संबंधित मंत्रालय द्वारा समय पर अनुमति नहीं दी जाती। भर्ती करने में भी विलम्ब हो जाता है। भूमि अधिग्रहण की एक और समस्या है, जिसकी वजह से परियोजना को लागू करने में देरी हो जाती है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा संविदा-प्रदान करने की भी समस्या है। फिर उपकरणों की आपूर्ति में भी विलम्ब हो जाता है। पर्यावरण संबंधी समस्या भी है। प्रौद्योगिकी के चयन के संबंध में भी समस्या है और उनमें से कुछ समस्याएं उपकरणों के आयात करने के बारे में भी है। निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि के यही कारण हैं।

अब, मैं लागत में वृद्धि के कारण बताता हूं, जिसके बारे में कि मैंने विश्लेषण किया था। लागत में वृद्धि के कारण ये हैं; उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क तथा बिक्री कर में परिवर्तन, विदेशी-मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव, पर्यावरण बचाव, पुनर्वास तथा भूमि-अधिग्रहण की ऊंची लागत तथा अन्य कारण। अतः अनेक समस्याएं हैं। हमने इन समस्याओं का विश्लेषण किया था तथा हमने संबंधित मंत्रालय को सूचित कर दिया था।

महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने विवेक के अनुसार जो श्रेष्ठतम विचार व्यक्त किये हैं, मैं पुनः उन्हें स्वीकार करता हूं तथा यह विचार परियोजनाओं को लागू करने तथा उनकी लागत में वृद्धि को कम करने के बारे में प्रमुख समस्याओं को हल करने में सबसे बढ़िया तरीके साबित होंगे। मैंने अनेक सुझाव दिये हैं तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाये हैं। चूंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः अगर आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देते हैं, तो मैं माननीय सदस्यों के विचार प्राप्त करने को तैयार हूं। अतः मैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान कर दें, ताकि मैं माननीय सदस्यों, के विचार जान सकूं।

श्री गुमान मल लोढा : कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे विचार से इस पर आगे और चर्चा होनी चाहिए। अब चूंकि मंत्री महोदय की तरफ से ही ऐसी मांग की गई है, मैं इसकी अनुमति दे दूंगा। मैं संसद की स्थाई समितियों से अनुरोध करूंगा कि वे इन विषयों पर गौर करें। यद्यपि वे इन मुद्दों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पायेंगे, फिर भी वे कुछ हद तक तो इनकी जांच कर ही पायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मूल्य-नियंत्रण की परिधि से बाहर रखी गयी औषध

*101. **श्री वी. शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अनेक बल्क औषध को मूल्य नियंत्रण की परिधि से बाहर रखा गया है, जो नियंत्रण से मुक्त रखे जाने वाले मानदंडों के अन्तर्गत नहीं आती है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मूल्य नियंत्रण की परिधि से उन औषधों की सूची की पुनरीक्षा नहीं की गई है, जिन्हें बाहर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या औषध निर्माता अत्यधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं तथा उनका मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं; और

(ङ) वर्ष 1986-87 में औषधियों का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक क्या था और इस समय क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) औषधों को मूल्य नियंत्रण के बाहर रखने/शामिल करने संबंधी मुद्दों और औषधों को बाहर रखने के मापदण्डों सहित अन्य संबंधित मामलों पर सदन में 19 और 21 अगस्त, 1993 को पहले ही विचार-विमर्श किया गया है। उसके आधार पर औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा का काम अंतिम रूप दिए जाने की अग्रिम अवस्था में है।

(घ) मूल्य नियंत्रित श्रेणी की तुलना में मूल्य विनियंत्रित श्रेणी में मूल्य वृद्धियां कुछ ज्यादा हैं। हाल में आयात के अधिक मूल्य के बीजक बनाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) 1986 को और 12-2-1994 को औषधों और दवाइयों के थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82=100) नीचे दिए जाते हैं :-

	वर्ष 1986	वर्ष 1994 (12-2-1994 को)	प्रतिशत वृद्धि
औषधें और दवाइयों	119.90	192.40	60.00

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

*102. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के कम होने के संबंध में किसी विशेषज्ञ की राय प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने आगामी वर्षों के लिए पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों की संभाव्य समाप्ति के बारे में विभिन्न मंचों पर विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) ऊर्जा क्षेत्र के लिए रणनीति में लघु, मध्यम और दीर्घावधि विकास तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों नामतः कोयला, जल विद्युत, तेल और प्राकृतिक गैस, आणिवक ऊर्जा का कुशल उपयोग तथा साथ ही साथ अपारंपरिक अथवा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि दीर्घावधि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने एक अलग मंत्रालय अर्थात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्थापना की है, इस मंत्रालय ने सौर, पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत, बायोऊर्जा आदि के इस्तेमाल के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए हैं। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भावी ऊर्जा नीति

लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि प्राथमिकताएं और ऊर्जा नीति, जैसा कि आठवीं योजना प्रलेख में रूपरेखा दी गई है, निम्नलिखित है :-

लघु अवधि

1. ऊर्जा क्षेत्र में पहले ही सृजित की गई सम्पतियों से प्राप्तियों को बढ़ाना।
2. ऊर्जा के सभी रूपों के उत्पादन, परिवहन और उद्देश्य अनुप्रयोग में तकनीकी हानियों को कम करने के लिए उपाय शुरू करना।
3. ऊर्जा व्यवस्था में विभिन्न ऊर्जा खपत करने वाले क्षेत्रों की ऊर्जा मांग को कम करने के लिए कार्रवाई शुरू करना और उपयुक्त संगठनात्मक तथा राजाकोषीय नीतियों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण, मांग प्रबंधन को बढ़ावा देना।
4. ग्रामीण और शहरी परिवारों की आधारभूत ऊर्जा की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू, करना ताकि ऊर्जा उपयोग के क्षेत्र में वर्तमान असमानताओं को कम किया जा सके।

5. स्वदेशी स्रोतों से ऊर्जा की मांग की अधिकतम पूर्ति करना।

मध्यम अवधि

6. कोयला, लिगनाइट, प्राकृतिक गैस और बिजली के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की धीरे-धीरे प्रतिस्थापना के लिए कार्रवाई शुरू करना, ताकि तेल के आयात को वर्तमान स्तर तक ही सीमित रखा जा सके।

7. सभी अक्षय ऊर्जा संसाधनों विशेषकर उपलब्ध जल विद्युत संभाव्यता के अधिक तेजी से विकास के लिए कार्रवाई शुरू करना।

8. ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

9. अक्षय ऊर्जा संसाधनों पर आधारित विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देना।

10. समग्र ऊर्जा नीति के अनुसार ही विभिन्न ऊर्जा उप क्षेत्रों के मामलों में उपयुक्त संगठनात्मक परिवर्तन शुरू करना।

दीर्घ अवधि

11. प्रमुख रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित एक ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

12. ऊर्जा के उत्पादन, परिवहन और उद्देश्य अनुप्रयोग की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, जो पर्यावरण की दृष्टि से हितकर तथा लागत प्रभावी हों।

विवरण-II

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) : वित्तीय और वास्तविक

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये में)	अस्थायी वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4
1.	बायोगैस विकास कार्यक्रम	320.00	
	(क) परिवार आकार के संयंत्र		7.50 लाख संख्या
	(ख) सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र		450 संख्या

1	2	3	4
2.	उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	80.00	100 लाख संख्या
3.	सौर तापीय कार्यक्रम	80.00	
	(क) सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां		2.75 लाख वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
	(ख) सौर कुकर		3.00 लाख संख्या
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	90.00	
	(क) सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां		25.000 संख्या
	(ख) सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्प		600 संख्या
	(ग) अन्य सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां		1720 कि.वा.
5.	पवन ऊर्जा कार्यक्रम	90.00	
	(क) पवन पम्प		4000 संख्या
	(ख) पवन बैटरी चार्जर		500 संख्या
	ग. पवन विद्युत		100 मे.वा.*
6.	ऊर्जा ग्राम (सर्वेक्षण)	1.00	
7.	बायोमास विकास कार्यक्रम	15.00	
8.	मावन और पशु ऊर्जा कार्यक्रम	1.00	
9.	बायोऊर्जा विकास कार्यक्रम	20.00	300 मे.वा.*
10.	लघु जल विद्युत विकास कार्यक्रम	100.00	200 मे.वा.*
11.	भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन	10.00	
12.	मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स		
13.	भूतापीय ऊर्जा	10.00	
14.	ऊर्जा के रासायनिक स्रोत		

1	2	3	4
15.	समुद्री ऊर्जा		
16.	हाइड्रोजन ऊर्जा	10.00	
17.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमि. (इरेडा)		
18.	क्षेत्रीय कार्यालय आदि		
19.	सूचना और प्रचार		
20.	सेमीनार/सम्मेलन	10.00	
21.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग		
22.	डाटा बैंक/टी.आई.एफ.ए.सी.		
23.	सौर ऊर्जा केन्द्र	15.00	
24.	विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम और प्रदर्शन कार्यकलाप	5.00	
	योग	657.00	

*बायोमास गैसीफायर शामिल है : *निजी क्षेत्र भी शामिल है।

नीति और कार्य योजना एक नजर में

क्र.सं.	कार्यक्रम	आठवीं योजना के दौरान वास्तविक लक्ष्य/उद्देश्य	
		आठवीं योजना के दौरान जैसा कि मूलतः परिकल्पना की गई	संशोधित लक्ष्य*
1	2	3	4
(क)	**विद्युत उत्पादन**		
1.	पवन विद्युत	100 मे.वा.**	500 मे.वा.

1	2	3	4
2.	लघु जल विद्युत	200 मे.वा.**	600 मे.वा.
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय	3 मे.वा.	25 मे.वा.
	(क) सौर लालटेन		4 लाख संख्या
	(ख) सौर प्रकाशवोल्टीय पावर पैक		400 संख्या
4.	सौर तापीय विद्युत		30 मे.वा.**
5.	बायोमास/बायोऊर्जा	300 मे.वा.**	500 मे.वा.
	(क) बायोमास गैसीकरण		50 मे.वा.
	(ख) कम्बसिंग/और सह-उत्पादन		150-300 मे.वा.
	(ग) शहरी और नगरीय	100 मे.वा.	
	(घ) औद्योगिक अपशिष्टों से पुनः चक्रण	150-300 मे.वा.	
	(ङ) बायोमास संघनीकरण (बिक्रेटिंग)		50 मे.वा.
	कुल (विद्युत)	603 मे.वा.	1655 मे.वा.
(ख)	**प्रोसस ताप और खाना पकाने की ऊर्जा**		
6.	सौर तापीय प्रणालियां	2.75 लाख वर्ग मी.	11.00 लाख वर्ग मी.
7.	बायोगैस	7.50 लाख संख्या	10 लाख सं.***
8.	उन्नत चूल्हा	100 लाख संख्या	180 लाख संख्या***
9.	सौर कुकर*	3.0 लाख संख्या	7.0 लाख संख्या

*निजी क्षेत्र शामिल है।

**अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाए जाने के अध्यधीन।

***निकट भविष्य में सभी संभावित लाभार्थियों को शामिल किया जाना।

जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन

103. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत योजनाओं में बार-बार हो रही कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए विभिन्न राज्यों में कोई दल भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना एक जारी मजदूरी रोजगारी कार्यक्रम है और इसकी केन्द्र और राज्यों सरकारों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। कार्यक्रम की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय एवं जिले, उप-प्रभाग और खंड स्तरीय अधिकारी, कार्यक्रम के सभी पहलुओं की कार्य-स्थलों पर दौरे करके गहन निगरानी करते हैं। ग्रामीण विकास की राज्य स्तरीय समन्वय समितियां अन्य योजनाओं के साथ जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी भी करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकों में भी भाग लेता है।

इसके अलावा, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सचिवों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के परियोजना निदेशकों के साथ कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधारों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैठक बुलाती है। भारत सरकार ने कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए स्वतंत्र संस्थाओं/संगठनों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन भी शुरू किया है। जनवरी से जून, 1992 की अवधि के संबंध में समवर्ती मूल्यांकन की प्राथमिक रिपोर्ट पहले ही निकाली जा चुकी है। संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए समवर्ती मूल्यांकन का एक सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जवाहर रोजगार योजना सहित ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से वर्ष 1993 के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों की एक प्रणाली शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत उप सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक को एक या दो राज्य आबंटित किए गए हैं। उनको उन्हें आबंटित राज्य (राज्यों) का दौरा करना होता है और जवाहर रोजगार योजना सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। ग्रामीण गरीबों और बेरोजगारों के अधिक अनुपात को देखते हुए तथा राज्यों की ओर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अधिकारी योजना में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बंजर भूमि विभाग और योजना आयोग के अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के विभिन्न दलों को 1-1-94 से शामिल करके और अधिक सुदृढ़ किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों ने 1993 के दौरान 21 राज्यों और 1994 में अब तक 7 राज्यों का दौरा किया है।

(ग) व (घ) जवाहर रोजगार योजना में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए किसी भी राज्य में विशेष रूप से कोई दल नहीं भेजा गया है। जब कभी जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों की शिकायतें भारत सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं, उनको संबंधित राज्य सरकार को जांच और उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

विवरण

समवर्ती मूल्यांकन का सार

सकारात्मक मुद्दे :

1. विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा पूरे किए गए विभिन्न कार्यों में से ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। 1991-92 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा पूरे किए गए कुल कार्यों में से 43 प्रतिशत कार्य ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण, 17 प्रतिशत कार्य स्कूल भवनों/सामुदायिक केंद्रों आदि के निर्माण कार्य, 7 प्रतिशत सामुदायिक सिंचाई कुओं के निर्माण, 6 प्रतिशत नालियों की सफाई तथा जल रोधकों को हटाने के कार्यों, 5 प्रतिशत दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए कुओं के निर्माण तथा शेष अन्य विकास गतिविधियों से संबंधित हैं। इस तरह से यह देखा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा बड़ी मात्रा में सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित की गई।

2. जवाहर रोजगार योजना कार्यों पर किए गए खर्च का मजदूरी और गैर-मजदूरी अनुपात 52:48 था जो कि मार्गदर्शिकाओं में उल्लिखित 60 : 40 के मानदंड के काफी नजदीक है।

3. विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित कुल रोजगार में से 55 प्रतिशत रोजगार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को, 33 प्रतिशत भूमिहीन मजदूरों को तथा 21 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को मिला।

4. जहां तक कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता का संबंध है, अध्ययन से यह पाया गया है कि 1991-92 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित कुल परिसम्पत्तियों में से 71 प्रतिशत परिसम्पत्तियां अच्छी हालत में पायी गई, 7 प्रतिशत परिसम्पत्तियां निम्नकोटि की थी तथा 22 प्रतिशत या तो अपूर्ण थी अथवा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार नहीं थी।

5. अधिकांश मामलों में (अर्थात 51 प्रतिशत) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में।

ध्यान देने योग्य क्षेत्र :

1. अधिकांश मामलों में पंचायत प्रमुखों को जवाहर रोजगार योजना के कार्य शुरू करने हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

2. सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए गए कार्यों के पूरा होने में होने वाले विलंब के कारणों का भी मूल्यांकन किया गया। पंचायतों द्वारा कार्यों के पूरा होने में हुए विलम्ब के लिए बताए गए विभिन्न कारणों में से सबसे सामान्य कारण "निधियो

की कमी" था। मोटे तौर पर 43 प्रतिशत मामलों में कार्य निधियों की कमी के कारण पूरे नहीं किए जा सके। गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में यह पाया गया कि यह निधियों की कमी सबसे बड़ी बाधक थी।

3. अखिल भारतीय स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए गए अधिकतर कार्यों (59 प्रतिशत) में स्थानीय सामग्री का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था।

4. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अकुशल मजदूरों, पुरूष और महिला दोनों, को दी जाने वाली औसत मजदूरी गैर-मौसम के दौरान पंचायत क्षेत्र में ऐसे मजदूरों को दी जाने वाली स्थानीय औसत मजदूरी से कम थी। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में अकुशल पुरूष और महिला मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में असमानता थी।

5. सर्वेक्षण के दौरान जवाहर रोजगार योजना के मजदूरों से हुए साक्षात्कार के दौरान यह बात सामने आयी कि लगभग 55 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 6400 रुपए से अधिक थी। यह कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र परिवारों के चयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप नहीं है।

अप्सरा रिएक्टर

*108. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्सरा रिएक्टर चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिएक्टर को निर्यात हेतु बहुप्रयोजनीय अनुसंधान रिएक्टर में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कितनी लागत आएगी,

(ङ) निर्यात से अनुमानतः कितनी धनराशि अर्जित होगी; और

(च) इस प्रकार के कितने रिएक्टरों का निर्यात किया जाएगा ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) "अप्सरा" को 1956 में चालू किया गया था। यह रिएक्टर भूतपूर्व सोवियत संघ के बाहर एशिया में स्थापित किया जाने वाला पहला अनुसंधान रिएक्टर था। यह पूल किस्म का रिएक्टर

है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान-कार्य करना तथा आइसोटोपों का उत्पादन करना है। यह रिएक्टर अभी भी काम कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) "अप्सरा" भारत का सबसे पुराना रिएक्टर है। इस रिएक्टर को नए डिजायन की विशिष्टताओं के साथ पुनः सज्जित करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस पुनः सज्जित रिएक्टर का निर्यात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्ति

*109. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार के कहने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आर्थिक मानदंडों के आधार पर लगभग 1,50,000 व्यक्तियों के दावे, जो भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों के रूप में अन्तरिम राहत प्राप्त कर रहे थे, अस्वीकार कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त मानदंडों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) जैसा उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था, गैस रिसाव दुर्घटना के कारण भोपाल में गंभीर रूप से प्रभावित 36 वार्डों के निवासियों को अन्तरिम राहत के भुगतान के दूसरे चरण में आयकर और सम्पत्ति कर दाताओं, सम्पत्ति कर और बिक्री कर निर्धारितियों, सरकारी सेवकों और सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों के अलावा अन्य दावेदारों तक ही भुगतान सीमित कर दिया गया है। उपर्युक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार का मानदण्डों की पुनरीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।

सीमेंट उत्पादन

*110. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1990 1991, 1992 के दौरान तथा 1993-94 में अब तक सीमेंट उद्योग के उत्पादन में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उत्पादन में आई इस कमी का निर्यात लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार है :-

(मिलियन मी.टन में)

1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (जनवरी 1994 तक)
48.76	54.01	54.14	46.89

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सीमेंट उद्योग ने निर्यात बढ़ा दिया है। 1991-92 में 3.58 लाख मी.टन. की तुलना में 1992-93 में निर्यात बढ़कर 1.15 मिलियन मी.टन हो गया था। अप्रैल-दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात 1.55 मिलियन मी. टन रहा है, जबकि वार्षिक लक्ष्य 2 मिलियन मी. टन था।

(ङ) सरकार घरेलू बाजार और निर्यात बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट उद्योग को कोयला, सीमेंट के परिवहन के लिए वैगनों आदि के आबंटन जैसी बुनियादी सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

*111. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केंद्रीय सरकार ने सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किन्ही खामियों का पता चला है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा कार्यक्रम (सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय)

के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सौर ऊर्जा कार्यक्रम में केवल विस्तार संघटक के लिए ही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, प्रदर्शन संघटकों के लिए नहीं। विस्तार कार्यक्रम के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आर्थिक राज सहायता से चलाए जा रहे बिस्तार कार्यक्रम से बजटीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक ही मांग सीमित रह जाती है। इस कार्यक्रम को आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा स्थापित की गई प्रणालियों की मरम्मत और रखरखाव के अपर्याप्त प्रबंधों के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उचित बाजार विकास नहीं हो पाया। परिपक्व सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से सौर तापीय प्रणालियों के मामले में आर्थिक राज सहायता के स्थान पर उदार ऋण प्रबंध किए गए हैं और सौर प्रकाशवोल्टीय के मामले में आर्थिक राज सहायता को समाजोन्मुख योजना के लिए ही सीमित रखा गया है। की गई कार्रवाई के फलस्वरूप इन प्रणालियों और युक्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव आदि कार्यों में विनिर्माताओं और बाजार बिचौलियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी होगी और इन प्रणालियों एवं युक्तियों के बाजार का तेजी से विकास होगा।

विवरण-I

सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाखों रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर प्रकाश वोल्टीय			सौर तापीय		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	18.32	11.43	3.50	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.75	13.50	73.00	2.74	–	–
3.	असम	–	2.92	22.97	–	0.35	–
4.	बिहार	5.40	31.50	56.00	39.53	9.86	–
5.	गोवा	–	4.32	–	0.93	–	–
6.	गुजरात	–	4.50	2.00	148.56	18.96	–
7.	हरियाणा	–	30.60	20.25	14.60	19.06	18.97
8.	हिमाचल प्रदेश	5.40	21.71	30.00	30.63	15.92	–

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू एवं कश्मीर	20.25	41.85	31.75	3.55	8.49	–
10.	कर्नाटक	–	17.77	20.69	52.36	36.78	–
11.	केरल	29.70	44.72	67.70	13.72	8.55	–
12.	मध्य प्रदेश	84.60	23.94	17.25	107.14	26.52	12.37
13.	महाराष्ट्र	4.05	–	20.00	106.78	65.73	3.30
14.	मणिपुर	–	13.50	–	–	0.68	–
15.	मेघालय	33.75	15.75	16.25	2.92	0.20	–
16.	मिजोरम	–	20.97	5.70	–	0.26	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	72.23	42.75	6.70	2.03	2.78	–
19.	पंजाब	–	15.75	5.00	33.21	29.73	–
20.	राजस्थान	–	57.93	91.80	10.11	–	–
21.	सिक्किम	–	–	3.70	1.71	–	–
22.	तमिलनाडु	–	23.31	0.80	48.24	18.78	–

23.	त्रिपुरा	13.50	12.06	7.40	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	519.75	322.77	501.10	95.22	7.67	22.27
25.	पश्चिम बंगाल	34.65	6.75	57.75	21.42	127.62	–
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	0.54	–	–
27.	चंडीगढ़	–	7.87	–	6.04	2.66	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	38.00	56.67	19.14	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	3.96	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	1.42	–	–

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थापनाओं की राज्यवार स्थिति (31-1-1994 को)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.एल.एस.	सी.एल.एस.	एस.एल.	सी.एल.एस.	आई.वी.एस.	डब्ल.यू.पी.एस.	ऊर्जा संयंत्र (के.डब्ल:यू.पी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2817	64	75	–	3	60	2.(12)
2.	अरुणाचल प्रदेश	424	32	11	80	3	7	1.(2)
3.	असम	98	103	25	18	5	–	1.(1)
4.	बिहार	580	–	800	3	7	28	–
5.	गोवा	30	31	–	2	2	–	2.(1.7)
6.	गुजरात	1563	370	179	–	51	98	3.(14)
7.	हरियाणा	453	6	154	–	63	9	–
8.	हिमाचल प्रदेश	197	248	450	9	2	9	–
9.	जम्मू व कश्मीर	279	202	650	–	1	–	–
10.	कर्नाटक	258	–	–	6	3	2	–
11.	केरल	315	138	215	7	18	9	1.(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	5407	100	625	30	16	48	1.(6)
13.	महाराष्ट्र	2871	65	3000	61	–	49	3.(6.4)
14.	मणिपुर	357	–	224	–	–	2	5.(5)
15.	मेघालय	588	210	400	–	–	8	7.(15.5)
16.	मिजोरम	119	1092	60	1	–	–	–
17.	नागालैंड	271	8	–	3	–	10	1.(6)
18.	उड़ीसा	1854	185	164	46	37	51	5.(34)
19.	पंजाब	48	–	182	–	4	–	1.(1)
20.	राजस्थान	5451	–	–	–	91	4	9.(73)
21.	सिक्किम	93	31	196	–	6	8	–
22.	तमिलनाडु	1940	50	254	–	38	34	1.(10)
23.	त्रिपुरा	230	568	32	83	102	113	9.(25)
24.	उत्तर प्रदेश	700	15150	350	–	20	50	31.(143)
25.	पश्चिम बंगाल	1411	–	150	2	–	–	1.(3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	312	377	46	2	–	20	17.(89)
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	300	–	1000	–	–	9	1.(5)
31.	लक्षद्वीप	211	–	–	–	–	14	1.(25)
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–

*एस.एल.एस. – सड़क रोशनी प्रणालियां

डी.एल.एस. – घरेलू रोशनी

एस.एल. – सौर लालटेन

सी.एल.एस. – सामुदायिक रोशनी प्रणालियां

टी.वी.एस. – सामुदायिक टेलीविजन

डब्ल्यू.पी.एस. – जल पम्पिंग प्रणालियां

विवरण-II

सौर कुकर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां (संख्या में)

क्र.सं.	राज्य	91–92		92–93		93–94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (31-12-93 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	507	1000	2309	500	864
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	50	50	–	50	–
3.	असम	–	–	50	80	50	–
4.	बिहार	200	–	200	730	400	–
5.	गोवा	300	–	200	–	200	35
6.	गुजरात	3000	2930	4000	1898	4000	1039
7.	हरियाणा	500	6449	3000	3925	4000	–
8.	हिमाचल प्रदेश	2000	4309	3000	2867	3000	2666
9.	जम्मू कश्मीर	50	–	700	–	200	86

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	100	–	550	–	500	–
11.	मध्य प्रदेश	10000	20500	8000	25805	15000	15000
12.	केरल	1000	–	550	22	500	17
13.	महाराष्ट्र	2000	5811	3500	2526	4000	579
14.	मणिपुर	–	200	50	–	50	–
15.	मेघालय	300	–	100	–	100	–
16.	मिजोरम	–	–	50	–	50	48
17.	नागालैंड	–	–	50	–	50	–
18.	उड़ीसा	200	–	400	–	200	150
19.	पंजाब	800	2056	3000	2216	1000	454
20.	राजस्थान	5000	2052	3500	4094	2000	775
21.	सिक्किम	50	–	50	–	50	–
22.	तमिलनाडु	200	132	1000	–	500	5
23.	त्रिपुरा	–	–	50	–	50	–

24.	उत्तर प्रदेश	2000	7000	4000	1227	4000	627
25.	पश्चिम बंगाल	400	–	700	–	300	167
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	50	–	50	21
27.	चंडीगढ़	600	–	50	350	50	110
28.	दादर और नागर हवेली	100	–	50	–	50	–
29.	दमन और द्वीव	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	2000	2869	2000	3828	4000	
31.	लक्षद्वीप	–	–	50	–	50	–
32.	पांडिचेरी	200	–	50	–	50	–
33.	अन्य (के.वी.आई.सी.)	–	–	–	–	5000	–
	जोड	31000	54815	40000	51877	50000	22643

विवरण

सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

(संग्राहक क्षेत्र वर्गमीटर में)

क्र.सं.	राज्य	91-92		92-93		93-94	31-12-94
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य*	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1400	292	1830	1454	–	166
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	260	45	365	–	–
3.	असम	150	150	365	–	–	–
4.	बिहार	1600	–	1830	–	–	–
5.	गोवा	210	–	365	44	–	–
6.	गुजरात	4960	12994	7135	2330	–	–
7.	हरियाणा	1100	228	1465	872	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1225	755	1465	148	–	68
9.	जम्मू एवं कश्मीर	900	–	1195	–	–	36
10.	कर्नाटक	2400	3938	3265	4920	–	3390
11.	केरला	850	246	1095	190	–	–
12.	मध्य प्रदेश	4960	7714	6950	2214	–	1200
13.	महाराष्ट्र	4960	7612	7135	3310	–	–
14.	मणिपुर	100	312	365	98	–	–
15.	मेघालय	425	30	645	–	–	306
16.	मिजोरम	100	–	275	–	–	300
17.	नागालैंड	100	–	180	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उड़ीसा	425	60	645	45	–	22
19.	पंजाब	2350	685	3200	1718	–	670
20.	राजस्थान	2350	300	3200	1110	–	288
21.	सिक्किम	260	–	275	132	–	–
22.	तमिलनाडु	2130	2837	2925	1608	–	1010
23.	त्रिपुरा	160	–	180	63	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	4960	5998	7135	2764	–	558
25.	पश्चिमी बंगाल	480	–	640	1156	–	1276
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	160	–	275	–	–	–
27.	चंडीगढ़	640	683	915	32	–	44
28.	दादर एवं नगर हवेली	50	–	180	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	1900	3483	2560	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	50	–	180	–	–	–
32.	पांडिचेरी	425	–	645	245	–	–
33.	अन्य	960	–	1090	–	–	–
34.	इरेडा	–	–	–	2500	–	–

*उपयोगकर्ता को वित्तीय सहायता के प्रबंधों में परिवर्तन के कारण इस वर्ष के दौरान राज्यों को कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किए गए।

[अनुवाद]

पारम्परिक चूल्हों का प्रयोग

112. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाना पकाने के लिए पारम्परिक चूल्हों का प्रयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों की प्रतिशतता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारम्परिक चूल्हों का प्रयोग करने वाली अधिकतर ग्रामीण महिलाएं रसोई में धुएं से होने वाले रोगों से पीड़ित हैं; और

(घ) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार तथा अन्य एजेन्सियों ने उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) देश में खाना पकाने के लिए पारम्परिक चूल्हों का प्रयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन ध्यान में नहीं आया है। तथापि, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा किए अध्ययन के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ईंधन की लकड़ी, गोबर के उपले और कृषि अवशिष्ट जैसे ईंधन के गैर-वाणिज्यिक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। खाना पकाने हेतु गैर-वाणिज्यिक ईंधनों का प्रयोग करने वाले अधिकांश परिवार पारम्परिक चूल्हों का प्रयोग करते हैं।

(ग) बायोमास धुएं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पर किए अध्ययनों से पता चला है कि पारम्परिक चूल्हों में बायोमास ईंधनों का प्रयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों के धुएं से संबंधित रोगों की संख्या अधिक होती है। तथापि, इन अध्ययनों से प्रमात्रा संबंधी निष्कर्ष नहीं निकाले गए हैं, क्योंकि ऐसे रोगों के लिए कई अन्य जोखिम पहलू हैं, जिनके कारण बताना कठिन है।

(घ) ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनमें धुएं से संबंधी रोगों की संख्या को कम करने के लिए केंद्रीय सरकार दो राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है अर्थात उन्नत चूल्हों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना, इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत क्रमशः उन्नत चूल्हों और बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लिए लाभार्थियों को अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने की व्यवस्था है। उक्त कार्यक्रमों के अधीन देश में अब तक 157.05 लाख चूल्हे और 18.68 लाख बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र

*113. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में हाल में स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या उस केंद्र से भारतीय उद्यमियों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) सरकार द्वारा अभी तक बंगलौर में किसी साइंस एण्ड टैक्नालोजी पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, अक्तूबर, 1990 में इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा बंगलौर में एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के तौर पर साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क की स्थापना की गई थी। इसे 1991 के दौरान इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा स्थापित साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क्स आफ इंडिया नामक एजेंसी में मिला दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उर्वरक

*114. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **रसायन औ. र्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उत्पादित प्रत्येक किस्म के उर्वरकों तथा उनके उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस्म-वार, उनकी मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान अब तक प्रत्येक किस्म के उर्वरक पर दी गई राज सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(क) तीन मुख्य उर्वरक पोषकों अर्थात नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश में से देश केवल नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करता है। पोटाश की आवश्यकता पूर्णतः आयातों से पूरी की जाती है। वर्ष 1993-94 के लिए 100 लाख टन उर्वरक पोषकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 78 लाख टन नाइट्रोजन तथा 22 लाख टन फास्फेट शामिल है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान पोषकों के रूप में उर्वरकों की संभावित खपत, उत्पादन तथा आयात के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

उर्वरक पोषक	संभावित खपत	संभावित उत्पादन	संभावित आयात
नाइट्रोजन	94.20	73.20	15.44
फास्फेट	28.43	18.30	7.36
पोटाश	9.00	-	7.20

(**नोट** : इस वर्ष के दौरान गत वर्ष से आगे लाए गए भण्डार भी उपलब्ध थे।)

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31-12-1993 तक भुगतान की गयी उर्वरक राज सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

		(रु. करोड़ों में)
(i)	माल भाड़ा राज सहायता सहित स्वदेशी नाईट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों पर राज सहायता	2612.79
(ii)	आयातित उर्वरकों पर राज सहायता	475.75
	योग :	3088.54

(**नोट** : फास्फेटिक उर्वरकों पर भुगतान की गयी राज सहायता 25-8-1992 उनके अनियंत्रण की तारीख से पूर्व की अवधि से संबंधित है।)

फास्फेटिक तथा पोटेसिक उर्वरकों के मामले में भी, जो कि अनियंत्रित है, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से स्वदेशी डी.ए.पी. पर 1000 रु. प्रति टन, की विशेष रियायत तथा कम्पलेक्स उर्वरकों तथा सिंगल सुपर फास्फेट पर आनुपातिक रियायत तथा आयातित एम.ओ.पी. पर 1000 रु. प्रति टन की रियायत दी जा रही है।

चालक रहित विमान

115. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान "लक्ष्य" का निर्माण किसी अन्य देश के सहयोग से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विमान को प्रयोग में लाना कब तक शुरू कर दिया जाएगा, और

(घ) इसके निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आशा है कि इस विमान को 1996 तक सेना में शामिल कर लिया जाएगा।

(घ) पांच चालक रहित लक्ष्यभेदी वायुयानों के एक स्क्वाड्रन, जिसमें संबंधित भू-नियंत्रण

प्रणाली और उसके अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे शामिल हैं, पर लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

[अनुवाद]

तट-रक्षक

*116. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, 1994 और 1995 के दौरान तट-रक्षकों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपतटीय जलपोत, गश्ती जलपोत खरीदने तथा तट-रक्षकों की अन्य आवश्यकताओं के संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 1994 एवं 1995 के दौरान लगभग 120 अधिकारी, 300 नौसैनिक तथा 19 सिविलियन कार्मिक भर्ती किए जाने और कुछ जलयानों एवं वायुयानों का आर्डर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) तट-रक्षक संगठन में 1992-97 की योजना अवधि में 3 अपतटीय जलयान, 3 तीव्रगामी गश्ती जलयान, 16 अवरोधक नौकाएं, 6 डोर्नियर वायुयान और 5 हैलीकॉप्टर शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

रासायनिक उर्वरक

117. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरकों के मूल्यों में बार-बार वृद्धि से रसायन और उर्वरक उद्योग तथा भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि में उर्वरकों का प्रयोग कम न होने देने तथा उर्वरक संयंत्रों की अप्रयुक्त क्षमता उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के बजट में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) यूरिया का प्रतिटन, 2760 रु. वर्तमान फार्मगेट मूल्य इसके 1981 के मूल्य से मात्र लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। 1981 से न्यूट्रियेंट नाइट्रोजन की खपत 36.78 लाख टन से बढ़कर 1992-93 में लगभग 84.26 लाख टन हो गयी है। यूरिया जो माल के रूप में उर्वरक खपत का लगभग 57 प्रतिशत है। अब भी प्रतिधारण मूल्य सह-आर्थिक सहायता के अध्ययधीन है। कृषकों पर फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के अनियंत्रण के प्रभाव को कम करने के लिए डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. प्रत्येक पर 1000 रुपये प्रति टन की विशेष रियायत और कम्पलेक्स उर्वरकों और सिंगल सुपर फास्फेट पर आनुपातिक रियायत दी गई है।

कृषि में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है। न्यूट्रियेंट के रूप में उर्वरकों की कुल खपत 1980-81 में 55.16 लाख टन से बढ़कर 1992-93 में 121.53 लाख टन हो गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल

*118. **श्री धर्मण्णा मोंडटया सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकारों से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) संसद द्वारा बजट पारित करने के पश्चात त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक आवंटन के 50 प्रतिशत के बराबर केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त राज्य सरकारों के बिना विशिष्ट अनुरोध किये अप्रैल और मई में रिलीज की जाती है। निम्नलिखित बुनियादी जानकारी सहित राज्य सरकारों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की निधियों की दूसरी किस्त रिलीज की जाती है :

(क) 1991-92 तक की अवधि तक के लिए महालेखाकार से प्राप्त वास्तविक खर्च का प्रमाण पत्र।

(ख) 1992-93 में वास्तविक खर्च के लिए मुख्य अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित तथा ग्रामीण जल सप्लाई के प्रभारी सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र।

राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च के उल्लिखित प्रमाण पत्र अपेक्षित हैं।

(ग) उपलब्ध निधियों में से 50 प्रतिशत निधियों का इस्तेमाल (पहली अप्रैल तक पिछले वर्षों में उपयोग न की गई राशि सहित, यदि कोई हो, तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रिलीज की गई राशि)।

2. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत १९९३–९४ के लिए आवंटन पहली किस्त राज्य सरकारों के अनुरोध के बिना रिलीज की गई और दूसरी

किस्त राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात रिलीज की गई, के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु राज्यों से अतिरिक्त सहायता की अंतिम किस्त की रिलीज का प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है। दूसरी किस्त को रिलीज हेतु नागालैंड की राज्य सरकार से अभी तक 1991-92 तक के वास्तविक खर्च का लेखा परीक्षित ब्यौरा, 1992-93 का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा अन्य निर्धारित ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की रिलीज हेतु हरियाणा, केरल, उड़ीसा तथा मणिपुर की राज्य सरकारों के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

4. जहां तक उप मिशनों के अंतर्गत पेयजल योजनाओं का संबंध है, राज्य सरकारों ने 1993-94 तथा अगले वित्त वर्ष 1994-95 के पहले कुछ महीनों में इस्तेमाल होने वाली राशि हेतु निधियों की पहली किस्त के रिलीज के आधार पर परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमोदन चाहा है। कुछ मिनी मिशन परियोजनाओं के लिए योजनाओं के लागत अनुमानों में संशोधन करने के बारे में भी परियोजनाएं/योजनाएं प्राप्त हुई हैं।

5. उप मिशनों तथा मिनी मिशनों आदि के अंतर्गत योजनाओं के ब्यौरे तथा ऐसी योजनाओं पर सरकार के निर्णय की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II और III में दी गई है।

विवरण-I

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन का विवरण, निधियां जो बिना किसी विशिष्ट अनुरोध के रिलीज की गयी, निधियां जो राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर रिलीज की गयीं।

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	राज्य	आबंटन 1993-94	बिना अनुरोध वाली पहली किस्त	राज्य से अनुरोध वाली दूसरी किस्त	रिलीज की गयी कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	41.24	12.73	28.51	41.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.46	2.31	2.66	4.97
3.	असम	13.70	6.85	4.975	10.925
4.	बिहार	48.56	15.00	24.27	39.27

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	0.84	0.275	0.565	0.84
6.	गुजरात	26.56	8.65	13.28	21.93
7.	हरियाणा	16.52	6.535	8.26	14.795
8.	हिमाचल प्रदेश	8.33	3.25	5.06	8.31
9.	जम्मू व कश्मीर	19.03	9.63	9.26	18.89
10.	कर्नाटक	35.12	11.71	23.41	35.12
11.	केरल	19.28	5.95	3.685	9.635
12.	मध्य प्रदेश	45.64	14.10	31.90	46.00
13.	महाराष्ट्र	54.88	16.95	20.98	37.93
14.	मणिपुर	3.08	1.54	-	1.54
15.	मेघालय	4.20	2.10	-	2.10
16.	मिजोरम	2.10	0.64	1.46	2.10
17.	नागालैंड	4.22	2.11	-	2.11
18.	उड़ीसा	21.60	6.68	10.80	17.48
19.	पंजाब	6.88	2.12	4.76	6.88
20.	राजस्थान	68.86	25.78	43.08	68.86
21.	सिक्किम	3.72	1.62	2.10	3.72
22.	तमिलनाडु	32.68	10.10	16.34	26.44
23.	त्रिपुरा	3.50	1.67	0.686	2.356
24.	उत्तर प्रदेश	76.48	38.24	29.64	67.88
25.	पश्चिम बंगाल	29.52	9.12	6.00	15.12
		594.00	215.66	291.681	506.441

विवरण-II

उप मिशनों के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

	योजना का नाम	गांव	अनुमानित लागत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	सुरक्षित व्यापक जल सप्लाई योजनाओं एवं व्यक्तिगत योजनाओं की व्यवस्था, करनूल।	126	1398.20	सभी 8 परियोजनाओं की जांच की जा रही है
	लेनेल्लोर जिले के आत्माकुर क्षेत्र में 11 व्यापक सुरक्षित जल सप्लाई योजनाएं एवं 95 व्यक्तिगत जल सप्लाई योजनाएं।	123	654.80	–
	प्रकाशम जिले में फलोराइड की अधिकता वाले 71 प्रभावित गांवों में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था।	71	247.00	–
	महबूबनगर जिले में ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना।		1374.00	–
	रंगारेड्डी जिले के इब्राहिम पटिटनम क्षेत्र में फलोराइड से प्रभावित 97 गांवों में पेयजल की व्यवस्था।	97	375.00	–
	कुडप्पा जिले के पुलिवेन्डला क्षेत्र में 182 गांवों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था।	182	3150.00	–

1	2	3	4	5
	निजामाबाद जिले में फ्लोराइड से प्रभावित कतिपय गांवों में पेयजल मुहैया कराना।	128+ 59 प्रयोगशाला	2380.00	
	गुंटूर जिले में ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना।	17	310.00	-
2. असम	5,01,600 की जनसंख्या वाले 373 गांवों के लाभ के लिए 1854 लौह दूर करने के संयंत्रों की व्यवस्था करके दरांग उपमिशन परियोजना का समेकन।		22.643	सामग्री एवं श्रम की लागत में वृद्धि के कारण कार्य के विस्तार को 1854 लौह दूर करने के संयंत्रों से परिवर्तित कर 1283 लौह दूर करने के संयंत्र कर दिया गया है।
	4 जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं।		12.00	योजना प्रक्रियाधीन है प्रस्ताव 25-2-94 को प्राप्त हुआ।
3. हरियाणा	गुड़गांव, फरीदाबाद सोनीपत, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी जींद, अम्बाला एवं यमुना नगर जिलों में फ्लोरोसिस पर नियंत्रण के लिए उपमिशनों के अंतर्गत योजनाएं।	276	11.068	कम लागत वाले संपोषण समाधान के संबंध में स्पष्टीकरण जल सप्लाई पर रिपोर्ट आदि 0.546 लाख की लागत दर से अनुमोदित 6 संयंत्रों से प्रतीक्षित हैं।
4. मणिपुर	उप मिशन परियोजना के अंतर्गत 155 लौह दूर करने के संयंत्रों की स्थापना।		16.87	

1	2	3	4	5
5. मेघालय	79 गांवों में 43,899 लोगों के लिए 16 लौह दूर करने के संयंत्रों की स्थापना।	–	165.361	तकनीकी जांच की जा रही है।
6. पंजाब	रोपड़, गुरदासपुर, होशियारपुर के लिए कच्चे पानी को एकत्र करने की ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं।	10	3.059	परियोजनाओं पर अनुमोदनार्थ कार्रवाई की जा रही है।
	फ्लोराइड से प्रभावित गांवों की समस्या को हल करने के लिए लुधियाना और अमृतसर जिलों की पेयजल सप्लाई परियोजना।	119	15.08	-वही-
7. राजस्थान	अजमेर जिले में फ्लोराइड खारेपन से प्रभावित 94 गांवों में पेयजल सप्लाई।		1525.00	परियोजना अनुमोदित कर दी गयी है और निधियों की रिलीज पर विचार किया जा रहा है।
8. उत्तर प्रदेश	उन्नाव जिले में फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल सप्लाई योजना	195 गांव प्रथम चरण में और 421 गांव दूसरे चरण में	33.91	(प्रथम चरण 10 करोड़ रुपये, दूसरा चरण 23.91 करोड़ रुपये)
9. पश्चिम बंगाल	5.5 लाख जनसंख्या के लिए 1500 लाख रुपये की लागत वाली संखिया से प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई के लिए कार्य योजना का प्रथम चरण।		1500.00	1993-94 की पहली किस्त के रूप में राज्य सरकार को 200 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

1	2	3	4	5
	1993-94 के दौरान विशेष सहायता हेतु त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए संशोधित लागत 97 गांवों के लिए 14 योजनाएं।		1362.07	तकनीकी जांच की जा रही है।
10. दिल्ली	छतरपुर जल सप्लाई योजना के लिए संशोधित लागत प्राक्कलन का अनुमोदन।		21.19	तकनीकी जांच की जा रही है।
11. गुजरात	(क) फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र		65.96	अनुमोदन की प्रक्रियाधीन
	(1) महसाना जिले के "एन श्रेणी" के 11 गांव			
	(2) लगभग 4 पी.पी.एम. फ्लोराइड तत्वों वाले 13 जिलों के 336 गांव		888.17	-वही-
	(ख) फ्लोराइड से प्रभावित गांवों की क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना			
	(1) गुवाहाटी ग्रामीण जल सप्लाई योजना		352.00	-वही-
	(2) हथारवा, दयोदा ग्रामीण जल सप्लाई योजना		264.50	अनुमोदन की प्रक्रियाधीन
	(3) जाट पंथवाड़ा ग्रामीण जल सप्लाई योजना		400.00	-वही-
	(4) खीमत, विथोदर ग्रामीण जल सप्लाई योजना		300.00	-वही-
	(5) सामी हरिजा ग्रामीण जल सप्लाई योजना का विस्तार		450.00	-वही-

1	2	3	4	5
	(6) महसाना जिले की केन्द्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना		1500.00	-वही-
	(ग) जल एकत्रीकरण ढांचे			
	(1) वनासकण्ठा जिले की 8 ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं का विस्तार		104.34	-वही-
	(2) अम्बाजी जल सप्लाई योजना का विस्तार		25.00	-वही-
	(3) वलार गांव से लगभग 1 मि. । मि.मी. दूरी पर बगाढ़ नदी पर रोकबांध का निर्माण		4.9	-वही-
	(घ) खारेपन से प्रभावित क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय जल सप्लाई योजनाएं			
	(1) फतेहपुरा-नशरतपुरा ग्रामीण जल सप्लाई योजना		32.57	अनुमोदित की प्रक्रियाधीन
	(ङ) 2.5 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड तत्वों वाले बड़ौदा और पंचमहल जिलों के 167 गांवों में फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र।		841.66	-वही-
12. कर्नाटक	(1) रायचूर जिले में इकलसपुर गांव के लिए 2 पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनाएं।		8.50	तकनीकी जांच की जा रही है।
	(2) रायचूर जिले के दिनी और नेलहाल गांवों के लिए दो पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनाएं।		28.90	-वही-

1	2	3	4	5
	(3) धारवाड़ जिले के अलूर और6 अन्य गांवों के लिए 7 संयुक्त जल सप्लाई योजनाएं।		84.00	-वही-
	(4) कोलार और बरेली जिलों में फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई (एच.डी.पी.एफ.)।		24.00	तकनीकी जांच की जा रही है।
	(5) बीजापुर जिले में सवलागी और थुंगाला गांवों के लिए पेयजल सप्लाई।		96.00	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जानकारी दी जानी है।
13. तमिलनाडु	(1) सलेम में परियोजना रिपोर्ट (45 बसावटें) धर्मपुरी में परियेाजना रिपोर्ट (8 बसावटें)		242.00	-वही-
	(2) पोचम्पल्ली और धर्मपुरी जिले की 24 बस्तियों में ग्रामीण जल सप्लाई योजना हेतु परियोजना रिपोर्ट		205.00	-वही-
	(3) बाडगुर चुनाव क्षेत्र की 61 बस्तियों में फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र लगाने हेतु परियोजना रिपोर्ट		347.00	-वही-
14. केरल	(1) अलेप्पी जिले में कुटटानाड क्षेत्र के लिए जल सप्लाई परियोजना (18 गांव)		800.00	अनुमोदन हेतु जांच की गई है।
	कुल योग		21645.031	

विवरण-III

मिनी मिशन के अंतर्गत प्राप्त परियोजना के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

राज्य	परियोजना का नाम	प्राक्कलित लागत	अभियुक्ति
1	2	3	4
1. अरुणाचल प्रदेश	21,300 लोगों के लिए 19 हैंडपम्पवाली और 70 पाइप द्वारा जल सप्लाई की दो प्रकार की 13 योजनाओं के लिए पूर्वी सिंयांग मिनी मिशन जिले की गतिविधियों का समेकन।	26.101	विचाराधीन है।
2. असम	8.26 लाख लोगों के लाभ के लिए 207 गांवों में 206 योजनाओं के लिए कच्छार मिनी मिशन जिले में चल रहे कार्यों का समेकन	85.84	मिनी मिशन के अंतर्गत 44.167 लाख रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे और 32.271 लाख रुपये अन्य स्रोतों से जुटाये जायेंगे।
3. गुजरात	डांग में मिनी मिशन परियोजनाएं	23.06	अनुमोदित
4. हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा जिले में मिनी मिशन परियोजनाएं	87.83	अनुमोदित
5. जम्मू व कश्मीर	उधमपुर जिले में मिनी मिशन परियोजना	94.03	अनुमोदित निधियां रिलीज कर दी गयी।
	अनंतनाग जिले में मिनी मिशन परियोजना	92.66	-वही-
6. कर्नाटक	रायचूर में मिनी मिशन परियोजना	77.51	अनुमोदित

1	2	3	4
7. मध्य प्रदेश	राजगढ़ जिले में मिनी मिशन परियोजना	74.61	अनुमोदित
	शहडोल में मिनी मिशन परियोजना	58.70	अनुमोदित
8. राजस्थान	चुरू मिनी मिशन परियोजना हेतु संशोधित परियोजना (तीन योजनाएं) संशोधित लागत (1169.00 करोड़ रुपये)	531.71 (372 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत हेतु अनुरोध)	विचाराधीन
9. त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा मिनी मिशन जिले में चल रही गतिविधियों का समेकन।	430.44	अनुमोदित की गयी 45.58 लाख रुपये की राशि प्रौद्योगिकी मिशन की निधियों में से और 194445 लाख रुपये त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम से पूरी की जाएगी।

[अनुवाद]

टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया

*119. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा नियुक्त परिचालन एजेंसी ने कोई अर्थक्षम योजना प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी को अर्थक्षम बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन के मामले में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) को प्रचालन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया था। प्रचालन एजेन्सी ने कोई पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत नहीं की थी किन्तु टेफको के प्रबन्धन तथा टेफको के अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर बी.आई.एफ.आर. ने विचार किया था तथा उन्हें व्यवहार्थ नहीं पाया।

(ग) और (घ) टेफको को बंद करने के संबंध में बी.आई.एफ.आर. ने, 12 जनवरी, 1994 को अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

औषध-उद्योग में अनुसंधान और विकास

*120. **श्री संदीपन भगवान थोराम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में औषध उद्योग में अनुसंधान और विकास पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का प्रावधान करने का विचार है;

(ग) सरकार ने औषध उद्योग के विकास हेतु अनुसंधान और विकास कार्य को प्रोत्साहन देने तथा इसे और कारगर बनाने के लिए क्या नीति तैयार की है;

(घ) सरकार द्वारा औषध उद्योग में दी जाने वाली अनुसंधान और विकास सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों से मांगे गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषध और भेषज क्षेत्र में इन-हाउस अनुसंधान और विकास एककों द्वारा अनुसंधान और विकास पर निम्नलिखित व्यय किया गया बताया जाता है :-

1990-91	65 करोड़ रुपये
1991-92	80 करोड़ रुपये
1992-93	95 करोड़ रुपये

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक वार्षिक व्यय बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा किए गए और किए जाने वाली नीति संबंधी उपाय औषध नीति की पुनरीक्षा पर नोट में दिए गए हैं जिस पर 19 और 21 अगस्त, 1993 को सदन में विचार-विमर्श किया गया था।

परिवार नियोजन को प्रोत्साहन

1097. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में केन्द्र सरकार से सिफारिश की है कि वह परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और परिवार को प्रभावी ढंग से सीमित रखने हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कतिपय लाभ देने या कतिपय प्रोत्साहन देने और परिवार नियोजन को न अपनाने वाले कर्मचारियों को उन्हें मिल रही सुविधाओं से वंचित करने की योजना शुरू करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिषद की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को भी तुरन्त प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भेजने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की जनसंख्या पर सिफारिशों में छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की पात्रता अथवा अन्य प्रकार से सरकारी आवास का आवंटन, आवास निर्माण अग्रिम के लिए ब्याज दर आदि, मौजूदा प्रोत्साहनों तथा अप्रोत्साहनों का आशोधन शामिल है। इन पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 18 सितम्बर, 1993 को हुई अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्नलिखित संकल्प को अंगीकार किया गया।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने राष्ट्रीय विकास परिषद की जनसंख्या सम्बन्धी उपसमिति की सिफारिशों का समर्थन किया तथा नोडल मंत्रालय अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अग्रिम कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया। यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि मुख्य मंत्रियों तथा नीति निर्माताओं की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की भावी रणनीति पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा सके।

उद्योगों के लिए मौसम विज्ञान संबंधी सुविधाएं

1098. **श्री वी. देवराजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण राज्यों में उद्योगों को मौसम विज्ञान संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमी भी दक्षिणी क्षेत्र में "रीजनल रिफ्रेन्स स्टैन्डर्ड लेबोरेटरी" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोगशाला कब तक स्थापित कर दी जायेंगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग का देश में कहीं भी कोई रीजनल रेफ्रन्स स्टैण्डर्ड लेबोरेटरी नहीं है और न ही ऐसी किसी लेबोरेटरी की स्थापना का प्रस्ताव है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिणी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले ही मद्रास में एक क्षेत्रीय मौसम वैज्ञानिक केन्द्र तथा तिरुवनन्तपुरम, बंगलौर एवं हैदराबाद में मौसम वैज्ञानिक केन्द्रों की स्थापना की है।

औषधियों की श्रेणियां

1099. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधों को किन-किन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आने वाली औषधों के नाम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधियों की औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1987 की अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्शाया गया है। इन दोनों सूचियों में शामिल औषधियों के नामों को समय-समय पर आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाता है। अधिकांश औषधियां, जो मूल्य नियंत्रण के अध्याधीन नहीं हैं, उन्हें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1987 में "गैर अनुसूचित अधिकांश औषधियों" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश को धनराशि का आवंटन

1100. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक कुल कितनी धनराशि का उपयोग/अनुपयोग किया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक किए गए खर्च का ब्यौरा दिया है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि का किन-किन राज्यों ने उपयोग नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अंतर्गत परिव्यय तथा व्यय निम्न प्रकार से है :

(रुपये लाख में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
परिव्यय	20871.00	21022.00	28651.00	26790.00
व्यय	17721.91	17814.36	17375.27	22689.10 (अप्रत्याशित)

(ग) जी, हां।

(घ) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश ने अनुमोदित परिव्ययों से अधिक व्यय किये। आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक तथा पाण्डिचेरी 1992-93 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत अनुमोदित परिव्यय से अधिक राशि खर्च कर सकते थे लेकिन 1991-92 के दौरान उनके व्यय अनुमोदित परिव्यय से कम रहे। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के मामले में संसाधन दबाव प्रक्रिया एवं तकनीकी समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य क्रियान्वयन समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से उपलब्धियां अनुमोदित परिव्ययों से कम रही। उत्तरी पूर्वी राज्यों के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान, मेघालय को छोड़कर, सभी राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत निधियों का कम उपयोग हुआ। ऐसा मुख्यतः 1991-92 के दौरान गैर योजना अंतराल को पाटने के लिए निवल केंद्रीय सहायता के दस प्रतिशत के अंतरण की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमति के निर्णय तथा डा. रंगराजन विशेषज्ञ दल, जिसने 1992-93 के दौरान इस प्रकार के अंतरण को बीस प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी थी, की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण हुआ।

[अनुवाद]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को हुआ घाटा

1101. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग) विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची को 31-1-94 की स्थिति अनुसार कुल 691.73 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

(ख) घाटे के कारणों में उच्च उपरिलागत और अधिक ब्याज भार; ग्राहकों के पास निधियों की कमी तथा उनकी जारी माल नियंत्रण सूची नीति के कारण निर्मित माल को उनके द्वारा न उठाया जाना; बिजली की अनियमित और अपर्याप्त आपूर्ति; कार्यशील पूंजी की कमी; पुराने संयंत्र और मशीनरी तथा कुछ क्षेत्रों में अप्रचालित प्रौद्योगिकी; बार-बार बंद का आयोजन/नागरिक अशांति और बेसी जनशक्ति और इसकी उच्च लागत इत्यादि शामिल हैं।

विधि रिपोर्टों और पत्रिकाओं का प्रकाशन

1102. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी में मासिक अथवा त्रैमासिक विधि रिपोर्ट और पत्रिकाएं प्रकाशित करती है; और

(ख) यदि हां, तो इनके प्रकाशन का वार्षिक बजट कितना है, और संस्करण का आकार कितना है और प्रत्येक के कितने-कितने ग्राहक हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) सुसंगत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विधि रिपोर्टों और जर्नलों का प्रकाशन

वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक बजट – 10 लाख रुपये

प्रत्येक मामले में संस्करण के अंक का आकार और ग्राहकों की संख्या नीचे दी गई हैं :

क्र.सं.	पत्रिका का नाम	संस्करण अंक का आकार	ग्राहकों की कुल संख्या
1	2	3	
1.	उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका (मासिक)	ए-5	1350
2.	उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका (मासिक)	ए-5	1350

1	2	3	
3.	उच्च न्यायालय दाण्डिक निर्णय पत्रिका (मासिक)	ए-5	1312
4.	विधि साहित्य समाचार (त्रैमासिक)	ए-5	100

नई सेना यूनिट

1103. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के उत्तरी भाग में कोई नई सेना यूनिट गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि नियत कर दी गई है अथवा चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड

1104. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) जी, हां।

(ख) सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एस.सी.एल.) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के 15 कर्मचारियों से प्राप्त पत्रों में निम्नलिखित शिकायतें की गई हैं :-

(i) इन कर्मचारियों का दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय से अन्यायपूर्ण स्थानान्तरण।

(ii) दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के दो कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप और उसके फलस्वरूप शिकायतकर्ताओं का उत्पीड़न।

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :-

(i) जहां तक स्थानान्तरण का संबंध है, तथ्य यह है कि आंशिक कारणों से दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर दिया गया है। इस प्रकार कर्मचारियों का कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें निगम के अन्य कार्यालयों में भेजा गया है।

(ii) एस.सी.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शिकायतों की जांच करने और यदि शिकायतें सही पाई जाएं तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

[अनुवाद]

छोटे और अत्यंत छोटे क्षेत्र के लिए नीति

1105. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंसिंग के ताजा उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए छोटे और अत्यंत छोटे उद्योगों के लिए पुनः औद्योगिक नीति तैयार करने का है;

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या मुख्य परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) छोटे और अत्यंत छोटे उद्योगों को क्या रियायतें देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) चूंकि औद्योगिक लाइसेंसीकरण के उदारीकरण को ध्यान में रखकर लघु तथा अति लघु उद्योगों के लिए नीति बनाई गई थी और 6-8-1991 को इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए औद्यागिक नीति का पुनः मसौदा तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु अति लघु उद्योगों के लिए नीतिगत उपायों का एक पृथक पैकेज तैयार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद निरीक्षकों के प्रश्न पत्रों का लीक होना

1106. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिसम्बर, 1993 में कर्मचारी चयन

आयोग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद निरीक्षकों तथा आयकर निरीक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र एक परीक्षा केन्द्र पर लीक हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) दो परीक्षा केन्द्रों पर इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने का समाचार सरकार के नोटिस में आया था। एक मामले में आयोग द्वारा जांच करने पर रिपोर्ट को आधारहीन पाया गया। दूसरे मामले में, संबंधित जिलाधीश की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

छतरपुर में भूमि की अवैध बिक्री

1107. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उपायुक्त, दिल्ली ने छतरपुर इन्कलेव में प्लाटों की अवैध बिक्री के मामले में एस.डी.एम. (दक्षिण) को जांच करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर ली गयी है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार, छत्तरपुर इन्कलेव का कुल क्षेत्र 190 बीघा तथा 13 विसवे है। इसमें से 177-16 बीघे का क्षेत्र पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियन्त्रित है और शेष 12-17 बीघा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियन्त्रित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार, 55 व्यक्ति भूमि घर/भूमि स्वामी दर्ज हैं। 15-10 बीघा ग्राम सभा की भूमि भी छतरपुर इन्कलेव के क्षेत्र का भाग है। इसके अतिरिक्त, 12-17 बीघा भूमि जो दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित है, को अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत ग्राम सभा में दी गई है।

यह बताया गया है कि मैदान गढ़ी गांव के दो व्यक्ति/प्रापर्टी डीलर छत्तरपुर इनक्लेव की भूमि को अवैध बिक्री में संलग्न हैं। अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित ग्राम सभा की

भूमि पर जिन व्यक्तियों का अवैध कब्जा है, के विरुद्ध पंजाब भूमि सुधार अधिनियम की धारा 86-क तहत बेदखली की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत ग्राम सभा में निहित भूमि के अतिक्रमण के लिए, स्थानीय पुलिस को अवैध निर्माण/कब्जे को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेश दिए गए हैं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

1108. **श्री मोहन रावले** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, प्राथमिकता वाले नगरों तथा विकास केन्द्रों का समयबद्ध रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ (फिक्की) ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो फिक्की द्वारा दिये गये इन सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के द्वारा क्षेत्रीय योजना-2001 तैयार की गई है, जिसमें समुचित निवेश नीतियों के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर और बाहर आबाद कुछ चुनींदा सम-सुविधा सम्पन्न कस्बों के त्वरित विकास की भी परिकल्पना है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय योजना 2001 के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (फिक्की) द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव की एन.सी.आर. योजना बोर्ड को कोई जानकारी नहीं हैं। तथापि, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा मई, 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास में प्राइवेट कार्पोरेट सेक्टर की वृहत्तर भूमिका के प्रावधान बाबत कतिपय सुझाव दिए गए थे। ये सुझाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा आठवीं योजना अवधि में अपनाए गए विकास तरीकों के अनुरूप हैं, जिनमें निजी क्षेत्र के निवेश और सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी की बड़ी भूमिका होगी।

वकीलों की हड़ताल

1109. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** वकीलों की हड़ताल और मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के बारे में 22 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3224 और 3096 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति बनायी गई है और इस समिति ने इन समस्याओं के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ई.सी.टी.वी. सर्विस केन्द्र

1110. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** ई.सी.टी.वी. सर्विस केन्द्रों के बारे में 22 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3286 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई.सी.टी.वी. सर्विस केन्द्र ग्राहकों से अपने अनुबंधित इंजीनियरों को दी जाने वाली राशि से दोगुनी राशि वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सर्विस केन्द्रों द्वारा ग्राहकों से अपने इंजीनियरों को वास्तव में दी जाने वाली राशि के समान राशि ही वसूल किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ई.सी.टी.वी. के कार्यकरण के संबंध में संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। उपभोक्ता से लिया जाने वाला प्रभार न केवल अनुबंधित अभियंताओं को किए गए भुगतानों की पूर्ति के लिए होता है बल्कि यह कम्पनी द्वारा शीघ्र सेवा सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित सर्विस केन्द्रों के रख-रखाव पर किए जाने वाले व्यय की पूर्ति के लिए भी होता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दो।

(ङ) इस मामले की जांच इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के साथ परामर्श करके की जा रही है।

विदेशी सहायता द्वारा जल आपूर्ति

1111. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता से जल आपूर्ति हेतु राज्यवार शुरू की गई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) वर्तमान में इस परियोजनाओं की स्थिति क्या है तथा इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वयनाधीन शहरी जल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था परियोजनाओं की सूची दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विश्व बैंक सहायता से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

क्रमांक	राज्य	परियोजना/लागत (करोड़ रुपयों में)	
1.	तमिलनाडु	वीराणम/द्वितीय मद्रास जल आपूर्ति-	410.54
2.	-वही-	तृतीय मद्रास जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता-	1105.195
3.	राजस्थान	द्वितीय राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज-	442.46
4.	आन्ध्र प्रदेश	द्वितीय आन्ध्र प्रदेश जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-	640.0
5.	महाराष्ट्र	बम्बई चतुर्थ मिडल वैतरणा जल आपूर्ति-	570.0

विवरण

क्र.	राज्य	परियोजना/लगभग (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 321.86	परियोजना का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष भाग 31-12-94 तक पूरा हो जाएगा।
2.	केरल	केरल जल आपूर्ति एवं स्वच्छता- 127.88	परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष स्कीमें 31-3-94 तक पूरी हो जाएंगी, सिवाय एक

1	2	3	4
			स्कीम के जो 31-12-94 तक पूरी हो जाएगी।
3.	महाराष्ट्र	बम्बई जल आपूर्ति एवं सीवरेज-800.0	59 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष निर्माण कार्य 30-6-96 तक पूरे हो जाने की आशा है।
4.	तमिलनाडु	मद्रास जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-150.803	परियोजना क्रियान्वयनाधीन है और 1995-96 तक पूरी होने की सम्भावना है।
5.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-257.06	जल आपूर्ति घटक पूरी हो चुका है।

केरल के छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास

1112. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय में, छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) के संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत केरल राज्य से सम्बन्धित अलापुझा और कोलाम कस्बों की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन दो कस्बों के परियोजना/प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये गये हैं और 65.00 लाख रुपये की धनराशि (25.00 लाख रुपये अलापुझा और 40.00 लाख रुपये कोलाम) केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा चुकी है।

विकास परियोजना के लिये एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता

1113. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपनी विभिन्न विकास परियोजनाओं में सहायता देने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो शहरवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें कितनी सहायता राशि की मांग की गई है; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने शहरी विकास श्रेणी के अन्तर्गत भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक को कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, महाराष्ट्र में भूकम्प आपदा पुनर्वास प्रबंधन के सम्बन्ध में ए.डी. बैंक ने 6 लाख यू.एस. डालर की तकनीकी सहायता पैकेज की पेशकश की है। यह केवल पेशकश है और अभी इसके ब्यौरे और रूपात्मकताएं स्पष्ट नहीं हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन

1114. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए जवाहर रोजगार योजना के लिए केन्द्रीय बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी निधि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास (मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए जवाहर रोजगार योजना हेतु 3306.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय आबंटन है।

(ख) महाराष्ट्र सहित जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु 25-2-1994 तक राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की रिलीज की गई केंद्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1993-94 से जवाहर रोजगार योजना को निम्नलिखित तीन वर्गों में कार्यान्वित किया जा रहा है –

(1) पहला दौर जवाहर रोजगार योजना के विद्यमान पैटर्न के अनुसार है जिसमें इसकी दो उप-योजनायें अर्थात इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना शामिल हैं। तथापि, इंदिरा आवास योजना के लिए निधियों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और दस लाख कुओं की योजना के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया।

इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना का लाभ गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी दिया जा रहा है जो इस बात के अध्यधीन है कि गैर अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना के लिए 4 प्रतिशत और दस लाख कुओं की योजना के लिए 10 प्रतिशत से अधिक का लाभ न दिया जाए।

एक वर्ष के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित कुल धन का 75 प्रतिशत जो कम से कम 2546.00 करोड़ रुपये हो इस मद के लिए निर्धारित किया गया है।

(2) 120 पिछड़े जिलों में जवाहर रोजगार योजना को व्यापक स्तर पर लागू किया जाना।

इस मद के अंतर्गत धन संबद्ध जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद को दिया गया है जिन्हें अपने जिले में बेरोजगार और कम रोजगार प्राप्त व्यक्तियों वाले जिलों का पता लगाकर इन क्षेत्रों में निर्धारित योजनाओं का लागू करना होगा। निर्धारित योजनाएं इस प्रकार से हैं; सभी मौसमों के लिए सड़क बनाना, लघु सिंचाई संबंधी कार्य, मिट्टी और जल संग्रहण कार्य, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, परती भूमि विकास, फार्म वानिकी आदि ताकि ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और उस क्षेत्र में सूखे पर नियंत्रण किया जा सके। इसमें ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के भवन, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक बाजार आदि स्थापित करना है, जिनके लिए अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों से प्राप्त अनुपूरक धन दिया जाएगा। जिलों को व्यापक कार्य योजना बनानी होगी जिसमें उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त योजनाएं होगी और जिलों में उन्हें लागू करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषदों को स्वीकृति देनी होगी।

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए जवाहर रोजगार योजना का 20 प्रतिशत अर्थात् कम से कम 700 करोड़ रुपयों का उपयोग किया जाएगा।

(3) विशेष तथा अभिनव परियोजनायें : जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत निधियां, जो 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी परियोजनाओं, जिनका उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकना, महिला रोजगार में वृद्धि करना, स्वयंसेवी संगठनों की मार्फत विशेष कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य सूखे पर नियंत्रण करना, तथा वाटरशैड विकास/परती भूमि विकास करना है पर इस्तेमाल की जायेंगी।

विवरण

1993-94 के दौरान (25-2-94) तक जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	21557.22

1	2	3
2	अरुणाचल प्रदेश	127.74
3.	असम	5937.52
4.	बिहार	53830.13
5.	गोवा	246.46
6.	गुजरात	8181.80
7.	हरियाणा	1268.11
8.	हिमाचल प्रदेश	755.21
9.	जम्मू व कश्मीर	712.15
10.	कर्नाटक	14709.11
11.	केरल	4961.88
12.	मध्य प्रदेश	29203.95
13.	महाराष्ट्र	16998.03
14.	मणिपुर	137.32
15.	मेघालय	192.96
16.	मिजोरम	163.00
17.	नागालैंड	537.60
18.	उड़ीसा	17546.98
19.	पंजाब	1210.40
20.	राजस्थान	13390.52
21.	सिक्किम	142.02
22.	तमिलनाडु	18218.01
24.	उत्तर प्रदेश	48633.86

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	18826.95
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	62.58
27.	दादर व नागर हवेली	73.75
28.	दमन व दीप	20.28
29.	लक्षद्वीप	56.48
30.	पांडिचेरी	64.28
	कुल	278360.08

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जिलों को धनराशि

1115. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को सीधे धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिलों को विशेष सहायता राशि की दूसरी किस्त इन निर्देशों के साथ दी गयी थी कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारी खर्च की विशेष योजनाओं को तैयार करें;

(घ) यदि हां, तो इन निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में तैयार की गयी योजना के लिए उसके द्वारा की गयी धनराशि की दूसरी किस्त में से कोई भी खर्च नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(छ) क्या प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में जवाहर रोजगार योजना की दूसरी किस्त सीधे जिला प्राधिकारियों को भेजने के विरुद्ध उल्लेख किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय निधियां सामान्यतः दो किस्तों

में रिलीज की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में राज्य सरकार को जिलों में वितरण हेतु केन्द्रीय अंश की पहली किस्त रिलीज की गयी थी। तथापि, राज्य सरकार के अनुरोध पर दूसरी किस्त सीधे जिलों को रिलीज की गयी है, ताकि संसाधनों को कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात जिलों/पंचायतों तक पहुंचने में विलंब न हो।

(ग) व (घ) विद्यमान मार्गदर्शिकाओं के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु जिलों को केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त रिलीज की गयी थी, यह विशेष सहायता राशि नहीं थी तथा यह भी अनुदेश नहीं थे कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां खर्च की विशेष योजनाएं तैयार कर सकती हैं। तथापि, गहन जवाहर रोजगार योजना, जिसे देश के चयनित 120 जिलों मे कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं चयनित पिछड़े जिलों में पूरक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहां पर बेरोजगारी तथा अल्परोजगारी अधिक है और जहां पर ग्रामीण रोजगार जुटाने के प्रयासों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को दी गयी हैं जो अपने जिलों में बेरोजगारी और अल्परोजगारी वाले क्षेत्रों का चयन करेंगे तथा इन क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु उल्लिखित विभिन्न योजनाओं में से कार्य शुरू कर सकेंगे। इस श्रेणी की योजनाओं में बारह-मासी सड़कों का निर्माण, लघु सिंचाई कार्य, भू तथा जल संरक्षण कार्य, जल एकत्रीकरण ढांचे, परती भूमि विकास, कृषि वानिकी आदि शामिल किए जा सकते हैं, ताकि क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार की निरंतरता बनी रहे और सूखे पर नियंत्रण पाया जा सकें। इसमें ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने वाली योजनाएं जैसे प्राथमिक विद्यालय, विशेषकर कठिन आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक बाजार आदि शामिल किए जा सकते हैं।

(ङ) सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी दूसरी किस्त अथवा चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में तैयार की गयी योजना के लिए गहन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मुहैया कराए गए पूरक संसाधनों में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) प्राक्कलन समिति ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलों को सीधे निधियां रिलीज करने के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। समिति को सूचित किया गया था कि जिलों को सीधा निधियां रिलीज करने का कारण कार्यान्वयन एजेंसियों तक संसाधनों के पहुंचने में होने वाले विलम्ब को दूर करना था। चालू वर्ष अर्थात् 1993-94 में कुछ राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम ने अनुरोध किया है कि विलम्ब को रोकने, जो निधियों के राज्य सरकारों की मार्फत जिलों तक पहुंचने में हो जाता है, को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियां सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज करे। अतः 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उन राज्यों के संबंध में, जिन्होंने सीधे जिलों को निधियां रिलीज करने का अनुरोध किया है, निधियां सीधे जिलों को रिलीज की गयी। गहन जवाहर रोजगार योजना जिसे चयनित 120 पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत भी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निधियां सीधे जिलों को रिलिज की जायें।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों द्वारा स्थानीय क्षेत्रों के विकास की योजना

1116. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों द्वारा स्थानीय क्षेत्रों के विकास की योजना के लिए दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लिए 1994-95 के दौरान बजट में क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) इस योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए निगरानी रखने हेतु क्या प्रबंध किये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिकाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य के पास जिला कलेक्टर को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये की लागत तक के निर्माण कार्यों का सुझाव देने का विकल्प होगा जिसमें किसी भी कार्य की लागत दस लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सभा के सदस्य, जिस राज्य से वे चुने गए हैं, अपनी पसन्द के निर्माण कार्यों को इस योजना के अंतर्गत करवाने के लिए राज्य के किसी भी जिले का चयन कर सकते हैं। संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर इन मार्ग दर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी।

इस योजना के अंतर्गत सिफारिश किए गए निर्माण कार्य जिला योजनाओं और जिले में चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं और कार्यों के सामान्य स्वरूप के अनुरूप होने चाहिए।

उनका कार्यान्वयन सभी अन्य निर्माण कार्यों के साथ किया जा सकता है, लेकिन वे संसद सदस्य के विकल्प के अनुसार एक प्रकार से भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार वे जिले में एक जैसे कार्यों, जिन्हें जनप्रतिनिधि संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है, के लिए स्वीकृतियों और कार्यान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अलग नहीं होगी।

संसद सदस्यों के सुझावों को इन मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत जिला कलैक्टरों द्वारा संकलित किया जाएगा और उन पर विचार किया जाएगा तथा जहां तक संभव हो सकेगा जिला योजना कार्यक्रमों और जिला स्तर पर चल रहे सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करने वाले अन्य केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रमुख रूप से परिसम्पत्ति सृजन के कार्य होंगे और

इसमें किसी सामान, उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं होगी। निर्माण कार्य ऐसे स्वरूप के होने चाहिए, जिन्हें एक अथवा दो कार्य मौसमों में पूरा किया जा सकता हो और जिन से टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन होता हो। यह योजना स्थानीय तौर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार छोटे आकार के विकास कार्यों का चयन करने और उनकी सिफारिश करने के लिए है। सुझाव दिए गए कार्य की लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस निर्माण कार्य का सुझाव दिया जा सकता है और जिसे शुरू किया जा सकता है उसे जिला योजना और विशेष रूप से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली निर्माण कार्यों की किसी श्रेणी का होना चाहिए।

योजना के अंतर्गत शुरू किए जा सकने वाले निर्माण कार्यों की निर्देशी सूची निम्नलिखित है :-

1. स्कूल भवनों का निर्माण।
2. ट्यूबवैल खोदकर अथवा इस संबंध में अन्य निर्माण कार्यों की सहायता से गांव, शहर अथवा नगरों में लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना।
3. ग्रामीण सड़कों अथवा पहुंच सड़कों का निर्माण।
4. पहुंच सड़कों पर पुलों का निर्माण।
5. वृद्ध अथवा विकलांग लोगों के लिए सामान्य रैन बसेरों का निर्माण।
6. स्थानीय निकायों अथवा सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियों के लिए अथवा अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण।
7. सरकारी और सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, बागवानी, उद्यान और पार्क।
8. गांव के तलाबों की गाद निकालना।
9. सिंचाई नहरों का निर्माण।
10. गोबर गैस संयंत्रों, गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणालियों/साधनों का सामुदायिक इस्तेमाल और संबंधित कार्य कलापों के लिए निर्माण।
11. लघु सिंचाई बांधों का निर्माण अथवा उठान सिंचाई योजनाएं अथवा जल स्तर की सम्पूर्ति की योजनाएं।
12. सार्वजनिक वाचनालयों/अध्ययन कक्षों का निर्माण।
13. बालवाड़ियां और आंगनवाड़ियां।
14. जन स्वास्थ्य देखभाल भवनों का निर्माण जिनमें ए.एन.एम. आवासीय क्वाटरों सहित परिवार कल्याण उपकेन्द्र शामिल हैं।

15. शवदाह गृह/कब्रिस्तान।

16. सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण।

17. नालियां तथा नाला।

18. पैदल पार पथ, पगडंडिया और पैदल पुल।

19. शहरों और नगरों की गन्दी बस्तियों में तथा गांवों में बिजली, पानी, पगडंडियों, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, गन्दी बस्तियों में कारीगरों के लिए सामान्य कार्यशालाओं की व्यवस्था।

20. आदिवासी क्षेत्रों में रिहायशी स्कूल।

21. सार्वजनिक यातायात में यात्रियों के लिए बस शेड/स्टेंड।

22. पशु चिकित्सा केन्द्र

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से निम्नलिखित सूची में दर्शाये गए कार्यों को करने की अनुमति नहीं होगी।

(क) ऐसे कार्य जो जिला योजना के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं।

(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों अथवा संगठनों के लिए कार्यालय भवन, रिहायशी भवन, दूरदर्शन केन्द्र अथवा अन्य भवन।

(ग) वाणिज्यिक संगठनों, ट्रस्टों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी संस्थाओं, सहायतार्थ संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य।

(घ) 10 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्य।

(ङ) किसी भी प्रकार के मरम्मत और रख रखाव कार्य।

(च) किसी भी प्रकार के सामान अथवा भण्डार की खरीद।

(छ) भूमि का अर्जन अथवा अर्जित भूमि के लिए कोई मुआवजा।

(ज) व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई परिसम्पत्तियां, इसमें वे परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जो अनुमोदित योजनाओं का अंग हैं।

(झ) पूजा के लिए स्थान।

(ण) अधूरी योजनाओं को पूरा करना।

इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों अथवा सप्लायरों को किसी भी प्रकार के अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं है। जहां कहीं संबंधित मार्गदर्शिकाओं में ठेकेदारों/प्रायोजकों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, वहां इस योजना में भी ठेकेदारों/प्रायोजकों के अनुबंधन पर पाबंदी है।

1993-94 के दौरान राज्यों को 5 लाख रुपये प्रत्येक संसद सदस्य की दर से एक राशि रिलीज कर दी गई है ताकि योजना को तत्काल शुरू किया जा सके।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावशाली निगरानी के लिए जिला कलैक्टर कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करेगा और जिला, उपमण्डल तथा खण्ड स्तर के अन्य अधिकारी भी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार उल्लिखित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राज्य योजना विभाग नोडल विभाग होगा और वह राज्य स्तर पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन और निगरानी का समन्वय करेगा। इसी प्रकार केन्द्र स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी होगी।

पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए होस्टल आवास

1117. **श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम :**
डा. साक्षीजी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में कार्यरत विशेषतः निम्न आयवर्ग के अविवाहित पुरुष सरकारी कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवास उपलब्ध कराने हेतु होस्टलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1994-95 में इस प्रयोजन हेतु धन आवंटित कराने का है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक होस्टल वास की अपेक्षा निम्न स्तरों में नियमित मकानों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है क्योंकि लागत लगभग एक समान ही है।

गहन भूकम्पीय जांच प्रणाली

1118. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर विकास विभाग के कार्य में गहन भूकम्पीय जांच प्रणाली का कोई उपयोग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महानगर विकास विभाग में कितने विशेषज्ञ इस प्रणाली पर काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महानगर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एंडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) महोदय, गहरी भूकम्पीय गंभीरतामापन प्रणाली का उपयोग हमारे देश में मुख्यतः भूमि पर गहरे उप सतही भूवैज्ञानिक ढांचे के मानचित्रण के लिए किया जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ में तेल अन्वेषण के लिए अपतट सर्वेक्षणों हेतु भी इस तकनीक का उपयोग किया गया है। समुद्री क्षेत्रों में और गहरी जांच का प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि, महासागर विकास विभाग ने अपने वर्तमान कार्यक्रमों में, जिनका उद्देश्य गहरी भूवैज्ञानिक संरचनात्मक सूचना प्राप्त करना नहीं है, इस तकनीक का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

1120. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामगढ़ में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना लगाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की प्रस्तावित क्षमता कितनी है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है, और

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत परियोजना की संस्थापित क्षमता 35.5 मेगावाट है। परियोजना की अनुमोदित लागत 120.83 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हां।

राष्ट्रीय जीन बैंक

1121. **प्रो. प्रेम धूमल :**
श्री सत्य देव सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधीय और सुगन्ध वाली वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बैंक कहां स्थापित किया जाएगा और उसका उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन वनस्पतियों के संरक्षण के लिए टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से देश में औषधीय तथा सुगंध वाले पादपों का संरक्षण करने के लिए तीन राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किए हैं। ये जीन बैंक क्रमशः राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एन.बी.पी.जी.आर.) नई दिल्ली केन्द्रीय औषधीय तथा सुगंधित पादप संस्थान (सी.आई.एम.ए.पी.) लखनऊ तथा उष्णकटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान तथा अनुसंधान संस्थान (टी.बी.जी.आर.आई.) त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं। टी.बी.जी.आर.आई. का जीन बैंक अपनी गतिविधि प्रायद्वीपीय भारत में केन्द्रित रखेगा। एन.बी.पी.जी.आर. तथा सी.आई.एम.ए.पी. बैंक परस्पर, देश के अन्य जैवभौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करेंगे। सभी तीनों जीन बैंको को बीज तथा क्षेत्रीय बैंकों, ऊतक संवर्धन भण्डार तथा क्रायोबैंक सहित अद्यतन अवसंरचना से सुसज्जित किया जा रहा है। उद्देश्यों में न केवल निर्धारित क्षेत्रों के सर्वेक्षण तथा अनवेषण बल्कि संग्रह लक्षण-वर्णन, प्रलेखन तथा आंकड़ा आधार का विकास करना भी शामिल है, ताकि औषधीय तथा सुगंधित प्रजातियों के बहुमूल्य जर्म प्लाज़्म का संरक्षण किया जा सके।

(ग) तथा (घ) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण जीन बैंक के कार्यकलाप का एक अभिन्न अंग है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में औषधीय तथा सुगंध वाले पादपों के खेतों तथा नर्सरियों के निर्धारण, लक्षण वर्णन, संरक्षण, ऊतक संवर्धन, हिमाव-संरक्षण तथा रखरखाव के विभिन्न पहलुओं से संबंधित तकनीकें तथा क्रिया पद्धतियां शामिल होंगी।

अन्य राज्यों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती

1122. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार की सेवाओं में अन्य राज्यों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को भर्ती करने की अनुमति है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगा दी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें (जिनमें अधिवास विषयक शर्त भी शामिल है) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का भोपाल दौरा

1123. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस काण्ड के संबंध में गठित अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में भोपाल के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा निरीक्षण किए गए अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य क्लीनिक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग द्वारा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गईं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एंड्रुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि भोपाल गैस कांड के संबंध में तथाकथित "इण्टर नेशनल मेडिकल कमीशन" के सदस्यों ने जवाहर लाल नेहरू अस्पताल और शकूर अली खान अस्पताल का दौरा किया था।

(ग) सरकार को कमीशन से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

एन.डी.पी.ई. से बुने थैलों के विनिर्माता

1124. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे तथा मध्यम क्षेत्र में एच.डी.पी.ई. से बुने थैलों के राज्यवार कितने विनिर्माता है;

(ख) इनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ग) जूट के थैलों में उर्वरक तथा सीमेंट को भरते समय जो मात्रा गिर जाती है तथा बेकार हो जाती है, उससे अनुमानतः कितनी हानि होती है; और

(घ) एच.डी.पी.ई. से बुने थैलों के बजाय जूट थैलों में जो उर्वरक भरा जाता है, उसके लिए उर्वरक उद्योग को कितनी अतिरिक्त राज सहायता दी जाती है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एंड्रुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) प्लास्टिक वूवन सैक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (प्लास्मा) के अनुसार एच.डी.पी.ई./पी.पी. के बुने हुए थैलों के निर्माण में सारे देश में लगभग 150 मझोले और 400 से अधिक लघु उद्योग इकाइयों कार्यरत हैं, जिनमें 1.5 लाख से अधिक कुशल और अर्द्धकुशल व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

(ग) यूरिया पैक करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले जूट की बोरियों के भीतर पॉलीथीन का स्तर होता है, इसलिए सीपेज के कारण यूरिया का नुकसान नहीं होता है। जहां तक जूट की बोरियों में सीमेंट पैक करने का संबंध है, सीमेंट उद्योग ने बताया है कि सीपेज बेकार जाने के कारण लगभग हानि जूट की बोरियों की स्थिति के आधार पर 3 से 5 प्रतिशत तक होती है।

(घ) चूंकि एच.डी.पी.ई. और जूट के बोरों दोनों की दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं, अतः इस कारण अतिरिक्त राजसहायता की ठीक-ठीक गणना करना संभव नहीं है। फिर भी, यूरिया की पैकिंग के लिए जूट की बोरियों के एकमात्र प्रयोग की स्थिति में, जुलाई, सितम्बर, 1993 की दरों के आधार पर अनुमानित अतिरिक्त राजसहायता 13.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी।

[हिन्दी]

विद्युत गृहों से विकिरण का खतरा

1125. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परमाणु विद्युत संयंत्रों से आस-पास के लोगों और पर्यावरण को विकिरण का खतरा है जैसा कि 23 दिसम्बर, 1993 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। परमाणु विद्युत संयंत्रों से उन्मुक्त होने वाली विकिरण सक्रियता की वजह से प्रकृति में पहले से विद्यमान विकिरण सक्रियता के स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। उन्मुक्त होने वाली विकिरण सक्रियता की मात्रा अनुमेय सीमाओं के भीतर ही है। परमाणु विद्युत संयंत्रों से लोगों को तथा पर्यावरण को विकिरण संबंधी कोई खतरा नहीं है। इस संबंध में तारीख 23 दिसम्बर, 1993 के दैनिक समाचार-पत्र जनसत्ता में प्रकाशित रिपोर्ट सही नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में विकिरण तथा स्वास्थ्य भौतिकी संबंधी सर्वेक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। विद्युत संयंत्रों के नजदीक स्थापित पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं विद्युत संयंत्रों से उन्मुक्त होने वाले विकिरण पर निरंतर निगरानी रखती हैं। ये

प्रयोगशालाएं संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों से वायु, पानी, मिट्टी, पेड़-पौधों और खाद्य सामग्री जैसे कि मांस, मछली, दूध आदि के नमूने लेकर और उनका नियमित रूप से विश्लेषण करके इन संयंत्रों से उन्मुक्त होने वाले द्रव तथा गैसीय बहिस्त्रावों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी लगातार मानीटरन यह सुनिश्चित करने के लिए करती हैं कि परमाणु विद्युत संयंत्रों के परिचालन के परिणामस्वरूप लोगों पर और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सर्वेक्षण संबंधी ये सभी कार्य उन अर्हता-प्राप्त तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, जो काम कर रहे संयंत्रों से अलग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ङ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

ऊर्जा आयोग

1126. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित विशेष दल ने राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालीन ऊर्जा नीति बनाने हेतु एक ऊर्जा आयोग के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की विद्युत संबंधी समिति का कार्य प्रगति पर है। अतएव सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में समयावधि निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

अत्यधिक प्रोटीन युक्त चावल

1128. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नवीन जीन और "जेनेटिक गम" का प्रयोग करके एक अनुसंधान किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारत शीघ्र ही अत्यधिक प्रोटीन युक्त चावल का उत्पादन करने लगेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कब तक आम प्रयोग होने लगेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क)

जी, हां। अनाजों (चावल और गेहूं) की पौषणिक गुणवत्ता, जिनमें कुछ ऐमीनो अम्लों की कमी होती है, को सुधारने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) में वैज्ञानिकों के अति लाइसीनयुक्त प्रोटीप और एमारेन्यस बीजों से ऐमीनो अम्लयुक्त सल्फर के लिए जीन कोडन को क्लोनित और अनुक्रमित किया है। इस प्रोटीन का ऐमीनो अम्ल संयोजन, इष्टतम मानव पोषण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा अनुशासित प्रोटीन के साथ निकट रूप से मेल खाता है।

(ख) प्रथम उपाय के रूप में, सफल जीन विलगन और लक्षण-वर्णन के बाद, बीज विशिष्ट प्रोटीन जीन को चावल तथा आलू और गाजर जैसे अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों में स्थानान्तरित करने और इनके निष्पीडन का गहन अध्ययन करने संबंधी अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। एमारन्थ जीन, चावल के पौषणिक मूल्य को बढ़ा सकता है, यह सिद्ध करने में 4-5 वर्ष लग सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1129. **श्री शांता राम पोतदुखे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों के उत्पादन में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहकारी क्षेत्र के एककों के नाम क्या हैं,

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम तथा सहकारी क्षेत्र के प्रत्येक एकक की कुल उर्वरक उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है, और

(ग) प्रत्येक एकक द्वारा 1992-93 के दौरान उत्पादित उर्वरकों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) उर्वरकों के निर्माण में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहकारी क्षेत्र के एककों के नाम उनकी स्थापित क्षमता तथा वर्ष 1992-93 के दौरान उनका उत्पादन नीचे दिया गया है :-

("000" मी.टन न्यूट्रियेंट)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र का नाम	स्थापित क्षमता		उत्पादन 1992-93	
		नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट
1	2	3	4	5	6
	सार्वजनिक क्षेत्र				
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	1036	0	1034.0	0

1	2	3	4	5	6
2.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	263	144	237.9	143.6
3.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	1000	120	923.1	112.0
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	176	112	145.8	117.4
5.	पारादीप फर्टिलाइजर्स लि.	130	331	94.1	240.5
6.	थाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमि. लि.	0	42	0	28.4
7.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	806	0	235.2	0
8.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	654	0	219.4	0
	सहकारी क्षेत्र				
9.	इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर्स को.लि.	863	310	929.5	308.1
10.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि.	668	0	775.8	0

मेट्रो रेलवे का विस्तार

1130. **प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न संबद्ध पक्षों की ओर से बढ़ती हुई मांग को देखते हुए देश में मेट्रो रेल का विस्तार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुगंन) : (क), (ख) और (ग) स्थानीय दशाओं, परिवहन की मांग और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर नगर परिवहन परियोजनाएं बनाता और उन्हें कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों/नगर प्राधिकरणों का है। राज्य सरकारों के विचाराधीन मेट्रो रेल परियोजनाओं संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे	लागत (रुपये करोड़ों में)	अभ्युक्ति
1		2	3	4
1.	दिल्ली	कैमर्स रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि. द्वारा किए गए साध्यता अध्ययन दिल्ली के 184.5 कि.मी. लम्बी एम.आर.टी.एस. की सिफारिश	7500	बजट सहायता के अभाव में निधियन के वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की जानी है।
2.	बम्बई	बम्बई में शहरी यातायात को कम करने के लिए पी.एम.आर.डी.ए. द्वारा तैयार किया गये परियोजना प्रस्ताव में उप नगरीय रेलवे तथा सड़क आधारित परियोजनाएं दी गई हैं।	2248.88	रेलवे परियोजनाओं की लागत रेलवे मंत्रालय तथा राज्य सरकार बाटेंगे। अन्तिम परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जा रहा है।
3.	कलकत्ता	राइटस द्वारा किए गये साध्यता अध्ययन में टोलीगंज से घरिया तक मेट्रो रेलवे के विस्तार का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट राज्य सरकार की जांचाधीन है।	186	इस संबंध में भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	हैदराबाद	राइट्स द्वारा किए गये साध्यता अध्ययन में हैदराबाद के लिए लाइट रेल ट्रांजिस सिस्टम की सिफारिश की गई।	585	परियोजना का कार्यान्वयन ज्वाइंट स्टोक कंपनी अर्थात अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी लि. द्वारा किया जाना है।

1	2	3	4
5. मद्रास	बीच से लू तक रेलवे कोरिडोर रेलवे द्वारा निर्माणाधीन तथा 19.96 तक पूर्ण होने की संभावना है।	125	राज्य सरकार से लूज से तारामणी तक साध्यता अध्ययन करवाने का अनुरोध किया गया है।
6. बंगलौर	राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने जून, 1993 में बंगलौर के लिए एम.आर.टी.एस. की सिफारिश की। तथापि मैसर्स आई.एल. एण्ड एफ.एस. द्वारा इस रिपोर्ट की अद्यतन बनाया जा रहा है।		

[हिन्दी]

ट्रैक्टरों का निर्माण

1131. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को राहत देने के लिए कम लागत के ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों का आयात करने अथवा इन्हें स्वदेश में ही बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इनका किन-किन देशों से आयात किया जाएगा ;

(ग) इनके स्वदेशी उत्पादन हेतु बनायी गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा इनकी संभावित लागत कितनी है; और

(घ) इस समय किस प्रकार के ट्रैक्टरों का निर्माण किया जा रहा है; इनकी निर्माण लागत कितनी है तथा इनका बाजार मूल्य कितना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास देश के अन्दर कम लागत वाले ट्रैक्टर बनाने या उनका आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और उनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) देश में निर्मित ट्रैक्टर 18 एच.पी. और 65 एच.पी. के बीच की रेंज के होते हैं तथा मॉडल के आधार पर इन ट्रैक्टरों की कारखाने से निकलते समय की कीमतें 92,000 रुपये और 2,36,000 रुपये के बीच भिन्न-भिन्न होती है।

[अनुवाद]

टालीगंज से गडिया तक मैट्रो रेलवे का विस्तार

1133. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टालीगंज से गडिया तक मैट्रो रेलवे का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने टालीगंज से गडिया तक (8.49 कि.मी.) मेट्रो रेलवे के विस्तार के लिए साध्यता अध्ययन करने हेतु मै. रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इक्नामिक सर्विसेज लिमिटेड को लगाया है। राइटस ने राज्य सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परियोजना की कुल लागत का अनुमान 187.95 करोड़ रुपये है (1990 की कीमतों पर, सवारी डिब्बों की लागत को छोड़कर) । केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से इस बारे में कोई औपचारिक परियोजना प्रस्ताव नहीं मिला है।

गुजरात में खाद्यान्न मंडियां

1134. **श्री गाभाजी मंगा जी ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितनी खाद्यान्न मंडियां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान राज्य में कुछ नई मंडियां खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) 223 ऐसी मंडियां हैं जहां मुख्यतः खाद्यान्नों की खरीद फरोक्त होती है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार मण्डियों के विकास की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वर्ष 1992-93 से राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसलिए राज्य में नई मण्डियां खोलने अथवा विद्यमान मण्डियों में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, 1994-95 के दौरान राज्य सरकार का कुछ नई मण्डियां बनाने का प्रस्ताव है, जिसके ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। राज्य सरकार ने बाजार यार्डों में ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य की पंचवर्षीय योजना में 334.00 लाख रुपये की व्यवस्था भी की है जिसमें से 44 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और 1994-95 के लिए 38 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

मंगलौर उर्वरक संयंत्र

1135. **श्री वी. कृष्णा राव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 के शुरू में मंगलौर उर्वरक संयंत्र में उत्पादन शुरू हो जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फटिलाइजर्स लि. (एम.सी.एफ.) के उर्वरक संयंत्र ने फरवरी, 1994 के प्रथम सप्ताह से उत्पादन पुनः आरम्भ कर दिया है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कर्मचारियों की छंटनी

1136. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप स्थित हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के लगभग एक लाख कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक सेवा-योजना का प्रस्ताव किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) 1-12-1993 तक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कोर्पोरेशन (एच.एफ.सी.) के नामरूप एकक में केवल 2702 कर्मचारी कार्यरत थे। फिलहाल, उनकी छंटनी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कछार पेपर मिल, असम

1138. **श्री द्वारकानाथ दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार पेपर मिल, पंचग्राम, असम लगातार घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रतिवर्ष मिल को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) इस मिल के घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) मिल को अर्थक्षम बनाने हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31-3-1993 तक संचयित निवल हानि 210 करोड़ रुपये थी। विगत तीन वर्षों में हानियां निम्नानुसार रहीं :-

वर्ष	हानि (करोड़ रुपैये)
1990-91	39
1991-92	41
1992 93	37

(ग) हानियों के कारण हैं– निम्न क्षमता उपयोगिता, प्रचालनात्मक समस्याएं, अवस्थितिगत असुविधाएं, अवस्थापना संबधी सुविधाओं की कमी, ब्याज का उच्च भार तथा मूल्यह्रास और बाजार की स्थिति।

(घ) कुछेक तकनीकी समस्याओं का पता लगाया गया है और इनके निवारण तथा उत्पादन निष्पादन में सुधार के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। कुछ समय से सरकार इसे सक्षम बनाने के लिए इसके पुनर्निर्माण, इसे निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने आदि जैसे विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा औद्योगिक काम्पलेक्सों की स्थापना

1139. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों के विस्तार हेतु औद्योगिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर 1993 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राज्यवार ऐसे कितने काम्पलेक्स स्थापित किए हैं; और

(ग) ऐसे प्रत्येक काम्पलेक्स में औसतन कितने उद्योग स्थापित किए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपनी 31-8-90 को हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गांवों में औद्योगिक काम्पलेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1993 तक केवल एक ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट की स्थापना हुई है। बैंक वित्त योजना के अधीन कर्नाटक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन एक संस्था द्वारा बीजापुर इंडस्ट्रियल एरिया में घानी तेल का एक कॉप्लेक्स कार्यान्वयनाधीन है। चरणबद्ध तरीके से 262 घानियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। बिजली चालित 50 घानियों का पहला चरण लगभग पूरा होने को है।

(ग) ग्रामोद्योग एककों की स्थापनार्थ ग्रामोद्योग इंडस्ट्रियल एस्टेट में अब तक 32 वर्कशैड तैयार किए जा चुके हैं जिनमें से पांच शैड ग्रामीण कामगारों को दिए गए हैं और उन्होंने वहां काम शुरू कर दिया है।

कम्प्यूटरों का निर्यात

1140. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1993-94 और 1994-95 में कम्प्यूटरों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कम्प्यूटर निर्यात किए जाएंगे और कौन-कौन सी कम्पनियां ऐसे कम्प्यूटरों का निर्यात करेंगी; और

(ग) सरकार ने कम्प्यूटरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क), (ख) और (ग) : सरकार स्वयं कम्प्यूटरों का प्रत्यक्ष रूप से निर्यात नहीं करती है। कम्प्यूटर विनिर्माता, व्यापारी, निर्यातकर्ता आदि विभिन्न प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियों का निर्यात विभिन्न देशों को करते हैं। निर्यात किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर हार्डवेयर में डेस्क टॉप कम्प्यूटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फलॉपी डिस्क ड्राइव, विंचेस्टर डिस्क ड्राइव, वी.जी.ए. मॉनीटर (एक वर्णी/रंगीन) कुंजीपटल शामिल हैं।

भारत सरकार ने कम्प्यूटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) कम्प्यूटर का विनिर्माण बिना किसी औद्योगिक लाइसेंस के आसानी से किया जा सकता है।

(2) कम्प्यूटर उद्योग स्थापित करने के लिए स्थापना-स्थल संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

(3) 100 प्रतिशत तक विदेशी साम्यापूंजी की अनुमति मुक्त रूप से उपलब्ध है।

(4) कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण के लिए रियायती सीमा-शुल्क पर संघटक पुर्जों का आसानी से आयात किया जा सकता है।

(5) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.सी.) शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयां/निर्यात संसाधन क्षेत्र जैसी निर्यात उन्मुखी योजनाओं के अन्तर्गत भी कम्प्यूटरों का विनिर्माण किया जा सकता है, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बन सकें।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन को अर्थक्षम बनाने संबंधी पैकेज

1141. **श्री रवि राय :**
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उर्वरक उपक्रमों को लाभप्रद बनाने के लिए उनसे 11 मार्च, 1993 तक एक अर्थक्षम बनाने संबंधी पैकेज प्रस्तुत करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अर्थक्षम बनाने संबंधी पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए इन एककों के कर्मचारियों के साथ बातचीत शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उर्वरक उपक्रमों अर्थात फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) और प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. (पी.डी.आई.एल.) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रुग्ण कंपनियों के रूप में घोषित किया गया है।

एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. के मामले में बी.आई.एफ.आर. ने निर्देश दिया है कि पुनर्वास पैकेज़ 31-3-1994 तक प्रस्तुत कर दिए जाएं। पी.डी.आई.एल. के मामले में इस तरह का एक पैकेज 17-4-1994 तक प्रचालन अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) और (घ) बी.आई.एफ.आर. के अद्यतन निर्देशों के अनुसार सरकार ने बी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्वसम्मत पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप देने की संभावना का पता लगाने के लिए कर्मचारियों के साथ एकक वार बातचीत की है। इन कंपनियों के पुनर्वास पैकेजों पर कोई निर्णय बी.आई.एफ.आर. के, जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

सरकारी क्षेत्र के लिए धनराशि

1142. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में सहकारी क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : गुजरात की राज्य योजना के अन्तर्गत सहकारिता सेक्टर के लिए स्वीकृत आठवीं योजना परिव्यय 82 करोड़ रुपये है।

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में पवन चक्कियां

1143. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और राज्य के अन्य संभावित स्थलों में 1994-95 के दौरान निजी क्षेत्र में पवन चक्कियों की स्थापना का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त अवधि के दौरान पवन चक्कियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि राज्य सरकार को राज्य में कुल 350 मे.वा. पवन ऊर्जा क्षमता की संस्थापना के लिए निजी क्षेत्र से 46 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) अभी हाल ही में सुरेन्द्र नगर जिले के बमनबोर में 8.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, जिसमें 3.84 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा होगा, एक पवन फार्म परियोजना शुरू की गई है। सरकार के पास कोई अन्य प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

भारतीय वायुसेना में दुर्घटनाओं की संख्या

1144. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना में प्रातः 10,000 उड़ान घंटों में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं; -

(ख) भारतीय वायुसेना में 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान हुई विमान दुर्घटनाओं की तुलनात्मक संख्या क्या है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं के लिए किन प्रमुख कारणों का पता लगा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्तमान दशक में भारतीय वायुसेना के वायुयानों की दुर्घटना-दर में पिछले दशक की अपेक्षा कमी आई है। वायुयान दुर्घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1991	33
1992	24
1993	15

(ग) भारतीय वायुसेना में उड़ान दुर्घटनाओं के लिए जिन प्रमुख कारणों का पता लगा है वे इस प्रकार हैं :-

(1) मानव त्रृटियां

(2) तकनीकी खराबियां

(3) पक्षियों का टकराना

औषधि के क्षेत्र में विदेशी सहयोग

1145. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औषधि के क्षेत्र में स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें शामिल भारतीय कंपनियों/विदेशी कंपनियों/उत्पादों के नाम क्या हैं; इसकी शर्तें क्या हैं और भुगतान की अवधि क्या है;

(ग) क्या इस बीच से कोई परियोजना कार्यान्वित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

वेतन पर वकीलों की नियुक्ति

1146. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की संख्या बहुत अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों पर व्यय होने वाले शुल्क तथा खर्चों को कम करने के लिए वेतन पर सक्षम वकीलों की नियुक्ति के संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अपीलकर्त्ताओं को उच्चतम न्यायालय में हो रही कठिनाइयों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उसके यथा संभव शीघ्र निपटाने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक दिसम्बर, 1993 में हुई थी। मुख्य मंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति इस बात से सहमत थे कि बार के कुछ सदस्यों के पास कार्य का अत्यधिक केन्द्रीकरण, विशेषकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, बकाया मामलों के एकत्र होने में सहायक रहा है। उनका विचार था कि इसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ मुकदमों पर होने वाला खर्च भी बढ़ा है। उनके विचार में भारतीय विधिज्ञ परिषद विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों के साथ परामर्श करके इस समस्या के बारे में स्वयं विचार करे और उचित सिफारिशें करे। यह महसूस किया गया कि विधिज्ञ परिषद को इस संबंध में कोई भी सिफारिश करने से पूर्व बार के नेताओं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

रसोई गैस के लिए गोदाम

1147. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में रसोई गैस के गोदामों के निर्माण के लिए प्लाटों का आबंटन करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवेदकों को प्लाटों का आबंटन कब तक किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, गैस के गोदामों के प्लाटों के आबंटन हेतु विभिन्न पार्टियों से 21 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	संख्या
1991	03
1992	03
1993	15
कुल	21

(ग) गैस के गोदामों के प्लाटों का आबंटन ऐसे प्लाटों की उपलब्धता तथा आवेदकों द्वारा औपचारिकताओं के पूरा किए जाने पर निर्भर है।

[अनुवाद]

''पृथ्वी'' प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

1148. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बीच ''आकाश'' और ''नाग'' प्रक्षेपास्त्रों को सेना में शामिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) "आकाश" और "नाग" प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों के विकास का कार्य 1995-96 तक पूरा हो जाने की आशा है। उसके बाद ही इन प्रक्षेपास्त्रों को सेना में शामिल किए जाने की आशा है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया एवं प्रोजेक्ट्स एण्ड डैवलपमेंट इंडिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने संबंधी योजना

1149. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के श्रमिक संघों को व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है ताकि इन कंपनियों को 12 फरवरी, 1994 तक अर्थक्षम बनाया जा सके;

(ख) क्या इन श्रमिक संघों ने इस बीच अर्थक्षम बनाने संबंधी कोई योजना प्रस्तुत की है,

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों तथा इन इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाले अग्रणी बैंकों से भी विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में अंतिम निर्णय क्या लिया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के निर्देशों के परिणामस्वरूप श्रमिक संघों, बैंकों, संबद्ध राज्य सरकारों आदि के साथ एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. के संबंध में एक सर्वसम्मत पुनर्वास योजना तैयार करने की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से फरवरी, 1994 के प्रथम सप्ताह में विस्तृत रूप से परामर्श किए गए। इन दो कंपनियों के विभिन्न एककों के कुछ श्रमिक संघों/अधिकारी संगठनों ने इन एककों के पुनर्वास के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध बैंकों ने सूचित किया है कि यदि पुनर्वास योजनाएं व्यावहारिक रूप से तैयार की जाएं तो वे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए साख सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार होंगे। संबद्ध राज्य सरकारों ने अपनी वित्तीय अन्तर्गस्तता अथवा एककों को लेने की प्रतिबद्धता के बिना एककों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया है।

इन कंपनियों के पुनर्वास के मामले में अंतिम निर्णय **बी.आई.एफ.आर.** द्वारा लिया जाएगा जो एक न्यायिक कल्प संस्था है।

उडीसा को "हुडको" द्वारा ऋण

1150. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष "हुडकों" द्वारा उड़ीसा को कितना ऋण दिया गया;

(ख) अब तक ऋण की कितनी राशि का पुनर्भुगतान किया गया है; और

(ग) उड़ीसा की कितनी योजनाएं अभी भी "हुडको" के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में हुडकों द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को स्वीकृत की गई ऋण राशि तथा उनके द्वारा हुडको को चुकाई गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	स्वीकृत ऋण राशि	चुकायी गयी ऋण राशि (रुपये करोड़ों में)
1990-91	51.44	5.66
1991-92	78.67	7.22
1992-93	54.63	10.00

(ग) 31-1-1994 की स्थिति के अनुसार, हडको को 23.61 करोड़ रुपये की ऋण राशि की 16 परियोजनाएं प्राप्त हुई है। हडको द्वारा ऋण स्वीकृत करने की एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हुडको के दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है।

[हिन्दी]

सहकारी आवास समितियों द्वारा जमा राशि वापस करना

1151. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** :
डा. चिंता मोहन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों में कई सहकारी आवास समितियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास धन राशि जमा कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दि.वि.प्रा. ने विगत वर्षों में भूमि की कीमतों को बढ़ा दिया है जिसके फलस्वरूप इन समितियों ने अपनी जमा राशि को लौटाने के लए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राशि लौटा दी गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा जनवरी, 1994 तक कुल कितनी राशि वापस किए जाने का दावा किया गया है;

(ङ) क्या दि.वि.प्रा. को अपने पास जमा राशि के लए इन समितियों को ब्याज देना पड़ेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन समितियों को कब तक धन राशि वापस कर दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि की कीमतें बढ़ायी हैं। 1992-93 और 1993-94 में जिन कुछ समितियों को भूमि की पेशकश की गयी थी, उन्होंने वापसी की मांग की है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार जब कभी किसी समिति से अनुरोध प्राप्त हुआ है, सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात धनराशि लौटा दी गई है। उपयुक्त "ख" में उल्लिखित समितियों को आज की तारीख तक लगभग 1.26 करोड़ रुपये की वापसी की जा चुकी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) समितियों को जारी किये गये पेशरकश एवं मांग पत्र की शर्तों व निबंधनों के अनुसार ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया जाना है।

[अनुवाद]

विनिर्माण क्षेत्र

1152. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विनिर्माण प्रधान क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए तमिलनाडु को आदर्श राज्य माना गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री

(श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1992 तथा 1993 के दौरान मंजूर किए गए आशय पत्रों (एल.ओ.आई.) में आवेदकों द्वारा यथा प्रस्तावित अचल परिसम्पत्तियों में कुल निवेश 26894 करोड़ रु. है। 1992 तथा 1993 के दौरान फाइल किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई.ई.एम.) में प्रस्तावित निवेश 179848 करोड़ रु. है।

(ख) से (घ) 1992 तथा 1993 के दौरान फाइल किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा मंजूर किए गए आशय पत्रों में प्रस्तावित स्थापना-स्थलों के संबंध में, आशय पत्रों के लिए तमिलनाडु तीसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला राज्य है तथा फाइल किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से चौथा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला राज्य है।

[हिन्दी]

ठेका श्रमिक प्रणाली

1153. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उनके मंत्रालय के अंतर्गत निगमों के कार्यालयों में श्रमिक अब भी ठेके पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ठेका प्रणाली अभी भी विद्यमान है और उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां यह समाप्त कर दी गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करके सीधे ही कार्य कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में कतिपय कार्यालयों में ठेका श्रमिकों के रोजगार को नियमित करने तथा कतिपय परिस्थितियों में इसको समाप्त करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान है।

[अनुवाद]

बल्क औषधों के मूल्य

1154. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन विभाग ने सांविधिक अवधि के बाद बल्क औषधों की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) प्रपुंज औषधों की कीमतें औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित/संशोधित की जाती हैं।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की इकाइयां

1155. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की नामरूप-एक और दो इकाइयों को बंद करने तथा हल्दिया, दुर्गापुर और बरौनी इकाइयों को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना

1156. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत श्रेणीवार कुल कितने फ्लैटों का आबंटन पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किया गया है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा श्रेणीवार कितनी राशि ली जा रही है;

(ग) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत फ्लैटों के आबंटन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कब तक और कहां-कहां फ्लैटों का आबंटन किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत अभी तक 1270 एल.आई.जी. तथा 876 जनता फ्लैट आबंटित किए गए हैं।

(ख) श्रेणीवार फ्लैटों की वसूल की जा रही कीमत के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं।

(ङ) इस योजना के तहत सभी पंजीकृतों को भूमि, अवस्थापन तथा द्वारका बिन्दापुर, रोहिणी और नरेला जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त पर आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आबंटन किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

दिल्ली विकास प्राधिकरण

डा. अम्बेडकर आवास योजना के तहत आबंटित जनता फ्लैटों का बिक्री मूल्य

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कुल फ्लैट्स	बिक्री मूल्य (लगभग)
1	2	3	4
1.	रोहिणी	40	140500 रुपये
2.	पीतमपुरा	42	160800 रुपये
3.	अशोक विहार	13	168900 रुपये
4.	पंचशील	08	110300 रुपये
5.	ज्वाला हेरी	22	212000 रुपये
6.	रघुबीर नगर	10	103800 रुपये
7.	कोंडली घरोली	374	123900 रुपये
8.	विकास पुरी	003	133200 रुपये
9.	हस्तसाल गांव	002	139300 रुपये
10.	पश्चिम विहार	001	160100 रुपये
11.	दक्षिण पुरी	001	130000 रुपये
12.	अघचीनी	029	137200 रुपये

1	2	3	4
13.	चिल्ला गांव	068	134700 रुपये
14.	नांगलोई सैयद	012	160100 रुपये
15.	कोंडली घरौली	221	123900 रुपये
16.	रोहिणी	014	140500 रुपये
17.	रघुबीर नगर	004	103600 रुपये
18.	पीतमपुरा	002	141800 रुपये
19.	हस्तसाल गांव	001	139800 रुपये
	कुल	867	

विवरण-II

अम्बेडकर आवास योजना के तहत एल.आई.जी. फ्लैटों का ब्रिकी मूल्य

स्कीम का नाम	ब्रिकी मूल्य
1. नरेला	3,08,700.00 रुपये
2. बिन्दा पुर	2,32,800.00 रुपये
3. रोहिणी	3,65,700.00 रुपये
4. त्रिलोक पुरी	3,03,900.00 रुपये
5. कोंडली घरौली	2,23,300.00 रुपये
6. दिलशाद गार्डन	2,69,600.00 रुपये
7. झिलमिल	2,43,000.00 रुपये
8. लोनी रोड	2,53,000.00 रुपये
9. पीतमपुरा	2,86,100.00 रुपये

[अनुवाद]

1157. **श्री तारा सिंह :**
श्री तारा चंद खंडेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
डा. कृपा सिंधु भोई :
डा. के.वी.आर. चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पवन ऊर्जा सम्पदा की स्थापना के लिए संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जो इस सम्पदा की स्थापना हेतु सहमत हैं;

(ग) क्या सरकार ने पवन ऊर्जा सम्पदा की स्थापना के लिए इस बीच स्थानों का चयन कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों में, विशेषकर हरियाणा और आंध्र प्रदेश में चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और इस के लिए केंद्र सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे निजी क्षेत्र, राज्य सरकार तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के साथ, जो शेयर होल्डर होंगे, पवन ऊर्जा सम्पदाओं की स्थापना के लिए संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना करने पर विचार करें। संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों द्वारा छोटे उद्यमियों/निवेशकर्त्ताओं की ओर से पवन ऊर्जा सम्पदाओं पर अलग-अलग पवन टरबाइनों की टर्न-की योजना, स्थापना, प्रचालन और रखरखाव कार्य किया जाएगा।

यह सुझाव अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सहित सभी संभाव्य राज्यों को भेजा गया है। उनके द्वारा अभी विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं। हरियाणा में अभी कोई पवन संभाव्यता सिद्ध नहीं हुई है।

रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं

1158. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के कल्याण और रोजगार के लिए कोई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन वर्गों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के कार्य को कोई वरीयता दी है; और

(घ) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) महिलाओं के लिए क्रियान्वित किए जा रहे विशेष रोजगार कार्यक्रमों में शामिल हैं : ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास नामक एकीकृत ग्रामीण विकास उप-स्कीम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, आवास तथा शहरी उत्थान स्कीम, शहरी माइक्रो उपक्रम स्कीम, महिलाओं के लिए रोजगार तथा आय सर्जक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम तथा महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को सहायता। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीब घरों से संबंधित महिलाओं को मजदूरी पर रोजगार तथा स्व-रोजगार उपलब्ध कराना है। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं को भी इन स्कीमों का लाभ मिलता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

स्कीम का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
- ग्रामीण क्षेत्रों (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) में महिला तथा बाल विकास	13.00	13.00	21.00
- जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)	2100.00	2046.00	3306.00
नेहरू रोजगार योजना *(एन.आर.वाई.)	114.80	71.00	74.97
- रोजगार एवं आय सर्जक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र (एन.ओ.आर.ए.डी.)	2.00	4.00	4.00
- प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम (एस.टी.ई.पी.) को सहायता	8.00	11.00	15.05
महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक	8.00	5.75	4.50

*आवास तथा आश्रय स्थल उन्नयन स्कीमों (एस.एच.ए.एस.यू.) तथा शहरी माइक्रो उपक्रम स्कीमों (एस.यू.एम.ई.) के लिए परिव्यय शामिल हैं।

स्वच्छ शौचालय

1159. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और आंध्र प्रदेश में स्वच्छ शौचालयों की संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और कितने स्वच्छ शैचालयों का निर्माण किया जायेगा; और

(ग) इस पर अनुमानित : कितनी धनराशि खर्च की गई है/खर्च की जायेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 1992-93 तक 1,63,000 व्यक्तिगत शौचालयों और 1900 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। जहां तक गुजरात का संबंध है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 1994 तक 68,749 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों (1993-94 से 1996-97 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार का 3,01,700 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। जहां तक गुजरात का संबंध है, इसी अवधि के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य क्रमशः 60,000 और 53,540 शौचालय है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर गुजरात में प्रस्तावित अनुमानित खर्च न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 10.70 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बराबर के अंशदान के प्रावधान के आधार पर 19.34 करोड़ रुपये है।

ईंधन के बिना विद्युत का उत्पादन करना

1160. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईंधन के बिना विद्युत का उत्पादन करने के लिए साधन ढूंढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चक्रिक इनर्जी रिसर्च सेंटर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) चक्रिक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, त्रिचुर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें ईंधन के बिना विद्युत का उत्पादन करने के लिए एक खोज का दावा किया गया है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि. हरिद्वार में अनुसंधान के लिए सुविधाएं मांगी गई हैं। इस प्रस्ताव में कोई भी तकनीकी ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

(ख) और (ग) चक्रिक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र को प्रोत्साहन विवरण सीधे भेल हरिद्वार को परीक्षण और विचारार्थ भेजने के लिए अनुरोध किया गया था।

सूक्ष्म भूकंपीय उपकरणों की खरीद

1161. **श्री सी.पी. गुदालगिरियप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश का भूकम्प संबंधी नक्शा तैयार करने हेतु आधुनिक सूक्ष्म भूकम्पीय उपकरण खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) देश में भूकम्पीय अवलोकनों के लिए एक विस्तृत नेटवर्क पहले से ही कार्यरत है। इसके अलावा देश भर में फैले हुए आधुनिक सेस्मोग्राफों से सुसज्जित भूकम्पीय अवलोकनों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट प्रारूपित किया गया है, जिसमें दक्कन प्लटों पर विशेष बल दिया गया है। मोबाइल माइक्रोसेस्मिक संयंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

[हिन्दी]

यमुनापार क्षेत्र का विकास

1162. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार को यमुनापार क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार का विचार यमुनापार क्षेत्र के विकास के लिए विशेष सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में विकास केन्द्र

1163. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में विकास केंद्रों में प्रदान की गई आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केंद्रों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये केंद्र धन की कमी के कारण विकास कार्य नहीं कर पाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित सारे देश के चुने हुए विकास केंद्रों को बिजली, पानी, बैंकिंग, सड़क और दूर-संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को अब तक 14.5 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी कर दी गयी है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो राज्य में स्वीकृत चार केंद्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण और विकास करके बुनियादी सुविधाएं पैदा कर रही हैं।

झारखंड क्षेत्र के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1164. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1994-95 के दौरान बिहार में विशेष रूप से संथाल परगना और हजारी बाग डिवीजन अर्थात झारखंड क्षेत्र जैसे आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए योजना राशि स्वीकृत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कुल कितना धन मांगा है और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से किन योजनाओं को स्वीकृत करने की मांग की है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जी, हां। योजना आयोग ने बिहार राज्य को 1994-95 में अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए 12.60 करोड़ रुपये की संस्तुति की है। इसके अलावा 1994-95 के दौरान जनजातीय उपयोजना के तहत निधि के प्रवाह के रूप में 666.16 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में 8.01 करोड़ रुपये भी आंबंटित किए हैं। जनजातीय लोगों के विस्तृत आर्थिक विकास के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तथापि भारत सरकार, जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.) प्रदान करती है, जोकि आय सृजन क्रियाकलापों के लिए, राज्य के प्रयासों के अतिरिक्त हैं। जनजातीय उपयोजना के लिए मुहैया कराई गई विशेष केंद्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जनजातियों के विकास के लिए राज्य को समग्र रूप से निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना आयोग को 1994-95 के लिए संथाल परगना तथा हजारी बाग डिवीजन में जनजातियों के विकास के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

बिहार राज्य को 5वीं, छठी, सातवीं तथा वार्षिक योजना 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	पांचवीं योजना	छठी योजना	सातवीं योजना	(रुपये लाख में) वार्षिक योजना				
				1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
बिहार	1758.50	6934.90	11412.21	2931.92	3211.19	3175.25	3394.38 (अनंतिम)	3394.38 (प्रस्तावित)

[अनुवाद]

कोंडली-घरौली में स्ववित्त पोषित योजना के फ्लैटों का निर्माण

1165. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंडली-घरौली क्षेत्र में स्ववित्त पोषित योजना के फ्लैटों के निर्माण के लिए तत्कालीन मुख्य इंजीनियर (पूर्वी क्षेत्र) ने मैसर्ज बी.ओ.सी. की निविदाएं स्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसी क्षेत्र में अन्य ठेकेदारों को आबंटित इसी तरह के निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अब तक निर्मित फ्लैट जनता को आबंटन के लिए तैयार हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि टेंडर, उनके कार्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अवार्ड किये गए थे, क्योंकि ये मुख्य इंजीनियरों को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं आते थे।

(ख) योजना के समूट-II में 192 एस.एफ.एस. फ्लैटों बाबत मैसर्स 4,67,00,000 रुपये थी। नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार, समूह-I, III, IV और V के इसी प्रकार के निर्माण-कार्य भी अन्य ठेकेदारों को अवार्ड किये गये थे :-

क्र.सं.-I समूह-I में, 240 एस.एफ.एस. श्रेणी-III के निर्माण के लिए मैसर्स अशोक कैपिटल बिल्डर्स प्रा. लि. को 5,74,28,035 रुपये का एक मुश्त ठेका।

क्र.सं.-II समूह-III में श्रेणी-III के 192 एस.एफ.एस. मकानों के निर्माणार्थ मैसर्स एन.डी.आर. इसरानी को 4,63,50,000 रुपये का एकमुश्त ठेका अवार्ड किया गया था।

क्र.सं.-III योजना के समूह-IV में श्रेणी-III के 160 एस.एफ.एस. मकानों के निर्माणार्थ मैसर्स एन.डी.आर. इसरानी को 3,89,000,00 रुपयों का एक मुश्त ठेका दिया गया था।

क्र.सं.-IV योजना के समूह-V में 192 एस.एफ.एस. मकानों के निर्माणार्थ मैसर्स अशोक कमल कैपिटल बिल्डर्स को 4,64,60,019 रुपये का एक मुश्त ठेका दिया गया था।

(ग) जी, नहीं। अभी नहीं।

रोजगार के अवसर पैदा करना

1166. **श्री राम कापसे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपसभापति की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों की समिति ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय नवीनकरण कोष की कुछ धनराशि का उपयोग रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाए और साथ ही साथ जो भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सहायता मिले, उससे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) जैसे संस्थानों द्वारा उद्यम-पूंजी लगाई जाए।

(ख) समिति ने अन्य क्या क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) उपाध्यक्ष योजना आयोग की अध्यक्षता में (शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार संवर्धन पर) गठित मंत्री समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी है। चूंकि रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है, इसलिए समिति की सिफारिशों के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

राज्यों को गंदी बस्तियों के सुधार हेतु धन राशि

1167. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राज्यवार छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों की गंदी बस्तियों को सुधारने तथा जल-आपूर्ति हेतु राज्यों को कितनी धन राशि आबंटित की गई; और

(ख) अब तक नगरवार तथा राज्यवार कितनी योजनाओं को पूरा किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते स्लम उन्मूलन/सुधार की विशेष स्कीमें राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार बनायी और कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत "शहरी स्लमों का पर्यावरणी सुधार" नामक स्लम सुधार की एक योजना है। इस स्कीम के अन्तर्गत शहरी स्लमों में कम लागत की जलापूर्ति, जल निकासी सामुदायिक स्नानागार ओर शौचालय, गालियों को चौड़ा करना तथा खंडजा बिछाना और पथ प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधायें मुहैया करायी जाती हैं। ई.आई.यू.एस. के अन्तर्गत स्लम सुधार परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य योजना प्रावधानों के भीतर ली जानी अपेक्षित हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत समय-समय पर चुने गये शहरों और क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

राज्य के वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत नियत की गयी निधियों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई.आई.यू.एस.) की राज्य क्षेत्र की स्कीम के लिए नियत/खर्च की गई निधियां।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
I.	**राज्य**			
1.	आंध्र प्रदेश	123.07	433.00	401.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	35.00	35.00	35.00
4.	बिहार	219.83	150.00	390.00
5.	गोआ	11.30	3.00	1.50
6.	गुजरात	100.00	220.00	300.00
7.	हरियाणा	115.00	180.00	190.00
8.	हिमाचल प्रदेश	48.00	63.00	73.00
9.	जम्मू व कश्मीर	60.00	90.00	90.00
10.	कर्नाटक	845.00	760.00	912.00
11.	केरल	50.00	130.00	130.00
12.	मध्य प्रदेश	342.66	439.00	510.00
13.	महाराष्ट्र	800.00	580.00	974.00
14.	मणिपुर	19.78	25.00	30.00
15.	मेघालय	40.00	40.00	40.00
16.	मिजोरम	10.00	10.00	10.00
17.	नागालैंड	–	–	–

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	100.00	56.00	81.00
19.	पंजाब	175.00	–	175.00
20.	राजस्थान	372.00	365.00	370.00
21.	सिक्कम	10.00	5.00	5.00
22.	तमिलनाडु	210.00	260.00	230.00
23.	त्रिपुरा	40.00	–	55.00
24.	उत्तर प्रदेश	604.88	785.00	785.00
25.	पश्चिम बंगाल	450.00	2600.00	700.00
II.	**संघ शासित राज्य**			
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	–	0.00	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–
28.	दादर तथा नागर हवेली	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	5.00	4.50
30.	दिल्ली	200.00	895.00	900.00
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	32.98	40.00	40.00
	कुल राज्य एवं संघ शासित राज्य	5014.50	8179.00	7432.50

गुजरात में शुद्ध पेय जल का अभाव

1168. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में शुद्ध पेयजल के अभाव से ग्रस्त गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पाइप लाइनें डालकर जलापूर्ति करने के लिए राज्य को कितनी धनराशि दी गयी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) 1-2-1994 के अनुसार गुजरात में ऐसे 9 समस्याग्रस्त गांव थे, जो पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं।

(ख) इन गांवों को 31-3-1995 तक पेयजल सुविधायें मुहैया करा दिये जाने के साथ-साथ आठवीं योजना के दौरान आंशिक रूप से कवर किये गये गांवों/बस्तियों में पूर्ण पेयजल सुविधायें मुहैया करा दी जायेंगी ?

(ग) 1993-94 के दौरान गुजरात के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 26.56 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसमें पाइप द्वारा जल सप्लाई हेतु अपेक्षित राशि शामिल है।

महाराष्ट्र में "ट्राइसेम" योजना

1169. **श्री अरविंद तुलशीराम काम्बले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में "ट्राइसेम" योजना के अंतर्गत कितने युवकों को प्रशिक्षित किया गया है और 1994-95 के लिए इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) "ट्राइसेम" योजना को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) दिसम्बर, 1993 के अन्त तक महाराष्ट्र में ट्राइसेम के अंतर्गत 5619 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 18,234 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) ट्राइसेम को सुदृढ़ बनाने और देश में ट्राइसेम के कार्यान्वयन में समग्र सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है:

(1) राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अंतर्गत पूर्णतः ट्राइसेम के लिए एक उप समिति का गठन करना। ट्राइसेम के लिए एक जिला स्तरीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

(2) ट्राइसेम प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन में सुधार लाना।

(3) आनुषांगिक गतिविधियों और आधुनिक वस्तुओं के निर्माण जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हीरों तथा मोतियों की कटाई तथा पालिश और उनेक पुर्जे जोड़ने के कार्यों के लिए ट्राइसेम के प्रशिक्षार्थियों में से उत्पादन समूह बनाना।

(4) देश के विभिन्न भागों में हुडको द्वारा प्रायोजित निर्मित केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने

के लिए और ट्राइसेम के अंतर्गत युवाओं के प्रशिक्षण हेतु इस प्रकार सृजित ढांचों का कम लागत वाले मकानों के लिए चुने गए व्यवसायों में इस्तेमाल करना।

(5) ट्राइसेम के कार्यान्वयन हेतु नेहरू युवक केन्द्रों का इस्तेमाल करना।

(6) प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों, सामुदायिक पोलीटेक्नीकों व्यावसायिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना।

(7) ट्राइसेम के अंतर्गत समाज के स्वयंसेवकों को हैंडपम्प मैकेनिक्स के रूप में प्रशिक्षित करना।

(8) रेशम कीट पालन, फूलों की खेती और मशरूम की खेती आदि को महत्व देना।

दिल्ली में वकीलों द्वारा हड़ताल

1170. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान दिल्ली में वकीलों ने अनेक बार हड़तालें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1994 की प्रथम तिमाही के दौरान भी ऐसी हड़ताले हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन हड़तालों से आम जनता की आजीविका प्रभावित होती है;

(च) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में इस प्रकार की हड़तालें न हों, कोई उपाय करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) दिसम्बर, 1993 में आयोजित, मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि वकीलों की हड़ताल के अन्तर्निहित कारणों का पता लगाने और न्यायालयों के अकारण बन्द होने को रोकने के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने के लिए समुचित स्तर पर एक समिति गठित की जाए जिसमें वकील और न्यायाधीश हों। बैठक में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा की गई सिफारिशें उनके द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प में अन्तर्वलित हैं। बैठक में अंगीकृत किए गए संकल्प की एक-एक प्रति उच्च न्यायालयों और भारतीय विधिज्ञ परिषद की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

असम में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

1171. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई जल परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रयोगशाला कहां है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में ऐसी कुछ और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) असम में कछार, डारंग, उत्तरी लखीमपुर, डिबरूगढ़, बारपेटा और गुवाहाटी के जिला मुख्यालयों में 6 स्थायी जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं। राज्य में एक मोबाइल प्रयोगशाला भी कार्यरत है।

(ग) जी, हां।

(घ) दीपु और हांफलौंग में अपनी निधियों से दो प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार ने धुबरी, कोकराझार, बोगंईगांव, सिल्चर, तेजपुर, गोलपाड़ा, नालावाड़ी, मोरीगांव, करीमगंज, गोलाघाट, शिवसागर, तिनसुकिया, नौगांव, फिमाजी और जोरहाट में 15 प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए भी केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

उर्वरकों का आयात

1172. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश से 25000 टन नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटाश और डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक आयात करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) एम.एम.टी.सी. एक सरणीबद्ध अभिकरण ने केवल बंगलादेश से 95,000 मी. टन यूरिया के आयात के लिए ठेका किया है।

सांस्कृतिक समितियों द्वारा भवनों को किराये पर चढ़ाना

1173. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कला केन्द्र, श्री राम कला एवं संस्कृति केन्द्र, इण्डियन काउंसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स (सप्रू हाऊस) गधंर्व महाविद्यालय और संगीत भारती ने अपने भवनों का कोई भाग किराये पर दिया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह भाग किनको किराये पर दिये गये हैं और इनकी शर्तें क्या हैं;

(ग) प्रत्येक संगठन को इससे कुल कितनी आय हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में एल.एण्ड डी.ओ. से अनुमति प्राप्त की गई;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या एल.एण्ड डी.ओ. ने उनसे कोई दुरूपयोग शुल्क मांगा है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार उनमें से प्रत्येक से कितना धन उगाहा गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उजबेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध

1174. **श्री शरत पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उजेबेकिस्तान के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ताशकन्द में एक भारत-उजबेक केन्द्र की स्थापना हेतु 5 जनवरी, 1994 को भारत गणराज्य की सरकार तथा उजबेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच एक प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ। इस केन्द्र के उद्देश्य में अन्य बातों के अलावा शामिल हैं :-

- दोनों पक्षों की रुचि वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान;
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा उनके कौशल का विकास;
- परस्पर रुचि वाले क्षेत्रों में कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रदर्शनियों का आयोजन;
- दोनों देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों/संस्थानों तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के लिए एक आंकड़े आधार का निर्माण तथा रख-रखाव;
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा;
- दोनों पक्षों के लिए अर्थवान संयुक्त उपक्रमों के निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों का उपयोग।

यह केन्द्र भारत और उजबेकिस्तान के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगा।

लोक अदालत प्रणाली के लिए कानून

1175. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कानून बनाकर विधिक विवादों के निराकरण हेतु लोक अदालत प्रणाली को औपचारिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991, जिसमें विधिक सहायता की बाबत उपबंध किए गए हैं, राज्य सभा द्वारा, तारीख 3 मार्च, 1992 को पारित कर दिया गया है और लोक सभा में विचारार्थ लम्बित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हासन में विकास केन्द्र

1176. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन में विकास केन्द्र की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि दी गई है और उसे पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) श्रीमती कृष्णा साही : (क) से (ग) हसन में विकास केन्द्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज कर दी गई है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण आदि करके विकास कार्य शुरू कर दिया है।

बेरोजगारी की समस्या

1177. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1994-95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितना केन्द्रीय आवंटन किया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 की विकास कार्यनीति में रोजगार को प्रमुख महत्व दिया गया है। इसी के अनुसार, योजना में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार संभावनाओं वाले, क्षेत्रकों, उप क्षेत्रकों तथा क्षेत्रों के तीव्र विकास के माध्यम से रोजगार सृजन की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रकों में विशेष रोजगार कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं, इनमें चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमें महत्वपूर्ण हैं, जैसे, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आई.आर.डी.पी. जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) तथा नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार योजना (एस.ई.ई.ई.यू.वाई.) अभी हाल ही में शिक्षित युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के 97 ब्लाकों सहित 1752 ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन स्कीम" (ई.ए.एस.) तथा पूरे देश में "प्रधानमंत्री की रोजगार योजना" जैसी दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं। किसी भी अन्य राज्य की तरह गुजरात में भी रोजगार राज्य के विकास की गति तथा पैटर्न पर निर्भर करती है जिसके लिए प्रमुख राज्य सरकार ही जिम्मेदार है तथा केन्द्र सरकार उपर्युक्त प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहयोग करती है।

(ग) वस्तुतः रोजगार के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। ऊपर बताए गए प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आबंटन किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय निधियों के राज्यवार योजना आवंटन केवल वार्षिक योजनाओं में ही किए जाते हैं। वार्षिक योजना 1994-95 के लिए केन्द्रीय निधियों के राज्यवार आवंटन का अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा संयंत्र

1178. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में स्थापित किए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों का स्थानवार और नामवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में, विशेष तौर से महाराष्ट्र में और अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क), (ख) और (ग) ग्रिड से असम्बद्ध और प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियों/संयंत्रों की राज्यवार संस्थापनाओं की स्थिति विवरण में दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गांव कल्याणपुर और सरायसादी में प्रत्येक 100 कि.वा. की

क्षमता के दो ग्रिड इंटरएक्टिव प्रदर्शन सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है। राजस्थान में जोधपुर के निकट 35 मे.वा. के सौर तापीय विद्युत संयंत्र की एक परियोजना के लिए संभाव्यता अध्ययन शुरू किया गया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए 170 करोड़ रुपये की राशि का परिव्यय आवंटित किया गया है। वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय राज्यवार नियतन किए जाते हैं।

विवरण

राज्यवार सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या (क्षमता के.डब्ल्यू.पी.) (31-12-93)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2 (11.84)
2.	अरुणाचल प्रदेश	1 (2)
3.	असम	1 (1)
4.	बिहार	–
5.	गोवा	2 (1.72)
6.	गुजरात	3 (14)
7.	हरियाणा	1 (20)
8.	हिमाचल प्रदेश	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–
10.	कर्नाटक	–
11.	केरल	1 (1)
12.	मध्य प्रदेश	1(6)
13.	महाराष्ट्र	3 (6.44)
14.	मणिपुर	5 (5)

1	2	3
15.	मेघालय	7 (15.50)
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैण्ड	1 (6)
18.	उड़ीसा	5 (33.91)
19.	पंजाब	1 (1)
20.	राजस्थान	9 (73.07)
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	1(10)
23.	त्रिपुरा	9 (24.57)
24.	उत्तर प्रदेश	31 (143.31)
25.	पश्चिम बंगाल	1(3)
26.	अंडमान और निकोबार	17 (89.12)
27.	चंडीगढ़	–
28.	दादर एवं नागर हवेली	–
29.	दमन एवं दीव	–
30.	दिल्ली	1 (5)
31.	लक्षद्वीप	1 (25)
32.	पांडिचेरी	–

औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियों/संयंत्रों की राज्यवार संस्थापना (संचयी 31-03-93 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	150
2.	असम	49

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	67
4.	अंडमान और निकोबार	18
5.	बिहार	51
6.	चंडीगढ़	74
7.	दिल्ली	539
8.	दादर एवं नागर हवेली	3
9.	गोवा	43
10.	गुजरात	1561
11.	हरियाणा	198
12.	हिमाचल प्रदेश	143
13.	जम्मू और कश्मीर	72
14.	कर्नाटक	340
15.	केरल	59
16.	मेघालय	44
17.	महाराष्ट्र	571
18.	मध्य प्रदेश	301
19.	मणिपुर	24
20.	मिजोरम	3
21.	नागालैंड	13
22.	उड़ीसा	95
23.	पंजाब	392
24.	पांडिचेरी	38

1	2	3
25.	राजस्थान	230
28.	सिक्किम	26
29.	तमिलनाडु	267
28.	त्रिपुरा	13
29.	उत्तर प्रदेश	645
30.	पश्चिम बंगाल	92
31.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	5
32.	रेलवे	16
	कुल	6142

मैक्सिको के साथ वैज्ञानिक सहयोग

1179. **डा. वसन्त पवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको ने हमारे देश के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करने में कोई रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस आशय का कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ग) नवम्बर, 1993 में नई दिल्ली में सम्पन्न भारत-मैक्सिको संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में मैक्सिकों ने भू विज्ञानों, पदार्थ विज्ञानों तथा जैव प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी रूचि का प्रदर्शन किया है। मैक्सिको ने ऊर्जा, संचार सेवाओं में सहयोग तथा उपग्रह संचार और अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान में अपनी रुचि जाहिर की ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिकी का विकास

1182. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी का विकास करने के लिए वर्ष 1994-95 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) इस नियतन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है;

(ग) 1994-95 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में शुरू की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में स्वीकृत किए गए विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) योजना आयोग राज्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट उप क्षेत्रवार आबंटन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है :-

अवधि	परिव्यय
1994-95	140.6 करोड़ रुपये
आठवीं योजना	611 करोड़ रुपये

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग केन्द्रीय सरकार के इस परिव्यय से, अपनी विभिन्न परियोजना/कार्यक्रमों के स्रोतों से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटन करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति के विकास के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने वाले या प्रायोजित परियोजनाओं की प्रकृति के होते हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में इस विभाग की सहायता से चल रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1993 के दौरान टैंटेलम केपेसिटरों का विनिर्माण करने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है जिसमें 160 लाख रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं की सूची

1. इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर।
2. इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, लखनऊ।
3. इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, कानपुर।
4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नोएडा।
5. भीमताल स्थित हिल्ट्रॉन तथा लखनऊ स्थित अपट्रॉन में इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय तथा अनुरक्षण केन्द्र (ई.एम.एम.)।
6. कैंसर की विकिरण चिकित्सा के लिए एक कम्प्यूटरीकृत त्रि-आयामी उपचार योजना प्रणाली का विकास. संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे।
7. आर.डी.एस.ओ., लखनऊ में विद्युत इंजनों के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित थाइरिस्टर चालन प्रणाली का विकास।
8. आर.डी.एस.ओ. लखनऊ में रेलवे अनुप्रयोगों के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित यंत्रीकरण प्रणाली का विकास।
9. निम्नलिखित स्थानों पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास परियोजना (जनशक्ति खण्ड) : इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।

   हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।

   इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर।
10. इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर में जनशक्ति विकास कार्यक्रम।
11. निम्नलिखित स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन इकाइयां स्थापित करके ग्रामीण जनता के लिए रोजगार सृजन का कार्यक्रम;

    मेसर्स उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड (हिल्ट्रान), लखनऊ।

    मेसर्स उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड, लखनऊ।

    मेसर्स तिरुपति इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, लखनऊ।
12. हाथरस, लखनऊ तथा टिहरी गढ़वाल में विवेक दर्पण परियोजना (ग्रामीण विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी माध्यमों का प्रयोग)।
13. अपट्रॉन, लखनऊ में सामग्री विकास पर परियोजना।

14. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में मशीन में पठन योग्य रूप में भारतीय भाषाओं के मूल पाठ का विकास।

15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में अंग्रेजी से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए मशीनी सहायता (चरण-II)।

16. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में भाषा अध्यापकों के प्राकृतिक भाषा संसाधन (एन.एल.पी.) अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

17. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कम्प्यूटर साधित ज्ञानार्जन तथा अध्यापन के लिए स्त्रोत केन्द्र।

18. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में संस्कृत शास्त्र में सूचना संसाधन के ढांचे का अन्वेषण।

19. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में स्पष्ट अक्षरों में हस्तलिखित देवनागरी पाठ की कम्प्यूटर द्वारा पहचान।

20. अपट्रॉन, लखनऊ में माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित अंकीय लॉगर प्रणाली।

21. ए.ई.आर.एफ. नोएडा में अंकीय टी.वी. के लिए एसिकों (एफ.पी.जी.ए.मॉडल) का प्रणाली डिजाइन तथा विकास।

22. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में उच्च वोल्टता के ट्रांजिस्टरों के लिए जंक्शन निरस्तरीकरण तथा ग्लास निष्क्रियकरण का अध्ययन।

23. अपट्रॉन, लखनऊ में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉलिटिक कैपेसिटरों के लिए इलेक्ट्रॉलाइट्स का विकास।

24. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में माइक्रोविगलरों तथा कॉम्पैक्ट एफ.ई.एल. प्रणाली का विकास।

[अनुवाद]

पेय जल समस्या

1183. **श्री के. प्रधानी :**
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा और केरल में उन स्थानों का पता लगाया है जहां पेय जल की गंभीर समस्या व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) 1980 और 1985 के सर्वेक्षण के अनुसार केरल में सभी गांवों में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गयी हैं। जहां तक उड़ीसा का संबंध है, 1-4-1993 को वहां 9 समस्याग्रस्त गांव थे, जिनमें से 31-12-1993 तक 7 गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। तथापि, इन दोनों राज्यों में नये सिरे से एक सर्वेक्षण किया गया है और इसके अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा सरकार को शेष बिना जल स्रोत वाले गांवों में पेयजल सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सहायता दी गयी थी। सभी बकाया गांवों में 31-3-1994 तक पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की संभावना है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 1993-94 में बिना जल स्रोत वाले गांवों के साथ-साथ आंशिक रूप से कवर किये गये गांवों में पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुल 21.60 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है। इसी प्रकार केरल के आंशिक रूप से कवर किये गये गांवों में ग्रामीण पेयजल सप्लाई में वृद्धि करने के लिए 1993-94 में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 19.20 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

[हिन्दी]

भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण

1184. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर और इसके आस-पास के क्षेत्रों के बारे में कभी कोई भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अब धरातलीय संरचनाओं को ढूंढ़ने हेतु 1980-81 में इन्दौर खांडवा प्रोफाइल के साथ एक गहन भूकम्पीय ध्वनि सर्वेक्षण किया गया।

हाल ही में मध्य प्रदेश के खण्डवा, जबलपुर तथा रतलाम के इलाकों में रिपोर्ट की गई हल्के भूकम्पों की मानीटरिंग के लिए एक सूक्ष्म भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया।

[अनुवाद]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने हेतु एकमुश्त सहायता

1185. **श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इस बीच इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने के लिए एकमुश्त सहायता की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कम्पनी को कुल कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी पुनःसंरचना, जिसमें अतिदेय ब्याज, दंडस्वरूप ब्याज को बट्टे खाते डालना शामिल है, सरकार द्वारा दिये गये सावधि ऋण का इक्विटी में परिवर्तन, कंपनी के कारोबार का पुनर्गठन, अधिक उत्पादन और बिक्री लक्ष्यों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने आदि की परिकल्पना की गई है।

(ग) कंपनी को 31-12-93 की स्थिति के अनुसार 627.91 करोड़ रुपये की संचित हानि थी। कंपनी की हानियों के मुख्य कारण हैं-अधिक मजदूरी, क्षमता का कम उपयोग, पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक ब्याज भार और नियम लागत, कार्यशील पूंजी और विपणन की कठिनाइयां।

[हिन्दी]

रोहिणी में भूखंडों/फ्लैटों का आवंटन

1186. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैटों और भूखंडों के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंडों और फ्लैटों का आवंटन किया गया, कितने व्यक्तियों को कब्जा दिया गया है तथा बिक्री करार किया गय है और शेष कितने पंजीकृत व्यक्तियों को भूंखडों और फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया है; और

(ग) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत निम्न और मध्यम आय वर्ग के शेष पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक भूखंडों और फ्लैटों का आवंटन कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 के अन्तर्गत वर्ष 1981 में 82,384 व्यक्तियों ने विभिन्न श्रेणियों में रिहायशी भूखण्डों के आबंटन के लिए अपने नाम पंजीकृत कराए, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

जनता	18,390
एल.आई.जी.	39,105

एम.आई.जी.	25,889	82,384
निरस्त किए गए पंजीकरण		1,538
		80,846

रोहिणी आवासीय स्कीम, जो भूखण्डों के आबंटन के लिए ही घोषित की गई थी, में विभिन्न श्रेणियों के तहत फ्लैटों के आबंटन हेतु कोई अलग स्कीम नहीं है।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

श्रेणी	किए गए आबंटन	जारी किए गए कब्जा पत्रों की संख्या	प्रतिक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
जनता	13673	12688	4653
एल.आई.जी.	17109	14006	20540
एम.आई.जी.	10394	7561	14477
योग	41176	34255	39670

रोहिणी आवासीय स्कीम के तहत भूखण्डों की विभिन्न श्रेणियों में 28099 मामलों में पट्टा विलेख निष्पादित/पंजीकृत किए जा चुके हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक, भूमि अवस्थापना और निधियों की उपलब्धता के अध्ययधीन, सभी प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटन किए जाने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1187. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आवंटित और दिए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने परिवार लाभान्वित हुए; और

(ग) उक्त कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के उत्थान में कितना सफल सिद्ध हुआ है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) समवर्ती मूल्याकंन (जनवरी-दिसम्बर, 89) के अद्यतन उपलब्ध दौर के परिणामों के अनुसार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से 87.17 प्रतिशत में 3500 रुपये की गरीबी रेखा को और 39.28 प्रतिशत परिवारों ने 6400 रुपये की गरीबी रेखा को पार कर लिया है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह उपलब्धि क्रमशः 81 प्रतिशत और 28 प्रतिशत रही है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन, केन्द्रीय रिलीज तथा लाभान्वित परिवारों को दर्शाने वाला विवरण

	वर्ष	कुल आबंटन (लाख रुपये में)	केन्द्रीय अंश (लाख रुपये में)	केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपये में)	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1.	1990-91	14727.97	7363.98	6810.91	508840
2.	1991-92	13857.12	6928.56	6973.92	462259
3.	1992-93	13062.00	6531.00	6843.74	387961

[अनुवाद]

केरल में ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन

1188. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन हेतु कोई नई परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आवंटित/प्रस्तावित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक संयंत्र से कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) महासागर विकास विभाग आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में थंगासेरी मत्स्यन बन्दरगाह पर एक तरंगरोध एकीकृत तरंग ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस संयंत्र के तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। व्यवहार्यता अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर, तैयार की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा और अपेक्षित धनराशि की सीमा पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

सेना मुख्यालय की कैन्टीनों में रिक्त पद

1189. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना मुख्यालय, नई दिल्ली की कैन्टीनों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों के भरने के लिए किन-किन मानदंडों का अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या इन कैन्टीनों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत वर्ष के दौरान और 31 जनवरी, 1994 तक श्रेणीवार कितने पद भरे गए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय की कैंटीन में रिक्त पदों की भर्ती उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाती है जो इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के आधार पर आवेदन करते हैं और शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं। उम्मीदवारों के चयन के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों और सेवा में रहते हुए दिवंगत कैंटीन कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) 31 जनवरी, 1994 तक पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित दो पद भरे गए :-

(1) सहायक प्रबंधक	एक
(2) लेखा लिपिक	एक

[अनुवाद]

चन्द्र पुर उच्च ताप विद्युत परियोजना के लिए ठेका

1190. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को महाराष्ट्र में चन्द्रपुर उच्च ताप बिजली घर की विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना के लिए 372 62 करोड़ रुपये का ठेका मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) ठेके के क्षेत्र में टर्बाइन जनरेटर, बॉयलर और संबद्ध गौण इकाइयों की आपूर्ति तथा स्थापना की देख रेख शामिल है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा

1191. **श्री मोहन रावले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभार्थी परिवारों को और अधिक धनराशि देने के लिए सरकार का विचार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) सरकार का सदैव यह प्रयास रहता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को अधिक से अधिक निधियां मिलें। ऐसा करने के उद्देश्य से सरकार कार्यक्रम के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करने और प्रति परिवार निवेश में वृद्धि करने को तरजीह दे रही है। अप्रैल, 1993 से कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी की सीमा को लाभार्थियों के सभी वर्गों के लिए 1,000 रुपये बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूति मुक्त कृषि अग्रिमों के लिये सीमा को, ऐसे मामलों में जहां चल परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना है, 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। कृषि के लिये आवधिक ऋणों के संबंध में, जहां चल सम्पत्तियों का सृजन नहीं किया जाना है, प्रतिभूमि मुक्त ऋणों की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इन प्रयासों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को मिलने वाली सहायता में और वृद्धि होने की आशा है।

इटली के साथ संयुक्त उद्यम

1192. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली ने भारत के साथ संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने की दिशा में कोई रुचि दिखाई है;

(ख) क्या फरवरी, 1994 में इटली के एक वरिष्ठ शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो उसके साथ किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया;

(घ) किन-किन परियोजनाओं/क्षेत्रों के लिए इटली ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कनफिनडस्ट्रिया के एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल अपने अध्यक्ष श्री लूइगी

अबेटा इस समय भारत का दौरा कर रहा है। (28 फरवरी 4 मार्च 1994) अब तक भारत इटली संयुक्त उपक्रमों में आटोमोबाइल उपकरण, सिरामिक उत्पाद, मार्बल और ग्रेनाइट प्रसंस्करण, चमड़ा प्रसंस्करण और तैयार उत्पाद टायर, पावर ट्रांसमिशन उपकरण, कार्यालय उपकरण, कपड़ा, भेषज और औषध इत्यादि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(ङ) कार्यान्वयन सम्बन्धी समय सीमा दोनों देशों के उद्यमियों के प्रस्तावों/समझौतों के स्वरूप पर निर्भर करता है।

लघु जल विद्युत एकक

1193. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 1000 लघु जल विद्युत एकक लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये एकक किन किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगाए जायेंगे; और

(ग) इन लघु जल विद्युत एककों के कार्यान्वयन से कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की सम्भावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मंत्रालय ने आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित 600 मे.वा. के संशोधित लक्ष्य को लगभग 1000 लघु जल विद्युत परियोजना के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है।

ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित की जानी हैं जिनकी लागत केन्द्र और राज्यों अथवा निजी क्षेत्र की भागीदारी से वहन की जाएंगी। इन परियोजनाओं का निष्पादन और क्षमताओं में वृद्धि प्रत्येक राज्य में संभाव्यता, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, बजटीय नियतनों और राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आकस्मिक नीतियां लागू करने पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड

1194. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड कब से घाटे में चल रही है; और कितने घाटे में चल रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसको अर्थक्षम बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति निवेश

1195. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान प्रति व्यक्ति निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : वर्ष 1989-90 के दौरान पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में राज्यवार प्रति व्यक्ति निवेश का ब्यौरा सलंग्न है :

1989-90 के दौरान पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में निवेशित प्रति व्यक्ति पूंजी (चालू कीमतों पर)

क्रम संख्या	राज्य	प्रति व्यक्ति निवेश (रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1714.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
3.	असम	612.3
4.	बिहार	1142.7
5.	गोवा	3414.2
6.	गुजरात	3544.4
7.	हरियाणा	3021.0
8.	हिमाचल प्रदेश	2218.5
9.	जम्मू और कश्मीर	169.9
10.	कर्नाटक	1422.9
11.	केरल	1145.3

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	1868.3
13.	महाराष्ट्र	4035.9
14.	मणिपुर	3.4
15.	मेघालय	1246.5
16.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	198.3
18.	उड़ीसा	2074.0
19.	पंजाब	3420.2
20.	राजस्थान	1262.5
21.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
22.	तमिलनाडु	2620.9
23.	त्रिपुरा	327.3
24.	उत्तर प्रदेश	1299.1
25.	पश्चिम बंगाल	1645.3
26.	संघ राज्य क्षेत्र	1664.0
27.	अखिल भारतीय	1924.2

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 1989-90 मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 1991-92

केरल के लिए हुडको की योजनाएं

1196. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास समस्याओं का समाधान करने के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के विचाराधीन कौन कौन सी परियोजनाएं हैं;

(ख) क्या हुडको ने इस बीच इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) 1993-94 के दौरान (31-1-94) की स्थिति के अनुसार, हुडको ने केरल राज्य में विभिन्न इलाकों की कई प्रकार की स्कीमों से सम्बन्धित 85.41 करोड़ रुपये के ऋण घटक की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विभिन्न श्रेणियों के 34,182 रिहायसी मकानों की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त, 31-1-94 की स्थिति के अनुसार, हुडको को 184.75 करोड़ रुपये की ऋण राशि की 93 और परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। हुडको द्वारा ऋण स्वीकृत करने की एक सतत प्रक्रिया है जो ऋण लेने वाली एजेंसियों द्वारा हुडको के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न अपेक्षाओं के पूरा करने के अध्यधीन है।

महाराष्ट्र में विकास केन्द्र

1197. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में विभिन्न विकास केन्द्रों को अब तक क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) इन विकास केन्द्रों में गत दो वर्षों के दौरान किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विकास केन्द्र धन न मिलने के कारण कोई भी विकास कार्य शुरू करने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास तथा भारी उद्योग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सहित सारे देश के चुने हुए विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, बैंकिंग, सड़क और दूर संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ताकि इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को अब तक 8 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गयी है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो राज्य में स्वीकृत चार केन्द्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण और विकास करके बुनियादी सुविधाएं पैदा कर रही हैं।

बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन

1198. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में विशेषत: बिहार में, 1990-91, 1991 92, और 1992-93 में जवाहर रोजगार

योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक परिव्यय और भौतिक परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रस्तावित संगत परिव्यय और भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1990-91 से 1992 93 के दौरान पूरे देश में तथा बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल वास्तविक परिव्यय अर्थात किया गया खर्च नीचे दिया गया है –

रुपये लाख में

वर्ष	वास्तविक परिव्यय	खर्च
	कुल	बिहार
1990 91	258851.96	42582.90
1991 92	265989.24	37580.16
1992 93	270476.20	41257.59

1990-91 से 1992-93 तक के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत समग्र और विशेषकर बिहार में सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1990-91, 1991 92 तथा 1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल परिव्यय प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत समग्र रूप से देश में तथा बिहार में भौतिक लक्ष्य अर्थात् सृजित रोजगार नीचे दिया गया है।

वर्ष	भौतिक	उपलब्धि (लाख श्रमदिन)
	भारत	बिहार
1990 91	8745.59	1130.05
1991 92	8092.01	847.68
1992 93	7821.02	1036.16

विवरण

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत समग्र और विशेष रूप से बिहार में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण

		भारत			बिहार		
		1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
1		2	3	4	5	6	7
1.	सामाजिक वानिकी :						
	(क) कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	235081.40	92478.31	63899.43	4704.02	9835.41	10068.84
	(ख) लगाये गए वृक्ष (लाख में)	2671.08	6918.04	1511.97	803.70	228.07	170.71
2.	बाढ़ संरक्षण कार्यों की मार्फत लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	37454.12	56369.56	20739.44	2224.00	388.21	209.40
3.	लघु सिंचाई कार्यों की मार्फत लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	17686.49	61708.07	13955.36	2767.00	1517.46	685.00
4.	ग्राम टैंकों का निर्माण (संख्या)	11692	10519	10715	299	288	309
5.	भूमि विकास कार्य (हेक्टेयर)	10253.92	12889.58	8500.43	374.00	622.00	580.00

	1	2	3	4	5	6.	
6.	पेयजल कुएं (संख्या)	78784	86796	80351	20086	15130	17992
7.	ग्रामीण सड़कें (किलोमीटर)	148912.36	111706.26	123196.38	39866.00	7834.82	15483.80
8.	स्कूल भवन (संख्या)	38490	31403	28514	4710	3711	2843
9.	आवास स्थलों का विकास (संख्या)	14386	9983	10224	4331	1622	4291
10.	मकानों का निर्माण (संख्या)	67083	86654	75008	1597	1184	400
11.	पंचायत घर (संख्या)	12337	9957	9320	3087	2321	1513
12.	महिला मंडल (संख्या)	1290	1951	1923	183	126	239
13.	स्वच्छ शौचालय (संख्या)	32873	28344	15265	2803	2843	1783
14.	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण (संख्या)	56433	172328	180995	17886	50836	50689
15.	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण (संख्या)	181800	207299	192585	21155	22541	28189
16.	अन्य कार्य	216843	240103	208763	24534	49406	18327

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

1199. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशें की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निपटान एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उससे यथा संभव शीघ्र निपटाने के तरीके और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक तारीख 4 दिसम्बर, 1993 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्प सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/उच्च न्यायालयों/केन्द्रीय मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से न्याय-प्रशासन को एक योजना मद बनया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन एण्ड एनअदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1303 में, तारीख 6-10-1993 के अपने निर्णय में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने के लिए कतिपय मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए हैं जिसमें रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाना सम्मिलित है।

[अनुवाद]

अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962

1200. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन न्यूजपेपर सोसाइटी के अध्यक्ष ने सरकार से अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 को निरस्त करने और उदारीकृत परिवेश में अखबारी कागज उद्योग को चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। अनुरोध सरकार के विचाराधीन है।

भूतपूर्व सैनिकों को आवास सुविधाएं

1201. **श्री एस.एम. लाल जान बाशा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों, विशेष रूप से विकलांगों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या नीति है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इस श्रेणी के लोगों की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने आबंटन हेतु रिलीज किए गए फ्लैटों का 1 प्रतिशत विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों सहित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया है।

(ख) जी, हां, आरक्षण की सीमा तक।

(ग) तथा (घ) एस.एफ.एस. के अन्तर्गत सभी भूतपूर्व सैनिकों को, उनके आवेदन करने तथा उनके द्वारा चुने इलाकों में फ्लैटों की उपलब्धता के अध्यधीन फ्लैट नियतित/आबंटित किये जाते हैं। न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 में एल.आई.जी. और जनता श्रेणियों के तहत पंजीकृत सभी भूतपूर्व सैनिकों को फ्लैट आबंटित किये गये हैं। भूतपूर्व सैनिकों को 1990-91 से अब तक विभिन्न श्रेणियों के तहत आबंटित फ्लैट इस प्रकार हैं :-

1.	एस.एफ.एस.	24
2.	एम.आई.जी.	70
3.	एल.आई.जी.	02
4.	जनता	शून्य

पेपर का पुनः चक्रण

1202. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कितनी मात्रा में पेपर का पुनः चक्रण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार कतिपय पेपर की प्रतिशतता को अनिवार्यतः करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस समय देश में उत्पादित लगभग 20 प्रतिशत कागज को रीसाइकल (पुनः उपयोग) किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नमक पैकिंग के लिए निर्धारित मानदंड

1203. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 1994 से नमक पैकिंग के लिए नए मानदण्डनीय निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन नए मानदंडों के विरुद्ध गांधीधाम वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा नमक निर्माताओं की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उपभोक्ताओं पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) आई.एल.ओ. सम्मेलन के अनुसरण में 1 जनवरी, 1993 से नमक पैक करने के लिए मौजूदा 75/100 किलोग्राम के बैग के स्थान पर 50 किलोग्राम के बैग का प्रयोग करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए थे, किन्तु विभिन्न पक्षों द्वारा दिये गये अनेक अभ्यावेदनों को देखते हुए 31 दिसम्बर, 1993 तक यथास्थिति बनाये रखने की अनुमति दे दी गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) नमक निर्माताओं/एसोसियशनों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए 1 जनवरी, 1994 तक 50 किलोग्राम बैग का प्रयोग करने का विकल्प देने संबंधित हिदायतें जारी की गई हैं।

(ङ) नमक पैकिंग के संशोधित मानदंडों का उपभोक्ताओं पर नाममात्र प्रभाव पड़ेगा।

डी.डी.ए. की आवासीय योजना

1204. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश पंजीकृत व्यक्तियों ने डी.डी.ए. की विभिन्न आवासीय योजनाओं से नाम वापस लेना उचित समझा है;

(ख) यदि हां, तो 1979 की न्यू पैटर्न योजनाओं और डी.डी.ए. की अन्य आवासीय योजनाओं से 1992 और 1993 में नाम वापस लेने वाले पंजीकृत व्यक्तियों और डी.डी.ए. के आवंटितियों की योजना वार संख्या कितनी है;

(ग) योजना से नाम वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) डी.डी.ए. के पंजीकृत व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 1992 और 1993 में डी.डी.ए. फ्लैटों की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जिन पंजीकृतों/आवंटियों ने अपने पंजीकरणों/आवंटन से नाम वापस लिये हैं, वे इस प्रकार हैं :-

		1992	1993
1.	न्यू पैटर्न पंजीकरण स्कीम	212	295
2.	अम्बेडकर आवास योजना	शून्य	322
3.	स्ववित्त पोषित स्कीम	109	257

(ग) स्कीम से पंजीकरण/आबंटन से नाम वापस लेने के लिए व्यक्तिगतों विशेष के विभिन्न कारण हैं। तथापि, ज्यादातर एक जैसे निम्न कारण बताये हैं :-

(i) असन्तुष्टि : जब आवंटी को उसकी इच्छानुसार इलाका/तल का आवंटन नहीं होता; और

(ii) फ्लैट की कीमत जुटाने में आवंटितियों की असमर्थता।

(घ) उपर्युक्त "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्माण कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण

1205. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि जैसी बड़ी निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्मित हजारों मकान निर्माण के कुछ ही वर्ष बाद जर्जर हो गये हैं;

(ख) क्या बड़ी योजनाओं के अंतर्गत भवनों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने और निर्माण कार्य ठीक से कराने हेतु उन पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीय जांच एजेंसी बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके निर्माण कार्यों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निरीक्षण की शर्त लागू होती है, जो एक केन्द्रीय जांच एजेन्सी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन मुख्य तकनीकी परीक्षक विशिष्टताओं के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निर्माण कार्यों का व्यापक तौर पर निरीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण का अपना गुणवत्ता नियंत्रण विंग है, जिसके अध्यक्ष मुख्य इंजीनियर, गुणवत्ता नियंत्रण हैं, जो निर्माण कार्य की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से जांच करते हैं तथा सीधे उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की दैनिक जांच दिल्ली विकास प्राधिकरण के योग्य इंजीनियरों द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालतों का गठन

1206. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ पैमाने पर लोक अदालतें गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में ऐसी कितनी अदालतों के गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इनका गठन कब तक कर लिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) लोक अदालतें राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, दोनों, में आयोजित की जाती हैं। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का सदैव यह प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोक अदालतें और अन्य विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा, जब भी वह इन राज्यों का दौरा करते हैं, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों पर इसकी बाबत जोर दिया जाता है।

(ख) और (ग) लोक अदालतें नियमित रूप से गठित विधिक अदालतें नहीं हैं बल्कि वे तो आपसी बातचीत और सुलह के तरीकों से विवादों को हल करने के स्वैच्छिक प्रयास हैं। लोक अदालतें राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा पूरे देश में, जिसमें गुजरात भी सम्मिलित है, आयोजित की जाती हैं। अतः लोक अदालतें गठित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति

1207. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बहुत सारे उन किसानों को 1990 में उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक संशोधित क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया है, जिनकी भूमि प्राधिकरण ने अधिगृहित की थी;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है, और संशोधित मुआवजे का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) संशोधित क्षतिपूर्ति का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संशोधित मुआवजा बाबत उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 के दौरान कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय औषध शिक्षा संस्थान

1208. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय औषध शिक्षा संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) पंजाब में एक राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एन.आई.पी.ई.आर.) स्थापित किया जा रहा है। इसका स्थल चण्डीगढ़ के समीप एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में है। इस परियोजना का अनुमानित परिव्यय 25 करोड़ रुपये का है। प्रस्तावित संस्थान में भेषज विज्ञानों और प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध विषयों की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण अनुदेश और अनुसंधान की व्यवस्था होगी।

झुग्गियों का गिराया जाना

1209. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
श्री राजेश कुमार :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के कई क्षेत्रों में झुग्गियां गिरा दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन झुग्गीवासियों को पहले इस संबंध में कोई नोटिस दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन झुग्गीवासियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) अवैध निर्माण को गिराना तथा अतिक्रमण को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, पहचान किए गए प्राथमिकता वाले स्थलों पर बने और जो जनवरी, 1990 में विद्यमान थे, झुग्गी झोंपड़ी समूहों को भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों के अनुरोध पर अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक स्थानों पर पुनः बसाया जाना है।

1-4-93 से 15-2-94 के दौरान दिल्ली नगर निगम ने 16 झुग्गियों को पुनः बसाया है। जनवरी, 1990 के बाद सरकारी भूमि पर बसी झुग्गियों को पता लगते ही भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है। ऐसे मामलों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है।

बिहार में लघु उद्योग का विकास

1210. **श्री प्रेम चंद राम** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास के लिए बिहार को अधिक धन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य से कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) गत पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित धनराशि से यह धनराशि कितनी कम है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बिहार सरकार का लघु उद्योगों के विकास के लिए और अधिक निधियां आबंटित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार के ग्राम तथा लघु उद्योग सेक्टर के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 120.32 करोड़ रुपये है।

(घ) ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित परिव्यय 70.00 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक व्यय 87.86 करोड़ रुपये था।

सेवा निवृत्ति की आयु

1211. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में प्रथम श्रेणी के उन राजपत्रित पदों का ब्यौरा क्या है जिनकी सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से अधिक है अथवा उन पर सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है; और

(ख) इन पदों के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष है, जैसा कि मूल नियमों के नियम 56 में निर्धारित किया गया है। तथापि परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष नियत की गई है। अधिवर्षिता की आयु से अधिक आयु में पुनर्नियोजन की मंजूरी के विचारण के लिए खास बात यह है कि नियोजन पूर्णतः जन हित में होना चाहिए और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो शर्तों में से एक शर्त पूरी होती हो :

(1) कि अन्य अधिकारी कार्य संभालने के लिए परिपक्व नहीं हो जाते; अथवा

(2) अधिकारी उत्कृष्ट श्रेणी का हो।

समूह "क" पदों में 60 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्नियोजन की मंजूरी के लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा और कुछ मामलों में संघ लोक सेवा आयोग तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का भी अनुमोदन आवश्यक होगा।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरी ढांचा

1212. **श्री रवि राय :**
श्री मोहन रावले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने स्वयं के मजदूरी ढांचे विकसित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब तक सम्पूर्ण देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मजदूरी ढांचा एक समान था;

(घ) क्या जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मजदूरी ढांचे में आने वाली विविधता गंभीर औद्योगिक अशान्ति पैदा करेगी, और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने का है;

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एवं (ख) जी हां, महोदय। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पांचवें दौर की मजूरी वार्ता हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्हें उद्यमों को अपने श्रमिक संघों के साथ कतिपय प्राचलों के अनुरूप पांच वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालिक मजूरी समझौते करने की स्वायत्तता प्रदान की गई है। इनके अनुसार, सरकार मजूरी वृद्धि हेतु कोई बजटीय सहायता नहीं प्रदान करेगी तथा सम्बन्धित प्रबन्धन को आंतरिक तौर पर अपेक्षित संसाधन जुटाने होंगे। कतिपय ऐसे उद्यमों के मामले में जो एकाधिकारी या लगभग एकाधिकारी क्षेत्र में है अथवा जिनमें मूल्य संरचना नियंत्रित है, मजूरी वार्ता के पश्चात मजूरी वृद्धि के परिणामस्वरूप उनके माल और सेवाओं के नियंत्रित मूल्य में स्वतः वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मजूरी समझौतों के परिणामस्वरूप भौतिक माप की इकाई के रूप में उत्पादन की प्रत्येक इकाई की श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इस छूट से सरकारी उद्यमों को अपने उत्पादन, औद्योगिक सम्बन्ध तथा एककों की सक्षमता में सुधार करने हेतु अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रत्यायोजित की जा सकती है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में पूरे देश में प्रचलित मजूरी संरचना में पूर्ण एकरूपता नहीं है।

(घ) एवं (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात की रोजगार और कल्याण योजनाएं

1213. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात में कार्यान्वित की गई रोजगार और कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत सरकार के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई कल्याण तथा रोजगार स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए योजनाएं हैं; जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित कुछ महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुख स्कीमें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) केन्द्र सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई स्कीमें आरंभ की हैं। उनके ब्यौरे सलंग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1. जवाहर रोजगार योजना
2. नेहरू रोजगार योजना
3. रोजगार आश्वासन स्कीम
4. शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार (एस.ई.ई.यू.वाई.)
5. प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)
6. कृषि क्षेत्र के तहत, निम्नलिखित रोजगार स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :
   - (क) भावनगर जिला के लिए एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजना
   - (ख) शुष्क कृषि क्षेत्रों में मिनिक्टि
   - (ग) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना
   - (घ) चावल तथा गेहूं के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम
   - (ङ) वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम
   - (च) उद्यान कृषि फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई स्कीम का कार्यान्वयन
   - (छ) कैचमेंट रिवर में मृदा संरक्षण
   - (ज) दालों का विकास
7. केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (आर.डब्ल्यू.एस.पी.)
8. केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)
9. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

विवरण-II

गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए कल्याण स्कीमों तथा दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियां		
		1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	213.85	291.27	310.87

1	2	3	4	5
2.	मैला व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	–	25.47	14.38
3.	बुक बैंक	0.22	1.58	0.30
4.	अनुसूचित जातियों के लिए बालिका छात्रावास	–	11.88	–
5.	अनुसूचित जातियों के लिए बालक छात्रावास	–	60.66	–
6.	कोचिंग तथा सहबद्ध स्कीमें	7.03	4.38	3.05
7.	सफाई कर्मियों की मुक्ति	–	250.00	186.00
8.	अनुसूचित जाति विकास निगम	60.18	56.69	100.07
9.	विशेष घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	553.62	666.64	908.53
10.	पी.सी.आर. अधिनियम तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम का कार्यान्वयन	78.98	33.21	78.33

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियां		
		1990-91	1991 92	1992 93
1	2	3	4	5
1.	जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	1649.80	1870.90	1855.84
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रथम उपबन्ध	180.80	180.12	356.40
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका छात्रावास	11.66	30.13	18.21

1	2	3	4	5
4.	अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक छात्रवास	19.162	17.16	23.00
5.	अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल	15.38	–	25.00
6.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	–	–	26.10*

* नई स्कीम

एच.एफ.सी. की हल्दिया परियोजना

1214. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरशेन (एच.एफ.सी.) की हल्दिया परियोजना ने उत्पादन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संयंत्र की विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने 1979 से इस परियोजना पर कितना व्यय किया है, और

(ङ) इस परियोजना पर व्यय की गई भारी धनराशि का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हल्दिया परियोजना की विफलता का मुख्य कारण परियोजना की आरंभण अवधि के दौरान उपस्कर की बारम्बार खराबी था।

(घ) 31 मार्च, 1993 तक परियोजना पर 751.09 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

(ङ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.) के प्रबन्ध ने अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से उसकी हल्दिया परियोजना सहित कम्पनी को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन

बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को निर्दिष्ट किया है। बी.आई.एफ.आर. ने एच.एफ.सी. को रुग्ण कम्पनी घोषित कर दिया है। हल्दिया परियोजना के भविष्य के संबंध में कोई निर्णय बी.आई.एफ.आर., जो कि एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

भवनों का निर्माण

1215. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान अस्पतालों स्कूलों, और कालेजों के भवनों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार प्रतयेक भवन के निर्माण पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय अस्पताल, स्कूल और कालेज के निर्माण की संबंधी केंद्रीकृत सूचना नहीं रखता और इसकी मंजूरी संबंधित मंत्रालयों/विभागों अर्थात केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, विश्वविद्यालय आदि देते है। स्वायत्त संगठनों के निर्माण कार्य या तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाते हैं। अथवा उनके द्वारा सीधे ही निष्पादित कराये जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अस्पतालों के संबंधित संगठनों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केंद्रीय विद्यालय द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य

क्र स.	परियोजना	राज्य	इलाका	लगभग लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	केंद्रीय विद्यालय, लोधी रोड	रा.रा. क्षेत्र	नई दिल्ली	150
2.	केंद्रीय विद्यालय, सी टाइप, विकासपुरी	-वही-	-वही-	164
3.	केंद्रीय विद्यालय, सी टाइप स्कूल बिल्डिंग, न्यू फ्रैंडस कालोनी	-वही-	-वही-	144

1	2	3	4	5
4.	केंद्रीय विद्यालय, सी टाइप, सैनिक विहार	-वही-	-वही-	164
5.	केंद्रीय विद्यालय आई.वी.आर.आर.	उ.प्र.	बरेली	150
6.	केंद्रीय विद्यालय नं. 2, एच.वी.आई.	उ.प्र.	देहरादून	144
7.	केंद्रीय विद्यालय	उ.प्र.	उन्नाव	177
8.	केंद्रीय विद्यालय	उ.प्र.	उत्तरकाशी	222
9.	केंद्रीय विद्यालय	उ.प्र.	अल्मोड़ा	170
10.	केंद्रीय विद्यालय	उ.प्र.	काशीपुर	145
11.	केंद्रीय विद्यालय, बी टाइप	उ.प्र.	हिन्डन	188
12.	केंद्रीय विद्यालय, बी टाइप	उ.प्र.	राजगढ़	188
13.	केंद्रीय विद्यालय, ए टाइप	म.प्र.	खण्डवा	125
14.	केंद्रीय विद्यालय, ए टाइप	म.प्र.	रतलाम	204
15.	केंद्रीय विद्यालय, ए टाइप	म.प्र.	खैरगांव	183
16.	केंद्रीय विद्यालय	म.प्र.	हम्बिकापुर	150
17.	केंद्रीय विद्यालय	म.प्र.	सिवनी	150
18.	केंद्रीय विद्यालय	म.प्र.	रेवा	150
19.	केंद्रीय विद्यालय, ए टाइप रिहायशी वास	म.प्र.	धन्तीवडा	183
20.	केंद्रीय विद्यालय	म.प्र.	सतना	183
21.	केंद्रीय विद्यालय और स्टाफ क्वार्टर	कर्नाटक	गुलबर्गा	161
22.	केंद्रीय विद्यालय और स्टाफ क्वार्टर, सी.आर.पी.एफ. सेंटर (बेस)	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	160

1	2	3	4	5
23.	केंद्रीय विद्यालय न. 2 प्रोजेक्ट स्कूल सोई, उप्पल	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	160
24.	केंद्रीय विद्यालय, ए टाइप स्कूल	तमिलनाडु	मंदापम	179
25.	केंद्रीय विद्यालय, पल्लीपुरम	केरल	त्रिवेन्द्रम	207
26.	केंद्रीय विद्यालय, ए टाइप क्वार्टरस, पय्यानूर	केरल	कन्नानोर	207
27.	केंद्रीय विद्यालय	बिहार	धनबाद	170
28.	केंद्रीय विद्यालय, बेली रोड	बिहार	पटना	170
29.	केंद्रीय विद्यालय, स्कूल बिल्डिंग	बिहार	मुजफ्फरपुर	170
30.	केंद्रीय विद्यालय, सी.आर.पी. कैम्प्स	बिहार	रांची	170
31.	केंद्रीय विद्यालय न. 2, आई.सी. ब्लाक, साल्टलेक	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	175
32.	केंद्रीय विद्यालय, सी.आर.पी. कैम्प	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	177
33.	केंद्रीय विद्यालय,	असम	सिल्चर	176
34.	केंद्रीय विद्यालय	उड़ीसा	चेराबेतिया	175
35.	केंद्रीय विद्यालय, सी.आर.पी. कैम्प	उड़ीसा	भुवनेश्वर	180
36.	केंद्रीय विद्यालय, बी टाइप, बन्तालाब	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	114

रा.रा. क्षेत्र = राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

उ.प्र. = उत्तर प्रदेश

म.प्र. = मध्य प्रदेश

नवोदय विद्यालय द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य

क्र.स.	परियोजना	राज्य	इलाका	लगभग लागत (लाख रु. में)
1.	नवोदय विद्यालय	पश्चिम बंगाल	दरभंगा	206
2.	नवोदय विद्यालय, याकोकई	नागालैण्ड	कोहिमा	162
3.	नवोदय विद्यालय, मणिपुर	मणिपुर	विष्णुपुर	191
4.	नवोदय विद्यालय, भीमनारा येनागुडा	कर्नाटक	गुलवर्ग	130
5.	नवोदय विद्यालय, लुम बुई	मणिपुर	उखरूल	138
	अस्पताल			
1.	नोएडा में होम्योपैथी के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हेतु 50 बिस्तर वाला अस्पताल	उत्तर प्रदेश	नोएडा	
2.	तिरुनेलवेल्ली में 50 बिस्तर वाला अस्पताल	तमिलनाडु	तिरुनेलवेल्ली	

[अनुवाद]

सल्फर का आयात

1216. **श्री हरिन पाठक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सल्फर आयात किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सल्फर का आयात किये जाने से देश के उर्वरक एककों पर प्रभाव पड़ेगा और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों को उचित बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) उर्वरक उद्योग के लिए सफल्र का आयात अब सरणीबद्ध मद नहीं है। सरकारी खाते में सल्फर आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधों के मूल्य निर्धारण हेतु स्वतंत्र निकाय का गठन

1217. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधों और फार्मुलेशनों के मूल्य निर्धारण हेतु किसी स्वतंत्र निकाय के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निकाय के सदस्य कौन-कौन हैं और औषध के मूल्य निर्धारण तथा इसकी कार्य प्रणाली में संशोधन में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) इन आवश्यक औषधियों के मूल्यों को किस सीमा तक विनियमित किया जा सकेगा और उन पर निगरानी रखी जा सकेगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) प्रपुंज औषधों और सूत्र योगों के मूल्य नियत/संशोधित करने की प्रणाली से संबंधित विषय 1986 की नीति की समीक्षा का भाग है, जिस पर विचार करने का काम अग्रिम अवस्था में है।

कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र का अनुपात

1218. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र से आय के औसत का अद्यतन अनुपात क्या है;

(ख) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की तुलना में उड़ीसा के किसानों की आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा के किसानों की आय में वृद्धि लाने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1991-92 में उड़ीसा के निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषीय तथा गैर कृषीय क्षेत्रकों का अनुपात क्रमश 42.2 प्रतिशत तथा 57.8 प्रतिशत था।

(ख) क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध नहीं है।

(ग) कृषि तथा सहबद्ध कार्यकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत राज्य में समग्र कृषि विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय, केंद्र प्रायोजित तथा राज्य योजना स्कीमें चलाई जा रही हैं, जो किसानों की आय

बढ़ाने में सहायता करती हैं। राज्य में कार्यान्वित हो रही प्रमुख केंद्र प्रायोजित स्कीमें निम्नलिखित हैं : (i) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना (ii) नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदी परियोजना, (iii) चावल विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम, (iv) ताजे जल, जल-कृषि (v) समुद्र तटीय मत्स्य उद्योग (पारंपरिक क्राफ्ट का मोटरीकरण तथा अपतटीय क्राफ्ट शुरू करना) (vi) एकीकृत ब्रैक्शि वाटर फिश फार्म विकास (vii) सामूहिक दुर्घटना बीमा स्कीम तथा मौडल मछुवा ग्राम (viii) नैटयूशनल रिन्डरपैस्ट उन्मूलन कार्यक्रम (ix) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (x) फ्रोजन सीमन तकनीक तथा संतति जल कार्यक्रम का विस्तार (xi) एवोटोयर्स कार सेस तथा वाई प्रोडेक्ट उपयोग केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता (xii) राष्ट्रीय राम/बुच उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विकास के लिए कार्यक्रम। राज्य के लिए कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रक हेतु आठवीं योजना का स्वीकृत परिव्यय 749.20 करोड़ रुपये है। यह सभी कदम उड़ीसा के किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे।

डी.डी.ए. फ्लैटों के निर्माण में निजी भवन निर्माताओं को शामिल करना

1219. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवासीय समस्या को हल करने के लिए डी.डी.ए. फ्लैटों का निर्माण करने में निजी भवन निर्माताओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। इस बाबत दिल्ली विकास प्राधिकरण से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भेजे गये इस प्रस्ताव में (1) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि तथा (2) निजी विकासकों द्वारा जुटाई गई भूमि पर, भूमि के विकास तथा मकानों के निर्माण में प्राइवेट सेक्टर को शामिल किए जाने का विचार है। ये दोनों व्यापक मॉडल दिल्ली विकास प्राधिकरण के समग्र आयोजना पर्यवेक्षण के तहत भेजें।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों का विविधीकरण

1220. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों और आयुध कारखानों में बड़े स्तर पर विविधता लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1993-94 के दौरान आयुध कारखानों की 22 प्रतिशत बिक्री गैर रक्षा उपभोक्ताओं को की गई;

(घ) यदि हां, तो इससे सुरक्षा बलों के लिये किए जाने वाले हथियारों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध कारखानों ने गत वर्ष की तुलना में 1993-94 में कितना अधिक लाभ अर्जित किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन यूनिटों ने शान्ति और युद्ध के समय सशस्त्र सेनाओं की मांग के अनुरूप उपस्करों और भंडारों के निर्माण के लिए कुछ क्षमताएं स्थापित की हैं। तथापि शान्ति के समय के मांग स्तर और साथ ही बजट संबंधी कठिनाइयों के कारण सशस्त्र सेनाओं से प्राप्त होने वाले आर्डर हमेशा स्थापित उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप नहीं होते हैं। रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और कौशल के उपयोग के लिए रक्षा उत्पादन यूनिटें अपनी आय और उत्पादकता बढ़ाने के वास्ते अन्य सामान तैयार करने का काम हाथ में लेती हैं। इस प्रकार उत्पादन में विविधीकरण लाने से वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती है। पुलिस और अर्ध सैनिक बल, रेलवे, दूरसंचार एवं प्रसारण, कोयला उद्योग, तटरक्षक आदि इनके कुछ प्रमुख ग्राहक हैं।

(ग) आयुध निर्माणियों ने वर्ष 1993-94 में सामान की जितनी कुल बिक्री की थी उसमें से 22 प्रतिशत बिक्री गैर रक्षा ग्राहकों को किए जाने की आशा है।

(घ) विविधीकरण के इस कार्य से रक्षा सेनाओं के लिए किए जाने वाले शस्त्रों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात ही अतिरिक्त क्षमता का उपयोग गैर-रक्षा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वस्तुतः विविधीकरण से कुल आय में वृद्धि हो जाती है और सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध कराए जाने वाले सामान की कीमतें कम हो जाती हैं और इस प्रकार रक्षा तैयारी में उनका सहयोग और अधिक बढ़ जाता है।

(ङ) हालांकि सही स्थिति वर्ष के अंत में ही मालूम हो सकती है फिर भी ऐसी आशा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम वर्ष 1993-94 में लाभ के बदले रहने की प्रवृत्ति को बनाए रखेंगे। आयुध निर्माणियां विभागीय उपक्रम होने के कारण रक्षा सेनाओं को जारी किए जाने वाले सामानों के मामले में "न हानि, न लाभ" की नीति पर कार्य कर रही हैं। विविधीकरण से अधिक मात्रा में किए गए उत्पादन पर ऊपरी खर्च बंट जाता है और इससे सशस्त्र सेनाओं के लिए जो सामान तैयार किया जाता है उसकी यूनिट लागत घट जाती है। अतिरिक्त उत्पादन से प्राप्त लाभ सशस्त्र सेनाओं को भी मिलता है।

कोर क्षेत्र के लिए लक्ष्य

1221. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए कोर क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस क्षेत्र में अब तक वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) कोर क्षेत्र में लक्ष्यप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

I. विद्युत और ऊर्जा क्षेत्रक :

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्रम सं.	एकक का नाम	योजना लक्ष्य 1993-94	प्रदर्शन लक्ष्य	अप्रैल-दिस. 1993 वास्तविक	% उपलब्धि
1.	**कोयला**				
	(1) कोल इंडिया लि.*	220.00	142.87	145.19	101.62
	(2) सिंगरेनी कालिरीज कं.लि.	24.00	17.83	17.10	95.91
	(3) टिस्को/आई.आई.स.सी.ओ./ डी.वी.सी.	5.00	3.41	3.31	97.10
	अखिल भारतीय (कोयला)	249.00	164.11	165.60	100.91
	*कोयला मंत्रालय के साथ समझौते के ज्ञापन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य				
2.	**लिग्नाइट :**				
	नेवेली लिग्नाइट निगम	14.50	10.05	9.43	94.00

II. पेट्रोलियम :

	मद	1993 94		अप्रैल-दिस. 1993
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	तक वास्तविक उपलब्धियां
1.	क्रूड ऑयल उत्पादन (मि. टन)	28.645	26.95	19.993
2.	रिफाइनिंग थ्रोपुट (मि. टन)	53.32	54.70	40.412

III. विद्युत क्षेत्रक :

	मद	लक्ष्य अप्रैल, 93 मार्च 94	वास्तविक उपलब्धियां अप्रैल 1993 – जनवरी, 1994
1.	स्थापित क्षमता (मे.वा.)	4439.25	1270.25**
	हाइडल	954.65	33.65
	थर्मल	3264.60	1236.60
	न्यूक्लीयर	220.00	–
2.	ऊर्जा निसर्जन (एम.के.डब्ल्यू.च.)	316700	266599
	हाइडल	67500	60143
	थर्मल	243200	201751
	न्यूक्लीयर	6000	4705
	प्लांट लोड फैक्टर थर्मल (प्रतिशत)	57.8	59.6

**वर्तमान वर्ष के दौरान सिविल कार्यों तथा साथ ही उपस्करों की आपूर्ति इत्यादि में विलम्ब होने के कारण क्षमता बढ़ाने में कमी होने की संभावना है।

IV. इस्पात और सीमेंट :

(मिलियन टन में)

मद	लक्ष्य अप्रैल, 93 मार्च 94	वास्तविक उपलब्धियां अप्रैल 1993 – जनवरी, 1994
1. बिक्री योग्य इस्पात		
(क) स्वीकृत इस्पात संयंत्र	13.13	9.70
(ख) सेकेंडरी उत्पादक	4.54	1.63**
कुल बिक्री योग्य इस्पात	17.67	11.33
2. सीमेंट	62.00	46.89

**अक्तूबर 1993 तक

V. उर्वरक उत्पादन :

(000 एम.टी.)

उत्पादक/क्षेत्रक	अप्रैल 93-जनवरी 94 की अवधि के लिए संचित			1992-93 में वृद्धि का %	लक्ष्य 1993-94
	लक्ष्य 93-94	वास्तविक 93-94	वास्तविक 92-93		
1 2	3	4	5	6	7
नाइट्रोजन					
1. सार्वजनिक क्षेत्रक					
(i) हानि देने वाले एकक	470.2	310.2	362.6	−14.5	586.5
(ii) व्यवहार्य यूनिटें	2179.7	2139.1	2135.6	−0.2	2633.2
कुल (i) + (ii)	2649.9	2449.3	2498.2	−2.0	3219.7

1	2	3	4	5	6	7
2.	सहकारी क्षेत्रक	1371.8	1366.9	1418.6	−3.6	1625.5
	कुल (1+2)	4021.7	3816.2	3916.8	−2.6	4845.2
3.	निजी क्षेत्रक	2418.9	2149.8	2222.3	−3.3	2954.8
	कुल(1+2+3)	6440.6	5966.0	6139.1	−2.8	7800.0
फॉसफेट						
1.	सार्वजनिक क्षेत्रक	489.9	380.7	554.8	−31.4	572.0
2.	सहकारी क्षेत्रक	274.3	285.1	263.0	8.4	313.9
	कुल (1+2)	764.2	665.8	817.8	−18.6	885.9
3.	निजी क्षेत्रक	1061.5	741.4	1173.5	−36.8	1314.1
	कुल (1+2+3)	1825.7	1407.2	1991.3	−29.3	2200.0
कुल (नाइट्रोजन + फॉसफेट) :						
1.	सार्वजनिक क्षेत्रक	3139.8	2830.0	3053.0	−7.3	3791.7
2.	सहकारी क्षेत्रक	1646.1	1652.0	1681.6	−1.8	1939.4
	कुल (1+2)	4785.9	4482.0	4734.6	−5.3	5731.1
3.	निजी क्षेत्रक	3480.4	2891.2	3395.8	−14.9	4268.9
	कुल (1+2+3)	8266.3	7373.2	8130.4	−9.3	10000.0

VI. परिवहन क्षेत्रक (रेलवे बोर्ड)

(क) पूरे वर्ष का मालभाड़ा ट्रैफिक से पैदा होने वाला 362 मिलियन टन का राजस्व

(ख) 290.36 मिलियन टन (जनवरी, 1994 तक)

VII. दूर संचार क्षेत्रक :

मदें	एकक	लक्ष्य 1993-94	उपलब्धियां अप्रैल, 1993 जनवरी, 1994
1	2	3	4
(क) स्थानी टेलीफोन प्रणालियां			
(1) स्विचिंग क्षमता (निवल)	लाख लाइनें	15.44	6.81
(2) डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनें	लाख लाइनें	11.00	5.25
(ख) लंबी दूरी की स्विचिंग प्रणालियां			
(1) ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज	संख्याएं	34	18
(2) सकल कर क्षमता	लाइनें	37500	19800
(ग) लंबी दूरी की प्रेषण प्रणालियां			
(1) प्रेषण प्रणालियां			
(i) माइक्रोवेव प्रणालियां	आर.के.एम.	3500	1275
(ii) ऑपटिकल फाइबर प्रणालियां	आर.के.एम.	4200	3041
(2) पंचायत टेलीफोन	संख्याएं	46800	15330

नोट : लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कारण एवं उपाय :

1. विद्युत एवं ऊर्जा सेक्टर (कोयला यूनिट)

यद्यपि अप्रैल-दिसम्बर, 1993 की अवधि में समग्र कोयला उत्पादन के लक्ष्य में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन विद्युत आपूर्ति में कमी, अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति, हड़ताल तथा बाहरी कारणों जैसे औद्योगिक झगड़ों, विनिर्माताओं द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब तथा उपकरणों की स्थापना में विलम्ब, उपकरण ले आफ के ब्रेकडाउन तथा भू खनन आदि जैसी स्थितियों के कारण सिंगरेनी के लक्ष्य में लगभग 4 प्रतिशत की कमी आई है।

नेवेली के मामले में अक्तूबर से दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान मुख्यतः भारी वर्षा तथा चक्रवात के कारण लिग्नाइट का उत्पादन लक्ष्य से लगभग 6 प्रतिशत कम रहा।

वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कोयला उद्योग द्वारा तत्संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं।

2. पैट्रोलियम सेक्टर

1993-94 के लिए घरेलू कच्चा तेल उत्पादन के लक्ष्य को संशोधित करके 28.645 मिलियन टन (बजट अनुमान) से 26.95 मिलियन टन (संशोधित अनुमान) कर दिया गया है। कच्चा तेल के घरेलू उत्पाद में प्रत्याशित कमी इन कारणों से है।

(क) बम्बई हाई क्षेत्र में किए जा रहे परिशोधन उपाय।

(ख) गुजरात क्षेत्र में अप्रत्याशित भण्डारण तथा उत्पादन समस्याएं।

(ग) असम में अशान्ति स्थितियों का जारी रहना।

कच्चा तेल उत्पादन तथा रिफाइनरी थ्रूपुट पर अनन्तिम जानकररी केवल अप्रैल-दिसम्बर, 1993 अवधि के लिए उपलब्ध है। आनुपातिक आधार पर कच्चा तेल उत्पादन वार्षिक योजना लक्ष्य का लगभग 70 प्रतिशत है। यह कमी भी उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित समस्याओं के कारण है। रिफाइनरी थ्रूपुट योजना लक्ष्य के अनुरूप है तथा पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलबधता में कोई कमी प्रत्याशित नहीं है।

3. इस्पात एवं सीमेंट

जनवरी, 1994 तक प्राप्त उत्पादन स्तरों से संभावना है कि चालू वर्ष अर्थात 1993-94 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आएगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के कारणों तथा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय नीचे दर्शाए गए हैं :

इस्पात

10 महीनों से अधिक के निष्पादन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में कमी आएगी।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र में प्रौद्योगिकियों को अपनाने में कठिनाइयों तथा टाटा आयरन एवं इस्पात कम्पनी में आधुनिकीकरण कार्यक्रम (चरण-III) के क्रियान्वयन के कारण एकीकृत इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कमी आई।

औद्योगिक मन्दी तथा आयात की ऊंची लागत मांग में कमी की समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया।

आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार तथा परिकल्पित आधुनिकीकरण के पूरा होने से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

सीमेंट

10 महीने की अवधि में हुए निष्पादन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में कमी होगी।

उत्पादन में यह कमी बाजार में सामान्य मंदी की स्थितियों के कारण आधारभूत संरचनापरक कठिनाइयों तथा कम मांग की वजह से है।

सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमेंट उद्योग को प्राथमिकता आधार पर कोयला, व वैंगनों इत्यादि जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के द्वारा सभी सहायता प्रदान करती है।

4. उर्वरक उत्पादन :

चालू वित्त वर्ष के अप्रैल 1993 से जनवरी, 1994 के दौरान वास्तविक उत्पादन नाइट्रोजन 59.66 लाख टन तथा फास्फेट 14.07 लाख टन था, जबकि लक्ष्य क्रमशः 64.41 लाख टन तथा 18.26 लाख टन था। गत वर्ष इसी अवधि में हुए उत्पादन से नाइट्रोजन के मामले में 2.8 प्रतिशत तथा फॉस्फेट उत्पादन में 29.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। चालू वर्ष के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य नाइट्रोजन का 78.0 लाख टन तथा फॉस्फेट का 22.0 लाख टन है। इस अवधि के दौरान उत्पादन में आई कमी के प्रमुख कारण हैं :

(क) उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अगस्त, 1992 में फॉस्फेटिक उर्वरकों को विनियंत्रित किया गया। इससे फॉस्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई। फॉस्फेटिक उर्वरकों के विनियंत्रण तथा उत्पादन की घरेलू लागत की तुलना में अधिक सस्ती दरों पर आयातिति डी.ए.पी. की उपलब्धता ने अनेक डी.ए.पी. तथा मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को अप्रैल, 1993 से 3-4 महीनों के लिए इनका उत्पादन रोक देने के लिए बाध्य कर दिया। उसके बाद भी कमजोर ऑफ टेक के कारण जान-बूझकर उत्पादन को कम स्तर पर रखा गया।

(ख) देश में उत्पादित फॉस्फेटिक तथा मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर सरकार द्वारा 16-6-93 को घोषित रियायतों से घरेलू फॉस्फेटिक उद्योग को कुछ राहत मिलने की आशा थी तथा कुछ हद तक इस उर्वरक का उत्पादन बढ़ने की आशा थी। फिर भी, गत छः माह में घटी हुई मांग, भारी माल सूचियों तथा आयातित डी.ए.पी. से प्रतिस्पर्धा के कारण फॉस्फेट का उत्पादन कम रहा। प्रति टन 1000 रु. की रियायत के बावजूद अधिकांश स्वदेशी डी.ए.पी. उत्पादक 700-800 रु. प्रति टन तक की कम वसूली का सामना कर रहे हैं। गत 4-5 माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमोनिया तथा फॉस्फोरिक अम्ल की कीमतों की तीव्र वृद्धि से उनकी समस्या और बढ़ गई है।

(ग) सभी गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों के मामले में गैस आपूर्ति प्रतिबंधों के कारण

प्रचालन क्रा स्तर कम हुआ, विद्युत समस्याएं तथा उपस्कर संबंधी समस्या, बाह्य अमोनिया की कमी इत्यादि उत्पादन उत्पन्न हुई, इससे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन प्रभावित हुआ।

डी.ए.पी. तथा मिश्रित उर्वरकों के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप नाइट्रोजन की उपलब्धता में कमी आई।

5. परिवहन क्षेत्रक (रेलवे बोर्ड)

कमी का प्रमुख कारण लक्ष्यों की तुलना में कोर क्षेत्रकों से अपर्याप्त मांग है। मांग में वृद्धि के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर प्रयोक्ता संगठनों से निकट समन्वय रखा गया था।

राजस्थान में पेयजल की कमी

1222. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे राजस्थान को पेयजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी पटेल) : (क) जी, नहीं। 1-2-1994 को 46 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की समस्या है।

(ख) इन गांवों में पेयजल सुविधायें मुहैया कराने के लिए योजनायें 1993-94 से पूर्व ही अनुमोनित कर दी गई थी और राजस्थान सरकार से कोई नई योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खण्डवा, मध्य प्रदेश में भूकम्प

1223. **श्री तारा सिंह** :
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसम्बर, 1993 के स्टेट्समैन में "मेजर अर्थक्वेक इन खण्डवा प्रेडिक्टेड" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत छः महीनों के दौरान मध्य प्रदेश में पर्वतों में अनेक बार कम्पन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सावधानी के क्या उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) नवंबर, 1993 के अंत से खण्डवा के करीब 15 कि.मी. दक्षिण में तकलीकलां तथा सरोला गांवों (मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में) में झटकों की कई श्रृंखलाएं आईं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिसम्बर, 1993 में अस्थायी हाई गेन फील्ड आब्जरवेटरी की स्थापना कर इलाके का सर्वेक्षण किया। इस वेधशाल ने छोटे परिमाण के कई भूकम्पीय झटकों को दर्ज किया। ये झटके स्वार्म टाईप के थे। ऐसी स्वार्म टाईप की गतिविधियां पड़ोसी जिलों में भी नोट की गईं।

(ग) सर्वेक्षण के परिणामों से मध्य प्रदेश की सरकार को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाएं कि इलाके के आवास तथा अन्य भवन सही प्रकार की अभियांत्रिकी से बने हों।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास परियोजना

1224. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास की कौन-कौन सी परियोजनाएं चल रही है;

(ख) 1994-95 में किन-किन स्थानों पर परियोजनाएं चलाई जाएंगी;

(ग) क्या सभी परियोजनाएं राज्य सरकार से तालमेल के साथ चलाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग कितना धन खर्च किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, (4) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में 1993-94 के दौरान विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए स्वरोजगार के अवसर जुटाना है, जो महाराष्ट्र के सभी जिलों में शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत खर्च को केंद्र और राज्य द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है।

इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना एक नियमित केंद्रीय प्रायोजित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो पूरे महाराष्ट्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के 16 पिछड़े जिलों में जवाहर रोजगार योजना का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार योजना नामक एक नई योजना भी महाराष्ट्र के 20 जिलों में 114 पुनर्गठित सार्वजनिक

वितरण प्रणाली खंडों में कार्यान्वित की जा रही है और खर्च को केंद्र और राज्य के बीच 80 : 20 के अनुपात में वहन किया जाता है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी गांवों में पेयजल सप्लाई की जाती है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और महाराष्ट्र के 12 जिलों में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य द्वारा बराबर-बराबर निधियां जुटाई जाती हैं।

(ख) और (ग) राज्य में उपरोक्त कार्यक्रम राज्य सरकार के सहयोग से 1994-95 में कार्यान्वित किया जाता रहेगा।

(घ) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :-

	कार्यक्रम	खर्च (लाख रुपए में) जनवरी, 94 तक (केंद्र एवं राज्य)
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,412.00
2.	जवाहर रोजगार योजना	12,982.00
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	233.06
4.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	751.24
5.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	2,261.7 (दिसंबर, 93 तक)

भूमि का वाणिज्यिक दोहन

1225. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने रक्षा विभाग की भूमि के वाणिज्यिक दोहन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय ने सेना के पूंजीगत संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली में कतिपय रक्षा भू-खण्डों का समुचित शर्तों पर निपटान करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रकार के निपटान के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके इससे संबंधित नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

सुपर कम्प्यूटर परियोजना

1226. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के माडल टाउन क्षेत्र में विदेशी निवेश से सुपर कम्प्यूटर परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम

1227. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार 1994-95 के दौरान घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में प्रतिदिन तीन लाख लीटर की कुल क्षमता वाले सोलर वाटर हीटिंग विंग सिस्टम लगाने तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) गुजरात सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परती भूमि का विकास

1228. **श्री प्रवीन डेका :**
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :
डा. के.वी.आर. चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार परती भूमि का कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कुल कितने क्षेत्र को हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) संपूर्ण परती भूमि के क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लाने हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितना समय निर्धारत किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) बंजर भूमि का पता लगाने के लिए अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन एक अनुमान के आधार पर देश में कुल 129.974 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है। बंजर भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (31-3-93 तक) के दौरान 2.83 मिलियन हेक्टयेर क्षेत्र में वनीकरण/वृक्षारोपण किया गया और निजी भूमि पर रोपण हेतु 393.5 करोड़ बीजांकुर वितरित किए गए हैं। राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(ग) ये भूमियां निम्न श्रेणी की होने के कारण, कृषि सहित देश की संपूर्ण बंजर भूमि को उपजाऊ बना पाना संभव नहीं है। अतः इस प्रयोजन हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण-I

भारत में अनुमानित बंजर भूमि

(मिलियन हेक्टेयर में)

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	वनेत्तर निम्नीकृत क्षेत्र	वन निम्नीकृत क्षेत्र	कुल
1	2	3	4
आध्र प्रदेश	7.682	3.734	11.416
असम	0.0935	0.795	1.730
बिहार	3.896	1.562	5.458
गुजरात	7.153	0.683	7.836
हरियाणा	2.404	0.074	2.478
हिमाचल प्रदेश	1.424	0.534	1.958
जम्मू व कश्मीर	0.531	1.034	1.565
कनार्टक	7.122	2.043	9.165
केरल	1.053	0.226	1.279

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	12.947	7.195	20.142
महाराष्ट्र	11.560	2.841	14.401
मणिपुर	0.014	1.424	1.438
मेघालय	0.815	1.103	1.918
नागालैण्ड	0.508	0.878	1.386
उड़ीसा	3.157	3.227	6.384
पंजाब	1.151	0.079	1.230
राजस्थान	18.001	1.933	19.934
सिक्किम	0.131	0.150	0.281
तमिलनाडु	3.392	1.009	4.401
त्रिपुरा	0.108	0.865	0.973
उत्तर प्रदेश	6.635	1.426	8.061
पश्चिम बंगाल	2.177	0.359	2.536
केन्द्र शासित क्षेत्र	0.889	2.715	3.604
योग	93.685	35.889	129.574

विवरण-II

क्षेत्र हैक्टेयर में
बीजांकुर लाख में

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र का नाम	1990-91		1991-92		1992-93	
		बीजांकुर वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन/भूमि सहित सार्वजनकि भूमि)	बीजांकुर वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	बीजांकुर वितरण भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनकि भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1612.00	21600.00	1775.91	5659.00	1102.63	47453.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.79	5516.00	7.92	7860.00	5.00	7200.00
3.	असम	18.47	17194.00	8.68	19458.00	11.80	22486.60
4	बिहार	242.15	37061.00	837.00	46333.00	180.00	20357.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोआ	24.50	1349.90	22.57	1466.65	27.23	1722.00
6.	गुजरात	2356.36	48585.00	2511.86	63480.00	2281.46	64847.00
7.	हरियाणा	224.30	40094.00	271.30	31551.00	300.00	34826.00
8.	हिमाचल प्रदेश	135.57	25370.00	72.70	35784.00	88.59	31280.00
9.	जम्मू और कश्मीर	112.45	15773.25	75.00	15170.61	64.83	17010.85*
10.	कर्नाटक	763.16	30199.00	437.17	34705.54	374.38	36479.97
11.	केरल	164.11	5974.84	137.38	11593.96	173.79	17342.70*
12.	मध्य प्रदेश	464.40	75042.00	614.60	103151.00	600.12	121394.19
13.	महाराष्ट्र	1188.86	122955.35	1101.61	151255.86	824.97	153621.38
14.	मणिपुर	24.00	9450.00	13.04	8363.00	22.46	8600.00
15.	मेघालय	25.33	6650.00	75.00	18991.00	26.58	5148.00
16.	मिजोरम	102.50	9250.00	60.23	11447.00	5.86	14000.00

17.	नागालैण्ड	105.00	15412.00	109.19	7450.00	20.10	4700.00
18.	उड़ीसा	191.96	58401.70	428.52	58389.80	425.42	74134.85
19.	पंजाब	143.18	9950.00	151.29	16987.00	85.90	19360.00
20.	राजस्थान	399.11	52147.00	330.59	85050.00	405.13	66729.00
21.	सिक्किम	8.40	4275.00	6.00	6163.29	9.50	8665.38
22.	तमिलनाडु	215.10	42493.00	1013.84	68144.00	1037.36	113553.10
23.	त्रिपुरा	63.00	10950.00	27.68	14074.16	37.05	15253.00
24.	उत्तर प्रदेश	3122.84	61083.62	3192.47	89565.11	3468.29	100139.26*
25.	पश्चिम बंगाल	847.00	1997.00	846.00	47540.00	802.00	50000.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.98	3122.25	5.23	2842.00	5.33	3200.00**
27.	चंडीगढ	0.07	177.00	0.04	300.00	0.12	413.30
28.	दादर और नगर हवेली	3.82	868.00	3.00	120.00	7.90	518.00
29.	दमन और दीव	0.94	187.00	0.54	117.00	1.14	83.34

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	45.65	1660.00	44.89	1632.40	41.60	1512.70
31.	लक्षद्वीप	2.86	42.00	2.95	50.00	3.36	50.00
32.	पांडिचेरी	10.95	65.80	10.61	88.72	10.81	128.00
	योग	12703.81	751714.71	14194.81	101.571.10	12450.71	1062208.62**

* अंतिम

** संशोधित

उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का नियतन

1229. **श्री शरत पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि नियत की गयी तथा कितनी धनराशि दी गयी;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय आबंटन	रिलीज की गई निधियां
1990-91	1802.503	1538.404
1991-92	1695.922	1600.540
1992-93	1590.000	1883.910

(ख) जी, हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन (जनवरी, 89-दिसम्बर, 89) सहित अनेक अध्ययन प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा किए गए हैं।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अद्यतन समवर्ती मूल्यांकन में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गया है :

(1) ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित करने के बाद अधिकांश मामलों में लाभार्थियों का सही चयन किया गया था।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति की कवरेज लक्ष्य से मामूली-सी अधिक थी।

(3) मुख्य कार्य क्षेत्र प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों में थे।

(4) परिसम्पत्तियां आम तौर पर अच्छी किस्म की थीं और उन्हें अधिकांश मामलों में सही पाया गया था।

(5) बड़े अनुपात में लाभार्थियों, विशेष रूप से दीन-हीन। अत्यधिक निर्धन समूह के लोगों ने 3500 रुपये की पुरानी गरीबी की रेखा को पार कर लिया था।

(6) लगभग 70 प्रतिशत मामलों में अतिरिक्त आय सृजन में पर्याप्त वृद्धि (रख-रखाव और ऋण के भुगतान के अतिरिक्त) देखी गई थी।

2. रिपोर्ट में ध्यान दिए जाने वाले कई क्षेत्रों, पात्र लाभार्थियों के लिए सक्षम योजनाओं के उचित चयन, बैंकों द्वारा ऋणों की पुर्नभुगतान की निश्चित अवधि, बाद की देखभाल सहायता और ढांचा सहायता आदि की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।

हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

1230. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिणी क्षेत्र के मामलों को निपटाने तथा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस बाबत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कागज उत्पादक इकाइयां

1231. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी कागज उत्पादक इकाइयां हैं;

(ख) प्रत्येक इकाई में प्रतिवर्ष कितने कागज का उत्पादन होता है;

(ग) इन इकाइयों से विभिन्न सरकारी कार्यालयों को कितने कागज का आबंटन किया जाता है;

(घ) क्या कागज की खपत इसके उत्पादन की तुलना में कम होती है; और

(ङ) यदि हां, तो कागज की खपत को इसके उत्पादन के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन) की चार-कागज निर्माणकारी इकाइयां हैं।

(ख)	उत्पादन	(मीट्रिक टन में)
	1992-93	1993-94 (जनवरी, 1994 तक)
नौगांव पेपर मिल	55643	59437
कछार पेपर मिल	59150	41255
माण्डया नेशनल पेपर मिल लि.	7808	शून्य
नागालैंड पल्प एंड पेपर मिल कंपनी लि.	770	शून्य

(ग) सरकारी विभागों को इन मिलों से बिक्री इस प्रकार है :-

	1992-93	1993-94 जनवरी, 1994 तक (मीट्रिक टन में)
नौगांव पेपर मिल्स और कछार पेपर मिल्स	38,000	19,000
माण्डला नेशनल पेपर मिल्स लि.	1,800	200

(घ) और (ङ) सामान्य किस्म के कागज की उपलब्धता के बारे में देश लगभग आत्मनिर्भर है।

[अनुवाद]

योजना व्यय

1232. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 एवं 1994-95 में गुजरात के लिए कितना योजना व्यय मंजूर किया गया;

(ख) इस योजना व्यय में केंद्र सरकार का क्या योगदान है; और

(ग) आज तक विभिन्न योजनाओं पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग द्वारा गुजरात के लिए वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए मूल रूप में अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय क्रमशः 2137 करोड़ रुपये तथा 2240 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1993-94 में योजना के लिए उपलब्ध कराई गई निवल केंद्रीय सहायता 235 करोड़ रु. है तथा 1994-95 में इसके 260.5 करोड़ रु. होने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए प्रत्याशित व्यय को मिलाकर वर्ष 1951-52 से आज तक गुजरात राज्य का कुल योजना परिव्यय 20056.79 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

1233. **डा. साक्षीजी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की प्रत्येक सहयोगी कंपनी ने कितना लाभ कमाया अथवा उन्हें कितनी हानि हुई; और

(ख) सरकार ने घाटे में चल रही कपंनियों के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनी को वर्ष 1992-93 में हुआ लाभ (+)/घाटा (-) नीचे दर्शाया गया है :-

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.)	(-)	3.20
जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप)	(-)	10.36
ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बी.सी.एल)	(-)	1.65
भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी.डब्ल्यू.ई.एल.)	(+)	1.81
भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी.पी.एम.ई.एल.)	(-)	9.81
वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.)	(-)	1.30
भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज लिमिटेड (बी.बी.वी.एल.)	(-)	0.61
लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (एल.जे.एम.सी.)	(-)	0.34
दि ब्रेथवेट, बर्न जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बी.बी.जे.)	(+)	3.16
रेरोल बर्न लिमिटेड (आर.बी.एल.)	(-)	0.84

(ख) सरकार ने घाटे में चल रहे एककों के निष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ –

(i) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम लागू करना, (ii) सहायक एककों द्वारा निर्मित उत्पादों को अधिक मात्रा में खरीदने के लिए प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय (iii) नवीकरण व प्रतिस्थापन के लिए योजना और गैर-योजना सहायता का प्रावधान, तथा (घ) कंपनी की कार्यशील पूंजी व अन्य वाणिज्यिक आवश्यकताओं के संबंध में बैंकों को सरकारी गारंटी देना भी शामिल हैं।

घाटे में चल रही कुछ सहायक कंपनियों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित कर दिया गया है। सरकार, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की अंतिम सिफारिशों को ध्यान में रखकर, इन कंपनियों के भविष्य के बारे में निर्णय करेगी।

महाराष्ट्र में उद्योग विहीन जिले

1234. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के कुछ जिलों को उद्योग विहीन जिला घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन जिलों को पहले ही "उद्योग विहीन" जिला घोषित किया जा चुका है;

(घ) सरकार द्वारा इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन के पश्चात इन जिलों में कितने औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इस घोषणा के पश्चात कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गढ़ चिरौली को उद्योग रहित जिला घोषित किया गया है।

(घ) से (च) किसी क्षेत्र के औद्योगिकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। जहां तक संभव होता है, केंद्र सरकार इनके प्रयासों में सहायता करती है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग के कार्यकरण संबंधी समिति

1235. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश-पद तथा सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) अब तक समिति की बैठक किन-किन तारीखों को हुई है और क्या समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और यदि नहीं तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन और विचारणीय विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) समिति की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई हैं :

13-9-1993

14-9-1993

30-9-1993

19-10-1993

10-11-1993

10-12-1993

20-1-1994

2-2-1994

15-2-1994

26-2-1994

समिति अभी भी विचार विमर्श कर रही है और आखिरी बैठक के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

विवरण

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

1.	प्रधान मंत्री	: अध्यक्ष

2.	श्री ए.के. एंटोनी, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता-कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	वित्त मंत्री	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
5.	राज्य मंत्री (ल.उ. तथा कृ. एवं ग्रा.उ.)	सदस्य
6.	राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास)	सदस्य
7.	राज्य मंत्री (श्रम)	सदस्य
8.	श्री नवल किशोर शर्मा महासचिव, ए.आई.सी.सी. (आई)	सदस्य
9.	श्री बालविजय, संयोजक, खादी मिशन, गोपुरी, वर्धा	सदस्य
10.	श्री सोमदत्त, पूर्व-अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा सचिव, खादी आश्रम पानीपत, (हरियाणा)	सदस्य
11.	श्री वी. रामचंद्र, पूर्व सदस्य-सचिव भारतीय ग्रामोद्योग (उद्योग), कोयम्बतूर :	सदस्य
12.	श्रीमती जया बहन शाह, अध्यक्ष, सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट	सदस्य
13.	श्री एस.के. बंदोपाध्याय, सचिव, गांधी स्मारक निधि और पूर्व सदस्य, खा.ग्रा.आ.	सदस्य
14.	श्री अवधेश सिंह, सचिव, गांधी आश्रम, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15.	श्रीमती लेतिना ठक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम पो.आ. चुचिमंबंग, कोहिमा (नागालैंड) :	सदस्य

16.	अध्यक्ष के.वी.आई.सी.	सदस्य
17.	श्रीमती मोहसिना किदवई	सदस्य
18.	श्री मनुभाई मेहता	सदस्य
19.	श्री लक्ष्मी दास, पूर्व अध्यक्ष, के.वी.आई.सी.	सदस्य
20.	सचिव (ल.उ. तथा कृ. एवं ग्रा.उ.)	सदस्य

विचारणीय विषय

1. खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और विकास हेतु उचित नीतिगत सहायता (आरक्षण सहित) की जांच तथा उपाय सुझाना।
2. इस क्षेत्र में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना और उक्त आयोग वित्तीय संस्थानों और बैंकों से पर्याप्त मात्रा में तथा समय से ऋण प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
3. पर्याप्त कच्चामाल, विपणन सहायता और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति के लिए उपाय सुझाना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए मौजूदा अधः संरचना की जांच तथा कारीगरों, पर्यवेक्षी स्टाफ, प्रबंधकीय कार्मिकों तथा प्रवर्तक संबंधी कार्यों में लगे व्यक्तियों की सहायता के लिए ऐसी सुविधाओं में सुधार करने के उपाय सुझाना।
5. अनुसंधान तथा आधुनिकीकरण की दिशा में उपाय सुझाना और उत्पादकता के स्वरूप और विशेष सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तकनालाजी को अपनाना ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
6. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की पुनः संरचना के लिए उपाय सुझाना ताकि ये संगठन अपने कार्यों का निष्पादन अधिक विकेन्द्रित तथा कारगर ढंग से कर सकें।
7. अधिक लोगों की भागीदारी हासिल करने के लिए और खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र, पंचायत राज संस्थानों व अन्य अभिकरणों तथा ग्रामीण विकास से संबद्ध सरकारी विभागों के बीच प्रभावी तालमेल के उपाय सुझाना।
8. इस बात की जांच करना कि किस सीमा तक व्यावसायिक तथा लाभ कमाने वाले संगठनों पर लागू मौजूदा श्रमिक कानूनों को के.वी.आई. संस्थानों पर लागू किया

जाना चाहिए, जिसके लिए इन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों के विशेष स्वरूप का ध्यान रखा जाना चाहिए।

9. विषय से संबंधित कोई अन्य मामला।

कार्मिक मंत्रालय के निर्देशों का कार्यान्वयन

1236. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्वयं द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को निर्गत किए गए सुझावों/निर्देशों/आदेशों के कार्यान्वयन स्तर पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सुझावों/निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसद दीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने, पहले जारी की गई रिपोर्टों में दिए गए सुझावों, कुछ चुने हुए मंत्रालयों/विभागों में मामलों के अंतिम निपटान के स्तर से संबंधित हिदायतों और लोक शिकायतों के निवारण से संबंधी अनुदेशों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए कुछ अध्ययन किये हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के कार्यों के मुख्य क्षेत्र, प्रबन्ध अध्ययन करने, संगठन एवं पद्धति तथा सामान्य रूप से प्रशासन से संबंधित लोक शिकायतों को दूर करने और विशेष तौर पर केंद्रीय सरकार की एजेंसियों के बारे में लोक शिकायतों के निवारण की नीति को तैयार करने और उपायों का समन्वयन करने से संबंधित हैं।

प्रबन्ध अध्ययन

2. प्रबन्ध अध्ययन, प्रशासन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं और विशेष तौर पर मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सरकारी संगठनों में संगठनात्मक संरचना तथा कार्य पद्धति से संबंधित समस्याओं पर किए जाते हैं। किसी अध्ययन को पूरा करने के पश्चात के उसमें की गई सिफारिशों/सुझावों का कार्यान्वयन करने के लिए कार्यात्मक मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाती है। तथापि, रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का कार्यान्वयन करना संबंधित संगठन के लिए अनिवार्य नहीं है। इस विभाग द्वारा जारी किये गये मार्ग दर्शन में, रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का भी प्रावधान है। अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए चुनिंदा आधार पर

इम्पैक्ट स्टडी भी की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान की गई इम्पैक्ट स्टडी के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया, वे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय में समूह "क" के पृथक पदों, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के आपातकालीन विभाग की कार्य प्रणाली, विभिन्न चिकित्सा तथा रोग संबंधी परीक्षणों के संचालन के तरीकों एवं पद्धतियों और सफदर जंग अस्पताल, नई दिल्ली में रिपोर्टें तैयार करने तथा इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं के बारे में थी। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

संगठन तथा पद्धति

3. विभाग ने कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका जारी की है जिसमें मंत्रालयों/विभागों में कागजी काम के बारे में प्रबन्ध संबंधी हिदायतें दी गई हैं। ये हिदायतें मामलों का निपटान करने के लिए अंतिम स्तर का निर्धारण करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने के माध्यम, अनुभागों तथा रिकार्ड रूम के निरीक्षण, आदेशों एवं हिदायतों के समेकन, आवधिक रिपोर्टों तथा रिटर्नों की समीक्षा, नियमों, विनियमों एवं नियम-पुस्तिकाओं की समीक्षा और फाइलों के अभिलेखन, पुनरीक्षा तथा छंटनी से संबंधित हैं और आवधिक रिपोर्टों के जरिए और मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करके इन पर निगरानी रखी जा रही है। चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों में मामलों को प्रस्तुत करने के माध्यम और उनका अंतिम रूप से निपटान करने के स्तर से संबंधित हिदायतों का किस हद तक पालन किया जा रहा है, उसके बारे में हाल में एक अध्ययन किया गया है। चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों में संगठन तथा पद्धति अनुभागों/एककों का निरीक्षण भी किया गया है, ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के विभिन्न उपबन्धों का कितना अनुपालन किया जा रहा है।

लोक शिकायतों का निवारण

4. लोक शिकायतों का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में स्थापित और अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत तंत्र को कारगर तथा सुदृढ़ बनाने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। जारी की गई इन हिदायतों में यह व्यवस्था भी है कि बुधवार को बैठक-विहीन दिन मनाया जाए ताकि, अधिकारी जनता की शिकायतों को सुनने के लिए 10.00 बजे से 13.00 बजे के बीच अपनी सीटों पर मिल सकें। हाल में कुछ मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत निवारण अधिकारियों के साथ एक बैठक में इन हिदायतों के अनुपालन की समीक्षा की गई थी, ताकि इन्हें कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

5. इस विभाग द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप पद्धति में सुधार हुआ है, जिससे अधिक नागरिक संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिलने की आशा है। तथापि सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

परमाणु संयंत्रों में विकिरण

1237. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटोमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड का यह मत है कि भारतीय परमाणु संयंत्रों में कामगारों पर बहुत अधिक विकिरण का प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कामगार वित्तीय मुआवजे की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। परमाणु विद्युत संयंत्रों में काम करने वाले व्यावसायिक कार्मिकों पर अलग-अलग पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं और विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव आयोग जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इन सीमाओं और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इन कर्मचारियों द्वारा वित्तीय मुआवजे की मांग की गई है। चूंकि कर्मचारियों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही है, इसलिए इन कर्मचारियों को विकिरण के कारण कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड

1238. **डा. बसन्त पवार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड में नाउस के शेयर खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड में नाउस सरकार के शेयरों का कुल मूल्य कितना है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) 10 जून, 1993 में भारत सरकार ने पारादीप फास्फेट्स लि. (पी.पी.एल.) में नारू सरकार

की 49 प्रतिशत शेयरधारिता को 63.8 मिलियन आस्ट्रेलियन डालर के मूल्य पर ले लिया। यह राशि नारू सरकार ने पी.पी.एल की शेयर धारिता को खरीदने के लिए मूल रूप से चुकाई थी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1239. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशी एजेंसियों ने सहायता प्रदान की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) राज्य योजना में केंद्रीय सहायता ब्लॉक ऋण तथा ब्लाक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है तथा विशेष समस्याओं, मानदण्ड के अंतर्गत नियत धनराशि को छोड़कर यह किसी परियोजना/कार्यक्रम से सहबद्ध नहीं है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सिचांई परियोजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए विदेशी एजेन्सियों ने सहायता उपलब्ध कराई है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विदेशी एजेंसी का नाम	सहायता की राशि	करार की तारीख	समापन की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	अपर गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक/ आई.डी.ए.	117.5 एस.डी.आर. मिलियन (125.00 मिलियन डालर)	29-6-84	30-9-93

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल परियोजना (अनुदान)	नीदरलैण्ड	डी.एफ.एल. 90 मिलियन (यू.एस. 50 मिलियन डालर)	27-8-87	3-6-93
3.	उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल उप परियोजना	नीदरलैण्ड	डी.एफ.एल. 25 (मिलियन) 14.9 यू.एस. मिलियन डालर	16-10-90	31-3-93

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

1240. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र पर वर्षवार कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ख) इसमें से कितना धन अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया;

(ग) क्या औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास काफी कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में धन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) इस संबंध में प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्या निर्देश दिए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा आबंटित की गयी कुल निधियों में से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पर तथा केंद्र सरकार के उपक्रमों पर खर्च की गयी धनराशि निम्नलिखित है :-

खनन सहित बड़े और मझौले उद्योग

वजन और माप

(रुपये लाख में)

1990-91 (वास्तविक)	1991-92 (वास्तविक)	1992-93 (संशोधित अनुमान)
70,731.22	69,705.99	66,878.38

केंद्र सरकार के उपक्रमों का कुल व्यय

(रुपये करोड़ में)

1990-91 (वास्तविक)	1991-92 (वास्तविक)	1992-93 (संशोधित अनुमान)
5,253.14	5,391.40	7,980.23

(ख) से (ङ) सूचना मिली है कि 1992-93 में 1200 से अधिक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास एककों द्वारा अनुसंधान और विकास पर लगभग 1100 करोड़ रुपये खर्च किए गये थे। उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं, जैसे कि लाभ में से अनुसंधान और विकास का 100 प्रतिशत खर्च घटा कर आयकर में राहत देना, 40 प्रतिशत की ऊची दर पर एक्सेलेरेटिड डेप्रिसिएशन अलाउंस, पांच वर्षों तक की अवधि के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर उत्पादित बल्क औषधियों को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के मूल्य नियंत्रण से छूट देना, उद्यम/संस्थान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सहयोग, विशिष्ट आंतरिक अनुसंधान और विकास उपलब्धियों के लिए डी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय प्ररस्कार, अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रायोजित अनुसंधान हेतु 125 प्रतिशत पर भारित कर रियायत।

बंगालौर में एविया 1993 का आयोजन

1241. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में एविया 1993 का आयोजन कितने दिनों के लिए किया गया था तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया;

(ख) एविया 1993 के लिए केंद्र सरकार ने होटल तथा अन्य व्यय सहित कुल कितनी धनराशि खर्च की और इसके लिए कर्नाटक सरकार से कितनी धनराशि मिली;

(ग) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड को वहां कोई क्रय आदेश प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ए.वी.आई.ए. 1993 का आयोजन 4 दिनों के लिए किया गया था। इसमें 15 देशों ने भाग लिया।

(ख) संघ सरकार ने इसके आयोजन पर कोई धनराशि खर्च नहीं की। कर्नाटक राज्य सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधों तथा सड़कों आदि को सुधारने के लिए वायुसेना प्रशिक्षण कमान को 25 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की थी।

(ग) ए.वी.आई.ए. 1993 के आयोजन के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन जुटाना

1242. **प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान संसाधन जुटाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्रक योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाने के लक्ष्य से पीछे रहा। अतिरिक्त संसाधन जुटाने (ए.आर.एम.) के निम्न स्तरों और गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) के उच्च स्तरों की छोटी बचतों के निवल संग्रह से पूंजीगत आय में कमी, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का अर्पयाप्त उपयोग और प्रतिकूल पूंजी बाजार स्थितियों के कारण अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां चालू राजस्व से राज्यों/के अधिशेष (बी.सी.आर.) में कमी, गिरावट के मुख्य कारण हैं।

[हिन्दी]

भेषज उद्योग

1243. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील** :
श्री शिवलाल नागजी भाई :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगठित भेषज उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष कितने मूल्य की औषधियां बनाई जाती हैं;

(ख) क्या गैर-लाइसेंस प्राप्त भेषज निर्माता भी इतने ही मूल्य की नकली दवाइयां बना रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या वर्तमान औषध नीति में व्याप्त विसंगतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं;

(ङ) बिना लाइसेंस प्राप्त किए औषधियां बनाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(च) इस पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) 1992-93 में प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन का मूल्य क्रमश : 1150 करोड़ रुपए और 6000 करोड़ रुपए था।

(ख) से (च) सभी निर्माताओं को औषधों के निर्माण के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेना अपेक्षित है। जब कभी कोई औषध नकली पायी जाती है अथवा बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति औषध का निर्माण करते हुए पाया जाता है तो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अन्तर्गत नियमों के उपबन्धों के अधीन दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में प्रायोजित उद्योग

1244. **श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित/चलाए जा रहे उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस आयोग द्वारा सम्पन्न कार्य का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने महाराष्ट्र में अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले खादी और 28 ग्राम्य उद्योगों के विकास का कार्य हाथ में लिया है। कार्यान्वयन के लिए और ज्यादा ग्राम्य उद्योगों को हाथ में लिया जा रहा है। 31 मार्च, 93 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 442 पंजीकृत संस्थाओं एवं 2136 सहकारी समितियों द्वारा महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों को दी गई वित्तीय सहायता और उक्त अवधि के दौरान उत्पादन और रोजगार दर्शाने वाली एक तालिका नीचे दी गई है :

क्र.सं.	सहायता	1990-91		1991-92		1992-93	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वितरण (रु.करोड़ में)						
	अनुदान	3.23	0.19	2.73	0.27	3.54	0.33
	ऋण	0.64	7.16	0.23	10.49	3.23	9.67
	योग	3.87	7.35	2.96	10.76	6.77	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	उत्पादन (रु. करोड़ में)	8.47	340.55	9.89	401.39	13.52	454.95
3.	रोजगार (व्यक्ति लाख में)	0.18	3.86	0.15	4.28	0.19	4.43

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड को घाटा

1245. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में उद्योग मंडलम स्थित फोटो फिल्म्स लिमिटेड में वित्तीय संकट व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड को गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ;

(ग) इन घाटों के क्या कारण हैं;

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड के लिये कितनी अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की गयी है और इससे इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) कया हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड ने विभिन्न प्रयोजनों हेतु पॉलिस्टर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए अपनी नई परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी; और

(च) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि दी गयी और निर्मित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की फिल्मों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड (एच.पी.एफ.) ऊटकमंड गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान इसके लाभ और हानि निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाभ/हानि (कर पूर्व)
1991-92	2.9
1992-93	-87.00 (गैर लेखा परीक्षित)

(ग) हानियों के कारणों में खरीद और बिक्री में असावधानी, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा और वित्तीय तथा प्रबंधन की समस्याएं शामिल हैं।

(घ) से (च) वर्ष 1993-94 के लिए, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के लिए 6.5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। वर्ष 1994-95 के लिए बजटीय प्रावधान संसद द्वारा अभी पारित किए जाने हैं।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा शेयरों का स्वीकार किया जाना

1246. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों को निजी कम्पनियों द्वारा प्रोमोटर कोटा के शेयरों के आबंटन के संबंध में जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को कुछ ऐसे मामलों की सूचना मिली है;

(ग) क्या इन शेयरों को स्वीकार करना कानून अथवा सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार के शेयर के आवंटन तथा उनके द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाने पर किस प्रकार के दंड का प्रावधान है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 16(2) के अनुसार "कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार का ऐसा निवेश नहीं करेगा अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का ऐसा निवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे कि उसके सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन में उलझन पड़े या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।"

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968, नियम 14 के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों से कहा गया है कि वे ऐसे मामलों में निवेश करते समय सतर्क रहें जहां कि यह अनुमान लगाने की गुंजाइश हो कि किसी कम्पनी में कम्पनियों के निदेशकों के मित्रों व सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटा में से शेयर खरीदने से उसे अपने सरकारी कार्यों के निष्पादन में किसी समय या कभी भी उलझन पड़ने की संभावना है, तथा ऐसी परिस्थितियों में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 14(2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, सेवा का कोई भी सदस्य न तो स्वयं कम्पनियों के निदेशकों के मित्रों व सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटे में से शेयर खरीदेगा और न ही वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व कम्पनियों के निदेशकों के मित्रों व सहयोगियों के लिए आरक्षित प्रोमोटर कोटा में से शेयर खरीदना या निवेश करना अपराध नहीं है।

जहां तक कम्पनी कार्य विभाग का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के अधिकारियों में से एक अधिकारी की पत्नी ने फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 5000 रुपये के मूल्य के शेयर अधिप्राप्त किये हैं। संबंधित अधिकारी का अब दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण हो गया है। उद्योग, वाणिज्य तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश से सिविल सेवा के प्रत्याशी

1247. **डा. के.वी. चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों की वर्ष वार तथा राज्य वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक सेवा में राज्य वार कितने प्रत्याशियों का चयन किया गया;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारी कार्यरत हैं और वे किस-किस बैच के हैं; और

(घ) उक्त अधिकारी कौन-कौन से राज्यों के हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अवसरों की समानता संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवाओं में राज्य/क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व के ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से मानिटर नहीं किए जाते।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 1990, 1991, तथा 1992 में सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या

राज्य	1990	1991	1992
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1002	841	975
असम	176	170	148
बिहार	896	980	1153
हिमाचल प्रदेश	62	63	76
गुजरात	148	142	117

1	2	3	4
जम्मू तथा कश्मीर	47	39	32
कर्नाटक	246	192	229
केरल	126	103	120
मध्य प्रदेश	291	352	359
महाराष्ट्र	417	400	394
उड़ीसा	298	295	295
राजस्थान	630	562	468
तमिलनाडु	296	257	285
संघ शासित क्षेत्र	3636	3805	3509
उत्तर प्रदेश	1552	1953	1887
पश्चिम बंगाल	292	272	255

विवरण-II

आबंटन वर्ष (बैच)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार (भा.प्र.से.)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार (भा.पु.से.)
1	2	3
1958	शून्य	1
1959	1	2
1960	2	शून्य
1961	4	शून्य
1962	9	4
1963	5	3

1	2	3
1964	7	3
1965	6	1
1966	7	4
1967	6	3
1968	8	5
1969	8	शून्य
1970	5	2
1971	5	2
1972	8	4
1973	9	2
1974	10	3
1975	11	5
1976	7	2
1977	9	7
1978	6	3
1979	9	6
1980	9	5
1981	8	4
1982	9	3
1983	16	3
1984	11	4
1985	11	3

1	2	3
1986	7	8
1987	7	8
1988	7	1
1989	3	3
1990	6	4
1991	8	5
1992	7	6
1993	4	4

उर्वरक एककों को राज सहायता

1248. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उत्पादन करने वाले एककों को उनके उर्वरक उत्पादन पर कितनी धनराशि की राज सहायता दी गई; और

(ख) नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर और ऐसी राजसहायता पृथक-पृथक रूप से कितनी थी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस समय केवल स्ट्रेट उर्वरकों, अर्थात् यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम अमोनियम निट्रेट के उत्पादक प्रतिधारण मूल्य तथा राजसहायता योजना के अन्तर्गत आते हैं। उर्वरक उत्पादक एककों को राजसहायता के भुगतान के लिए 1993-94 के बजट में 3430 करोड़ रुपये पूरक अनुदान के रूप में प्राप्त 430 करोड़ रुपये सहित का प्रावधान किया गया है।

केरल को सहायता

1249. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1993-94 और 1994-95 के दौरान अपनी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जी, हां। 1993-94 की वार्षिक योजना में किये गये 361.41 करोड़ रुपये (निवल) के प्रावधान के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तौर पर उपग्रह स्टेशन को 1993-94 में 3.00 करोड़ रुपये दिये गये। 1994-95 के लिए कुल (निवल) सहायता के तौर पर 383.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1993-94 और 1994-95 के कुल प्रावधानों में राज्यों द्वारा इंगित विशेष समस्याओं के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

खादी का उत्पादन करने वाली संस्थाएं

1250. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी का उत्पादन करने वाली संस्थाओं को उनके द्वारा बेची गई खादी के बदले यार्न की आपूर्ति की;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक संस्थान को कितनी रियायत दी गई;

(ग) अब तक इन विभिन्न संस्थाओं से आयोग द्वारा कितना ऋण वसूल किया गया;

(घ) क्या दिल्ली में खादी का उत्पादन करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध कोई ऋण बकाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन ऋणों की वसूली हेतू क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा खादी संस्थाओं और राज्य बोर्डों से ऋण निम्न प्रकार वसूल किया गया है :

वर्ष	राशि (रुपये लाख में)
1990-91	567.96
1991-92	338.87
1992-93	129.91

(घ) और (ङ) दिल्ली राज्य में खादी संस्थाओं तथा खादी बोर्ड पर बकाया ऋण के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

संस्था का नाम	बकाया ऋण (रुपये लाख में)
आदर्श ग्रामोद्योग समिति	20.44
भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	4.97
दिल्ली गांधी स्मारक निधि	0.39
हगटाकालु कुटीर हंग रानी	7.34
जनता ग्रामोद्योग समिति	24.39
खादी समिति	30.49
खादी आश्रम	45.53
श्री गांधी आश्रम	54.78
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	0.24
दिल्ली के.वी.आई. बोर्ड	0.41

(च) संस्थाओं पर बकाया कुल ऋण में से 90 प्रतिशत से अधिक कार्यशील निधि है और शेष पूंजीगत व्यय ऋण है। जब तक संस्थाएं उत्पादन स्तर बनाए रखती हैं, तब तक उन्हें कार्यशील निधियां रखने की अनुमति दी जाती है। अति देय ऋणों के ब्यौरे के.वी.आई.सी. द्वारा तैयार एवं संगणित किए गए हैं और इनके राज्य/क्षेत्रीय निदेशकों को अतिदेय ऋणों की वसूली व्ययगत निधियों से करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण

1251. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग के कार्यकरण को अधिक परिणामोन्मुखी तथा उत्पादनशील बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए निरंतर

प्रयास किये जाते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और रामकृष्णैया समिति की नियुक्ति क्रमशः 1963, 1968 और 1987 में की गयी थी और उक्त समितियों की सिफारिशों के आधार पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के संगठन को पुनर्गठित करने के उपाय किये गये थे, ताकि इसे अधिक उत्पादक और सार्थक बनाया जा सके। इसके अलावा खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए अभ्युपायों की सिफारिश करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीवनदर्शन और नीतियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाना भी उक्त समिति के विचारणीय विषयों में से एक विषय है।

[हिन्दी]

औषधि उद्योग पर मूल्य नियंत्रण

1252. **डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधि निर्माता संघ की 32वीं वार्षिक बैठक में औषधि उद्योग से मूल्य नियंत्रण हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पेटेंटों सहित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से भारतीय औषधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक उपाय करने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) कीमत विनियंत्रण समेत औषध उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दे भारतीय औषध निर्माता संघ की 32 वीं वार्षिक बैठक में उठाए गए थे। औषध नीति, 1986, की पुनरीक्षा संबंधी पृष्ठभूमि नोट में इन पर ध्यान दिया गया है जिस पर सदन में चर्चा की गई है और उस पर निर्णय लेने का विचार करने का काम अग्रिम अवस्था में है।

लघु उद्योग

1253. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को मूल्य नियंत्रण से पूरी छूट दिये जाने के कारण उनमें भ्रष्टाचार पनपे हैं;

(ख) क्या ऐसा कोई मामला केन्द्र सरकार की जानकारी में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी छूट दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उनके लघु उद्योग एकक अपने ब्रांड नामों को उचित ढंग से सौंप कर/हस्तांतरित करके संगठित क्षेत्र के ब्रांड उत्पादों को बेच रहे हैं/उत्पादन कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे उत्पादनों के क्या नाम हैं; और

(छ) उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या नाम हैं जो अपने माल का निर्माण लघु उद्योग एककों से करा रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। लघु उद्योगों को किसी प्रकार के मूल्य नियंत्रण से छूट प्राप्त नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक लघु उद्योग एकक आपसी समझौता करके संगठित क्षेत्र के एककों के ब्रांड उत्पादों की मदें बना रहे हैं। इसमें अपना ब्रांड नाम समर्पित करना या हस्तांतरित करना निहित नहीं है। इस श्रेणी में आने वाले उत्पादों में निम्नलिखित मदें शामिल हैं- बिजली के उपकरण, रेडियो, टेलिविजन सेट, टेपरिकार्ड्स, टू इन वन और बिस्कुट, डबल रोटी, आइसक्रीम, मुर्गी दाना आदि जैसी खाद्य मदें तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं।

(छ) लघु उद्योग एककों से इस ब्रांड नाम के अधीन अपनी मदें बनवाने की व्यवस्था जिन बड़े एककों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कर रखी है, उनमें मेसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड, मेसर्स ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, मेसर्स पार्ले, मेसर्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मेसर्स जाय, मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मेसर्स जय इंजीनियरिंग तथा अन्य शामिल हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयां

1254. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नए औद्योगिक इकाइयों और संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु आज तक कितने आवेदन/प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) इन प्रस्तावों में कितनी धनराशि निहित है;

(ग) इसमें संभावित रोजगार का अनुमान क्या है;

(घ) कब तक इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(ङ) इन संयुक्त उद्यमों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1 फरवरी, 94 को महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के 286 आवेदन लम्बित थे।

संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तावों (विदेश सहयोग) में साधरणतया स्थापना स्थल का उल्लेख नहीं होता और इसलिए इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों में अर्न्तग्रस्त अचल सम्पत्ति निवेश 5224 करोड़ रुपये है।

(ग) उपर्युक्त आवदेनों में परिकल्पित रोजगार की संख्या 184375 है।

(घ) आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनायी गई क्षेत्रीय नीतियों, विशिष्ट मामलों में उनकी सिफारिशों और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर भी निर्भर करता है।

(ङ) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत का परमाणु कार्यक्रम

1255. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का परमाणु कार्यक्रम खाड़ी युद्ध के पश्चात् व्यापार प्रतिषेध के परिणाम स्वरूप एक कठिन चरण से गुजर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, नहीं। खाड़ी युद्ध के पश्चात् भारत के परमाणु कार्यक्रम पर कोई विशेष व्यापार प्रतिषेध नहीं है।

ब्रिटिश व्यापार शिष्टमंडल

1256. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने पिछले महीने दिल्ली और कलकत्ता का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन मुद्दों पर बातचीत की; और

(ग) उक्त स्थानों पर उद्योग लगाने तथा उद्योगों को अर्थक्षम बनाने में इस शिष्टमंडल ने क्या रुचि जताई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) कलकत्ता के रास्ते ब्रिटिश एयरवेज की उड़ानों को फिर से चालू करने के उपलक्ष्य में 9 से 12 फरवरी तक ब्रिटिश एयरवेज के अध्यक्ष लार्ड किंग की अध्यक्षता में ब्रिटेन के उद्योगपतियों, संसद सदस्यों और सिविल अधिकारियों के उच्च स्तरीय दल ने कलकत्ता का दौरा किया था।

(ख) 10 फरवरी को शिष्टमंडल बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों और उद्योग के अन्य अध्यक्षों से मिला था, जब दल को पश्चिम बंगाल में पूंजी निवेश की प्रेरक स्थिति के बारे में एक दस्तावेज दिया गया था। यह पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों से भी 11 फरवरी को मिला था।

(ग) चूंकि शिष्टमंडल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में मौजूद पूंजी निवेश की स्थिति से स्वयं को अवगत कराना था अतः राज्य में विशेष उद्योग स्थापित करने में अथवा उन्हें पुनर्जीवित करने के संबंध में कोई सूक्ष्म चर्चा नहीं हुई थी।

उर्वरक उद्योग का कार्यकरण

1257. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग समिति और उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यकरण के अध्ययन हेतु कोई अनुसंधान संगठन नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सरकार ने उर्वरक उद्योग के कार्यकरण के अध्ययन के लिए किसी अनुसंधान संगठन को नियुक्त नहीं किया है। तथापि, मैं. मार्केटिंग एण्ड डिवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स (एम.डी.आर.ए.) नई दिल्ली को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय के कार्यकरण का अध्ययन कार्य सौंपा गया है। मै. एम.डी.आर.ए. की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

औद्योगिक रुग्णता

1258. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक रुग्णता में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार और उद्योगवार अत्यधिक औद्योगिक रुग्णता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे गये और उसमें से कितने मामले निपटाये गये;

(घ) क्या सरकार ने औद्योगिक रुग्णता का मुकाबला करने के लिए कोई कार्यनीति बनाई है; और (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंको द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में आंकड़े एकत्रित करता है। ये आंकड़े छमाही रिपोर्ट के रूप में सरकार को भेजे जाते हैं। 1990, 1991 और 1992 मार्च के अंत तक लघु क्षेत्र तथा गैर लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिये गये हैं। लघु क्षेत्र और गैर लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-III और विवरण-IV में दिये गये हैं।

(ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड उनको भेजे गये कुल मामलों और एक वर्ष में निपटाये गये मामलों, जिसमें पहले लंबित पड़े मामलों की संख्या भी शामिल होती है, के आंकड़े एकत्रित करता है। पिछले तीन वर्षों में दर्ज किये गये मामलों की संख्या और निपटाये गये मामलों की संख्या इस प्रकार है :-

	दर्ज मामलों की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या
1991	155	182
1992	177	151
1993	152	256

(घ) और (ङ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से खोजने के लिए अनेक उपाय किये हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय विवरण-V में दिये गये हैं।

विवरण-I

मार्च 1990-91 और 1992 के अंत तक रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के राज्यवार ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मार्च, 1990 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1991 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1992 के अंत तक एककों की संख्या
1	2	3	4
असम	4512	4892	5317
मेघालय	61	66	68
मिजोरम	–	–	1
बिहार	5007	5171	7823
अरुणाचल प्रदेश	29	10	50
पश्चिम बंगाल	37448	30748	32022
नागालैंड	45	47	2039
मणिपुर	771	2278	2277
उड़ीसा	7194	7443	8415
सिक्किम	70	75	75
त्रिपुरा	465	605	670
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21	22	22
उत्तर प्रदेश	27862	27477	34150
दिल्ली	4346	4364	4705
पंजाब	5938	5288	5485
हरियाणा	3186	2720	3467
चंडीगढ़	290	305	342

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	1819	720	469
हिमाचल प्रदेश	834	848	1481
राजस्थान	9987	12196	14420
गुजरात	6174	6240	6581
महाराष्ट्र	19208	20332	20153
दमन और दीव	34	70	41
गोवा	1210	1148	1066
दादरा और नागर हवेली	7	7	5
मध्य प्रदेश	16716	17146	22333
आंध्र प्रदेश	30103	29487	29586
कर्नाटक	10252	12858	17316
तमिलनाडु	9891	10757	9797
केरल	15239	17973	14883
पाण्डिचेरी	119	179	216
योग	218828	221472	245575

विवरण-II

मार्च, 1990,1991 और 1992 के अंत तक गैर लघु औद्योगिक एककों के राज्यवार ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मार्च, 1990 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1991 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1992 के अंत तक एककों की संख्या
1	2	3	4
असम	8	7	7

1	2	3	4
मेघालय	1	1	1
बिहार	40	38	44
अरुणाचल प्रदेश	–	–	2
पश्चिमी बंगाल	195	185	197
नागालैंड	–	1	1
उड़ीसा	28	35	37
सिक्किम	1	1	1
उत्तर प्रदेश	84	94	109
दिल्ली	24	20	22
पंजाब	28	32	32
हरियाणा	46	49	55
चंडीगढ़	23	16	12
जम्मू और कश्मीर	1	2	2
हिमाचल प्रदेश	15	15	22
राजस्थान	46	52	54
गुजरात	155	154	155
महाराष्ट्र	322	301	301
दमन और दीव	1	1	1
गोवा	14	14	5
दादरा और नागर हवेली	2	2	3
मध्य प्रदेश	47	48	59
आंध्र प्रदेश	122	135	145

1	2	3	4
कर्नाटक	82	93	92
तमिलनाडु	133	127	124
केरल	32	34	48
पांडिचेरी	4	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	–	–
योग	1455	1461	1536

विवरण-III

रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के उद्योगवार ब्यौरे

क्रम सं.	उद्योग	मार्च, 1990 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1991 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1992 के अंत तक एककों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	इंजीनियरिंग	21721	24941	27253
2.	इलेक्ट्रिकल	5396	6057	6918
3.	वस्त्र	15176	16149	19162
4.	जूट	648	287	204
5.	कागज	2201	2634	2533
6.	रबड़	1255	2063	2989
7.	सीमेंट	691	737	1296
8.	लोहा एवं इस्पात	3085	2942	3403
9.	चीनी	374	384	374

1	2	3	4	5
10.	रसायन	9101	8203	10027
11.	अन्य	159180	157075	171416
	योग	218828	221472	245575

विवरण-IV

गैर लघु औद्योगिक एककों की उद्योगवार स्थिति

क्रम सं.	उद्योग	मार्च, 1990 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1991 के अंत तक एककों की संख्या	मार्च, 1992 के अंत तक एककों की संख्या
1.	इंजीनियरिंग	277	270	277
2.	इलेक्ट्रिकल	32	36	40
3.	वस्त्र	275	268	296
4.	जूट	35	37	38
5.	कागज	116	114	116
6.	रबड़	18	21	24
7.	सीमेंट	22	28	36
8.	लोहा एवं इस्पात	104	113	114
9.	चीनी	20	18	18
10.	रसायन	141	130	141
11.	अन्य	415	426	436
	योग	1455	1461	1536

विवरण-V

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कंपनी" (विशेष उपबंध अधिनियम 1985) बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" (बी.आई.एफ.आर.) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से निपटाना है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने मानीटरी प्रणाली को मजबूत बनाने और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंको को दिशा-निर्देश जारी किये हैं, ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैकों को दिशा-निर्देश दिए गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें उन मापदंडों को बताया गया है, जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनः स्थापना हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से जीवित किया जाता है। समामेलित रुग्ण एकक की पुनर्स्थापना के लिये स्वस्थ एकक को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्गठन के कारण प्रभावित कामगारों को मुआवजे का भुगतान कराने की व्यवस्था भी करेगी।

(7) भारत सरकार की सलाह से भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियां (एस.एल.आई.आई.सी.) स्थापित की हैं।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों, जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत की मामूली वार्षिक दर से सेवा प्रभार लेकर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी मिल जाती है।

(9) अत्यंत लघु और लघु उद्योगों के लिए एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना की गई है।

संभावित जीव्यक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए सिडबी द्वारा पुनर्स्थापना के लिए एक अलग पुनर्वित्त योजना का प्रबंध किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किया जाना

1259. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को बंद करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घाटे के कारणों का पता लगाया जाएगा और घाटे के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम को अब तक बन्द नहीं किया गया है। बहरहाल, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित तीन रुग्ण उद्यमों को बन्द करने की सिफारिशें की हैं :

1.	भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड	–	पश्चिम बंगाल
2.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड	–	-तदैव-
3.	राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लिमिटेड	–	महाराष्ट्र

(ग) और (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में इन बातों को ध्यान में रखा जाता है।

संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

1260. **श्री तारा सिंह :**
श्री तारा चन्द खण्डेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नाइट्रोजन की मांग और उत्पादन के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए भारतीय कंपनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यम परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबंध में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में नाइट्रोजन और फास्फेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। ओमन और ईरान में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए गए हैं। मेसर्स स्पिक फास्फेटिक उर्वरक उत्पादित करने के लिए जार्डन में संयुक्त उद्यम परियोजना निष्पादित कर रहा है। सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र की कुछ उर्वरक कम्पनियों ने कातार, साऊदी अराबिया तथा बरूनी जेसे अन्य देशों में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि प्रकट की है।

(ग) और (घ) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :-

(क) नए उर्वरक संयंत्रों तथा पुराने संयंत्रों के पुनरूद्धार के लिए पूंजीगत माल के आयात पर सीमाशुल्क 23-9-1992 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) नए एककों तथा 1-1-1991 को या उसके पश्चात चालू की गयी पुनरूद्धार परियोजनाओं द्वारा लिए गए दीर्घावधिक ऋणों पर सरकार द्वारा 3 प्रतिशत की ब्याज रियायत प्रदान की जाएगी, बशर्ते की अंतिम ब्याज दर 12 प्रतिशत या उससे ऊपर रहे।

(ग) अनियंत्रित उर्वरकों पर रेलवे भाड़ा सितम्बर, 1992 में कम किया गया था।

(घ) फास्फोरिक एसिड के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) स्वदेशी कम्पनियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतियोगिता करने के लिए सक्षम बनाने तथा सस्ते दरों पर फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी डी.ए.पी. पर 1000 रुपये प्रति टन की विशेष रियायत तथा कम्पलेक्स उर्वरकों तथा एस.एस.पी. के सम्बन्ध में आनुपातिक रियायत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की जा रही है।

परती भूमि विकास बल

1261. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की परती भूमि के विकास हेतु एक परती भूमि विकास बल गठित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(ग) किन स्रोतों से परती भूमि विकास बल गठित करने का विचार है; और

(घ) उनके लिये दिये जाने वाले पारिश्रमिक पैकेज का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के मुरैना तथा भिंड जिलों के बीहड़ क्षेत्रों सहित दुर्गम एवं कठिन क्षेत्रों में वनेत्तर बंजर भूमि विकास दल बनाने का प्रस्ताव रखा है। दल की संख्या बंजर भूमि की

उपलब्धता तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर होगी। तथापि, प्रस्तावित दल में लगभग 317 कार्मिक रखे जाने का प्रस्ताव है।

(ग) सेना/प्रादेशिक सेना अधिकारियों के अधीन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देकर बंजर भूमि विकास दल के गठन का प्रस्ताव है।

(घ) बंजर भूमि के विकास दल के लिए पारिश्रमिक पैकेज के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

हस्तांतरण विलेख का निष्पादन

1262. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में नकद भुगतान आधार पर प्रसाद नगर-II में एम.आई.जी. फ्लैटों के आवंटितियों में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए आवेदन किया था और क्या उसे दिल्ली विकास प्रधिकारण ने निष्पादित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं तो इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन सभी मामलों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए जा चुके हैं, जिनमें आवंटितियों ने हस्तांतरण विलेख के निष्पादन हेतु देयों का पूरा भुगतान तथा सभी दस्तावेजों औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विपणन और निरीक्षण महानिदेशालय का स्थानांतरण

1263. **श्री शरत पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विपणन और निरीक्षण महानिदेशालय को ग्रामीण विकास विभाग से कृषि एवं सहकारिता विभाग में स्थानांतरित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को 1974 में कार्यों के आबंटन के अंतर्गत जारी

एक अधिसूचना द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग से ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया था।

गुजरात में प्रधान मंत्री रोजगार योजना

1264. **श्री रति लाल वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण व सेवा केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु जल-विद्युत परियोजनाएं

1265. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) योजना आयोग ने 1993-94 के लिए इस प्रयोजनार्थ कुल कितना धन आवंटन किया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर आरंभ किया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए सामान्य रूप से ब्लाक योजना सहायता उपलब्ध कराती रही है। विशिष्ट क्षेत्रकों, परियोजनाओं/स्कीमों के लिए तब तक सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाती जब तक कि राज्यों द्वारा उन्हें "विशेष समस्याएं" मानदंड के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लिखित तथा आवंटित नहीं किया जाए।

(ख) और (ग) लघु जल विद्युत परियोजनाओं (2 मे.वा. से अधिक और 15 मे.वा. तक) हेतु 1993-94 के लिए अनुमोदित परिव्ययों का ब्यौरा और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए उनके स्थान निर्धारण की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

नाम	स्थापित क्षमता (मे.वा.)	अवस्थिति/जिला	अनुमोदित परिव्यय 1993-94 (रुपये लाख में)
महाराष्ट्र			
1. उज्जानी	1x12	सोलापुर	390
2. सूर्या	1x6	थाणे	140
3. मानिकदोह	1x6	पुणे	170
4. दिंभे	1x5	पुणे	170
5. माजलगांव	3x0.75	बीड	400
6. करन्जवान	1x3	नासिक	80
		उपजोड़	1350
आंध्र प्रदेश			
1. सिंगुर	2x7.5	मेडक	400
		उपजोड़	400
		जोड़	1750

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा

1266. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए श्री डी.आर. मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

(ख) समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की कमी

1267. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों (उत्तराचंल) में पेयजल की अत्यधिक कमी है; और

(ख) इस समस्या को दूर करने हेतु बड़े एवं छोटे स्तरों पर कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, हां। 1-2-1994 को उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की सूची के अनुसार पता लगाये गये 92 गांवों के अलावा पर्वतीय जिलों के 1985 के सर्वेक्षण के अनुसार पता लगाये गये 68 समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल की समस्या थी।

(ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए व्यापक और सूक्ष्म स्तर पर किए गए उपाय निम्नलिखत हैं :-

(1) 1991-92 और 1992-93 में 36.48 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई थी।

(2) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन को 1992-93 में 47.24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1993-94 में 76.48 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(3) झरनों/नदी स्त्रोतों जैसे जल एकत्रीकरण ढांचों आदि पर आधारित ग्रेविटी/पंपिग योजनाएं तैयार की गयी हैं और उन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) उत्तरकाशी, टिहरी, चमौली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और देहरादून के गांवों के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना तैयार की गई है।

द्वारका में आवास समितियों को भूमि आवंटन

1268. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका फेज-एक में जिन समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित की गई है उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए छोड़ी जाने वाली भूमि की कीमत और बाद में समितियों के द्वारका फेज-दो में उपयोग हेतु मुफ्त दी जाने वाली भूमि की कीमत भी वहन करती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि खाली छोड़ी जाएगी और फेज-एक की समितियों द्वारा फेज-दो की समितियों का बोझ वहन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या द्वारका फेज-एक की समितियों के लिए इस प्रकार की भूमि की कीमत उन समूह आवास समितियों से वसूल की गई थी, जिन्हें पहले भूमि आवंटित की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो द्वारका फेज-एक की समितियों के साथ भेद-भाव बरते जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि चरण-I और चरण-II की कुल भूमि अधिग्रहण लागत मिला दी गई है तथा दोनों चरणों में क्षेत्रों के अनुपात में चरण-I के लिए लागू की गई है और खाली भूमि की लागत प्रत्येक चरण द्वारा अलग से वहन की जानी है।

(ग) 1983 से पूर्व पंजीकृत कुछ समितियों को ही भूमि आवंटित की गई थी। 1991-92 से पहले, दिल्ली विकास प्राधिकरण में भूमि दरों की गणना के लिए विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण पद्धति नहीं अपनाई गई थी और इस प्रकार द्वारका चरण-II की भूमि अधिग्रहण लागत को चरण-I की लागतों के साथ मिलाने का कोई प्रश्न नहीं था।

(घ) बहुत-सी समितियों ने सहकारी सामूहिक आवास समितियों से वसूल की जाने वाली पूर्व निर्धारित दरों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 4184/92 में अपने फैसले के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों और 1983 में पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों के बारे में अपनाई गई पद्धति पर रोक लगा दी है। अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि 1983 से पूर्व की समितियों को 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1991 में आवंटन के पुष्टि पत्र भेजे गए थे, इसलिए 1983 से पूर्व की समितियों से 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कम दर वसूल करने का भी आदेश दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्लोवाकिया से बख्तरबन्द रिकवरी वाहन

1269. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्लोवाकिया से मुख्य युद्धक टैंक टी-72 पर आधारित 35 वी.टी.-72 बी. बख्तरबन्द रिकवरी वाहन खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) स्लोवाकिया से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के आधार पर भारतीय सेना को बख्तरबन्द रिकवरी वाहनों की आपूर्ति किए जाने

के लिए मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ संविदा की गई है। मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रमुख उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो देशी और विदेशी विभिन्न स्रोतों से खरीदी गई प्रणालियों का एकीकरण करेंगी। इनके चेसी भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी से लिये जाएंगे।

आई.डी.एस.एम. एण्ड टी. के अन्तर्गत सहायता

1270. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991 की जनगणना के अनुसार तीन लाख तक की जनसंख्या वाले छोटे तथा मंझौले कस्बों को आई.डी.एस.एम. एण्ड टी. योजना के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो नये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक के कितने छोटे तथा मंझोले कस्बों को शामिल किया गया है; और

(ग) 1993-94 के दौरान कर्नाटक को इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता दी गई/दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे और मंझौले कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की संशोधित स्कीम के अन्तर्गत आठवीं योजना अवधि के दौरान लाभान्वित किए जाने के लिए कर्नाटक राज्य के 15 कस्बे नियत किए गए हैं। कर्नाटक राज्य द्वारा आवंटित कस्बों का पूरा लाभ उठा लिया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत शामिल 8 नए कस्बों के लिए कर्नाटक राज्य को 1.66 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है।

भारतीय पुनर्प्रयोजन ऊर्जा विकास अभिकरण के उद्देश्य

1271. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

(ख) भारतीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं योजना के लिए भारतीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के अलावा नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन और विकास के लिए एक आवर्ती निधि (रिवाल्विंग फंड) को संचालित करना और विशिष्ट परियोजनाओं, योजनाओं, विनिर्माणकर्ता एककों, लीजिंग

एवं वित्तीय बिचौलियों को उदार ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों का वाणिज्यीकरण करना है। इरेडा के उद्देश्यों में परियोजनाओं के वित्त पोषण की भी परिकल्पना की गई है जिनके द्वारा ऊर्जा के संरक्षण में मदद मिलती है, आधुनिकीकरण की योजनाओं और आपारंपरिक ऊर्जा उद्योगों पुर्नोद्धार कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है तथा साथ ही परामर्शी सेवाएं और सम्बद्ध कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इरेडा ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :- विभिन्न राज्यों में उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए; प्रचार माध्यमों सेमीनारों, व्यापार बैठकों आदि के माध्यम से अभियानों द्वारा नए तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के अनुप्रयोगों के प्रति अधिक जागरूकता लाई गई बाजार से ऋण लेकर और इसके अलावा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्त्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाए; ऋणों की मंजूरी और संवितरण के लिए मार्ग निर्देश बनाए गए; वित्तीय संस्थाओं से सह वित्त पोषण के लिए संभावनाओं का पता लगाया गया; परामर्शदाताओं को शामिल करके व्यवसायिक विशेषज्ञता को सुदृढ़ किया गया; तकनीकी और उत्पादन संगठनों, राज्य एजेंसियों एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ संबंध स्थापित किए गए जिसके फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91 से 1992-93 के दौरान कुल 73.84 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता से 163 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है।

(ग) आठवीं योजना के लिए इरेडा के कार्यक्रम में 588 करोड़ रुपये की राशि के संवितरण के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है जिसमें पवन ऊर्जा के लिए लगभग 221 करोड़ रुपये, लघु जल विद्युत के लिए 200 करोड़ रुपये बायोगैस उत्पादन के लिए 35 करोड़ रुपये, बायोगैस उपयोग के लिए 20 करोड़ रुपये, सौर ऊर्जा के लिए 66 करोड़ रुपये, सह-उत्पादन के लिए 43 करोड़ रुपये और अन्य परियोजनाओं के लिए 3.0 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अखबारी कागज के कारखानों में संकट

1272. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज के आयात के कारण अखबारी कागज के कारखानों में व्याप्त संकट के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने इन कारखानों को बन्द होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया है; और

(घ) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड बेल्लोर, केरल में इस समय कितनी मात्रा में अखबारी कागज बिकने के लिए पड़ा है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) अखबारी कागज के कारखानों तथा भारतीय अखबारी कागज निर्माता संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि :

(1) अखबारी कागज ई.एक्स.आई.एम. (एक्सिम) नीति के अधीन निर्धारित सीमा से ज्यादा अखबारी कागज का निर्यात कर रहे हैं।

(2) अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची 1 में कई अतिरिक्त कारखानों के शामिल हो जाने के कारण, अखबारी कागजों की स्वदेशी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसलिए, अखबारी कागज एककों द्वारा अखबारी कागज के आयात हेतु पात्रता में उचित कटौती करने की आवश्यकता है।

(3) बाजार में बहुत अधिक मात्रा में सस्ता आयातित अखबारी कागज उपलब्ध होने के कारण, अखबारी कागज एकक स्वदेशी कारखानों से अपेक्षित मात्रा में अखबारी कागज नहीं उठा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप, स्वदेशी मिलों में बहुत अधिक मात्रा में बिना बिके कागज का भंडार का अंबार लग गया है।

(ग) जब स्वदेशी उद्योग की मदद करने की जरूरत होती है तो सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

(घ) 15-2-1994 को हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड बैल्लूर, केरल के पास बिना बिके पड़े हुए अखबारी कागज की मात्रा 10,100 मी. टन बताई जाती है।

पेयजल के लिए धनराशि

1273. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे कितने गांवों का पता लगाया गया है, जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने 1993-94 के दौरान कुएं खोदने के लिए कोई विशेष धनराशि नियत की है;

(ग) क्या इन गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य के इन गांवों में कब तक पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) 1-1-1994 को ऐसे 22 समस्याग्रस्त गांव थे जहां मानदण्डों के अनुसार पेयजल सुविधा नहीं थी।

(ख) पेयजल के लिए कुएं खोदने हेतु निधियां मुहैया नहीं करायी जाती हैं। तथापि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए आबंटन में 1992-93 के 33.90 करोड़ रुपये की तुलना में 1993-94 में वृद्धि करके इसे 54.88 करोड़ रुपये किया गया है। (ग) जी, हां।

(घ) शेष समस्याग्रस्त गांवों में 31-3-1995 तक पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की संभावना है।

उद्योगों के लाइसेंस समाप्त करना

1274. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या व्यापक निर्यात क्षमता वाले उद्योगों के लाइसेंस समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी, बियर तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भी लाइसेन्स समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रक्रिया को और अधिक उदार तथा सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) इस समय सुरक्षा और सामाजिक, महत्व के विषयों, सामाजिक कारणों सुरक्षा संबंधी समस्याओं और सर्वोपरि पर्यावरण के मुद्दों जैसे कारणों से केवल 16 उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जरूरी है। आगे और उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) विदेशी पूंजी निवेश संबंधी कार्यविधियों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

पेयजल योजनार्थ

1275. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
श्री प्रबीन डेका :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी एजेंसियां मध्य प्रदेश और असम के शहरों में पेय जल योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध करने पर सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) के लिए विदेशी सहयोग

1276. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री हरिन पाठक :
श्री तारा सिंह :
श्री तारा चंद खंडेलवाल
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सुधीर सावंत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी;

(ख) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या भारत ने इस उद्यम के लिए विदेशी सहयोग आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन 1983 में शुरू किया गया था। पूरे पैमाने पर इंजीनियरी विकास कार्य के अंतर्गत दो वायुयानों के निर्माण के लिए अप्रैल, 1993 में मंजूरी दी गई थी।

(ख) निर्माण परियोजना के चरण निर्धारण करने का काम पूरा हो गया है और अब पूरे पैमाने पर इंजीनियरी विकास कार्य किया जा रहा है। संघटकों और उप प्रणालियों का निर्माण, संयोजन और एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पहली तकनालीजी प्रदर्शक उड़ान जून, 1996 में आयोजित किए जाने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकार ने हल्के युद्धक वायुयानों के निर्माण कार्यक्रम के लिए अमरीका और यूरोपीय देशों से वित्तीय तथा तकनीकी भागीदारी करने के संबंध में अक्तूबर, 1992 में अपनी स्वीकृति दे दी थी। उन देशों की भागीदारी से वित्तीय व्यय में कमी होने, महत्वपूर्ण तकनालाजी प्राप्त होने, निर्यात की सम्भावनाएं बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय विमानन उद्योग के अग्रणी बन जाने से देश को लाभ होगा। इस बारे में केवल प्रारंभिक विचार-विमर्श हुआ है। अभी तक कोई करार नहीं किया गया है और इसलिए इस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का हिसाब नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए आवंटन

1277. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के बजट में राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा विश्व बैंक से संस्थावार इस कोष के लिए कितना अंशदान प्राप्त हुआ है;

(ग) इस कोष से धनराशि के आवंटन हेतु क्या औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं; और

(घ) इस कोष से किस प्रयोजनार्थ व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 और 1993-94 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए आबंटित धन राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वित्तीय वर्ष 1992-93	वित्तीय वर्ष 1993-94
829.66 करोड़ रुपये	1020 करोड़ रुपये

राज्य सरकारों, वित्तीय प्रतिष्ठानों, सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों से कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है। विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा नेट, जिसमें राष्ट्रीय नवीकरण कोष भी शामिल है, को मजबूत करने के लिए क्षेत्र समंजन ऋण के रूप में 500 मिलियन अमेरिकी डालर दिये हैं। टाइटल पी.एल. 480 कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए लगभग 175 करोड़ रुपया द्विपक्षीय सहायता के रूप में भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) शुरू में राष्ट्रीय नवीकरण कोष से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता दी गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए धन का आबंटन वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु धन राशि के आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 1993-94 में, एकक के बंद/पुनर्स्थापना की स्थिति में श्रमिक मुआवजा योजना के लिए तथा राज्य सरकारी क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 140 करोड़ रुपये, श्रमिकों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देने तथा क्षेत्र पुनः सृजन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि मुहैया की गयी है।

विवरण

केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने हेतु एन.आर.एफ. से निधियों का आबंटन।

(रु. करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	संशोधित अनुमान 1992-93	बजट अनुमान 1993-94
1	2	3
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	**21.60**	**41.50**

1	2	3
स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट फारमास्यूटीकल्स लिमिटेड	1.00	1.00
बंगाल कैमिकल्स एंड फारमास्यूटीकल्स लिमिटेड	2.00	2.50
बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	2.00	1.50
इंडियन ड्रग्स एंड फारमास्यूटीकल्स लिमिटेड	15.00	34.00
हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	1.60	2.50
उर्वरक विभाग	**62.50**	**58.50**
हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड	22.00	15.00
फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25.00	25.00
पाइराइट्स, फोस्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड	0.50	0.50
प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	15.00	18.00
पर्यटन विभाग	-	**8.73**
इंडियन टूरिजम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	-	8.73
नागरिक आपूर्ति मंत्रालय	-	**14.00**
हिन्दुस्तान वैजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन	-	14.00
रक्षा मंत्रालय	-	**10.00**
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेट	-	10.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**0.34**	**2.00**
माडर्न फूड	0.34	2.00
भारी उद्योग विभाग	**153.00**	**136.00**
इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज	141.00	128.00
कंजूमर इंडस्ट्रीज	11.50	8.00
अन्य उद्योग	0.50	

1	2	3
खान मंत्रालय	-	**29.95**
इस्पात मंत्रालय	**41.00**	**41.00**
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शंन लिमिटेड	30.00	30.00
भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड	3.00	3.00
बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज	8.00	8.00
भूतल परिवहन मंत्रालय	**52.66**	**85.00**
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	10.00	10.00
हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	4.66	5.00
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	30.00	60.00
सैंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लि.	8.00	10.00
वस्त्र मंत्रालय	**488.56**	**261.32**
नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन	2.00	2.00
ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	0.75	0.75
जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया	0.50	0.50
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन	440.00	225.00
एलिगन मिल्स	35.25	27.15
कानपुर टैक्सटाइल मिल्स	10.06	5.92
जल संसाधन मंत्रालय	**10.00**	**12.00**
नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन लिमिटेड	10.00	12.00
कुल	829.66	700.00

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अन्य कार्यों के लिए निधियां शामिल हैं, जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1	2	3
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन	100.00	50.00
एल्गिन मिल्स	20.00	10.00
कानपुर टैक्सटाइल मिल्स	2.00	1.00

संशोधित समेकित विकास योजना

1278. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गांवों के लिए कोई संशोधित समेकित विकास योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र को इसमें किस प्रकार शामिल किया जाएगा; और

(घ) राज्य सरकारों को निधि प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जायेंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की मतदाता सूची

1279. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की 1993 की मतदाता सूची की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 के पूर्व और पश्चात् मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या का चुनाव क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आवेदकों की वर्तमान स्थिति अर्थात् सूची में शामिल किए गए अतिरिक्त मतदाताओं की संख्या, शामिल किए जाने से मना किए गए और विचाराधीन मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1 जनवरी, 1994 को सामान्य संशोधन को छोड़कर मतदाता सूची, 1993 के अन्तिम प्रकाशन की तिथि का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) दिल्ली की 1993 की निर्वाचक नामावलियां अभी प्रवर्तन में हैं।

(ख) और (ग) निर्वाचक नामावलियों में नामों को शामिल करना/हटाया जाना और प्रविष्टियों का संशोधित किया जाना। एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है, जो सुसंगत नियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन की जाती है। नवम्बर, 1993 में जब सभा निर्वाचन हुए थे, तब निर्वाचक नामावलियों में कुल 58,30,500 निर्वाचक थे। 9-12-93 से 24-12-93 के बीच फाइल किए गए, स्वीकार किए गए, नामंजूर किए गए और विचाराधीन दावों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) 57 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 9-3-1993 को किया गया था, जबकि शेष 13 सभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां 2-4-1993 को प्रकाशित कर दी गई थीं।

सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सभा निर्वाचनों से पूर्व मतदाताओं की कुल संख्या	9-12-93 से 24-12-93 तक प्राप्त दावे	स्वीकार किए गए दावे	नामंजूर किए गए दावे	पुलिस सत्यापन के नए और विचाराधीन दावे
1	2	3	4	5	6
1.	83254	108	103	5	–
2.	85869	241	315	26	–
3.	74600	7203	6780	423	–
4.	82595	2452	1823	629	–
5.	88328	3042	2642	302	98
6.	82497	11802	9864	1871	67
7.	74617	6655	2526	2958	1171
8.	88362	9880	8517	1363	–
9.	63647	10576	7203	3373	–
10.	82955	5099	4525	574	–

1	2	3	4	5	6
11.	75666	5048	3383	1665	–
12.	96724	4495	3989	506	–
13.	87264	2106	1452	654	–
14.	80001	2252	1902	350	–
15.	81164	4047	4047	–	–
16.	88808	7716	7716	–	–
17.	76775	5097	5097	–	–
18.	83603	3151	3151	–	–
19.	91408	4634	4634	–	–
20.	104802	13134	12142	992	–
21.	95859	13338	13338	–	–
22.	90541	7804	7804	–	–
23.	91952	2440	1571	869	–
24.	79704	1392	1392	–	–
25.	85679	5374	5061	313	–
26.	87726	5199	4660	539	–
27.	113324	5217	4798	419	–
28.	83991	2646	2239	407	–
29.	103734	8300	5637	2663	–
30.	85405	8667	7682	985	–
31.	85198	2623	2623	–	–
32.	88136	7132	7132	–	–

1	2	3	4	5	6
33.	77962	6267	6267	–	–
34.	72867	2109	1623	486	–
35.	79865	8576	6769	1807	–
36.	95858	14571	10887	3684	–
37.	85762	2700	1770	930	–
38.	87196	6584	6379	205	–
39.	81221	4513	3774	939	–
40.	80414	8413	7158	1255	–
41.	73604	8418	7337	1081	–
42.	81340	5612	4253	1359	–
43.	90024	5684	5179	505	–
44.	83629	2924	2695	229	–
45.	64935	11534	8523	2035	976
46.	73507	4264	3470	794	–
47.	79847	4151	3860	345	–
48.	61307	16131	15392	739	–
49.	55697	30800	22983	7877	–
50.	69642	2999	2226	773	–
51.	78666	3684	3344	290	–
52.	103979	9063	6533	2530	–
53.	90983	3438	2856	582	–
54.	73777	6069	3866	2203	–

1	2	3	4	5	6
55.	97531	6138	1807	4331	–
56.	78436	18683	12883	5880	–
57.	82674	4928	4089	839	–
58.	64038	9954	7697	1890	367
59.	81272	4227	3793	434	–
60.	81205	6188	5163	1025	–
61.	81710	7848	7607	241	–
62.	84649	7231	6719	612	–
63.	85579	7116	6219	897	–
64.	88901	5888	4527	1361	–
65.	88657	12604	9118	3486	–
66.	87713	3351	2210	1141	–
67.	77655	9011	7270	1741	–
68.	84529	6558	5999	559	–
69.	84893	2799	2431	368	–
70.	71891	5140	4172	968	–
योग	5830500	465088	384482	77927	2679

निर्माण केन्द्र संबंधी समिति

1280. **श्री शरत पटनायक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण केन्द्रों के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने तथा उन पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने देश में भवन निर्माण केन्द्र कार्यक्रम की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति पहले ही गठित कर ली है। इस समिति में ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, हुडको, भवन निर्माण प्रौद्योगिकी तथा सामग्री संवर्धन परिषद, दो राज्य सरकारों (क्रम से) राज्य स्तर के दो भवन निर्माण केन्द्रों (क्रम से) फिक्की तथा दो गैर-सरकारी संगठनों के (क्रम से) प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति को विकेन्द्रीकृत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार के सम्पूर्ण कार्यकलाप की समीक्षा तथा कौशल में सुधार करने तथा राज्य सरकारों, बी.एम.पी.टी.सी., हुडको और सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर की अन्य सम्बन्धित एजेंसियों को समुचित अनुदेश/सलाह देनी होती है। समिति को एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक बुलानी है।

औषध निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1281. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषण निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी प्रबन्ध समितियों के साथ 3 मार्च , 1993 को इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रत्येक में कामगारों की संख्या को दर्शाते हुए उनमें किये गये निवेश और रुग्णता की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) किये गये समझौतों की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इन रुग्ण उद्यमों को अर्थक्षम बनाने की दिशा में किए गए इन समझौतों को अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) सामचार पत्रों की रिपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि 4 फरवरी, 1994 को हुई औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की बैठक में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

द्वारका में सहकारी समूह आवास समितियों को बेची जाने वाली भूमि

1282. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लागत लाभ विश्लेषण किया है जिसे दिनांक 31 मार्च, 1993 को दिल्ली उच्च न्यायालय में सहकारी समिति संघ बनाम भारत सरकार के मामले में प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका आधार क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका में समूह आवास समितियों को 1100.43 रुपये प्रति वर्ग मीटर जिसमें भूमि अधिग्रहण और इसका विकास शामिल है, भूमि के बिक्री की अलग-अलग दर बताई है;

(घ) यदि हां, तो भूमि के अधिग्रहण और कार्य की सभी मदों सहित भूमि विकास के अलग-अलग व्यय की लागत तैयार करने का आधार क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों के भू आवंटितियों के लिए उनके संबंधित श्रेणियों पर लागू होने वाली बिक्री दर निर्धारित करने के बहुआयामी कारकों को बताया है; और

(च) यदि हां, तो द्वारका के लिए तैयार मास्टर प्लान में प्रत्येक श्रेणी के लिए बिक्री योग्य भूमि हेतु निर्धारित मूल्य का ब्यौरा क्या है,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 1992-93 तक के सभी वास्तविक और सम्भावित आय-व्यय के प्रसंग में यथा सम्भव गणना और कटौती की जा चुकी है। रुपये 1,100.43 की समान दर पूरी परियोजना के लिए आंकी गई है। यह दर केवल सहकारी समूह आवास समितियों पर ही नहीं बल्कि बहुप्रयोजनीय भू उपयोगों की सभी श्रेणियों पर लागू है।

(घ) व्यय के प्रमुख घटक निर्माण कार्य की निम्नलिखित दरों से सम्बन्धित है :-

भूमि विकास	(रुपये लाखों में)
1. सड़क	65.00 रुपये
2. सीवर	105.00 रुपये
3. जलापूर्ति	105.00 रुपये
4. नालियां	57.00 रुपये
5. पार्क	21.00 रुपये
6. बिजली	164.00 रुपये
7. विविध	58.30 रुपये
8. वृहत योजना सड़कें	50.71 रुपये
योग :	667.26 रुपये

वर्ष 1992-93 के लिए भूमि विकास व्यय में कटौती की गई है।

2. फेज-1 की कटौती वाली संग्रहीत भूमि की अधिग्रहण लागत 248.12 करोड़ रुपये है तथा कटौती किया गया अतिरिक्त हर्जाना 94.511 करोड़ रुपये है।

(ङ) जी, हां।

(च) द्वारका फेज-1 से श्रेणी के प्रत्येक टाइप के लिए निर्धारित बिक्री योग्य भूमि के ब्यौरे इस प्रकार है :-

1. रिहायशी	498.70 हेक्टेयर
2. रिहायशी सहायक सुविधाएं	125.320 हेक्टेयर
3. कुल जिला केन्द्र	33.690 हेक्टेयर
4. कुल सामुदायिक केन्द्र	15.677 हेक्टेयर
5. कुल उद्योग	31.050 हेक्टेयर
6. कुल सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक	185.710 हेक्टेयर
7. अन्य	194.853 हेक्टेयर
कुल बिक्री योग्य भूमि	1085.000 हेक्टेयर

1862 हेक्टेयर सकल क्षेत्र में से कुल बिक्री योग्य भूमि 1085.00 हेक्टेयर है तथा निपटान योग्य भूमि 1130.45 हेक्टेयर है।

निर्यात से अर्जित आय

1283. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति और प्रक्रियाओं के उदारीकरण से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्यात आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1993-94 में इन उपक्रमों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा में 1991-92 और 1992-93 की तुलना में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1992 97 तक की नई आयात और निर्यात नीति 1-4-1992 से प्रभावी हुई थी। निर्यात आय से समबन्धित नीति का प्रभाव आंकलित करना असामयिक होगा। बहरहाल,

उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्यात आय विशुद्ध रूप से 1991-92 के 8979.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 1992-93 में 10345.07 करोड़ रुपये हो गई। उसका ब्यौरा 23-2-1994 को संसद में प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड I की पृष्ठ संख्या 173-181 पर दिया गया है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

1284. **श्री रामदेव राम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के विरूद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के अध्यक्ष सहित उसके काम के विरूद्ध शिकायतें मिली थीं। प्राप्त हुई प्रमुख शिकायतों में से कुछ निम्नलिखित के बारे थी। के.वी.आई.सी. द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. को मिल निर्मित बैरेक कंबलों की आपूर्ति (2) संभाव्यता रिपोर्ट आदि प्राप्त किये बिना के.वी.आई.सी. मेरठ क्षेत्र में ऋण का वितरण (3) सरकार के प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करके के.वी.आई.सी. में अधिकारियों की नियुक्ति (4) के.वी.आई.सी. में फालतू प्रशासनिक खर्चे।

सदन में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर कुछ शिकायतों के बारे में उद्योग मंत्रालय के एक अपर सचिव द्वारा जांच की गई है।

उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पहले ही कार्यवाही आरंभ कर दी है। सरकार ने आयोग को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

(1) विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए चुने गये क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में के.वी.आई.सी. द्वारा पॉलीवस्त्र सहित खादी बनाने के लिए किसी नए संस्थान का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

(2) के.वी.आई.सी. द्वारा ग्रामोद्योग के लिए किसी नयी संस्था को प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे सभी मामलों में उनका वित्तीयन राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) के.वी.आई.सी. उन संस्थाओं के काम की तुरंत समीक्षा करे जो पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किये गये हैं और सरकार को रिपोर्ट भेजें।

(4) आयोग को तब तक कोई संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए, जब तक वह इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में अलग से निधि का आवंटन प्राप्त न कर ले।

(5) वर्तमान आयोग नये आयोग के गठन तक किसी भी सोसायटी/संस्था को कोई धनराशि स्वीकृत न करें।

महाराष्ट्र के लिए शहरी विकास योजनाएं

1285. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1992-93 में शहरी विकास योजनाओं के लिए कितनी धनराशि की मांग की है;

(ख) अब तक स्वीकृत की गयी राशि का ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके विकास कार्यों के लिए यह राशि खर्च की गई/खर्च की जाएगी; और

(ग) शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अपने शहरीकरण नीति विषयक दस्तावेज में आठवीं योजना अवधि के दौरान छोटे तथा मझौले शहरों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत प्राथमिकता विकास के लिए 20 कस्बों का निर्धारण किया है। आठवीं योजना अवधि के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के तहत शामिल करने हेतु महाराष्ट्र राज्य को अनंतिम रूप से 17 कस्बे आवंटित किये हैं। इस अनन्तिम नियतन के प्रति 15 कस्बों की परियोजना रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और 3.78 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत कर दी गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के कस्बावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आई.डी.एस.एम.टी. के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये परियोजना प्रस्तावों को प्रचालित दिशा-निर्देशानुसार तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर मंजूरी दी जाती है।

क्र.सं.	कस्बा	रु. लाख में
1	2	3
	1992-93	
1.	जलगांव	40.00
2.	श्री रामपुर	35.00
3.	सिरीपुर (वारवाड़े)	20.00
4.	वानी	20.00
5.	अम्बाड़	10.00
6.	अहमदनगर	35.00

1	2	3	
7.	कोपरगांव	20.00	
8.	लातुर	20.00	
9.	फल्तान	16.132	योग–216.132
	1993-94		
10.	संगमनेर	22.00	
11.	सांगली	40.00	
12.	धूले	40.00	
13.	मुखेड़	12.00	
14.	पचौरा	24.00	
15.	वरोरा	24.00	योग–162.00
	सकल योग	278.132	अर्थात् 3.78 करोड़

ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र

1286. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र पर कुल कितना खर्च किया;

(ग) इन केन्द्रों से ग्रामीण लोग किस प्रकार लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या इन केन्द्रों में ब्लाक और पंचायत स्तर पर ग्रामीण युवाओं को टी.वी. ट्रांसमीटर की मरम्मत करने का प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख) राजस्थान के जयपुर में केवल एक ही ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र (आई.ई.टी.सी.) सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स

लिमिटेड (आर.ई.आई.एल.) की एक इकाई के रूप में अप्रैल, 1990 से कार्य कर रहा है। भारत सरकार ने निम्नलिखित सहायता अनुदान जारी किए हैं :-

वर्ष	जारी की गई राशि
1980-90	5 लाख रुपये
1991-92	15 लाख रुपये
1992-93	11 लाख रुपये

(ग) आर.ई.टी.सी., जयपुर द्वारा विकसित उत्पादों का क्षेत्रीय परीक्षण खण्ड/पंचायत स्तर पर किया जाता है। कम्प्यूटरीकृत दुग्ध संग्रह प्रणाली की उत्पाद श्रृंखला से स्वचालन के साथ-साथ दुग्ध संग्रह के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों के स्तर पर दुग्ध व्यवसाय करने वाले किसानों को उचित एवं शीघ्र भुगतान करने में सहायता मिली है। सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों (एस.पी.वी.) से सुदूर क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं पहुंची है पम्पिंग, लाइटिंग, दूर संचार, मनोरंजन, आदि उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का उत्पादन

1287. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मूल उर्वरकों का मद वार कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) इन्हीं वर्षों में इनका मदवार कुल कितना आयात और निर्यात किया गया;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कुल कितना अनुमानित उत्पादन किया जाएगा और कुल कितना आयात/निर्यात किया जाएगा;

(घ) चालू वर्ष के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में होने वाले अनुमानित उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों के उपयोग पर कितनी अनुमानित राजसहायता दी जाएगी; और

(च) क्या राजसहायता बिना किसी भेदभाव के दी जाती है और क्या यह उत्पादक को दी जाएगी अथवा वास्तविक उपभोक्ता को दी जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक न्यूट्रिएन्ट्स के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(लाख मी. टन न्यूट्रिएन्ट्स)

उर्वरक का नाम	उत्पादन 1990-91	उत्पादन 1991-92	उत्पादन 1992-93
नाइट्रोजन	69.93	73.01	74.30
फास्फेट	20.51	25.62	23.06

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित उर्वरक न्यूट्रिएन्ट्स की मात्राएं निम्न प्रकार हैं :-

(न्यूट्रिएन्ट लाख मी. टन)

उर्वरक का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
नाइट्रोजन	4.14	5.66	11.73
फास्फेट	10.16	9.67	7.81
पोटाश	13.28	12.36	10.82

1991-92 के दौरान 20,000 टन यूरिया और 10,000 टन डी.ए.पी. तथा 1992-93 के दौरान, 15000 टन यूरिया नेपाल को उनकी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया गया था।

(ग) चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का प्रत्याशित उत्पादन निम्न प्रकार है :-

(लाख मी.टन न्यूट्रिएन्ट्स)

उर्वरक का नाम	प्रत्याशित उत्पादन 1993 94
नाइट्रोजन	73.00
फास्फेट	18.30

चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1993 तक निम्नलिखित उर्वरक उत्पादों का आयात किया गया था।

उत्पाद का नाम	(लाख मी.टन)
यूरिया	20.79 (लगभग)
डी.ए.पी.	15.70 (लगभग)
एम.ओ.पी.	12.29 (लगभग)

चालू वर्ष के दौरान 76,000 टन सिंगल सुपर फास्फेट के निर्यात के लिए "अनापत्ति" दी गयी है। निर्यात की गयी सही मात्राएं ज्ञात नहीं हैं।

(घ) वर्ष 1993-94 के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्याशित उर्वरक उत्पादन नीचे दिया गया है :

(लाख मी. टन न्यूट्रिएन्ट्स)

	1993-94 के लिए प्रत्याशित उत्पादन	
	नाइट्रोजन	फास्फेट
सार्वजनिक क्षेत्र	29.88	5.25
निजी क्षेत्र	26.78	9.59

(ङ) वर्ष 1993 94 के लिए उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए दिसम्बर, 1993 में प्राप्त 500 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान सहित, 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(च) स्थानीय करों को छोड़कर, सम्पूर्ण देश में नियंत्रित उर्वरक सांविधिक रूप से अधिसूचित मूल्यों पर किसानों को बेचे जाते हैं। उर्वरक आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत निर्माताओं को सरकार द्वारा मूल्यांकित उत्पादन लागत की तुलना में बिक्री के माध्यम से प्राप्त निम्न वसूली के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। उसी प्रकार, नियंत्रित आयातित उर्वरकों के मामले में सरकार, आयात लागत और किसानों के बिक्री मूल्य के बीच के अन्तर को वहन करती है।

औषधि (वितरण और नियंत्रण) आदेश, 1986

1288. **श्री शरत पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जीवन रक्षक औषधियों हेतु (औषधि वितरण) और नियंत्रण आदेश, 1986 की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) ऐसा कोई आदेश नहीं है। फिर भी सरकार ने औषध नीति, 1986 की घोषणा के बाद औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 जारी किया था। उक्त नीति समीक्षाधीन है और यदि कोई संशोधन तय किया जाता है, तो डी.पी.सी.ओ. में 1987 में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियां

1289. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति अपनाने के बाद भारत में शत-प्रतिशत सहायक कंपनियां स्थापित हेतु कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनमें इन कंपनियों को लगाने की अनुमति दी गई है और इनके उत्पाद क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान देश में प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए सीधे विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये बहु राष्ट्रीय कंपनियां किन-किन देशों की हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) नई औद्योगिक नीति लागू होने के पश्चात भारत में 100 प्रतिशत सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए 30 विदेशी कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

अनुमोदनों के ब्यौरे अर्थात् विदेशी कपंनी का नाम, उनका देश, निर्माण की मद, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि और उसका प्रतिशत से सबंधित ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद की अवधि (दिसम्बर, 1993 तक) के दौरान भारत में 100 प्रतिशत सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों को दी गई मंजूरी की सूची।

(रुपये मिलियन में)

क्र.सं.	विदेशी सहयोगी	देश	निर्माण की मद	विदेशी इक्विटी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	मै. बेन्टली नेवादा कार्पो.	यू.एस.ए.	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	4.50	100.00

1	2	3	4	5	6
2.	मै. इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस.ए.(बी.वी.आई.)	स्विट्जरलैण्ड	क्रूड आयल रिफाइनरी	6000.00	100.00
3.	कारगिल साउथ ईस्ट एशिया लि. विस्मा आर्टिया	सिंगापुर	सौर नमक	450.00	100.00
4.	हूबर सी.एस.टी. कंपनी (प्रस्तावित)	यू.एस.ए.	स्प्रे ड्राइड सिलिका	15.00	100.00
5.	वर्नस होलिंगवर्थ सिंगापुर प्रा.लि.	सिंगापुर	कनेक्टर्स, कार्ड एसेम्बिलीज केबल एसेम्बिलीज	30.50	100.00
6.	लेचरल जी.एम.बी.एच. एंड कंपनी के.जी.	जर्मनी	प्रेसिजन स्प्रे नोजल्स	6.28	100.00
7.	मै. क्यूमाक्स टेक्नोलीजीज	सिंगापुर	बेंच टॉप जनरल प्रपज पी.सी.बी. उपचार उपकरण आदि	15.25	100.00
8.	मै. सी.पी. एक्वाकल्चर बिजनिस ग्रुप, बैंकांक	थाईलैंड	श्रिम्प फीड मिल, प्रोसेस्ड श्रिम्पस	3660.00	100.00
9.	मै. मैक डोनाल्ड कार्पोरेशन	यू.एस.ए.	मैकडोनाल्ड रेस्तरा स्थापित करना	3.05	100.00
10.	मै. वी.एल.एस.आई. टेक्नोलोजी इंक.	यू.एस.ए.	सोफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी ब्लाकों का डिजाइन तैयार करना और विकास करना	30.00	100.00
11.	मै. सिलिकॉन ग्राफिक्स	सिंगापुर	विपणन इत्यादि के उद्देश्य के लिए पूरे स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी की स्थापना	305.00	100.00
12.	मै. जी.ई.एस. सिंगापुर मार्फत एस.सी. कक्कड़, नई दिल्ली	सिंगापुर	भारत और विदेश में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार	3.99	100.00

1	2	3	4	5	6
13.	मै. बेट्ज इंटरनेशनल इंक.	यू.एस.ए.	औद्योगिक जल और प्रक्रिया उपचार रसायन	6.00	100.00
14.	मै. सीग्राम कंपनी लि. कनाडा		स्प्रिट मैन्युफैक्चरिंग/ ब्लैडिंग इत्यादि पर आधारित शीरे से भिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी की स्थापना	250.00	100.00
15.	मै. के.पी.एम.जी. पी.ई.ए.टी. मार्विक	यू.के.	प्रबंध परामर्श सेवाएं प्रदान करना	31.59	100.00
16.	मै. कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग इंक.	यू.एस.ए.	फेंटा इत्यादि के लिए कोका कोला और बिवरेज पर आधारित बिवरेज सत्व (एसेन्स)	600.00	100.00
17.	मै. ग्रुमा एस.ए.डी.ई. सी.वी.	मेक्सिको	चपातीज, टोर्टिलास और टोर्टिला चिप्स	789.75	100.00
18.	वान ओमेरेन बैंक टर्मिनल्स एशिया बी.वी.	नीदरलैंड	टैंक भंडारन टर्मिनल सुविधाओं की श्रृंखलायें	2369.25	100.00
19.	मै. ए.एम.पी. इंकार्पोरेटेड	यू.एस.एस.	टी.वी., टेलीफोन, कंप्यूटर इत्यादि के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक कनक्टर	230.61	100.00
20.	मै. प्रोक्टर एंड गैंबल कं.	यू.एस.ए.	निर्माण और बाजार प्रोपरायटी पी एंड जी डिटरजेंट	720.25	100.00
21.	द डन एंड बाडस्ट्रीट कार्पोरेशन	यू.एस.ए.	व्यापार सूचना सेवाएं प्रदान करना जिसमें सोफ्टवेयर निर्यात इत्यादि शामिल हैं।	126.36	100.00

1	2	3	4	5	6
22.	लेवीज स्ट्राअस एंड कं.	हांगकांग	विपणन, विज्ञापन, वितरण और अपने ब्रांड के गारमेंटों की बिक्री के लिए भारत में पूरे स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी की स्थापना	94.77	100.00
23.	इंचकेयर औवरसीज लि.	यू.के.	परीक्षण और जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में पूरे स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी की स्थापना	63.18	100.00
24.	मै. हैस्टेक सिस्टम	यू.एस.ए.	कंप्यूटर सोफ्टवेयर	0.79	100.00
25.	मै. कंप्यूटर विजन कार्पोरेशन	यू.एस.ए.	कंप्यूटर सोफ्टवेयर	3159.00	100.00
26.	मै. टेंगीबल विजन इंक.	यू.एस.ए.	कंप्यूटर सोफ्टवेयर	4.35	100.00
27.	के.एफ.सी. (पेप्सिको इंक की एक सहायक)	हांगकांग	रेस्ट्रां स्थापित करने के लिए भारत में पूरे स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी की स्थापना	631.80	100.00
28.	सेलोन सप्लाई एंड डेवलेपमेंट कं.	श्रीलंका	फ्रोजन प्लेसेंटे	15.10	100.00
29.	मै. डिजीटल इमेज सिस्टम ए.जी. रंधोस	स्विट्जरलैंड	सोफ्ट्वेयर डेवलपमेंट	5.00	100.00
30.	बेचटल कार्पोरेशन	यू.एस.ए.	भारत में एक पूरे स्वामित्व वाली डिजाइन पब्लिक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट सहायक कंपनी की स्थापना	25.60	100.00

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के भत्तों में बढ़ोत्तरी

1290. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फील्ड क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों के कार्मिकों के भत्तों में विशेष रूप से वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) फील्ड एरिया में तैनात सशस्त्र सेना कार्मिकों को देय प्रतिपूरक भत्तों की दरों में संशोधन संबंधी आदेश 13 जनवरी, 1994 को जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के तहत फील्ड एरिया की (1) फील्ड एरिया तथा (2) संशोधित फील्ड एरिया के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। पुनः वर्गीकृत "फील्ड" तथा "संशोधित फील्ड एरिया" में कार्यरत सैन्य कार्मिकों को देय प्रतिपूरक भत्तों की संशोधित दरें इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	रैंक	फील्ड एरिया में तैनात कार्मिकों के लिए प्रतिपूरक भत्ते की दर	संशोधित फील्ड एरिया में तैनात कार्मिकों के लिए प्रतिपूरक भत्ते की दर
		प्रतिमाह रुपये में	प्रतिमाह रुपये में
1.	लेफ्टि. कर्नल और उससे ऊपर	975	375
2.	लेफ्टि. कर्नल (टी.एस.) और मेजर	895	350
3.	कैप्टन	820	325
4.	सेकंड लेफ्टि./लेफ्टि.	780	300
5.	आनरेरी कमीशन प्राप्त अफसरों सहित जे.सी.ओ.	650	225
6.	हवलदार	450	175
7.	पहले के एन.सी.(ई.) सहित सिपाही/नायक	375	150

2. बहुत ऊंचाई/अननुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों को दिए जाने वाले भत्तों की दरों में भी संशोधन किया गया है जो इस प्रकार है :

क्र.	रैंक	श्रेणी-1 (9000 फीट से कम ऊंचाई के अननुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों सहित 9000 फीट से 15000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र	श्रेणी-2 (सियाचिन को छोड़कर 15000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र	सियाचीन भत्ता
		प्रति माह रुपये में	प्रतिमाह रुपये में	प्रतिमाह रुपये में
1.	लेफ्टि. कर्नल और उससे ऊपर	400	600	
2.	मेजर और लेफ्टि. कर्नल टी.एस.	350	525	
3.	कैप्टन	250	375	1200
4.	सेकंड लेफ्टि./लेफ्टि.	200	300	
5.	आनरेरी कमीशन प्राप्त अफसरों सहित जे.सी.ओ.	180	270	
6.	हवलदार	140	210	800
7.	पहले के एन.सी.(ई.) सहित सिपाही/नायक	100	150	

3. उपर्युक्त भत्तों की संशोधित दरें 1-4-1993 से स्वीकार्य हैं। इन आदेशों के जारी किए जाने से पहले देय प्रतिपूरक भत्तों संबंधी आदेश वापस ले लिये गये हैं।

मारुति उद्योग लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) जांच

1291. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कोई आरोप पत्र दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने उसके विरुद्ध मामला दायर करने के लिए रजिस्ट्रार को स्वीकृति दे दी है,

(घ) यदि [illegible] सी बी आई को कब तक अनुमति दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रलय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अब सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

विवरण

(1) पी.सी. अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 13 (घ) के साथ पठित अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत 7-1-1994 को श्री आर.सी. भार्गव, श्री वी. कृष्णामूर्ति, श्री एस. मुथुकृष्णन और कम्पनी मैसर्स हाइड्रालिक्स लिमिटेड, मद्रास के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था। श्री आर.सी. भार्गव के विरुद्ध यह आरोप है कि वे मारुति उद्योग लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक श्री वी. कृष्णामूर्ति और हाइड्रालिक्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एस. मुथुकृष्णन के साथ 4.27 करोड़ रुपये मूल्य के शाक आबज़र्वर्स और अन्य मदों की आपूर्ति के मामले में मैसर्स हाइड्रालिक्स को अत्यधिक वित्तीय फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे।

(2) पी.सी. अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 13(1)(घ) के साथ पठित अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत श्री आर.सी. भागर्व और मारुति उद्योग लिमिटेड के दो अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध 24-12-1993 को आरोप पत्र दायर किया गया। इस मामले में श्री आर.सी. भार्गव पर कुछ चहेते उपभोक्ताओं को बजट पूर्व दामों पर 13 वाहनों का आवंटन करने में सरकारी तौर से षड्यंत्र करने और सरकारी स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिससे उन्हें अनुचित वित्तीय लाभ और सामान्य श्रेणी की सूची के उपभोक्ताओं को तदनुसार हानि हुई।

अन्य देशों के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास

1292. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किए गए ऐसे अभ्यासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में अन्य देशों के साथ ऐसे अभ्यास करने के नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष किए गए संयुक्त नौसेना अभ्यासों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1991	आस्ट्रेलिया
1992	फ्रांस, ब्रिट्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया
1993	ओमान, सिंगापुर, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड

(ग) वर्ष 1994 के दौरान रूस और सिंगापुर के पोतों के साथ अभ्यास किए गए थे। निकट भविष्य में कोई अभ्यास क़िए जाने का अब तक कोई कार्यक्रम नहीं है।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का उत्पादन

1293. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान अब तक देश में अखबारी कागज का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और इसकी वर्ष वार खपत कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कमी को पूरा करने के लिए अखबारी कागज का कितनी मात्रा में आयात किया गया है; और

(ग) अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 1993-94 में अखबारी कागज की मांग 5.80 लाख मी. टन होने का अनुमान है। दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन और आयात इस प्रकार रहा है :

(लाख मी. टन में)

अवधि	उत्पादन	आयात
1992-93	3.12	2.43
1993-94	2.31	1.83
(नवम्बर 1993 तक)		

(ग) सरकार ने अखबारी कागज के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के रूप में 7.20 लाख मी. टन क्षमता की स्वीकृति दी गयी है।

(ii) नयी औद्योगिक नीति के अधीन, खोई, कृषि अपशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्चे माल से प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत लुगदी पर आधारित अखबारी कागज एककों को स्थापना स्थल संबंधी नीति का पालन करने की शर्त पर अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति से मुक्त कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए इच्छुक उद्यमियों द्वारा लगभग 13.00 लाख मी.टन की कुल क्षमता के लिए 26 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए हैं।

(iii) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए काष्ठ लुगदी के आयात से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट है।

(iv) स्वदेश में अखबारी कागज की उपलब्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में ऐसी कागज मिलों को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची I में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, जो अखबारी कागज हेतु बी.आई.एस. मानकों के अनुसार कागज का उत्पादन कर रहे हैं और समाचार पत्रों द्वारा उनके कागज का प्रयोग किया जा रहा हो और इसकी गुणवत्ता से वे संतुष्ट हों। इस समय देश में 20 अखबारी कागज मिलें हैं, जिनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता लगभग 5.33 लाख मी.टन है, जिन्हें अनुसूची I में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

चालू परियोजनाओं को पूरा किया जाना

1295. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. चिंता मोहन :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय निर्माणाधीन 75 प्रतिशत परियोजनाओं का कार्य धन की कमी के कारण विलम्ब से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब तक कितनी परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) इन सभी प्रमुख, बड़ी और मध्यम चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जी, नहीं। परियोजना प्राधिकरणों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रबोधित 367 परियोजना में से, 177 परियोजनाओं में उनकी नवीनतम अनुमोदित तारीखों के संबंध में विलंब हुआ है। इन 177 परियोजनाओं में से केवल 52 परियोजनाओं ने निधियों की कमी की रिपोर्ट की है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार इन परियोजनाओं को उपलब्ध संसाधन दिए जा रहे हैं।

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुद्रा स्फीति को छोड़कर 53,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

(ङ) सरकार को मेगा, बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन को सुनिश्चित करने हेतु बजट सहायता, आन्तरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजट संसाधनों को बढ़ाने के माध्यम से आवश्यकतानुसार वित्त पोषण करने का प्रस्ताव है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य

1296. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या आयोग का अब तक पुनर्गठन कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो नयी नियुक्तियां करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकाल 8-5-1993 को समाप्त हो गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति विचाराधीन है और आयोग के पुनर्गठन की कार्यवाही चल रही है।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

1297. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों पर से धीरे-धीरे राजसहायता कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धि रही है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष उर्वरकों का उत्पादन, मांग और आयात (विदेशी मुद्रा-लागत सहित) का अयतन प्राकलन कितना-कितना है, और

(घ) उर्वरकों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर शिक्षा

1298. **श्री के.टी. वाण्डायार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न कोर्सों को कम्प्यूटर शिक्षा में औपचारिक डिग्रियों के समतुल्य माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किन-किन कोर्सों को कम्प्यूटर शिक्षा में औपचारिक डिग्रियों के समतुल्य समझा जाता है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों को मान्यता नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत सेवा तथा गुणवत्ता के सुनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के संस्थानों को विशिष्ट स्तर के "ओ" (आधारभूत) "क" (उन्नत डिप्लोमा), "ख" (स्नातक) और "ग" (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। क, ख और ग स्तर की योग्यताओं को रोजगार के प्रयोजन से अनौपचारिक क्षेत्र में निम्नलिखित के समकक्ष समझा जाता है :

क स्तर : कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोलीटेक्निक उपरांत डिप्लोमा (पी.पी.डी.सी.ए.)।

ख स्तर : बी. टेक (कम्प्यूटर विज्ञान)।

ग स्तर : एम. टेक (कम्प्यूटर विज्ञान)।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा चालित वाहनों का निर्माण

1299. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर ऊर्जा चालित वाहनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, कलकत्ता की एक कम्पनी ने ब्रिटेन से प्रौद्योगिकी आयात करने और बैटरी चालित वाहनों, ऊर्जा प्रकाशवोल्टीय पैनलों सहित विनिर्माण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में भारतीय सड़कों पर प्रशिक्षण के लिए 6 प्रोटाटाइपों का आयात करने और बाद में कुल लगभग 20 करोड़ रुपये के निवेश से 25 हजार वाहन प्रति वर्ष विनिर्माण करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

मछली पकड़ने की विदेशी नौकायें

1300. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में गत तीन वर्षों के दौरान मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं द्वारा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अतिक्रमण के कितने मामले आए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मछली पकड़ने की कितनी विदेशी नौकायें जब्त की गई हैं;

(ग) इन्हें किस प्रयोग में लाया जा रहा है, और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनसे कितनी मात्रा में मछलियां पकड़ी गईं और उससे कितनी राशि प्राप्त हुई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अतिक्रमण करने पर 146 विदेशी मत्स्य नौकाएं पकड़ी गईं। नौकाएं पकड़ने की यह कार्रवाई भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत की गई।

(ख) इस अवधि में 83 मत्स्य नौकाएं जब्त की गईं।

(ग) जब्त की गई नौकाओं का निपटान न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(घ) उक्त नौकाओं से कुल 190.81 टन मछली बरामद की गई और अदालती जांच कार्यवाही किए जाने तक उनकी नीलामी न्यायालय के आदेशों के अनुसार की गई। इस नीलामी से प्राप्त धन-राशि इन मामलों में अंतिम निर्णय लिए जाने तक के लिए न्यायालय में जमा कर दी गई हैं।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, ... **(व्यवधान)** ...

अध्यक्ष महोदय : आज तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं मगर कल नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं कल बहुत इमपोरटेंट बात को उठाना चाहता था लेकिन समयाभाव के कारण नहीं उठा पाया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दलित स्टूडेंट्स फेडरेशन, दलित स्टूडेंट्स फोरम और यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। यू० जी० सी० के नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है। महोदय, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि किसी भी रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलता है जब शिक्षण संस्थानों में उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। आज जो शेड्यूल्ड कास्ट का मामला है उनका न तो शिक्षण संस्थानों में कोटा पूरा होता है और न ही प्रोफेसर आदि स्थानों पर उनका कोटा पूरा हो रहा है। उनकी मांग है कि उनका साढ़े बाइस परसेंट का रिवर्जेशन का जो कोटा है वह रिजर्वेशन का कोटा सभी शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए और यू० जी० सी० उन कालेज और यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना बंद करे, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं करता है। इन मांगों को लेकर दलित स्टूडेंट्स, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटी के भी यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम के माध्यम से पटेल चौक के ऊपर आज उन्होंने ह्यूमन चैन का आर्गनाइज़ किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमको अभी-अभी सूचना आई है कि उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो सरकार की नीति है जिस नीति के तहत सरकार पूरे देश में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की वकालत करती है तो यदि स्टूडेंट्स उसी मांग को पूरा करने के लिए ह्यूमन चैन बना करके अपनी मांगों को रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जिन शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति-जनजाति का कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में रिजर्वेशन है वह पूरा नहीं कर पाई है उसे पूरा करें।

महोदय, पिछले पार्लियामेंट के सत्र में अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि यदि यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन के कोटे को पूरा नहीं करेगी तो उसके ग्रांट रोकने पर भी विचार किया जाएगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोफेसर की नियुक्ति में और स्टूडेंट्स के एडमिशन में रिजर्वेशन का कोटा है उसको उन तमाम जगहों पर पूरा किया जाए, यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, श्री राम विलास पासवान ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। मैं दलित ईसाइयों के बारे में भी यह मुद्दा उठाना चाहता हूं। कल दलित ईसाइयों ने एक बड़ी रैली की थी और जुलूस निकाला था और यह मांग की थी। उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर लिया जाये। वे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उन्हें हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के दिए जाने वाले आरक्षण और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। यह मुद्दा इस माननीय सभा में अनेक बार उठाया गया है। मेरे विचार से कल्याण मंत्रालय को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : जब मैं कल्याण मंत्री था तब मैंने घोषणा की थी कि दलित ईसाइयों को आरक्षण दिया जायेगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला : विजयवाड़ा में कल्याण मंत्री ने एक सार्वजनिक बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि संसद के आगामी सत्र के दौरान परिवर्तित दलित ईसाइयों के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

इन दलित ईसाइयों की गरीबी, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा कठिनाइयों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश में गरीब और दलित व्यक्तियों की सहायता के लिए एक विधान लाया जाए। भेदभावपूर्ण रवैये के कारण होने वाले धर्म-परिवर्तन को रोका जाना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, हम सभी इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मामला उठाया गया है जिसका संबंध नीति से है। जो धर्म-परिवर्तन करते हैं, वह भी अस्पृश्यता के शिकार होते हैं, अगर ऐसा है तो फिर धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही क्या थी। इस प्रश्न में कई गुत्थियां उलझी हुई हैं। संविधान निर्माताओं ने धर्म परिवर्तन करने वालों को वे सुविधाएं नहीं दीं जो कि हिन्दू समाज के दलितों को प्राप्त हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर आप चर्चा कराएं और एक सर्वसम्मत नीति का निर्धारण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में प्रापर नोटिस आए तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसका धर्म परिवर्तन से संबंध नहीं है, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से संबंध है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अटल जी का कहना सही है। सिख धर्म से और बौद्ध धर्म से जो कनवर्ट हुए हैं, उनको आलरेडी यह सुविधा मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन में बहस करवाएं। ... **(व्यवधान)** ...

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री रमेश चेन्नित्तला जी ने उठाया है, उस पर मैं भी कुछ कहना चाहता था मुझे भी इस पर बोलने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने एंडार्स किया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वह रिकार्ड में आ गया है?

अध्यक्ष महोदय : हां आ गया है।

... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारूरू (सिकन्दराबाद) : महोदय, विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि निहित स्वार्थ वाले कुछ व्यक्ति संसाधनों की कमी होने का बहाना बनाकर भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार लाभार्थियों को कर-मुक्त भुगतान नहीं कर पाएगी और फलस्वरूप इसे अन्य सक्षम और इच्छुक स्थानीय विदेशी क्रेताओं को निजाम के आभूषण बेचने के लिये विवश होना पड़ेगा।

निजाम के आभूषणों में 173 दुर्लभ और अमूल्य आभूषण हैं जिन्हें देश में ही रखना चाहिए और इन्हें 'राष्ट्रीय कोष' माना जाना चाहिए। इसीलिए संसद ने पूरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 बनाया था।

ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया गया है और इसलिए धारा 19 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसे पुरावशेषों को अधिग्रहीत करें ताकि उन्हें सार्वजनिक स्थान पर संरक्षित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंडारू, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अतः, हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निज़ाम के आभूषण निर्यात करने के समाचार को देखते हुए बंबई के हांग-कांग और शंघाई बैंक में पड़े निजाम के आभूषणों को अधिग्रहीत करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार भारत में किसी सार्वजनिक स्थान पर उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अपने संरक्षण में ले लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंडारू, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : **महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।**

अध्यक्ष महोदय : आप यह कह सकते हैं कि इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इतना ही कहना पर्याप्त है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, यह अत्यंत महत्व का विषय है और मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार की संप्रभुता और सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए कानून के उपबंधों को लागू करें। धन्यवाद।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान अत्यंत गंभीर मामलों की ओर आकर्षित कर रही हूं। सरकार ने अपने हाल ही के आदेश द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सीरमविज्ञान और रसायन जांचकर्त्ता विभाग में तीस पदों को समाप्त कर दिया है। इसमें से 24 पद तकनीकी और विशेषज्ञ पद हैं। ऐसे 48 तकनीकी पदों में से 24 पद अर्थात् एक बार में 50% पद समाप्त किए जा रहे हैं। यदि ऐसे आदेश को लागू किया गया तो सीरमविज्ञान और रसायन जांचकर्त्ता विभाग द्वारा जो अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं वह बीच में ही रुक जाएंगे। वे जिस प्रकार का अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पूरे देश में प्रयोगशालाओं में विधि चिकित्सा-शास्त्र संबंधी जो प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए एंटीसेरा उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त यह ऐसा संस्थान है जो रतिज रोगों के निदान के लिए वी० डी० आर० एल० एन्टीजन उत्पादित करता है। अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय एड्स और अन्य ऐसी बीमारियों की ओर इतना ध्यान दे रहा है तो यह हैरानी की बात है कि राजस्व अर्जित करने वाले सरकार के इस विभाग को बंद किया जा रहा है। क्या सरकार फिर से एन्टीजन का आयात करना चाहती है जिसका उत्पादन इस विभाग द्वारा किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैंने आपको काफी समय दे दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं वी० डी० आर० एल० एन्टीजन के स्वदेशी उत्पादन की बात कर रही हूं। इसका उत्पादन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और देश को फिर से इसका आयात करना पड़ेगा। अतः इन आदेशों को तत्काल वापिस लिया जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसंकुरा) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच हुए एक समझौते के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा सरकार ने 25-9-93 को की थी जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई थी। सरकार ने यह भी कहा था कि वह एक महीने के भीतर वेतन आयोग गठित कर देगी। लेकिन अब तक पांच महीने बीत चुके हैं न तो कोई विचारणीय विषय निश्चित किए गए हैं और न ही कोई बैठक बुलाई गई है। अतः महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि तत्काल बैठक

बुलाई जाए ताकि इस मामले का समाधान हो सके तथा एक और हड़ताल की धमकी को टाला जा सके।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय : पूर्ववर्ती चन्द्र शेखर सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखे गए सोने को वापस लेने के संबंध में सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। सरकार बराबर कहती है कि विदेशी मुद्रा के भंडार में काफी सुधार हुआ है तो हम समझते हैं कि जो हमारा भारतीय सोना है, भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान है तो उसे तत्काल वापस लाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि बैंक आफ इंग्लैंड में और स्विस बैंक में गिरवी रखे गए भारतीय सोने को वापस लाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री वी०एस० विजयराघवन** (पालघाट) : बी० आई० एफ० आर० ने सरकारी उपक्रम इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को इसलिए रुग्ण घोषित कर दिया क्योंकि इसके कोटा स्थित कारखाने में भारी घाटा हो रहा है। प्रबंधन में अकुशलता के कारण यह कारखाना आर्थिक संकट में है। लेकिन साथ ही पालघाट का कारखाना अच्छा लाभ अर्जित कर रहा है। पूरी कंपनी को रुग्ण घोषित करने के कारण पालघाट कारखानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जिससे इस कारखाने के कर्मचारियों को वह लाभ नहीं मिलेंगे जो उन्हें अब मिल रहे हैं। इस एकक के मज़दूरों ने बहुत मेहनत कर इसे लाभ अर्जित करने वाला कारखाना बनाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें इसकी सजा अकारण ही मिल रही है। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पालघाट कारखाने के सभी मज़दूर इस बात से बहुत उत्तेजित हैं। वे प्रधान मंत्री और उद्योग राज्य मंत्री को भी अभ्यावेदन भेज चुके हैं। मैं इस कारखाने के वर्तमान मज़दूर संघ का अध्यक्ष हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और लाभ अर्जित करने वाले पालघाट कारखाने पर बी० आई० एफ० आर० का आदेश लागू न किया जाए और यह भी सुनिश्चित करे कि इसके मज़दूरों और कर्मचारियों को वही लाभ मिलते रहें जो अभी उन्हें मिल रहे हैं।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, उड़ीसा राज्य की शांति भंग हो गई है क्योंकि जिलों के विभाजन के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य का मामला उठाने का कोई मतलब नहीं है। केन्द्र सरकार जिलों को सृजित नहीं कर सकता है। जिलों के सृजन का दायित्व केन्द्र सरकार का नहीं है।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री मृत्युन्जय नायक : महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। यह संवैधानिक मुद्दा है। जिलों का विभाजन करने से उनकी संख्या बढ़ गई है लेकिन नए जिलों में कोई ऐसा स्थान निर्धारित नहीं किया गया है जहां सरकारी कार्यालय अपना कार्य करें जिसके कारण वहां की जनता कठिनाइयों का सामना कर रही है। वे कार्यालय और जिलाधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने एक मुद्दा उठाने की आपको अनुमति दी है।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : मैं गृह मंत्रालय और सरकार का ध्यान आर्चर परियोजना की ओर दिलाना चाहती हूं जो दक्षिण सिक्किम में खोगंला में स्थित है और यह परियोजना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह आर्चर परियोजना तिब्बती शरणार्थियों के लिए बनाई गई थी। मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से गृह मंत्रालय ने आर्चर परियोजना को सिक्किम में शुरू किया। लेकिन इन लोगों ने हाल ही में उस क्षेत्र में समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी हैं। सिक्किम संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर स्थित है। इस माह की 23 तारीख को यहां के लोगों ने इस क्षेत्र की जनता पर आक्रमण किया, वहां दंगा किया। जब इस मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो पुलिस पर भी आक्रमण किया गया। और अन्य निर्दोष लोग भी इस आक्रमण का शिकार हुये। 11 पुलिसकर्मी घायल हो गये और उनकी हड्डियां टूट गईं और भूटिया परिवार की एक महिला सहित परविार के अनेक सदस्यों को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा।

मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि वह तत्काल कार्यवाही करें ताकि तनावपूर्ण स्थिति और ज्यादा खराब न हो जाए और परियोजना आर्चर के तिब्बितयों और सिक्किम के स्थानीय जातीय व्यक्तियों में शत्रुता का वातावरण न बन जाए।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मैं आपके तथा समूची सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऐसी अनेक जाड्डियां हैं जो अनुसूचित जातियों से मिलती-जुलती हैं। अनेक वर्षों से वे लोग सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जाति का सदस्य घोषित किया जाये और उनकी जाति को अनुसूचित जातियों की अनुसूची में शामिल किया जाये। उड़ीसा में, उदाहरणार्थ ऐसी 13 जातियां हैं जिनके बारे में केन्द्र को सिफारिशें की गई हैं। लेकिन अभी तक इन सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया है।

आपकी सूचनार्थ, मैं यह कहना चाहता हूं कि 'कुडुमा' जाति 'कंडारा' के समान जाति है और इसी तरह से 'केसरिया' जाति 'खादल' आदि जाति के समान है। इन जातियों के अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध जातियों में विवाह भी होते हैं। इसके बावजूद, इन्हें कोई रियायत नहीं मिल रही है। इन जातियों के विद्यार्थियों को वृत्तिका अथवा कोई अन्य रियायत नहीं मिल रही है। नियुक्ति के मामले में भी इन्हें लाभ नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपने संगत बात कही है। अब श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, पण्डित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिन्दुस्तान का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आजकल अनिश्चितकाल के लिए बन्द है। 15 दिन पहले वहां छात्रावास में घुसकर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया और 12 घंटों के भीतर छात्रों को छात्रावास खाली करने के लिए प्रशासन द्वारा मजबूर किया गया। वहीं पर सर सुन्दर लाल अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार की जनता की सेवा के लिए स्थापित है। वहां के डाक्टरों और विद्यार्थियों में एक सवाल को लेकर विवाद हुआ। जब उस अस्पताल में एक विद्यार्थी दाखिल हुआ, उसकी किन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु हुई। यह प्रचार हुआ कि डाक्टरों की लापरवाही से उस छात्र की मृत्यु हुई है। जिसके कारण छात्रों और वहां के डाक्टरों में टकराव हुआ। उसके बाद पुलिस को छात्रावास में घुसकर विद्यार्थियों को पीटने का और अध्यापकों को अपमानित करने का अवसर मिला। पिछले सात साल में पहली बार यह विश्वविद्यालय बन्द हुआ है। मैं शासन से मांग करता हूं कि उसको अविलम्ब खोला जाये और उस घटना की न्यायिक जांच कराई जाये। जो विद्यार्थी अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित किये जा रहे हैं, उनको फिर से विश्वविद्यालय में दाखिल किया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्ज़ापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बंद होने की पहली घटना नहीं है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बार-बार बंद होता है और उसके पीछे कुछ मूल कारण हैं। उसका कारण यह है कि जब भी कोई हिंसा की घटना वहां होती है तो उसमें एक पक्ष मेडिकल कॉलेज भी होता है। यह पिछले 20 सालों से चल रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार से जो सहयोग अनुदान के रूप में मिलता है उसमें बहुत दिनों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब प्रधान मंत्री शिक्षा मंत्री थे तो वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए एक बिल लाये थे और उस समय उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए भी वे बिल लाएंगे और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान में सरकार से मिलने वाले सहयोग को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन वह बढ़ाया नहीं गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान में अभाव के कारण ही ये घटनाएं हो जाती हैं और उसको बढ़ाने के लिए सरकार कोई निश्चित कदम उठाए तो मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। कल 1 मार्च को सारे देशवासी बड़ी व्याकुलता से इंतज़ार कर रहे थे कि बोफोर्स के कागज़ात भारत सरकार को मिल जाएंगे। बोफोर्स के कागज़ात कल नहीं मिले हैं और पता चला कि जो पूर्व सेना अधिकारी और आई० ए० एस० अधिकारी हैं उनका भी पैसा जमा है और वह भी भिन्न-भिन्न अखबारों को फोन कर रहे थे कि क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि सरकार की तरफ से प्रधान मंत्री जी ने खुद इस सदन में आश्वासन दिया था कि वह बोफोर्स कांड को मानीटर करेंगे। मैं आपके ज़रिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस मल्टी

करोड़ स्कैण्डल के सिलसिले में जो लोगों की व्याकुलता है कि वह कागज़ात हैण्ड ओवर क्यों नहीं हुए उस बारे में बयान दें ताकि देशवासियों को इस बारे में तसल्ली हो कि सी० बी० आई० को जो कागज़ात देने वाले थे केण्टोनल कोर्ट के, वह कागज़ात नहीं मिले और आगे चलकर कब मिलने वाले हैं यह देशवासियों को पता चल जाए। इस बारे में मैं आपके ज़रिये सरकार से बयान देने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैं सदन और सरकार का ध्यान मद्रास में जो ह्यूमन राइट्स पर अटैक हो रहे हैं उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं।

कल रात **बी.बी.सी.** ने आधे घंटे का एक न्यूज़ फीचर दिखाया जिसमें दिखाया कि मद्रास में सेलम और मदुरई में जो बच्चियां पैदा होती है उनको गुर्बत की वजह से मार दिया जाता है। इसमें वहां के एस० पी० और अन्य अधिकारियों के भी इन्टरव्यू हैं कि वहां इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। उसका दूसरा भाग पंजाब से संबंधित था। वहां नयी तकनीक के ज़रिये गर्भ में भ्रूण परीक्षण करके लड़कियों को गर्भ में ही मारने का काम हो रहा है। अगर इस तरह की बातें हिन्दुस्तान में हो रही हैं और उसमें यहां के अधिकारी भी शामिल हैं तो यह अफ़सोसनाक बात है। यह ह्यूमन राइट्स का मामला है, चाइल्ड राइट्स का मामला है, विमेन राइट्स का मामला है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत ही अफ़सोसनाक बात है।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। तमिलनाडु में गरीबी के कारण कोई भी व्यक्ति नहीं मरा है। वे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० आर० मल्लू (नगर कुरनूल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि दलित ईसाइयों ने अपना धर्म भी बदल लिया है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य प्रदेश में शहडोल जिले से निकलकर 784 किलोमीटर में बहने वाली सोनभद्र नदी, जो कभी इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिये वरदान थी, आजकल प्रदूषण के कारण इस नदी के किनारे बसने वाले लोगों के लिये अभिशाप और त्रासदी की जनक बन गयी है। जब से उस नदी के किनारे ओरियेंट पेपर मिल,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अमलाई और हुकमचन्द जूट मिल नाम के कारखाने लगे हैं, तब से उन कारखानों का प्रदूषित पानी लगातार सोन नदी में गिर रहा है। इससे लगभग 30 किलोमीटर तक नदी का पानी जानवरों के पीने लायक नहीं रह गया है। यदि भूल से कोई जानवर उस नदी का पानी पी लेता है तो उसका जीवित बचना मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण के कारण नदी का रंग कत्थई और मटमैला हो गया है। इन कारखानों के आसपास लगभग दो किलोमीटर के क्षेत्र में तो हवा भी अत्यन्त खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो गयी है। कारखाने में रासायनिक प्रक्रिया से गुजरा पानी जब नदी में छोड़ा जाता है तो पानी में पारे जैसे स्वास्थ्य के लिये घातक तत्व खतरनाक मात्रा तक सर्वेक्षण में पाये गये हैं। इन कारखानों से 16 किलोमीटर दूर दियापीपर में, इस नदी में पी० एच० सामान्य स्तर 6.5 के स्थान पर 9 अंक तक आ गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सोन नदी को जहर बनने से रोकने के लिये, लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिये तथा उसे प्रदूषण-मुक्त करने के लिये सरकार तत्काल कदम उठाये ये कारखाने बड़े प्रभावी लोगों के हैं। उन लोगों के हाथ कितने ही लम्बे क्यों न हों लेकिन वे जनता की आवाज और उसका गला न दबा सके, ऐसी व्यवस्था की जाये क्योंकि अनेक बार इस बारे में स्थानीय जनता आल्दोलन कर चुकी है और सोन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की मांग कर चुकी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, देश के सारे तटवर्ती प्रदेशों के लोग, जो छोटे मछुआरे हैं, बड़ी संख्या में कल संसद के सामने प्रदर्शन करने के लिये आ रहे हैं। इससे पहले 4 फरवरी को उन्होंने सारे तटवर्ती प्रदेशों में, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक सभी शामिल हैं, मत्स्य बंद या फिश बंद का आन्दोलन किया था। उनकी मुख्य मांग यह है कि जो बड़े-बड़े फौरेन वैसेल्स आते हैं, वैसे तो उन्हें डीप सी में फिशिंग करनी चाहिये लेकिन ऐसा न करके, वे हिन्दुस्तान की सीमा के किनारे, बिल्कुल नजदीक आकर मछलियां पकड़ते हैं जिसके कारण छोटे मछुआरों को परेशानी होती है और उनको मछलियां नहीं मिलती हैं। उन्होंने पहले भी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। इस बारे में मेरी मांग है कि कल जब वे यहां आ रहे हैं तो सरकार उनके साथ बातचीत करे और साथ ही साथ तटीय प्रदेशों से जो सांसद यहां आते हैं, उनके साथ भी चर्चा करके, देश के जो छोटे मछुआरे हैं, उनके हितों की रक्षा करें क्योंकि उन पर करोड़ों लोग निर्भर हैं इसलिये सरकार को उनकी समस्या पर ध्यान देना चाहिये।

[हिन्दी]

डा० वसंत पवार (नासिक) : हमारे देश में लगभग 57 प्रतिशत किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बजट की उद्घोषणा से एक माह पूर्व यूरिया बाज़ार से गायब हो गया क्योंकि कुछ

अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि इसकी कीमतों में वृद्धि होने जा रही है। निजी व्यापारियों के पास यूरिया के बहुत बड़े भण्डार हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को यूरिया की आपूर्ति खोल दी जाये तथा महाराष्ट्र में सभी सहकारी समितियों को यूरिया उपलब्ध कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आज सभा की कार्यवाही अत्यंत सुचारु रूप से चली है और उल्लेखनीय रही है। भविष्य में भी हमें इसी तरह से कार्यवाही को चलाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मैं समय देने के लिये आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, संयोग की बात है कि वह इलाका नेपाल और बिहार के बार्डर पर स्थित है। बीच में नारायणी नदी बहती है। दोनों के बीच में 100 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र पड़ता है जहां पर जंगल पार्टी का राज है। अखबारों में आप आतंकवाद के बारे में तो पढ़ते ही होंगे किन्तु हमारे देवरिया तथा बिहार और नेपाल के बीच में जो गंडक नदी है, उस इलाके में जंगल पार्टी का राज है। अनेक गैंग उनके हैं और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जबकि वहां अपहरण और डकैती की घटनाएं न होती हों, रात-दिन होती हैं। जब उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश करती है तो वे लोग बिहार और नेपाल में चले जाते हैं, जब बिहार पुलिस का दबाव पड़ता है तो वे लोग उत्तर प्रदेश और नेपाल में चले जाते हैं। यह तीन जगहों का मामला है। कुछ समय पहले वहां के गवर्नर के भांजे का अपहरण हुआ था। उस समय भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सरकारों से बात करके, बीच में एक पुलिस पोस्ट स्थापित की थी। इस वक्त वहां के सारे पुलिस अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया है और सब ने मांग की है कि वहां पर रिजर्व पुलिस लगायी जानी चाहिये और सरहद पर थाने स्थापित होने चाहिये। पी० ए० सी० की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां के लोग भाग रहे हैं, बचने के लिए त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन गया है, कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से बात करके उस इलाके की रक्षा करें। यह बहुत अहम सवाल है।

[अनुवाद]

12.31 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम (सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 1993, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि :

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 1993, जो 20 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 563 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5419/94)

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5420/94)

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5421/94)

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन एफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन एफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5422/94)

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5423/94)

(2) (एक) सलाहकार विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलाहकार विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5424/94)

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्ट्रोफिजिक्स, बगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5425/94)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) अंतरिक्ष विभाग के वर्ष 1994-95 के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5426/94)

[अनुवाद]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1994, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम 1994, जो 14 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 96 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5427/94)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा०का०नि० 756 (अ), जो 16 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची चौदह में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं।

(दो) सा०का०नि० 48 (अ), जो 1 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची तेरह में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5428/94)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) लागत लेखा रिकार्ड (साबुन तथा डिटरजेन्ट्स) नियम, 1993 जो 29 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 677 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा रिकार्ड (प्रसाधन तथा टायलैटरीज) नियम, 1993 जो 29 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 678 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) (संशोधन) नियम, 1993, जो 10 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 744 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5429/94)

(4) (एक) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5430/94)

(6) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 पर विधि आयोग के एक सौ सैंतालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5431/94)

[हिन्दी]

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5432/94)

(ख) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी समनुपंगी कंपनियों के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी समनुपंगी कंपनियों के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5433/94)

(ग) (एक) भारत चर्म निगम लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत चर्म निगम लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5434/94)

(2) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5435/94)

[अनुवाद]

सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर जमशेदपुर के वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, जमशेदपुर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, जमशेदपुर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5436/94)

(2) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5437/94)

(3) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5438/94)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) श्री पी०के० थुंगन की ओर से : महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक-प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5439/94)

12.33 म०प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.33 $\frac{1}{2}$ म०प०

लोक लेखा समिति

उनसठवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं दोषपूर्ण आयातित पैराशूटों की पारित संबंधी लोक लेखा समिति के 27 वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की गयी कार्यवाही संबंधी उनसठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.34 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 1 मार्च, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 1 मार्च, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, बी०ए०सी० की जो 38 वीं रिपोर्ट आई है, उसके पांचवें आइटम पर लिखा गया है:

[अनुवाद]

"समिति यह भी सिफारिश करती है कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे राउन्ड के परिणामों के अन्तिम दौर पर बहस शनिवार 19 मार्च, 1994 को की जाएगी।"

[हिन्दी]

यह एक्सटैन्डेड डेट है और शनिवार का दिन है। डंकल प्रस्ताव, जो फाइनल एक्ट की शक्ल में आया है, को लेकर पूरे देश में खलबली मची हुई है। ... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन में आपका उपस्थित रहना इसलिए और भी ज़रूरी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह सच है, लेकिन आपको इस विषय पर न्याय करना होगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वह अन्तिम दिन है, उस पर दो दिन का समय रखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आधा सदन तो खाली हो जायेगा। आप इस तरह से ऐसे विषय पर न्याय नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि हमारे पास करने के लिये समय-बद्ध कार्य है और इसलिए हम कार्य सूची के कार्य पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय-बद्ध है, वैधानिक है और संवैधानिक दायित्व भी है। अन्ततः विभिन्न दलों के नेताओं के सुझाव पर यह निर्णय किया गया था कि इस मामले को 19 तारीख को उठाया जाएगा। हम इससे सहमत हो गए। यदि यह आज संभव नहीं है तो हम इस मामले को बाद में भी उठा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हस्ताक्षर करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। इसलिए, ऐसा कैसे किया जा सकता है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 10 तारीख को यहां से अंतिम तौर पर नैगोशिएटिंग टीम जाएगी। 15 अप्रैल को दस्तखत होने हैं। 18 तारीख को सत्र समाप्त होना है, आपने 19 तारीख रखी है। मेरा सुझाव है कि इस पर दो दिन की बहस, 22-23 मार्च को करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप 19 तारीख को शुरू कर दीजिए, बाद में जरूरत होगी तो देखा जाएगा।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे समझिए। आप कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रह चुके हैं। आपको भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे मामलों पर सदन में बहस नहीं की जा सकती। इसलिए हम आपकी सलाह लेते हैं और फिर निर्णय करते हैं। एक बार हम सलाह लेकर निर्णय कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उस मामले को आप सदन में उठाते हैं, तो उस मामले पर सदन में ही अन्तिम निर्णय लेना पड़ता है। यदि आपको वास्तव में कोई आपत्ति है, यदि आपको उसके लिए अधिक समय चाहिए और यदि सदन उसके लिए सहमत है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि "चित्त भी मेरी और पट भी मेरी।" यदि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, यदि समय नियत है और आपको और समय चाहिए तो हमें निर्णय लेने दीजिए लेकिन यहां नहीं किसी और जगह।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, हम उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए थे, श्रीकान्त जैना जी थे। यह तय हुआ कि 19 तारीख को निश्चित तौर पर इसकी होल डिबेट रखी जाए।

बाद में बहुत से लोगों ने हमसे इस बारे में कहा कि हमारा शनिवार को पहले से कार्यक्रम बना हुआ है। इस कारण उस दिन सदन में उपस्थित नहीं रह पायेंगे। यह एक गम्भीर विषय है। इस कारण आप इस पर पुनर्विचार करिये। सिर्फ बोलने वाले ही यहां उपस्थित रहें और दूसरे उपस्थित न हों, यह भी अच्छा नहीं होगा। बहस अगर कारगर ढंग से हो जाये तो अच्छा होगा। यही सब नेताओं का कहना है। अगर इसमें से कोई रास्ता निकल आये तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सही है कि आप इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं। बी० ए० सी० में यह बात आई थी कि प्रेजिडैंट एड्रैस में, जनरल डिबेट में इस पर बहस हो सकती है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पर डिसकशन होने जा रहा है। तीन मौकों के अलावा स्पैशल डिसकशन इस पर हो, बाई एंड लार्ज यह माना गया कि इस पर डिसकशन होना मुश्किल होगा क्योंकि टाइम नहीं है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैंने पिछली बार बी० ए० सी० के मामले में संशोधन दिया था और उस समय कहा था कि तीन मौके हैं जब इस पर बहस हो सकती है। आपको निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी है कि इस डंकल के प्रस्ताव पर जो समझौता फाइनल होकर आया है, फाइनल टैक्स्ट के तौर पर, उसके बारे में जापान जो कि शायद सबसे अधिक लाभ पाने वाले इने-गिने मुल्कों में से है, उसने सार्वजनिक तौर पर दुनिया को यह कहा है कि हमारी संसद के पास पूरे साल भर इतना काम है कि हम इस पर अभी बहस नहीं कर पायेंगे। हम अगले साल फरवरी में बहस करके फाइनल राय देने का काम करेंगे। इसको स्वीकृति प्रदान करने के सब देशों के अलग-अलग तौर-तरीके हैं। गैट में यह बात कही गई है कि अपने देश के तौर-तरीकों से इसको स्वीकृति दिलायें। जापान जैसे देश ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस अगले साल की फरवरी में करने का निश्चय किया है। इस विषय पर मतभेद हो सकते हैं। सदन में इस पर मतभेद खुल कर सामने आये थे। वे मतभेद भविष्य में भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे लेकिन आने वाले पता नहीं कितने दशकों तक यह निर्णय लागू रहेगा। सदन में पहले उस दस्तावेज पर बहस हो चुकी है जो ड्राफ्ट के तौर पर था, लेकिन अब उसमें बदलाव आ गया है। हमारे पास दो दस्तावेज हैं। पार्लियामेंट में हमें वह दस्तावेज मिला है जो फाइनल टैक्स्ट के तौर पर आया है, जिस पर हस्ताक्षर होने हैं। डंकल का ड्राफ्ट हमको नहीं मिला था। पूरी लाइब्रेरी में उसकी एक कापी थी जबकि 795 सदस्य दोनों सदनों के मिल कर हैं। उसको देखकर हमने अपनी राय बनायी थी। फाइनल टैक्स्ट पर हमने अपना दिमाग बनाया है और सरकार ने अपना दिमाग बनाया है। इस कारण फाइनल टैक्स्ट पर सम्पूर्ण बहस होनी चाहिये। हमें अपनी राय रखने का मौका मिलना चाहिये। दो दिन सम्पूर्ण बहस इस पर होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हमें कोई ऑबजैक्शन नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सत्र एडजर्न होने से पहले 21-22 को रख सकते हैं ··· **(व्यवधान)** किसी कारणवश लोगों ने अपने कार्यक्रम बनाये हुए हैं। इस कारण दिक्कत है। आप मार्च के अंतिम सप्ताह में भी रख सकते हैं ···**(व्यवधान)** ··· चूंकि 15 अप्रैल को दस्तखत होने हैं। उसके बाद बहस का कोई मतलब नहीं है। जो होना है सो होगा। हमारी राय अपनी जगह है और उनकी राय अपनी जगह है। फिर लड़ाई सड़कों पर होगी। मैं गम्भीरता से यह बात कह रहा हूं। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। इस पर बहुत तनाव और मतभेद हैं। आप इन चीजों को अन्य किसी से अधिक जानते हैं। चूंकि यह काम आपने स्वयं संभाला है, गैट के निगोशिएशंस और अन्य चीजों में आपने स्वयं इन चीजों को जाना है, आपने इसमें हिस्सा भी लिया है। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में रखिये या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रखिये, क्योंकि 11 तारीख को मार्केश में मीटिंग शुरू होगी, 15 तारीख को हस्ताक्षर होंगे, या एक दिन पहले या एक दिन बाद में, जो भी हो लेकिन 11 को मिनिस्ट्री लेविल की मीटिंग शुरू होनी है तो यहां से लोगों के वहां जाने के पहले राष्ट्र की क्या राय है, वह मालूम होनी चाहिए। भिन्न-भिन्न राय दुनिया में हैं। मैक्सिको में NAFTA बनने के बाद वहां बन्दूकी लड़ाई शुरू हो गई, आप जानते हैं, कोई चीज़ आपसे छिपी हुई नहीं है। एक समूचा प्रदेश वहां आज बगावत कर रहा है और आज सारा मैक्सिको इस पर भड़क उठा है। जापान के प्रधान मंत्री को अपने राष्ट्र से इस पर माफी मांगने की नौबत आ गई कि हमने जो किया, हमने देश के साथ गलत काम किया है, हम मानते हैं लेकिन मेरे सामने कोई उपाय नहीं था। हम लोग भी, "उपाय नहीं था" कहकर मुंह से सुन रहे हैं लेकिन दुनिया को मालूम हो, अमेरिका को मालूम हो कि कम से कम हिन्दुस्तान की सरकार अगर मजबूरी व्यक्त कर रही है तो हम मजबूरी में कुछ करने जा रहे हैं मगर देश इस पर बहुत गुस्से में है, यह अमेरिका को भी मालूम हो।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपका जो सजेशन है और शरद जी ने भी सजेशन दिया और शायद दूसरे सदस्यों का भी कहना है कि दूसरा प्रोग्राम बने। मैं इस पर बात करूंगा, अभी इसको जाने दीजिए। अगर आपको बदलना है, सब की राय है तो सब की राय से पूछने के बाद होगा। आज जैसा है, वैसा जाने दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें टैक्नीकल बात नहीं उठनी चाहिए, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : क्या टैक्नीकल बात?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस माने में कि चूंकि आज यहां पर रिपोर्ट एन्डोर्स हो गई इसलिए 19 तारीख को ···

अध्यक्ष महोदय : हाउस में रिपोर्ट कभी भी आप अपने मन से चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : निश्चय क्या हो रहा है? 19 तारीख को बहस होगी या नहीं होगी?

अध्यक्ष महोदय : आज जो रिपोर्ट है वह पेश हो रही है। आपको बाद में बुलाकर चर्चा करके अगर दूसरा उस पर तय हो रहा है तो देखा जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर 19 को छोड़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वाजपेयी जी, उसको जाने दीजिए। बाद में चेंज करना है तो करेंगे लेकिन अधूरी छोड़ देंगे तो भी अच्छा नहीं होगा। आप जैसा बोलेंगे, वैसा हो जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपको याद है, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिन परिस्थितियों में यह 19 तारीख का तय हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था, वह आपने करवा लिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल तो ऐसा लगता था कि समय निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि सदन के सामने काम बहुत है तो फिर 19 तारीख पर एक राय बनी। अब अगर दो दिन चाहिए तो, अध्यक्ष महोदय, 20 को बैठना तो सम्भव नहीं होगा। 19 को बैठने पर ही सदस्यों को आपत्ति हो रही है। अगर इसको आगे बढ़ाया जायेगा तो क्या हम दो सत्रों के बीच में मिलेंगे?

अध्यक्ष महोदय : वह तो फिर दूसरी दफा जब हम मिलेंगे ···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आगे तो 16 अप्रैल को मिलने की बात है, तब तक तो दस्तखत जो जायेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा है कि उसके पहले अगर बहस नहीं होगी तो बहस का कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए 19 तारीख रखी गई।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं एक नहीं बल्कि दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मैं इस मामले के लिए दो दिन नियत करने की मांग करता हूं क्योंकि डंकल मसौदे पर विभिन्न पहलुओं से चर्चा की जा सकती है, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा कहा गया है। मैं इसी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके इतने पहलू हैं कि डंकल मसौदे पर एक दल से एक सदस्य का बोलना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए इस पर बहस करने के लिए दो दिन से अधिक अथवा कम से कम दो पूरे दिनों के समय की आवश्यकता है। यह तो हुई पहली बात।

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इस मामले पर सोमवार और मंगलवार अथवा 18 तारीख को सदन के स्थगन तथा पुनः समवेत होने के बीच किन्हीं दो दिनों में इस पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप समय सारणी पर ध्यान दें और फिर मुझे बतायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अभी दूसरी बात भी कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका परामर्श पाकर प्रसन्नता होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं **(व्यवधान)** जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि मैं अचानक ....

अध्यक्ष महोदय : आप गेंद को मेरे पाले में मत डालिये, आप स्वयं निर्णय करिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जब आपने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी तो मैंने सुझाव दिया था कि शनिवार की बजाए आप इसके लिये सोमवार और मंगलवार नियत करें। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति इससे सहमत नहीं हुई, यह ठीक है। मेरी दूसरी बात यह है कि 18 तारीख की समय सारणी में कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक व्यावहारिक स्थिति है। कुछ अध्यादेश काफी महत्वपूर्ण हैं और उन पर गर्मजोशी से बहस की जा सकती है। एक अध्यादेश खान तथा खनिजों के बारे में भी है। शुक्रवार को 'गैर-सरकारी सदस्यों का दिन' है। 19 तारीख को उन पर बहस करना असम्भव है मुझे उस बैठक में आपकी यह टिप्पणी याद है कि सभी अध्यादेशों पर इस सत्र के दूसरे चरण में बहस की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस समय गलती की थी। मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। संवैधानिक रूप से ऐसा होना चाहिए। मैंने संविधान में देखा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सत्र के पहले चरण में?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। मुझे अपनी टिप्पणी के लिए खेद है जब मैंने संविधान में देखा तो पता लगा कि सम्भवतः यह आवश्यक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है, महोदय, यह अच्छी बात है कि कभी-कभी आप भी गलती करते हैं। इससे हमें फायदा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आपको खुशी होती है तो मैं आपके लिए हमेशा गलत हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके अतिरिक्त यदि आप 19 तारीख को बैठक नहीं बुला रहे हैं तो हम आखिरी दिन 10 बजे तक नहीं बैठेंगे। इसलिए इतने अधिक कार्य उसी दिन नहीं निपटाये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं। कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : 18 तारीख को इतने मुद्दों पर बहस नहीं की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं सोचिए और मुझे अपना कार्यक्रम दे दीजिए। मैं अन्य सदस्यों के सुझावों के साथ इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आपने कह दिया और तमाम दल के नेताओं ने अपनी बात को रख दिया है। हम आग्रह करेंगे कि आप एक बार फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुला लीजिए और उसके बाद डेट वगैरह फिक्स हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मुझे श्री पासवान का सुझाव मंजूर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आवश्यक हुआ तो इसे बदला जा सकता है। जो निर्णय आप लें उसे भी आपके द्वारा बदला जा सकता है।

प्रश्न यह है :

"यह सदन 1 मार्च 1994 को सदन में प्रसतुत की गई कार्य मंत्रणा समिति की अड़तीसवीं रिपोर्ट से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.47 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम को सूची से कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : जबसे नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी का नाम स्टाक शेयर बाजार की गड़बड़ी से जुड़ा है तब से सरकारी क्षेत्र का यह उपक्रम गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप इसके विस्तार कार्यक्रम में अनावश्यक रूप से विलम्ब हुआ है।

नेल्को के विस्तार कार्यक्रम की मूल लागत का अनुमान 970 करोड़ रुपये था। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने गत वर्ष इस निवेश की स्वीकृति भी दे दी थी। लेकिन जनवरी, 1993 के अंत तक यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भी लंबित पड़ा रहा। इस कार्यक्रम के लिए संसाधनों की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि इसका पूरा खर्च नेल्को को अपनी धनराशि से करना था। लेकिन यह पता चला है कि खान मंत्रालय समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाया है। अब इस कार्यक्रम की लागत बढ़कर 1,096 करोड़ रुपये हो गई है। इस बीच खान मंत्रालय ने दो एल्युमीनियम संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। यदि विस्तार कार्यक्रम में और अधिक विलम्ब हुआ तो यह प्रमुख कारखाना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों की मांग को पूरा नहीं कर पायेगा। एल्युमीनियम

[श्री के० प्रधानी]

के निर्यात में गिरावट आयेगी तथा देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नेल्को के इस विस्तार कार्यक्रम को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाये।

(दो) नासिक और मुम्बई के बीच विमान सेवा शीघ्र चलाने की आवश्यकता

डा० वसंत पवार (नासिक) : हाल ही में कई निजी एयर लाइन्स को देश के विभिन्न भागों में हवाई सेवाएं आरंभ करने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में बम्बई तथा नासिक की जनता की यह निरंतर मांग रही है कि इन दोनों नगरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाये। ये दोनों स्थान औद्योगिक तथा कृषि संबंधी गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बहुत से व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में नासिक आते हैं क्योंकि नासिक प्याज, अंगूर, चीनी तथा अन्य कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। नासिक तथा बम्बई के मध्य हवाई सेवा न होने के कारण इन लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। नासिक तथा बम्बई के मध्य हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए एक राज एयर सर्विसेज को इन सेवाओं का संचालन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन आज तक उन्होंने सेवाएं शुरू नहीं की हैं। सरकार से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करे कि राज एयर सर्विसेज तुरंत अपनी सेवाएं शुरू करे।

(तीन) मराठवाड़ा क्षेत्र को जो इस समय रेलवे के दक्षिण व मध्य जाने के अंतर्गत आता है, मध्य जोन में लाये जाने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : मराठ क्षेत्र दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अन्तर्गत आता है जबकि महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र मध्य रेलवे जोन के अन्तर्गत आते हैं। इसके परिणामस्वरूप मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। मराठवाड़ा क्षेत्र से जनता के प्रतिनिधियों को शिकायतों/सुझावों आदि के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें काफी असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त जालना-बम्बई एक्सप्रेस इन दो जोनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। जहां तक समय पर चलने की पाबंदी का संबंध है, इस गाड़ी का रिकार्ड काफी खराब है। इसे देखते हुए रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि मराठवाड़ा क्षेत्र को जो इस समय दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अन्तर्गत आता है, मध्य रेलवे जोन के साथ जोड़ा जाये ताकि प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ मराठवाड़ा क्षेत्र में रेलवे के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जा सके।

[अनुवाद]

(चार) नर्मदा क्षिप्रा सम्पर्क परियोजना को अविलम्ब क्रियान्वित करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उज्जैन अर्थात् उज्जयिनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पवित्र नगरी है। देश की सात पुरियों में से इसे महत्व का स्थान प्राप्त है। यहां प्रति बारह वर्षों में "सिंहस्थ" कुंभ पर्व आयोजित होता है।

यह महत्वपूर्ण नगर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां प्रति वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री पवित्र स्नान एवं उज्जयिनी दर्शन के लिए जाते हैं। यहां देश के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख "महाकाल" प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व की दृष्टि से कृष्ण सुदामा के गुरु सान्दीपनि का आश्रम, हरिसिद्ध शक्तिपीठ, विक्रमादित्य की आराध्य गढ़ कालिका यहां पर है तथा मत्सेन्द्र नाथ, वीर दुर्गा दास, विश्व कवि कालीदास सहित प्रख्यात विभूतियां उज्जयिनी से संबद्ध हैं।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उज्जयिनी को "पवित्र नगर" घोषित कर मान्यता दी जाए, साथ ही "क्षिप्रा नदी" के जल के शुद्धीकरण के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं तथा नर्मदा क्षिप्रा जोड़ो योजना को कार्यान्वित करने के लिए समुचित वित्तीय स्वीकृति दी जाए।

[अनुवाद]

(पांच) गुजरात के अहमदाबाद शहर को दूरदर्शन के मैट्रो चैनल की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, अहमदाबाद की जनता की यह पुरजोर मांग है कि वहां उच्च-शक्ति ट्रांसमीटर वाले चैनल दो और उच्चशक्ति ट्रान्समीटर चैनल तीन की सुविधा प्रदान की जाये। अहमदाबाद गुजरात-राज्य की राजधानी है, फिर भी यहां पर यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि देश के अन्य राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन द्वारा उच्च-शक्ति ट्रांसमीटर वाले चैनल-दो की सुविधा पहले ही प्रदान की हुई है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि अहमदाबाद को भी दूरदर्शन पर उच्च-शक्ति ट्रांसमीटर वाले मैट्रो चैनल-दो की सुविधा प्रदान की जाये।

[अनुवाद]

(छह) बिहार के छपरा और सीवान में क्रमश: दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र और आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

भोजपुरी भाषा न केवल भाषा है बल्कि एक संस्कृति है जो राज्य की सीमाओं में न सिमट कर देश के कई सूबों में तो बोली ही जाती है, साथ ही मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनीडाड, गाईना, सिंगापुर इत्यादि देशों में भी प्रमुख वाणियों में से एक है। इसके अपने गीत-संगीत एवं नाट्य विधाएं भी हैं। अपने देश में ही 14 करोड़ से अधिक आबादी इस भाषा को बोलती है।

[श्रीमती गिरिजा देवी]

बिहार के एक भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र में न तो आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र है, न ही दूर-दर्शन प्रसारण केन्द्र है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सारण जिले के मुख्यालय छपरा में एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र तथा सीवान जिले के मुख्यालय सीवान में एक आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र अविलंब खोलने की कृपा करें, ताकि वहां के लोक कलाकार तथा शिल्पी अपने शिल्प एवं संस्कृति का संरक्षण एवं सम्मान कर सकें।

[अनुवाद]

(सात) केरल की लम्बित विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : महोदय, केरल के माला आंचल में बिजली की कमी से इस क्षेत्र के समग्र विकास में विशेषकर इसके औद्योगिक विकास में बाधा आ रही है। इस समस्या का एकमात्र समाधान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कासरगोड, कोझिकोड़े तथा ब्रह्मपुरम में प्रस्तावित डीज़ल पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करना है। ये प्रस्ताव विभिन्न केन्द्रीय-प्राधिकरणों के पास लम्बित पड़े हैं।

कासरगोड़ में 60 मेगावाट का डीज़ल-विद्युत उत्पादन संयंत्र संबंधी प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ा हुआ है। कोझिकोड़े में स्थापित किया जाने वाला 120 मेगावाट का डीज़ल-विद्युत उत्पादन संयंत्र के प्रस्ताव का 'राईट्स' द्वारा इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन किया जा रहा है। तथापि ब्रह्मपुरम परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी गई है, मानक अनुज्ञेय ऊंचाई 52 मीटर के स्थान पर 110 मीटर ऊंची चिमनी निर्धारित की गई है। ये सभी परियोजनाएं विभिन्न चरणों पर रुकी पड़ी हैं।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह केरल में विद्यमान विद्युत-संकट को ध्यान में रखते हुए इन विद्युत-परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करना सुनिश्चित करे।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजनावकाश के बाद, हम जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के अनुमोदन विषय पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे। मैं सदस्यों एवं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि इसे आज ही पारित किया जाना है। यही इसकी निर्धारित समय-सीमा है। दूसरे जम्मू-कश्मीर का बजट भी पारित किया जाना है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रथम विषय पर विचार के समय ही अपने विचार व्यक्त कर दें, ताकि बजट पर चर्चा करने की जरूरत ही न पड़े? इस विषय पर एक वक्तव्य दे दिये जाने के बाद औपचारिकता के रूप में बजट भी पारित किया जा सकता है। ऐसा समयाभाव की वज़ह से करना पड़ेगा। हमारे पास बजट पर चर्चा करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है।

सभा 02.00 म० प० पर पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

12.55 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 02.00 म०प० तक स्थगित हुई।

02.08 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 02.08 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जम्मू तथा कश्मीर के संबंध में प्रर्वत राष्ट्रपतीय उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदनार्थ सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 18 जलाई, 1990 की उद्घोषणा को 3 मार्च, 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि सभा को विदित ही है कि हमारे देश के प्रति विरोधी ताकतें हमारे युवकों के एक वर्ग को 1990 के प्रारम्भ में कश्मीर में आतंकवाद के दुस्साहस हेतु लुभाने में सफल रही हैं। वे ताकतें सीमा पार से हज़ारों युवकों को असुरक्षा फैलाने की चालबाजियों एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने में सफल रहीं तथा उन्हें इस राज्य में विशेषतौर पर कश्मीर घाटी में जम्मू एवं कश्मीर को भारत से अलग करने के नापाक इरादे से चारों तरफ व्यापाक भय एवं आतंक का वातावरण पैदा करने के लिए भारी संख्या में अत्याधुनिक हथियार प्रदान किये। इसके परिणामस्वरूप वहां सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया तथा इससे राज्य की सुरक्षा को गंम्भीर खतरा पैदा हो गया। विधि और व्यवस्था तथा इस राज्य की सुरक्षा को व्याप्त खतरे की स्थिति में तथा जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 18 जुलाई, 1990 को एक उद्घोषणा जारी की गई थी। चूंकि इस राज्य में विधि और व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति लगातार गम्भीर होती चली गई, समय-समय पर संसद के दोनों सदनों से इस उद्घोषणा का अनुमोदन प्राप्त किया जाता रहा। इस राज्य में राष्ट्रपति-शासन की वर्तमान अवधि आज तक लागू रहेगी।

सुरक्षा-बलों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस राज्य में आतंकवादी एवं उग्रवादी अहिंसा का मुकाबला करने के दौरान विभिन्न समूहों से सम्बद्ध शीर्षस्थ दर्जे के अनेक आतंकवादी नेता पिछले कुछ महीनों के दौरान पकड़े गये हैं अथवा मारे गये हैं। उनसे भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद बरामद किया गया है। नियंत्रण रेखा पर सतर्कता में वृद्धि किये जाने से प्रशिक्षण पाने हेतु एवं हथियारों की ढुलाई हेतु आतंकवादियों की आवा-जाही में रुकावट आई है। सुरक्षा-बलों द्वारा

[श्री एस० बी० चव्हाण]

चलाये गये अभियान के फलस्वरूप सोपोर जो कि आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है- की स्थिति में स्पष्टता या सुधार हुआ है।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने अपने अद्यतन-प्रतिवेदन में यह संकेत दिया है कि वस्तु-स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। कई महीनों से यह अवधारणा बढ़ती जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग लगातार ज़ारी अहिंसा से तंग हैं तथा उनमें आतंकवादी गतिविधियों के प्रति अनाशक्ति पैदा हो रही है। यद्यपि, आतंकवादियों द्वारा स्थानीय संचार-माध्यम एवं समाचार-पत्र वालों को धमकियां देना जारी है तथा उन पर हमले हो रहे हैं तथा तथाकथित मुखबिरों एवं उनके साथ सहयोग न करने वालों पर बलात्कार, अपहरण एवं उनको मार दिये जाने जैसे अन्य अत्याचार ज़ारी हैं। विशेषकर हज़रतबल में हुई घटना के परिणामस्वरूप, अंतर्गिरोह भिड़न्त की घटनाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। टकराव एवं अव्यवस्था की स्थितियां पैदा करने हेतु लोगों को उत्तेजित करने के लिए आतंकवादियों द्वारा भीषण प्रयास किये जाने के बावजूद, लोगों ने कुल मिलाकर प्रशंसनीय आत्मसंयम बनाये रखा है।

मैं इस बात पर दबाव देना चाहता हूं तथा माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उग्रवादी ही पहले अहिंसा पर उतारू हुए हैं तथा उन्होंने ही सैकड़ों बेकसूर लोगों की हत्या करके मानवीय अधिकारों का हनन किया है। यह बड़ी हैरानी एवं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन व्यक्तियों ने मानव-अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है, वे ही लोग उग्रवादियों द्वारा मानव अधिकारों का लगातार हनन किये जाने के बारे में नहीं बोले हैं। अपने परामर्शदाताओं की हिदायतों के मुताबिक विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा सुनियोजित ढंग से बेकसूर लोगों को दोनों ओर से गोली चलाये जाने की घटनाओं में पीड़ित दिखाए जाने के प्रयास किये जाते रहे हैं ताकि वे यह सवाल उठवा सकें कि सुरक्षा-बलों द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया जाता है। सुरक्षा बलों को, गम्भीर रूप से उत्तेजित किये जाने के मामले में भी अत्यधिक संयम बरतने की हिदायत दी गई है ताकि नागरिक जीवन एवं सम्पत्ति को पहुंचने वाली क्षति के आसार कम किये जा सकें। यद्यपि, सुरक्षा-बल अत्यंत आत्म संयम से कार्य करते रहे हैं, फिर भी हाल ही के महीनों में दो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें कि नागरिक मारे गये हैं। इन घटनाओं के बारे में तुरंत उच्च-स्तरीय जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये थे और इस पर कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इन घटनाओं पर स्वतः ही ध्यान दिया है तथा अपनी जांच शुरू कर दी है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जायेगा।

सरकार हमेशा से पारदर्शिता की नीति का अनुसरण करती रही है। इस नीति के अनुसरण में, विधिवेत्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने अगस्त 1993 में इस राज्य का दौरा किया था। फरवरी, 1994 में यूरोपीय संघ के तीन देशों के राजदूतों तथा यूरोपीय आयोग के सदस्यों ने भी जम्मू, श्रीनगर

एवं लेह का दौरा किया था। किसी भी विदेशी पर इस राज्य का दौरा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जब तक कि इसके कोई विशिष्ट कारण न हों। वास्तव में, वर्ष 1993 के दौरान बड़ी संख्या में विदेशियों ने इस राज्य का दौरा किया था। इस महीने के अंत तक, रेड क्रास की अंतर्राष्ट्रीय समिति के एक शिष्टमंडल का इस राज्य का दौरा करने का प्रस्ताव है। स्थिति के सकारात्मक लक्षणों को समेकित करने की दृष्टि से–जिसमें कि हमने गुणानात्मक सुधार देखें हैं-इस राज्य में राजनैतिक-प्रकिया पुनः-शुरू करने के लिये सघन प्रयास किये गये हैं। वास्तव में हाल ही के महीनों में इस राज्य में कुछ राजनैतिक तत्वों को सक्रिय करके राजनैतिक गतिविधियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं। इन्हें आगे और मजबूत किये जाने की जरूरत है। मैं सभी राजनैतिक दलों से यह अनुरोध करता हूं कि वह जम्मू-कश्मीर के इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर गौर करें तथा उनसे यह भी निवेदन करता हूं कि वे अपने कैडरों को सक्रिय बनायें। आरम्भिक चरण पर इसका यह अर्थ होगा कि राजनैतिक दल जनता एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करे तथा जनता की शिकायतों का तेज़ी से निराकरण करने हेतु ध्यान में लायें। इस प्रयोजनार्थ राजनैतिक दलों को ऐसे तत्वों को सक्रिय करना चाहिये, जोकि वास्तव में ही इस राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने तथा अहिंसा को समाप्त करने हेतु आगे आने को तैयार हैं।

[अनुवाद]

मैं आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में ऐसी सच्ची राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठायेगी।

मूलभूत स्थिति में, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, में सुधार आने के कारण ही पाकिस्तान और इसके आश्रित उग्रवादी समूह अत्यधिक हिंसा और बन्दूक का डर बनाये रखने के लिए निराशा में हर संभव उपाय कर रहे हैं। यह बात सितम्बर, 1993 में कश्मीर घाटी में मुस्लिम मस्जिदों को व्यवस्थित ढंग से नष्ट करने के लिए शुरू किये गये अभियान से बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। इस अभियान का सबसे आखिरी प्रयास अक्तूबर, 1993 में हजरत बल दरगाह में पवित्र अवशेष में हेर फेर करने का था। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर जनभावनाओं को भड़काना, धार्मिक उन्मादता को बढ़ावा देना और अव्यवस्था उत्पन्न करना था। इस अभियान तथा पूजा-स्थल के दुरुपयोग के अतिनिंदनीय कार्य और संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू और कश्मीर पर एक संकल्प लाने के अभियान का समय एक होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इस बड़े संकट को सुलझाने में राज्य सरकार ने जिस धैर्य से काम लिया, उसका ईनाम उसे उस समय मिला जब आतंकवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस घटना को सफलतापूर्वक संभालने के परिणामस्वरूप आतंकवादी गुटों, विशेषकर पाकिस्तान समर्थक तत्वों का पर्याप्त उत्साह भंग हुआ।

हजरत बल दरगाह पर अपने नापाक इरादों में असफल होने के पश्चात् उग्रवाद के समर्थकों और उसके नेताओं ने हिंसा को भड़काने के लिए नए तरीके अख्तियार किये हैं। युद्ध-प्रशिक्षित भगोड़े

[श्री एस० बी० चव्हाण]

सैनिकों की घुसपैठ कराने के साथ-साथ यहां आधुनिकतम हथियारों का लगातार प्रवेश और उनका प्रयोग तथा ग्रेनेडों, सुरंगों और अन्य विस्फोटक उपकरणों के बढ़ते हुए प्रयोग की परिणति अंततः बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान से हुई है। इस तथ्य पर ध्यान दिए बगैर ही कि ऐसे हमलों में निर्दोष व्यक्ति, महिलायें और बच्चे बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं, इन आतंकवादियों का उद्देश्य सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिनमें सुरक्षा बल ऐसी तीव्र प्रतिक्रियाओं के लिए बाध्य हो जाएं जिनसे लोगों में तीव्र मतभेद बनाए रखे जा सकें और यह प्रदर्शित करना भी है कि उग्रवादी किसी भी वक्त वार कर सकते हैं और इस प्रकार लोगों में भय को बनाये रखा जाए। इसके साथ-साथ निजी और सरकारी संपत्ति, विशेष-तौर पर स्कूलों का अन्धाधुन्ध और कई मामलों में तो लक्षित विनाश जारी है।

सीमा के पार से राज्य में प्रवेश पाने के लिए काफी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों के उपस्थित होने के समाचार हैं। राज्यपाल ने पाकिस्तान की आई०एस० आई० जांच एजेंसी द्वारा जान और माल के बड़े पैमाने पर विनाश करने के इरादों का उल्लेख किया है। इस पृष्ठभूमि में, आने वाले महीनों में उग्रवादियों द्वारा राज्य में हिंसा भड़काने और राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के प्रयासों को नाकाम करने की प्रत्येक संभावना है।

हम ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। आतंकवादियों पर दबाव बनाये रखते हुए हम स्थानीय प्रशासन को पुनः चालू करने, इसमें अधिक खुलापन लाने और उत्तरदायित्व की भावना लाने, राज्य में आर्थिक और विकासशील गतिविधियों को बढ़ाने और युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने; ऐसा वातावरण उत्पन्न करने, जो घाटी में कश्मीरी उग्रवादियों को धीरे-धीरे वापस लौटाने में मददगार हो सकें; और सबसे अधिक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पुनः वापसी हो सके।

कुछ समय से, लद्दाख के लोगों को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक संस्थागत-तंत्र प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। अब सरकार ने लेह के लिए स्वायत्त पर्वतीय परिषद् का गठन करने का निर्णय किया है। इस संकल्प के मसौदे पर विचार चल रहा है।

पाकिस्तान और उग्रवादी समूहों द्वारा स्थिति को सामान्य न होने देने के प्रयासों, बन्दूक के भय और इन सभी गड़बड़ियों के कारण स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। ऐसी स्थिति में, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने सिफारिश की है कि वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि और छह महीने के लिए बढ़ाना आवश्यक है।

जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंधों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित 14 मई, 1954 के संविधान आदेश संख्या 48 के अनुसार

अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति की उद्घोषणा चार वर्ष तक जारी रह सकती है। यह अवधि 18 जुलाई, 1994 को समाप्त हो जायेगी।

राज्य की मौजूदा स्थिति और सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए 18 जुलाई, 1990 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि को और बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इन परिस्थितियों में, राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से, संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1954 के मुख्य आदेश, जिसके माध्यम से जम्मू और कश्मीर में विभिन्न संवैधानिक उपबंध लागू किये गये हैं, में संशोधन करते हुए 19-2-1994 को एक संवैधानिक आदेश संख्या 154 जारी किया है। इस आदेश के द्वारा राष्ट्रपति की उद्घोषणा जितने अधिकतम समय के लिए राज्य में प्रभावी रह सकती है, उसे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।

मैं इस सम्माननीय सभा से इस संकल्प पर अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 3 मार्च, 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

इस विषय के लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है। समन्वय के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय है। अतः संतुलित समय 2 घंटे और 45 मिनट है। प्रत्येक राजनीतिक दल को आबंटित समय इस प्रकार है-कांग्रेस-1 घंटा और 21 मिनट; भाजपा-37 मिनट; जनता दल 12 मिनट; मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी-11 मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–4 मिनट, अखिल भारतीय अन्ना-दुमुक 4 मिनट; तेलुगू देशम-पार्टी-2 मिनट; झारखंड-मुक्ति मोर्चा 2 मिनट तथा अन्य सभी राजनीतिक दलों के लिए 6 मिनट हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी मैं, श्रीकान्त जेना और शशि प्रकाश तीनों संसद सदस्य पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन से होकर आये हैं। वहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 200-300 शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स लॉक-अप में हैं। इसके अलावा दूसरी जगहों से भी लोग आये हुए हैं उनकी डिमांड है कि लैक्चरार की जो परीक्षा होने जा रही है, उसमें जनरल स्टूडैंट्स के लिये भी 55 परसेंट मार्क्स रखे हुए हैं और शेड्यूल्ट कास्ट्स और शेड्यूल्ड

[श्री रामविलास पासवान]

ट्राइब्स के लिये इतने ही मार्क्स रखे गये हैं। अब उन्हें कम्पीटिटिव टैस्ट में बैठना पड़ेगा। उन पर लाठीचार्ज किया गया है। आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस बारे में स्टेटमेंट दे और वहां जाकर स्टूडेंट्स से बात करे। वे भूख हड़ताल पर हैं। यह एक गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय सत्ता के सांविधिक संकल्प पर विचार कर रही है। आपने अपनी बात पहले कह दी है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वह इसमें पहल करें। एजिटेशन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उनको छोड़ने का काम तुरन्त किया जाये।

श्री राम विलास पासवान : अर्जुन सिंह जी अगर यहां नहीं हैं तो होम मिनिस्टर उनसे बात करें।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं इस मामले की पूछताछ करता हूं।

2.24 म०प०

जम्मू तथा कश्मीर के संबंध में प्रवत्त राष्ट्रपतीय उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदनार्थ सांविधिक संकल्प-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री खन्दूरी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्दूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, न सिर्फ दुःखी और भारी मन से बल्कि अपमान और क्रोध की भावना से भी युक्त होकर जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाले इस संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज हम यहां पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि राज्य में राष्ट्रपति-शासन की अवधि छः महीने और बढ़ाने के लिए इस सरकार को अनुमति दें। यह छः महीने की अवधि समाप्त होने पर राज्य में राष्ट्रपति-शासन की अवधि के चार वर्ष पूरे हो जाएंगे। यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। महोदय, ऐसा क्यों हो रहा है? हम बार-बार यह स्वांग क्यों कर रहे हैं? इस सभा और देश का बार-बार ऐसा अपमान क्यों किया जा रहा है? यह उत्पीड़न कब तक जारी रहेगा? ऐसा कैसे हो रहा है कि दूसरा देश हमें परोक्ष युद्ध में उलझाकर हमारे लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहा है? क्यों यह सरकार इसे कभी न समाप्त होने वाली शारीरिक तथा दिमागी निष्क्रियता का शिकार हो रही है? ऐसा क्या है जो हमारे संविधान के अनुसार इस देश के एक भाग को सामान्य रूप से संचालित करने से आपको रोकता है? राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की कभी समाप्त न होने वाली इस प्रक्रिया के संदर्भ में, इन प्रश्नों

का ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक उत्तर दिया जाए। इसके बाद ही हम एक राष्ट्र के रूप में इस अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश देख सकेंगे।

मैं इतिहास के कुछ सबक सभा और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, जिन्हें उन्हें सीखना चाहिए था। जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने की हमारी कार्यवाही के तहत हमने अनेक अवसर गवाएं हैं, पाकिस्तानी नेताओं में गलत विश्वास किया है और अंततः हमारे नेताओं और शासकों में राजनैतिक सूझ-बूझ की कमी रही है। इसलिए हमारे समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमें लंबे स्पष्टीकरण देने पड़ते हैं जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने न सिर्फ राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने बल्कि राष्ट्रपति शासन के तहत एक राज्य को रखने की कुल अवधि को बढ़ाने के लिए भी स्पष्टीकरण दिया है।

मैं आपको ऐसे दो उदाहरण देना चाहूंगा, जिनमें इस राष्ट्र के विगत में, ये अवसर गंवाएं हैं। पाकिस्तान ने 22 अक्तूबर, 1947 को जम्मू और कश्मीर राज्य पर आक्रमण किया था। 27 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत में शामिल कर लिया गया था। इसके तुरंत बाद थल सेना तथा वायु सेना को कहा गया था कि उन पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर निकाल फेंके जो वेश बदल कर राज्य में घुसपैठ कर चुके थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामान्य स्थिति में आने की प्रक्रिया में होने के बावजूद, वीर भारतीय सेना तथा वायु सेना दिलेरी के साथ तथा अवसरानुकूल सक्रिय हुई और उसने दो महीने की कम अवधि में ही जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना के इन अधिकांश घुसपैठियों को बाहर निकालने में सफलता पाई।

दिसंबर, 1947 के अंत तक, सेना संपूर्ण जम्मू और कश्मीर को फिर से इस देश में ले आई थी। वह अब लाभ की स्थिति में थी। वह न सिर्फ संपूर्ण जम्मू और कश्मीर पर कब्जा कर सकती थी बल्कि अगर जरूरत पड़ती, तो पाकिस्तान में भी घुस सकती थी। लेकिन उस समय इस देश के नेताओं ने एक भारी भूल की। 30 दिसम्बर, 1947 को यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया। जनवरी, 1948 को, सरदार पटेल की सलाह के विपरीत, हमने युद्ध-विराम स्वीकार कर लिया। सेना ने कुछ दिन और दिए जाने का अनुरोध किया था ताकि वह जम्मू और कश्मीर से सभी पाकिस्तानी एजेंटों को निकाल सके। लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। सेना ने केवल 72 से 96 घंटे ही मांगे थे, इस दौरान वह न सिर्फ पूरे जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी लोगों को बाहर निकाल देती बल्कि जरूरत पड़ने पर इससे भी आगे चली जाती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए उत्सुक हमारे राजनैतिक नेताओं ने देश के वीर सैनिकों को यह अवसर प्रदान करने से इंकार कर दिया।

जरा सोचिए, अगर आज पूरा जम्मू और कश्मीर हमारे पास होता, तो इस देश का दर्जा और इसकी अर्थव्यवस्था का दर्जा क्या होता, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका दर्जा क्या होता? तब स्थिति कैसी होती? लेकिन एक भारी भूल के कारण; संभवतः आवेग में लिए गए निर्णय के कारण, यह अवसर गंवा दिया गया।

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी]

देश के वीर सैन्य बलों ने देशवासियों और राष्ट्र को पुनः एक और अवसर दिया। 1971 में सशस्त्र बलों ने हमें एक ऐसी विजय दिलाई जो विश्व इतिहास में अद्वितीय है। 90,000 युद्ध बंदी हमारे कब्जे में थे और पाकिस्तान का एक भाग अलग हो गया था और इस प्रकार वह देश पूर्णतया हार चुका था। उसे इस युद्ध में घुटने टेकने पड़े और उनके चेहरे उतर चुके थे। हमने यह युद्ध स्पष्ट और पूर्ण रूप से जीता था।

महोदय, युद्ध में विजय की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कोई नहीं होता, केवल विजेता ही होता है और हम उस समय विजेता थे। यदि हमारा देश उस अवसर का फायदा उठाता जिसमें हमें जीत दिलाने के लिए हजारों सैनिक मारे गए, तभी हम जम्मू और कश्मीर की इस समस्या का समाधान कर सकते थे। लेकिन पुनः यह अवसर गंवा दिया गया। वास्तव में, मुझे आश्चर्य होता है कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अन्य क्षेत्रों में इतनी समर्थ होते हुए भी और बहुत चतुर राजनीतिज्ञ होते हुए भी, इस अवसर को कैसे गंवा सकीं, जो हमारे सैनिकों और सैन्य बलों के वीरतापूर्वक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। लेकिन यह अवसर गंवा दिया गया। मुझे यह जानकर भी आश्चर्य होता है कि शिमला समझौते में भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत समस्याओं का समाधान करने का उल्लेख है। उन्होंने 1947 में और गत 47 वर्षों में यह सबक नहीं सीखा। हमने पुनः यह गलती की। मुझे बताया गया है कि 1947 में जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गए थे तो हम चैप्टर 6 के तहत गए थे जो कि देशों के बीच असहमति से संबंधित है, चैप्टर सात के तहत नहीं गए, जो कि हमले से संबंधित है। हमने उस समय गलती की थी। अब पुनः हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का हवाला दिया है। आज पाकिस्तान शिमला समझौते को पूर्णतः अस्वीकार कर रहा है और अन्य देश भी उसे एक कागज का टुकड़ा मात्र मान रहे हैं। इस प्रकार हमने 1971 में पुनः पाकिस्तान को बच निकलने का मौका दिया।

मैं यह पृष्ठभूमि केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं, सरकार से यह कह सकूं कि जब कभी भी ऐतिहासिक अवसर आपको प्राप्त हो, तो उन्हें कभी न गंवाएं। हम बहुमूल्य अवसर गंवा चुके हैं और जब कभी भी छोटे और बड़े ऐसे अवसर हमारे समक्ष आते हैं तो हम अभी भी उन्हें गंवाते चले आ रहे हैं। कृपया इन अवसरों को ईश्वर प्रदत्त समझें और उनका उपयोग करें; उन्हें तुच्छ राजनैतिक खेल खेलने में राजनैतिक पैंतरेबाजियां दिखाने में अथवा वोट बैंक की मानसिकता तथा व्यक्तिगत अहं के तहत न गंवाएं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और उससे अपील करता हूं कि जब राष्ट्रीय हित के तहत दृढ़ता सख्ती और कड़ी कार्यवाही की जरूरत हो तो नरमी बरतना अपराध है। हम हर बार ऐसा ही करते आ रहे हैं। जब हम मजबूत स्थिति में थे, तब हम राष्ट्रीय हितों के विपरीत वोट बैंक की मानसिकता के समक्ष झुक गए और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी अथवा उपेक्षा करते रहे।

मुझे उम्मीद है कि यह सरकार इतिहास के सबक सीखने में समर्थ है और भविष्य में ऐसे अवसर नहीं गंवाएं जाएंगे।

अब मैं जम्मू और कश्मीर की समस्या तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अथवा अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का मुद्दा लेता हूं। यह देख कर दुःख होता है कि हमारे आंतरिक मामलों में निरंतर विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है और यह सरकार इसे चुपचाप स्वीकार कर रही है तथा विश्व में इस संबंध में लग रहे आरोपों और प्रचार पर बहुत ही कमजोर तरीके से प्रतिक्रिया कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है और यह देखना बड़ा ही दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, कि यह सरकार विश्व भर में भारत के पक्ष को कमजोर किए जाने के आपराधिक प्रयासों में दिन प्रतिदिन और स्वेच्छापूर्वक भागीदार बनी जा रही है। न सिर्फ पाकिस्तान ही हर अवसर पर हर स्थान पर, हर रोज हमें लक्ष्य बना रहा है बल्कि उसके कट्टरपंथी मित्र, इस्लामी देशों का संगठन- ओ० आई० सी० भी हर अवसर पर हमारी आलोचना कर रहा है। हमारी प्रतिक्रिया सदैव ऐसी ही होती है कि उनके बारे में गलत समाचार दिया गया है या उन्हें गलत समझा गया है अथवा फिर उनके द्वारा बहुत ही सामान्य तर्क या बहाना दिया जाता है और हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी ओर, अमेरिका जो अब बड़ी शक्ति और एकमात्र महाशक्ति है भारत के प्रति ऐसा व्यवहार करने का एक भी अवसर नहीं चुकता जिससे कि भारत अमेरिका का गुलाम हो जाए।

हाल ही में अमेरिका और अन्य देश सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानव अधिकारों का मुद्दा उठाते रहे हैं। अमेरिका ने जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है और इस बारे में इस देश की प्रतिक्रिया क्या है? हमारी सरकार का जवाब क्या है? आपके उत्तर से यह आभास होता है जैसे कि आप पूरे मुद्दे पर खेद प्रकट कर रहे हों और जैसे यह कह रहे हों: "हमें खेद है, हमें अपने मामले का बचाव करना है।" इस तरह का सन्देश देश भर में और विश्व में सर्वत्र फैल रहा है। आप इस तरह का आचरण क्यों कर रहे हैं? हमारा एक पूर्णतया न्यायोचित मामला है। वास्तव में, नुकसान तो हमें पहुंचाया जा रहा है और हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। परन्तु अपनी प्रतिक्रिया में आपने कहीं भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं की है।

महोदय, आज जिस तरह से विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय मंच तथा कई देश हम पर फब्तियां कस रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं और इस पर हमारी जो प्रतिक्रिया है, वह शर्मनाक है। आपकी अनुमति से मैं गांवों में प्रचलित एक कहावत सुनाना चाहूंगा। कहावत है : "गरीब की लुगाई-सब की भौजाई।" अर्थात् कोई भी व्यक्ति हम पर फब्तियां कस सकता है कुछ भी टिप्पणी कर सकता है। मैं यह आरोप लगाता हूं कि इस सरकार ने इस शक्तिशाली देश को इतना अक्षम बना दिया है कि छोटे से छोटा देश भी हमारे विरुद्ध कुछ भी कह कर चलता बनता है। यह केवल जम्मू और कश्मीर के मामले में ही नहीं, बल्कि फरक्का बराज अथवा अन्य मामलों में भी हमारे लिए अपमानजनक है। हमें अभी-अभी यह बताया गया है कि समाचार-पत्रों में गलत समाचार दिया है। आप और मैं जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी बातों को समाचार-पत्रों ने गलत छापा है, तो इसका अर्थ होता है कि उसने बयान दे दिया और हम उस बयान को मान सकते हैं। जब तक हमारी प्रतिक्रियाएं सशक्त नहीं होंगी, जब तक हम उनको इस बात का अहसास नहीं दिला सकते हैं कि हमको अपमानित करने का मूल्य

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी]

उनको चुकाना पड़ेगा। तब तक हम अपनी प्रतिष्ठा भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता था। परन्तु मैंने सोचा कि केवल एक देश, शक्तिशाली अमेरिका, के एक, दो उदाहरण देकर यह बताऊं कि मेरी राय में, किस तरह से हमारी प्रतिक्रियाएं ठीक नहीं रही हैं।

महोदय, आज अमेरिका सर्वत्र हमें मानव अधिकारों के बारे में उपदेश दे रहा है। परन्तु कहीं भी हमारी सरकार उन्हें उनके मुंह पर यह नहीं बता रही है कि इस संबंध में उनका क्या रिकार्ड है। ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के 70 वर्षों के बाद, उन्होंने खूनी गृहयुद्ध लड़ा और इसमें 10 लाख अमेरिकी मारे गये। उस समय मानव अधिकारों की उनकी अवधारणा कहां थी? जब हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, जब हम इस देश की अखण्डता को बचाये रखना चाहते हैं, तो वे हमें मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाते हैं। जब उन्होंने अपने देश की अखण्डता को बनाये रखने के लिए 10 लाख लोगों को मार दिया तब ये उपदेश कहां थे? या क्या मानव अधिकारों का यह पाठ केवल दूसरों के लिए ही है? हमारी सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। हम कभी आक्रामक रवैया नहीं अपनाते हैं। हम हमेशा रक्षात्मक और प्रतिक्रियात्मक रवैया ही अपनाते रहे हैं। हम स्थिति से पहले से ही भांप लेने अथवा अपनी ओर से आक्रामक रवैया नहीं अपनाते हैं। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि हमारा रवैया सदा याचनात्मक ही क्यों होता है? अमेरिका, जो अपने आप को नैतिकता की प्रतिमा समझता है, इराक पर इस सन्देह से बमबारी कर सकता है कि श्री बुश को मारने की साजिश की गई थी और जब हम भारतवासी, अपने देश के उन भागों में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों पर बमबारी करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तानियों के कब्जे में है, तो तब हम शैतान बन जाते हैं। वे इस प्रकार के दोहरे मानदण्ड क्यों अपना रहे हैं?

महोदय, मैं जानता हूं कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें उनकी चापलूसी करनी चाहिए और इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम उनके कार्यों पर आपत्ति नहीं करेंगे और उनके खिलाफ उचित आवाज नहीं उठाएंगे। यह देश एक शक्तिशाली देश है और इसमें पर्याप्त सामर्थ्य एवं शक्ति है। फिर हम भयभीत क्यों हैं? यह देश शक्ति, साहस एवं नैतिक मूल्यों से युक्त है। हम भूखे रह लेंगे मगर इस देश को बचायेंगे। हम अध-पेट या भूखे रह कर भी अपने देश के लिए लड़ेंगे। हम इस देश के लिए मिट जाएंगे जैसा कि हमने विगत में भी किया है। हम भयभीत क्यों हैं? हम अमेरिका की धौंस क्यों सहन कर रहे हैं? मैं इस सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि मैं अमेरिका-विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से रहे। उनका भी लोकतंत्र में विश्वास है, लेकिन हम उनकी धौंस नहीं सहेंगे। हम उनकी धमकी को क्यों सहें जबकि हम जानते हैं कि वे केवल अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए विभिन्न कारणों से हम पर दबाव डाल रहे हैं? जैसा कि किसी ने कहा है कि अमरीका कश्मीर के मुद्दे को मोहरा बनाकर परमाणु अप्रसार संधि के लिए हम पर दबाव डाल रहा है। इन कारणों से वे हम पर दबाव डाल रहे हैं और हम इसे सहर्ष स्वीकार करते जा रहे हैं।

2.40 म०प०

महोदय, इस संदर्भ में मैं अपनी यह बात उसी निष्ठा और आग्रह से कह रहा हूं, जैसे कि मैंने 28 अगस्त, 1993 को इसी प्रकार के संकल्प के बारे में कही थी। मैं राष्ट्र के हित में फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि हमारे लिए शक्तिशाली, कठोर एवं सुदृढ़ बनना आवश्यक है तो हमें ऐसा बनना ही होगा। राष्ट्रीय हित की कीमत पर भाईचारा या सहृदयता को अधिक महत्व देना हमें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां पर भी राष्ट्रीय हित की बात शामिल हो, वहां सरकार इस मुद्दे पर अपनी ढुलमुल और कमजोर नीतियों में परिवर्तन करे।

इस संदर्भ में, गत वाद-विवाद में अपने भाषण के दौरान मैंने श्री टी० एन० कौल द्वारा लिखित एक लेख का कुछ अंश पढ़ा था। मैं इस अंश को सभा में पुनः पढ़ना आवश्यक समझता हूं और मुझे विश्वास है कि इसे भाजपा का प्रचार नहीं समझा जाएगा क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि श्री कौल कौन हैं और उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं:

> "भारत को प्रतिकार करने और यदि आवश्यक हो तो पाक अधिकृत कश्मीर के ठिकानों और प्रशिक्षण केन्द्रों में बमबारी करने का अधिकार है और कर्तव्य भी है। क्या भारत सरकार के पास ऐसा साहस और हिम्मत है? ऐसा किये बगैर पाकिस्तान बाज़ नहीं आएगा।"

अब मैं जम्मू और कश्मीर में व्याप्त आतंकवाद के एक अन्य पहलू पर बोलूंगा। हम सब जानते हैं कि इस घाटी में पहले क्या स्थिति थी और अब कैसे यह स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इस स्थिति को संभालने में सरकार की असमर्थता के कारण ही यह स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, वह गंभीर चिन्ता का विषय है। हम सब जानते हैं कि इससे हमारी चिन्ता बढ़ रही है। बहुत सी परेशानियां हैं। उन पर प्रकाश डाले बिना मैं एक अन्य विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो कि हमारे लिए चिन्ता का विषय है; और वह है डोडा, जम्मू और उधमपुर में आतंकवाद का फैलना। मैं, अन्य तीन संसद सदस्यों के साथ, गत वर्ष 6 से 8 मई तक डोडा में रहा था। हमने कई स्थानों का दौरा किया और कई लोगों से मुलाकात की। उसके बाद हमने गृह मंत्रालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पिछले वाद-विवाद में मैंने इसका उल्लेख किया था। हमने इसमें कतिपय सिफारिशें की थीं। संभवतः ये रिपोर्टें गृह मंत्रालय में कहीं पर धूल चाट रही होंगी। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारी सिफारिशें उत्कृष्ट थीं, परन्तु इन सिफारिशों को हमने पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया था। मैं एक अथवा दो सिफारिशें आपके समक्ष रखूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि उन सिफारिशों को लागू करने में क्या अड़चनें हैं, जो जम्मू और कश्मीर, विशेषकर डोडा, जम्मू और अन्य क्षेत्रों में फैल रहे आतंकवाद की समस्या के समाधान से संबंधित हैं।

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी]

मैं 15 अगस्त, 1993 को हुए जनसंहार के तुरन्त बाद पुनः डोडा गया था जबकि बस में यात्रा कर रहे 16 हिन्दुओं को बस के बाहर निकालकर गोली मार दी गई थी। मैंने गृह मंत्रालय के समक्ष एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हमने इसमें कुछ सिफारिशें की थीं। मैं यह उदाहरण देकर यह बताना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि गृह मंत्रालय में जम्मू और कश्मीर के संबंध में कोई समन्वित विचार-विमर्श अथवा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही की जाती है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास कोई नीति नहीं है। भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न बातें करते हैं। लेकिन ऐसे मामले में जहां पर विरोधाभास अथवा भ्रम नहीं है। कम से कम ऐसे मामलों की जांच की जाए; और यदि ये व्यवहार्य नहीं पाई जाएं तो हमें इसकी सूचना दी जाए कि इन अमुक कारणों से ये व्यवहार्य नहीं हैं। मैंने दो अथवा तीन सिफारिशें की थीं।

एक सिफारिश यह थी कि डोडा में लगभग 10,000 भूतपूर्व सैनिक हैं। हम वहां गये और उनसे मुलाकात की थी। हम केवल किसी विशेष दल के सदस्यों से ही नहीं अपितु सभी दलों, जिसमें कांग्रेस दल के पदाधिकारी भी शामिल हैं, से मिले थे। भूतपूर्व सैनिक अनुरोध कर रहे थे कि ये संख्या में बहुत हैं और कृपया उन्हें कुछ हथियार दिये जाएं।

आज तो हम सिंगल बैरल की बन्दूक जैसे पुराने और निष्प्रभावी हथियार लेकर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि उनको कुछ हथियार दिये जाएं और वे स्वयं आतंकवादियों से निपट लेंगे। उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे पंजाब में ग्रामीण स्वयंसेवी बल है, उसी तरह वे संगठित हो सकते हैं।" वे 10,000 लोग बेकार पड़े हुए हैं और कुछ मामलों में, उन लोगों ने अकेले ही आतंकवादियों का मुकाबला किया है लेकिन लगता है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया। गत वर्ष मैंने राज्य मंत्री से अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में विचार करेंगे। परन्तु इससे भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? वे भूतपूर्व सैनिक, हमारे देश में सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आपको इस बात में किसी प्रकार का सन्देह है, कोई राजनैतिक अड़चनें प्रतीत होती हैं, तो कृपया स्वयं उन लोगों का चुनाव करिए और अपने दल की एक टीम को वहां भेजिए और जिसको चाहते हैं उसे चुनिए। परन्तु आप उन लोगों को हथियार क्यों देना नहीं चाहते जो आतंकवादियों से लड़ना चाहते हैं, जिनको घाटी और डोडा, जम्मू और उधमपुर क्षेत्र की सारी जानकारी है। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं।

उसी प्रकार से हमने एक और सिफारिश की थी कि कुछ लोगों को अपने हथियार खरीदने की अनुमति दी जाए। उन्हें लाइसेंस दिए जाएं। वे भूतपूर्व सैनिक भी हैं। उनकी विश्वसनीयता की आसानी से जांच की जा सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। आपने कहा कि "हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अनुदेश देंगे, हम कार्य-स्थल पर अनुदेश देंगे।" लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्या आप इन आतंकवादियों से निपटने में रुचि नहीं रखते हैं।

तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भडदरवा में एक छावनी बननी चाहिए। लंबे समय से यह मांग की जाती रही है। पिछली बार राज्य मंत्री ने मुझसे यह वायदा किया था कि "हम कुछ-न कुछ करेंगे।" एक-दो दिन पहले मेरे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह प्रश्न पूछा था तो हमें यह बताया गया था कि सेना ने इस बारे में कुछ किया है। मुझे खेद है कि कार्य करने का यह कोई तरीका नहीं है। जब श्री सक्सेना वहां, राज्यपाल थे तब उन्होंने यह मामला अग्रेषित किया था और इस मुद्दे पर कार्यवाही की जानी थी। यदि गृह मंत्रालय चाहता है कि वहां छावनी बने तो सेना मुख्यालय को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मेरे विचार से इसमें या तो इच्छा या उद्देश्य का अभाव है अथवा किन्हीं कारणों से इस पर कार्यवाही नहीं की गई। शायद, आप वहां कुछ व्यक्तियों को अप्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इन मुद्दों के बारे में बताने के लिए मुझे अफसोस है। लेकिन इस जैसी अन्य अनेक सिफारिशें भी हैं जिनसे यह आभास मिलता है कि सरकार गंभीर नहीं है और यह कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है।

कोई भी कार्यवाही न करने से आतंकवादी मुक्त घूम रहे हैं। हम जानते हैं कि वे वहां पर किस प्रकार हत्याएं और बम विस्फोट कर रहे हैं।

मैं आपको आतंकवादियों के पास जो हथियार हैं उनके कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं।

गत वर्ष नवम्बर तक पकड़ी गई ए० के० राइफलें	2,214
राकेट प्रक्षेपक	81
मशीनगन	147
मोर्टर तोप	10
(यह सेना के आम हथियारों की भांति प्रतीत होते हैं)	
हथगोले	काफी संख्या में
हथगोले प्रक्षेपक	
विस्फोटक सामग्री	

ये सभी हथियार लिए जा रहे हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। आपने इसकी थोड़ी सी मात्रा ही जब्त की है। आप क्या चाहते हैं कि जिन नागरिकों के पास कोई हथियार नहीं है, पुलिस अथवा अर्द्ध-सैनिक बलों से संरक्षण प्राप्त नहीं है, वे इनका मुकाबला करें।

मैं जिस अगले मुद्दे के बारे में बोलना चाहता हूं वह है एकीकृत कमान की संकल्पना। इस सभा में हम यह बात सुनते आ रहे हैं कि एकीकृत कमान की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया है और इसे जम्मू-कश्मीर में लागू किया जाना था। मैं नहीं जानता कि एकीकृत कमान है कहां? इसका कार्य-स्थल पर उपयोग नहीं किया जाता है। मैं नहीं जानता कि एकीकृत कमान की संकल्पना को यहां क्या समझा गया है। जिन व्यक्तियों ने विद्रोह का मुकाबला किया है वे जानते हैं कि जब तक संगठित

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी]

एकीकृत कमान नहीं होगी, तब तक विश्व में कहीं भी विद्रोह का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां हम तदर्थवाद के आधार पर कार्य कर रहे हैं जो कार्य-स्थल की वास्तविकताओं से परे है। मैं नहीं जानता कि एकीकृत कमान लागू करने में क्या आपत्ति है। हमने कहा था कि एकीकृत कमान, चाहे वह राज्यपाल के स्तर पर हो अथवा सेना के स्तर पर हो, होनी चाहिए और व्यक्तियों को उस कार्यवाही के लिए पूर्णतः उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए। हम अकसर समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि कुछ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट-जनरल एकीकृत कमान के क्रियान्वयन का कार्य देख रहे हैं। कार्य-स्थल पर पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना द्वारा अपने तरीके से कार्य किया जा रहा है। कमान की एकता नहीं है। एकीकृत कमान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा राज्यपाल के स्तर पर नहीं किया जा रहा है हम हर रोज़ सलाहकार बदलते रहते हैं। ऐसा सेना के स्तर पर भी नहीं किया जा रहा है। यदि सेना के स्तर पर इसे क्रियान्वित किया जाता तो हमें हज़रतबल की घटना का सामना न करना पड़ता जिसके बारे में आपने अभी बताया है कि वहां सेना को कैसे अपमानित किया गया। यदि एकीकृत कमान होती तो ऐसा नहीं होता। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके मंत्रालय में एकीकृत कमान है भी या नहीं। हमें ऐसा आभास मिलता है कि वहां व्यक्ति तीन हैं, लेकिन मत चार हैं। मुझे खेद है कि हमें ऐसा ही आभास मिलता है। अतः मैं एक बार फिर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं--पिछली बार भी इसके बारे में बोला गया था--कि जब तक उपयुक्त एकीकृत कमान नहीं होगी तब तक विद्रोह समाप्त नहीं किया जा सकता। उससे निपटा नहीं जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि यह नई बात नहीं है। पूरे विश्व में विद्रोह का ऐतिहासिक अनुभव रहा है। कृपया इस एकीकृत कमान के बारे में कुछ कीजिए। कृपया व्यापारिक या व्यावसायिक तरीके से इस संबंध में कुछ कीजिए। कृपया इसमें राजनीति मत लाइए इसके अलावा, मैं सेना के उपयोग के बारे में बोलना चाहता हूं। राजनीतिक इच्छा और नीति के अभाव में और सरकार के भीतर आपसी कलह के कारण इस देश में शक्ति का एकमात्र यंत्र सेना जिसे अब बुरी तरह कमजोर किया जा रहा है।, जिसे कुन्द किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में नष्ट किया जा रहा है। शांति के समय "नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए" सेना का उपयोग किया जाता है। सरकार ने इस संबंध में सुस्पष्ट प्रतिक्रियाएं, नीतियां और अनुदेश जारी किए हैं कि "नागरिक प्राधिकारियों की सहायता" किस प्रकार की जाए। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सेना को बुलाना पड़ता है, उसे सारा कार्य-भार सौंप दिया जाता है तो सेना अपने तरीके से समस्या से निपटती है और तब तक कार्य करती है जब तक कि उसे वापस नहीं बुला लिया जाता अथवा स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है और वह स्वयं वापस नहीं चली जाती है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? आप सेना को अग्नि शमन कर्मचारियों की भांति उपयोग कर रहे हैं, आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि "आप यहां आइए, वहां जाइए और हजरत बल को घेर लीजिए। आपको बाद में बताया जाएगा कि आपको क्या करना है।" सेना का उपयोग करने का यह सही तरीका नहीं है। आप उसे नष्ट कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। मैं यह नहीं कह रहा हूं

कि इसे एक मुद्दा बना लीजिए। हजरत बल की घटना के बाद सेना जिस प्रकार हतोत्साहित हुई है उस पर ध्यान दिया जाए। मैं पूरी घटना के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सेना के साथ एक तृतीय श्रेणी के पुलिस बल की भांति व्यवहार किया है। उसके बाद अनेक विवाद उठाए गए हैं, जिन आतंकवादियों के लिए सेना तैनात की गई थी उन्हें पकड़ लिया गया था और गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि वे विदेशी थे। हजरतबल में जो विदेशी आतंकवादी थे, वे कहां चले गए हैं? उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। विदेशी आतंकवादियों को जाने की कैसे अनुमति दे दी गई? जब सेना को तैनात किया गया था और इसने कार्य भी किया था तब उसके बदले में उसे अपने व्यक्ति और हथियार खोने पड़े। इसे यूं ही नहीं लिया जा सकता है। कृपया सेना को यूं ही तैनात मत कीजिए जैसा कि आप अभी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि "यदि इसको सफलता प्राप्त होती है तो अच्छा है लेकिन यदि इसे सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम अगली बार देखेंगे।" आप इस देश के उत्कृष्ट तंत्र को नष्ट कर रहे हैं। आप कृपया सावधानी से काम लीजिए।

पूरे देश में यह प्रवृत्ति प्रचलित है कि नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र सेनाओं का उपयोग जब चाहे कर लिया जाता है। जम्मू-कश्मीर के संबंध में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका उपयोग अक्षमता को छुपाने, राजनीतिक इच्छा के अभाव और स्वार्थी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है जो गलत तरीका है। जैसा कि मैंने कहा है कि हजरत बल का उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जिसमें सेना को अपमानित किया गया, उसका उपयोग उस प्रकार किया गया जिस प्रकार नहीं करना चाहिए और आपने उन्हें कहा "आपको कोई कार्य नहीं है, हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम चाहते हैं, चाहे यह व्यवहार तृतीय श्रेणी के पुलिस बल के साथ किए जाने वाले व्यवहार जैसा ही क्यों न हो, लेकिन हम वैसा ही व्यवहार करेंगे।" सेना के साथ व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है। अब हम हजरत बल के बारे में और अधिक बात नहीं करेंगे। इस बारे में काफी कुछ बोला जा चुका है। लेकिन यह सेना तैनात करने के मुद्दे के बारे में है। जिस प्रकार यह सारा नाटक, किया गया, उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले समस्या का समाधान किया गया था तो उससे भी यही पता चलता है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सेना का उपयोग किया गया था। यह सही नहीं है।

अब मैं एक और पहलू पर आता हूं। यह सेना की तैनाती के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय जनता पार्टी को 37 मिनट का समय दिया गया है। सूची में 6 नामों का उल्लेख किया गया है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मैंने अभी एकीकृत कमान में सेना की तैनाती के बारे में कहा था। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर विचार करें। जम्मू-कश्मीर में स्थिति इस प्रकार की है कि यदि आप सेना को सुस्पष्ट नीति देते हैं और उन्हें कार्य-भार सौंप देते हैं तो उचित समयावधि के दौरान

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी]

आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं– मैं केवल बोलने के लिए ही नहीं बोल रहा हूं–कि घाटी में आपकी सूचना प्रणाली बिल्कुल उपयुक्त है और यदि आपकी जानकारी उचित और सही है तो आपको पता चलेगा कि घाटी में मुसलमान व्यक्ति भी यही चाहते हैं कि सेना को नियंत्रण कार्य पूर्ण रूप से सौंपा जाए और उन्हें सेना पर पूरा भरोसा है। सेना अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। घाटी में भी सिर्फ उन आतंकवादियों को छोड़ कर, जिनके विचार पाकिस्तान अथवा पाकिस्तानी एजेंटों या विदेशियों द्वारा बदल दिए गए हैं, अन्य लोगों का सेना में पूर्ण विश्वास है। अतः यदि आप उनका उपयोग उचित पेशेवर रूप में करें तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु, फिर उसके लिए आपको राजनैतिक इच्छा शक्ति और उचित नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।

कुछ समय पूर्व मैं मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दे के बारे में बोला हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संपूर्ण मुद्दे के बारे में हमें अधिक क्षमा प्रार्थी बनने की आवश्यकता नहीं है। जिस ढंग से हम जेनेवा में अभी चल रहे सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके संदर्भ में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर इस समय एक जैसी ही कार्यवाही हो रही है। परंतु मैं समझता हूं कि हमें बहुत ही पहले इसे शुरू कर देना चाहिए था। इस प्रकार की कार्यवाही जिसकी पहले से अपेक्षा थी तथा जो लोग हमारे विरुद्ध हैं, चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु एक आक्रामक अभियान कुछ समय पहले ही शुरू कर दिया जाना चाहिए था। परंतु हमें इसे पाकिस्तान और उसके समर्थकों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, जैसा कि मैंने कहा, मानव अधिकार अन्य मुद्दों से भी संबंधित हो सकता है, जिसका विदेश मंत्रालय को अपने स्तर पर समन्वय करना है कि विभिन्न प्रकार के वक्तव्य क्यों दिए जा रहे हैं, चाहे वे जम्मू-कश्मीर से संबंधित हों अथवा चाहे वे वास्तव में गंभीर मुद्दे हों और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब 29 अक्तूबर को रैफेल ने वक्तव्य दिया, जब राष्ट्रपति क्लिंटन ने 27 दिसंबर 1993 को श्री फाई को लिखे अपने प्रसिद्ध पत्र में कश्मीर में चल रहे जातीय युद्ध का 27 दिसंबर, 1993 को उल्लेख किया, विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा कि विलय के दस्तावेज हमें स्वीकार्य नहीं है इसलिए वक्तव्य देने से पहले समन्वय कर लेना चाहिए चाहे ये मुद्दे वास्तव में कश्मीर समस्या से संबंधित हों अथवा कुछ और हों, जिनके द्वारा वे आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हों। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मानव अधिकारों से संबंधित हमारा रिकार्ड बहुत अच्छा है। इसमें शर्म करने की कोई ऐसी बात नहीं है। यह रिकार्ड इन देशों के मुकाबले और पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य लोगों सहित इन सभी देशों की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतर हैं। हम किसी से पीछे नहीं हैं। अतः इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों को लेकर हम पर कोई दबाव डाला जा रहा

है और यदि डाला जा रहा है तो किस संदर्भ में और किसी भी मामले में क्षमाप्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं है।

अंत में, जहां तक जम्मू और कश्मीर की समस्या का संबंध है, मैं इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा जिस पर सरकार गौर कर सकती है।

सर्वप्रथम, एक नीति बनाई जाए। वर्तमान में ऐसा लगता है कि कोई भी नीति नहीं है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित एक स्पष्ट और दीर्घकालिक नीति बनाई जाए तथा इस सभा सहित प्रत्येक व्यक्ति को इससे अवगत कराया जाए।

दूसरा सुझाव मैं यह दूंगा कि भारत सरकार को अपनी बात दृढ़तापूर्वक कहनी चाहिए न कि क्षमाप्रार्थी होकर या फिर हर समय और हरेक मुद्दे के संबंध में अपनी बात कहने में कभी भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। देखा यह गया है कि हमारी स्थिति मजबूत होती है तो भी हम क्षमाप्रार्थी बने रहते हैं। मैं यह नहीं जानता कि इस सरकार की क्या मजबूरी है और सरकार सदैव क्यों कमजोर बनी हुई है। जब तक आप यह नीति नहीं अपनताते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ जैसे को तैसा कि नीति नहीं अपनाते हैं, जब तक आप पाकिस्तान को यह नहीं बताते हैं कि परोक्ष युद्ध एक खेल है जिसे हम भी खेल सकते हैं, और यह खेल हम उनसे अच्छी तरह से खेल सकते हैं जब तक उन्हें आप इसका कुछ उदाहरण नहीं देते हैं, तब तक वे सबक नहीं सीखेंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, मीठे-मीठे शब्दों से काम नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एकीकृत कमान को कारगर और दक्ष बनाइये। कृपया भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं पर विचार कीजिए। मैं आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आप वहां अपने दल के व्यक्तियों से मिलकर सोच सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता हो कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उसके अलावा भी कोई बात है।

3.00 म०प०

जहां तक राज्यपालों, सलाहकारों और अन्य लोगों की नियुक्ति की बात है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाएं। कृपया राज्यपालों और सलाहकारों की नियुक्ति अपने मित्रों, जो कि कुछ चुनिंदा लोग हैं और जो किसी न किसी रूप में आपको अनुगृहीत कर रहे हैं अथवा जो आपकी सहायता कर रहे हैं, को अनुगृहीत करने की कोशिश मत कीजिए। कृपया पेशेवर व्यक्तियों को ही चुनें, अपने विवेक से लोगों को चुनें जो अच्छे कार्यों को अंजाम दे सकें। सिर्फ इसी बात को मानदण्ड बनाइये। आप सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं परन्तु अपना मानदण्ड ठीक रखिए। सिर्फ इस बात को आधार मत बनाइये कि वे आपके अच्छे मित्र हैं और इसलिए आप उन्हें राज्यपाल या सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं और इसका यह भी आधार नहीं होना चाहिए कि इससे अमुक-अमुक वोट बैंक खुश हो जाएंगे। कृपया इस विचार से छुटकारा पाइये।

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी]

अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विपक्ष को अपने विश्वास में लें। मैं आपको सुझाव दूंगा, जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है कि इस समस्या को दल की समस्या नहीं समझा जाना चाहिए। यह दलगत समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय समस्या है। अतः मैं यह सुझाव दूंगा। मैंने अपने अंतिम भाषण में यह कहा था और मैं इसे पुनः दोहराऊंगा कि जैसा कि पोप के चुनाव में होता है कि सभी नेताओं अथवा मतदाताओं को एक कमरे में रखा जाता है और वे तभी बाहर आते हैं जब उनका एक सर्वसम्मत विचार बन जाता है, आपको भी इसी प्रकार की कोई बात करनी चाहिए। आप कृपया विपक्ष के नेताओं के विचारों को जानिए और एक सम-दृष्टिकोण तैयार कीजिए जो सभी को स्वीकार्य हो। फिर आपको इन निर्णयों से राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है और संभवतः इससे ही हम इस समस्या का समाधान कर पायेंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं यह आशा और अनुरोध करता हूं कि यह सरकार जिसे अपने ऊपर बहुत गर्व है और जो इस सभा में अपना बहुमत खरीदने की कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान हेतु एक उचित परिप्रेक्ष्य में नैतिक बल, राष्ट्रीयता, साहस और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेगी।

संसद के दोनों सदनों द्वारा जम्मू-कश्मीर के संबंध में सर्वसम्मति से लाए गए संकल्प के साथ जब आपको जनादेश दिया गया है, जब सभी दल आपको समर्थन दे रहे हैं और इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए आप जो भी कार्यवाही कर रहे हैं उसमें पूरा राष्ट्र आपका समर्थन कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि संसद द्वारा और इस राष्ट्र द्वारा आपको सारे अधिकार दे दिए गए हैं। अतः कृपया इसका उपयोग जम्मू कश्मीर की नीति में बदलाव लाने के लिए कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि इसमें बदलाव प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत हो कि आप इस मामले में कार्य करना चाहते हैं और ऐसा प्रतीत हो कि अब आपका उद्देश्य जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान के लिए केवल कार्य करना है और कुछ नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, जम्मू कश्मीर में और छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस के छह सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है; भाजपा के चार और जनता दल के तीन सदस्य हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को आवंटित समय के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब श्री सैयद शहाबुद्दीन और श्री लालजान वाशा प्रार्थना के लिए जाना चाहते हैं। अगर श्री मणिशंकर अय्यर चाहें तो हम उन्हें बोलने का अवसर दे सकते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : बिल्कुल ठीक है। मुझे श्री शहाबुद्दीन से सीखना है। मुझे बहुत खुशी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री सैयद शहाबुद्दीन बोलेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उस सांविधानिक समस्या का उल्लेख करना चाहूंगा जिसका मंत्री महोदय ने संकेत दिया है। जैसा कि हम सभी को भली भांति मालूम है वर्तमान अवधि को, संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार, समय-समय पर राष्ट्रपतीय आदेशों के अनुसार संशोधित, 1954 के सांविधानिक आदेश के अंतर्गत, जिसमें हाल ही में 19 फरवरी, 1994 में संशोधन किया गया था, बढ़ाया जा रहा है।

3.04 म०प०

(श्रीमती संतोष चौधरी-पीठासीन हुईं)

मैं 19-2-1994 के हाल ही के इस संशोधन की शर्तों के बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। क्या यह सितम्बर, 1994 तक की अवधि को समेटता है अथवा बाद में नए सिरे से विचार किया जायेगा कि आगे क्या कार्यवाही की जाये? सितम्बर 1994 के आने से पहले, क्या संविधान में संशोधन किया जाये या फिर सांविधानिक आदेश में संशोधन किया जाये। अतः, मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय 1954 के सांविधानिक आदेश में, जिस प्रकार यह आज के प्रश्न के संबंध में पहले ही संशोधित है के अद्यतन संशोधन की वास्तविक स्थिति विस्तार तथा गुंजाइश के बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

आगे बोलने से पहले, मैं श्री फैज की एक पंक्ति बोलना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय उर्दू के शौकीन हैं :

[हिन्दी]

"सितम की रस्में बहुत थी लेकिन, न थी इस अंजुमन से पहले, सजा खताये नज़र से पहले, अताब जमें सुखन से पहले।"

[अनुवाद]

मुझे विश्वास है कि आज कश्मीर के बहुत से लोग अपने ही तरीके, अपने ही ढंग से, महान कवि फैज की रोष व्यक्त करने वाली इस विश्व प्रसिद्ध पंक्ति को गा-सुना रहे हैं।

कश्मीर में बहुत कुछ हो चुका है। हमें सभी बातों को पुनः नहीं दोहराना है। लेकिन आज की स्थिति में कुछ तथ्य ऐसे हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट हैं उन्हें हमें सारांश में दोहराना चाहिये। पाकिस्तान द्वारा घाटी में परोक्ष युद्ध लड़ रहा है, विद्रोहियों अराजक तत्वों, उग्रवादियों और आतंकवादियों– आप उन्हें चाहे जो बुला सकते हैं–को भर्ती करना, प्रशिक्षित करना और सशस्त्र देना और फिर घाटी में अवैध रूप से भेजा जाना निर्विवाद रूप से सत्य है। यह सब चल रहा है। किन्ही कारणों से हम न तो सीमा को ही बन्द कर पाये हैं और न ही राजनयिक अभियान अथवा जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया, अगर जरूरी हो तो सैनिक कार्यवाही के माध्यम से पाकिस्तान पर रोक लगा पाये हैं।

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

मैं जानता हूं कि पाकिस्तान अपनी सीमा में विस्तार लाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आखिरी कश्मीरी तक को मौत के घाट उतारने से बाज नहीं आयेगा। सभापति महोदय, उन्हें कश्मीर से कोई प्रेम नहीं है। अब हम यह भी जानते हैं कि आतंकवादियों ने यह महसूस कर लिया है कि वे अपनी कार्यवाहियों से चाहे वह कितनी भी गहन क्यों न हो, कश्मीर को हमसे नहीं छीन सकते। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान ने यह महसूस कर लिया है कि ऐसी कार्यवाहियों से वह कश्मीर को हमसे अलग नहीं कर सकता। मेरे विचार से हमने भी यह महसूस कर लिया है कि सुरक्षा बल अपने बलबूते पर आतंकवादी सरगर्मियों को खत्म नहीं कर सकते। हमने यह भी महसूस किया है कि भारत का काम कश्मीरी लोगों से संबंध बिगाड़ना नहीं बल्कि उनके दिलो-दिमाग और आत्मा को जीतना है।

अंत में, हम यह जानते हैं कि अगर जेनेवा का उदाहरण लें वहां जो हो रहा है वह विश्व के लोगों से छिपा नहीं है और सच्चाई यह है कि हम विश्व की अदालत में हैं।

अब, कश्मीर में काफी कुछ हो चुका है जेहलम में काफी रक्त बहाया जा चुका काफी लोगों की लाशें बहाई जा चुकी हैं। काफी लोग मारे जा चुके हैं । काफी महिलाओं से छेड़छाड़, की गई है, बलात्कार और उनका अपमान किया है। काफी बच्चे अनाथ हो गये हैं । काफी घर जल चुके हैं। काफी मोहल्ले राख हो चुके हैं। और हम किस स्थिति में हैं? इस नाटक को हम और कितना सहन करेंगे? मंत्री महोदय, आखिरकार कितने समय तक? हम और सहन नहीं कर सकते। वे भारतीय हैं। वे हमारे बंधु हैं। वे हमारे देश के नागरिक हैं और वे जब मेरा उनसे सामना होता है तो वे रोष में आकर पूछते हैं, "आप हमारे साथ यह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या हम उन्हें एकमात्र इस वाक्य से सांत्वना दे सकते हैं कि आप विकट परिस्थिति में फंस गये हैं? क्या यही कहना काफी है? कुपवाड़ा, बृजबहेड़ा, लाल चौक तथा सोपोर में पिछले वर्ष जनवरी से लेकर इस वर्ष तक जो कुछ हुआ, उसे क्या हम और बर्दाश्त कर सकते हैं? मंत्री महोदय, मैं आपसे वकालत करने के लिए तैयार हूं और कश्मीरी लोगों के स्थान पर मैं उनके लिए आपसे वकालत करता हूं।

[हिन्दी]

"न गंवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा-रेजा गवां दिया, जो बचे हैं संग समेट लो दिले दाग-दाग लुटा दिया।" लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि हममें करूणा, दया और भ्रातृत्व की दृष्टि कैसे पनपी और इसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है। निःसंदेह, इसका एक तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी ने आपके सामने रखा है। लेकिन मेरा उनसे इस बात पर मतभेद है क्योंकि मुझे सारे विश्व में फैली अराजकता, आतंकवाद तथा गुरिल्ला-युद्ध के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है। मैं लेटिन अमरीका में था और हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका की संपूर्ण सैन्य शक्ति तथा संपूर्ण आग्नेय शक्ति, जो

इसने स्थानीय प्रशासकों को दे रखी थी, उग्रवाद को दबा नहीं सकी, गुरिल्लाओं को शहरी क्षेत्रों से बाहर नहीं भगा सकी और विद्रोह को दबा नहीं सकी। हम पूर्वोत्तर के अपने अनुभव से यह जानते हैं। जब हमने अपने बलों को नागालैण्ड भेजा, तब जे० पी० ने ठीक ही कहा था, "आप कहते हैं कि आप उन्हें छह महीने के लिए भेज रहे हैं लेकिन बीस वर्षों तक भी उन्हें वहां रखकर आप उन्हें वापस बुला लेंगे।"

हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोग खुश रहें, उन्मुक्त सांस लें और वह यह महसूस करें कि वह इस महान देश का हिस्सा हैं। हमारा उद्देश्य न तो कश्मीर को अपने अधीन करना है, न ही कश्मीर लोगों का विनाश करना है और न ही उसकी सीमा का विवर्धन करना है। अगर ऐसा होता तो फिर गांधी जी और नेहरू जी कभी न होते और भारतीय संस्कृति का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना है।

मंत्री जी, आपने अपने पहले के भाषणों में कभी कश्मीरियत का उल्लेख किया है, लेकिन क्या आप इसका सम्मान करते हैं? कश्मीरी लोगों की अपनी अलग पहचान है। आप अगर चाहें तो इसे नृजातीयता कह सकते हैं।

[अनुवाद]

आज विश्व में जातीयता की भावना के बारे में बातें होती हैं, लेकिन कश्मीरियों के बीच अलग पहचान की भावना तो 1947 से भी पहले से गहरे पैठी हुई है। 1937 में जब जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम-कांफ्रेंस का विभाजन हुआ और मुस्लिम-कांफ्रेंस के विरुद्ध शेख, अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस बनाई, तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिये कि उन्होंने इसे नेशनल कांफ्रेंस का नाम दिया और दशकों तक चाहे यह गलत रहा हो या ठीक, कश्मीरियों को यही बताया जाता रहा कि वे एक राष्ट्र हैं और उनका भारत के साथ एक समझौता हुआ है और हमने भी कभी उसके विपरीत कुछ नहीं कहा। हमने उन्हें अपना अलग संविधान रखने की अनुमति दे दी। आज कश्मीर को समान राज्य का दर्ज़ा देने की बात करने में बहुत विलंब हो चुका है। अगर हम वास्तव में कश्मीरियत की विशिष्टता और विलक्षणता का सम्मान करते हैं, तो हमें कश्मीर का मामला सुलझाना होगा। मुझे विश्वास है कि हम अवसर के अनुकूल अपनी राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय देकर जम्मू और कश्मीर क्षेत्र पर अपनी प्रभुसत्ता बनाये रख सकते हैं और हमें उनकी अस्मिता को भी बनाए रखना होगा। आज वे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी अस्मिता नष्ट हो चुकी है; वे हम पर विश्वास नहीं करते; वे अपने को पृथक समझते हैं। आपने स्वयं अपने भाषण में 'पृथकता' शब्द का प्रयोग किया है। दिल्ली के शासकों में और यहां तक कि संपूर्ण भारत की शासन-प्रणाली में, आत्म विश्वास की कमी है। एक समय था, जब जय प्रकाश जैसी महान हस्तियां लोगों की आवाज उठाया करती थीं। आज, हमारे पास मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। अतः, जब कश्मीर के लोग हमारी तरफ देखते हैं तो उन्हें उनका समर्थन करने वाला कोई नज़र नहीं आता। उनके विश्वास का क्या आधार होगा?

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

हम भारत की शासन-प्रणाली में उनके विश्वास को किस प्रकार कायम रख सकेंगे कि उनके साथ हमारे स्थायी, चिरन्तन और अटूट संबंध हैं।

महोदय, हमने कई अवसर खो दिये हैं। हजरत बल संकट का आपने बड़े प्रशंसनीय ढंग से समाधान किया। मैं इसके लिए आपको पूरे अंक देता हूं और विश्व ने इसके लिए आपकी सराहना की और कुछ सीमा तक कश्मीरी जनता का विश्वास भी हमें मिला। किन्तु आपने इस विश्वास को भी खो दिया क्योंकि आज भी हजरत बल दरगाह बंद पड़ी है। उनका विश्वास प्राप्त करने तथा कश्मीरियत का सम्मान करने के लिए अभी कोई राजनीतिक पहल नहीं की गई है। आपने एक बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया है। अगर आपको याद हो तो मंत्री जी मैंने परामर्शदात्री समिति में इस ओर आपका ध्यान केन्द्रित किया था और आपसे उनके साथ वार्ता की पहल करने का अनुरोध किया था। आपने इस संकट का समाधान करने के लिए हुर्रियत के लोगों की मदद ली थी। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आप उन्हें औपचारिक रूप से वार्ता के लिए बुलाकर यह क्यों नहीं कह सकते, "भाइयो, 'आओ हम इकट्ठे बैठकर इस महती समस्या का समाधान ढूंढते हैं।" आपने यह नहीं किया। आप अपने अहम पर अड़े रहे और आपने एक अवसर गंवा दिया।

अब आप उन पर हुए अत्याचारों का किस प्रकार जवाब देते हैं? मजिस्ट्रेट द्वारा जांच-पड़ताल करके? किस प्रकार दिन-दहाड़े अनेक लोगों को गोली मार दी जाती है और आप मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश देते हैं। यहां तक कि फारूख अब्दुल्ला भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आपकी अंतिम उम्मीद-आपके सबसे बड़े कृपापात्र ने भी इसे नकार दिया। शायद, उन्हें भी कश्मीर की स्थिति की जानकारी है। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच पर्याप्त नहीं है। आतंकवादियों ने कश्मीर के लोगों पर जो अत्याचार किए हैं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। लेकिन, उसी प्रकार, हमें सुरक्षा बलों द्वारा किये गये अत्याचारों को भी माफ नहीं करना चाहिये। यह हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। आप कहते हैं कि 157 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप उनसे संबंधित कुछ विशेष घटनायें बता सकते हैं, तो आपने अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया है। उन्हें क्या सजायें दी गई हैं? केवल स्थानान्तरण? आपने न्यायिक जांच करने के भी आदेश नहीं दिये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन ने मुझे लिखा कि उन्होंने बृजबिहेड़ घटना के संबंध में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है और अब वह रिपोर्ट भारत सरकार को जनता के सामने रखनी है। मैं मांग करता हूं कि इसे भारत की जनता के सामने रखा जाये। आप इसे दबाकर क्यों बैठे हुए हैं? मैं मांग करता हूं, आप हमें बतायें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : कृपया आप शांत हो जाइये। आप चिल्ला रहे हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मुझे खेद है। जनवरी, 1991 में सोपोर में अप्रैल में लाल

चौक में, दिसंबर में बृजबिहेड़ा में और जनवरी 1994 में कुपवाड़ा में हुए अत्याचार की घटनाएं अत्याचारों की कहानी कहते हैं इनकी संख्या बहुत है और मुझे उनकी पुनः गणना नहीं करनी है। हमें उन पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमें गंभीरतापूर्वक कहना चाहिये "आप मेरे भाई हैं; आप हमारे देश के नागरिक हैं; आप हमारे अपने लोग हैं; आप, आप नहीं बल्कि स्वयं मैं हूं और कश्मीर की प्रत्येक महिला के जिसके साथ बलात्कार किया गया है, वह मेरी बहन है, हरेक व्यक्ति जो मारा गया है, वह मेरा भाई है, एक-एक घर जो जलाया गया है, मेरा घर है।" वह भावना कब आयेगी वह भावना तभी आयेगी जब आप अत्याचारों को गंभीरता से लेंगे। उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करने से ऐसी भावना नहीं आएगी।

हम जानते हैं कि केवल राजनीतिक समाधान से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है और उसके लिए आपको एक राजनीतिक योजना, एक व्यापक दृष्टि और नीति की आवश्यकता है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने स्पष्ट तौर पर बताया है, इस सरकार का कोई सामान्य दृष्टिकोण नहीं है। यह बाहर भ्रामक संकेत भेज रही है। कोई कहता है, "निर्वाचन से पहले कार्यक्रम" दूसरे का कहना है कार्यक्रम से पहले निर्वाचन। मैं नहीं जानता कि इसके क्या अर्थ हैं? आप तीन परस्पर विरोधी बातें कह रहे हैं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : और उनका तात्पर्य कुछ भी नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : बिल्कुल ठीक! इसलिए, हमें इन गलतफहमियों को समाप्त करना है।

श्री एस०बी० चव्हाण : आप उनके साथ किस प्रकार का समझौता चाहते हैं?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : लक्षणों का विश्लेषण करने का हमारा भी यह तरीका है, लेकिन उसका समाधान करने के लिए हमारा अलग दृष्टिकोण है।

अतः, सरकार की तरफ से कोई ठोस और स्पष्ट नीति अथवा वक्तव्य आना चाहिये। आप इसके लिए आर्थिक कार्यक्रम देते हैं। बहुत खूब! मैं इसके विस्तार, में नहीं जाना चाहता। जब हम 'कश्मीर' बजट पर चर्चा करेंगे, तब मैं इस विषय पर बोलूंगा। आपने यह कहते हुए कि आप भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, अधिकारियों तक लोगों की पहुंच को और आसान बनायेंगे, और अन्य इसी प्रकार के वायदों के साथ उन्हें एक प्रशासनिक कार्यक्रम दिया। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मेरे विचार में कश्मीर की समस्या का समाधान किसी आर्थिक अथवा प्रशासनिक कार्यक्रम से नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम से ही होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक राजनीतिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हमें यह समझ लेना चाहिये कि राजनीतिक प्रक्रिया उचित वातावरण में ही–जिसमें असुरक्षा, बन्दूक का डर और आशंका की भावना न हो–आरम्भ हो सकती है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को कश्मीरियत की भावना का सम्मान करते हुए, भारत के अंग के रूप में कश्मीर की एकता का तथा उनकी स्वयात्तता की मांग का, जिसका आश्वासन प्रधान मंत्री महोदय ने अपने प्रेस

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

वक्तव्य में दिया था, सम्मान करते हुए एक उद्घोषणा करनी चाहिये। राजनीतिक कार्यक्रम में अनुच्छेद 370 को भी बनाये रखने का आश्वासन देना चाहिये। फिर भी यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ हम अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात सोचते हैं तो दूसरी तरफ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर संविधान में अनुच्छेद 370 नहीं होता। तो मंत्री महोदय कौन सी युक्ति अपनाते।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमें सिवाय आत्म-रक्षा के, एक तरफा युद्ध-विराम लागू कर देना चाहिये। साथ ही, सभी आतंकवादी समूहों से अपील करनी चाहिये कि हम इन तीन सिद्धान्तों, जिनका अभी मैंने जिक्र किया है, के आधार पर राजनीतिक कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अतः, हमें वार्ता शुरू करनी चाहिये। कश्मीर की जनता पर और अधिक मुसीबतें नहीं डालनी चाहिये। अतः, हमें बिना शर्त, वार्ता आरंभ करनी चाहिये; कश्मीर को यथासंभव स्वायत्तता, जो वह भारतीय संघ के एक अनन्य घटक के रूप में प्राप्त कर सकें, देने के लिए परस्पर समझौता करने के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहिये।

हमने बहुत से ऐतिहासिक कार्य किये हैं। मैं यह सुझाव देने की सीमा तक नहीं जाऊंगा कि हमें पुनः 1950,1953 अथवा 1975 की घटनाओं को दोहराना चाहिये। नहीं ,इसका अर्थ कुछ और ही होगा। इसके स्थान पर हमें आमने-सामने वार्ता के द्वारा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उत्साह और उत्सुकता से काम करना पड़ेगा। इसीलिए महोदया, मैं आशा करता हूं कि वे लोग जिनके पास शक्तियां हैं, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जैसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए स्थानों पर आसीन हैं, अपनी सूझ-बूझ का परिचय देंगे। मुझे अपने लोगों की सूझ-बूझ में विश्वास है और उनसे उम्मीद है। हम एक असभ्य समाज की तरह नहीं रह सकते। अगर हम असभ्य हो जायेंगे, तो हम, हम नहीं रह पाएंगे। यह हमारा मार्ग नहीं है। इसलिए, मैं पुनः श्री फैज़ की एक छोटी-सी पंक्ति के साथ से अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।

[अनुवाद]

इसलिये, कल जो सुहानी सुबह आयेगी वह कश्मीर के लोगों के लिए खुशियां लेकर आयेगी और देश के शेष भागों के प्रति उनमें रोष की भावना को कम करेगी।

जैसा कि शैली में कहा है, "अगर शीत ऋतु आई, तो वसन्त ऋतु भी दूर नहीं है। चूंकि आज मंत्री महोदय ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़े हैं, अतः इन सभी सुझावों के बाद आज मेरे पास राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं

आशा करता हूं कि सितम्बर आने से पहले, वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी और अगर हमारे अंदर साहस, इच्छा और सूझ-बूझ हो, तो वहां चुनाव तक भी करवाये जा सकते हैं।

सभापति महोदया : श्री लाल जान वाशा बोलेंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : मेरा व्यवस्था-संबंधी प्रश्न है। चूंकि विपक्ष की ओर से दो बार हस्तक्षेप किया गया है, इसलिए जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था, श्री शहाबुद्दीन का भाषण समाप्त होने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि बोलेगा।

सभापति महोदया : मेरे विचार से उनको जाना है।

श्री मणिशंकर अय्यर : मुझे यह नहीं पता चला कि बोलने वाले सदस्य मेरे मित्र श्री लाल जान वाशा हैं। मैं उनसे माफी मांगता हूं।

[हिन्दी]

श्री एस०एम० लालजान वाशा (गुन्टूर) : सभापति महोदया, पिछली बार हम सांसदों का एक डेलीगेशन श्रीनगर गया था। उसमें पूर्व सांसद खुरानाजी भी थे। वहां के आई० ए० एस० अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने हम लोगों को वहां के हालात के बारे में बताया तो हमें पता चला कि किस कद्र वहां के हालात बिगड़े हुए हैं और स्थिति कितनी बुरी हो गई है। कश्मीरियों के ऊपर जो गुजर रही है और वहां के लोगों ने जिस ढंग से हमें बताया तो हम लोगों की आंखों में भी आंसू आने की नौबत आ गई थी। कश्मीरी पहले कैसे रहा करते थे, इसका वर्णन भी उन लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे पांच-छः घरों को मिलाकर अगर तब देखते तो प्याज काटने की छुरी के अलावा और कोई हथियार नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही है, आज उन लोगों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। उनको चीनी नहीं मिलती, मेडिसन नहीं मिलती, ऐसी जिल्लत भरी जिन्दगी वे लोग गुजार रहे हैं। हम लोगों ने डेलीगेशन के दिल्ली लौटने पर प्रधान मंत्री को वहां की स्थिति से अवगत कराया।

कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। लेकिन उनके साथ सरकार का पहले जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। हमको चाहिए कि हम वही व्यवहार दुबारा उनसे करें। वहां पर मिलीटेंट्स की वजह से और कुछ मिलीट्री फोर्सेज की ज्यादतियों की वजह से हालत खराब हुई है उसे पूरा देश जानता है। उसको भी हमें ठीक करना होगा। हमने वहां पर धारा 370 लागू की है, उसका कहां तक पालन होता है, किस कद्र हम न्याय करते हैं इसको भी हमें देखना चाहिए। वहां के लोग बड़े प्रेम वाले हैं, लेकिन आज के माहौल में उनको आतंकवादी बनना पड़ रहा है, यह भी हम लोगों को वहां के निवासियों ने बताया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि कश्मीर के मुद्दे पर वह गम्भीरता से सोचे, क्योंकि यह पूरे देश का मुद्दा है। सरकार आतंकवादियों से बातचीत करके वहां की समस्याओं को सुलझाये। आज वे लोग खाने के लिए भी तंगी से गुजर रहे हैं। क्योंकि वहां का मुख्य व्यवसाय

[श्री एस० एम० लालजान वाशा]

पर्यटन है, जो कि आजकल पूरी तरह से बन्द पड़ा है। जैसा कश्मीर पहले था, वही हालत अब लाने के लिए सरकार को साफ नीयत से कोशिश करनी चाहिए। पहले वहां के निवासियों के दिलों में हमारे प्रति बड़ी मोहब्बत थी। हमें फिर से वह हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें कहीं से भी यह नहीं लगे कि उनके साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा है। धारा 370 जो हमने वहां पर लागू की थी, यह कहां तक इम्प्लीमेंट हुई है। उसका कहीं पर अमल होता है तो उसको उसी नज़र से देखिये। जो लोग कश्मीर से आते हैं, उनकी दिक्कत को दूर करने के लिये आप सहयोग दें क्योंकि वे पूरी तरह से मजबूर हैं। उन लोगों के घर वालों को आतंकवादियों द्वारा जान से मार दिया गया है, यही सोचकर उनको पूरी हमदर्दी दें और अच्छे ढंग से जिन्दगी जीने के लिये यह बहुत जरूरी है। इन सब बातों को देखते हुये अपील करूंगा कि हर हालत में उन लोगों से बातचीत करें और हालात को सही बनाने में मदद करें।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : आदरणीया सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यहां बोलने की अनुमति मांगी है। कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है मगर उस परिस्थिति में कुछ सुधार है और इन दोनों मुद्दों को मद्देनजर रखते हुये इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये। मुझे लगता है कि पिछले अगस्त महीने के पश्चात् छह महीनों के दौरान सुधार हेतु मैं 9 बिन्दुओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो यह है कि अगस्त महीने में काफी हद तक आतंकवाद और उग्रवाद हमारे कब्जे में आ चुका था और आज भी काफी हद तक हमारे कब्जे में आ चुका है। मेरा ख्याल है कि इसके दो सबूत हैं–बहुत से उग्रवादी गिरफ्तार किये जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो जान से मार दिये गये हैं। मैं ऐसे 4 उग्रवादियों के प्रमुख नेताओं का नाम लूंगा जो आज वहां पर मौजूद नहीं हैं। शम्सुलहक, अहसान डर, अफगानी और लंगिया। ये चारों न केवल गांवों या शहरों में बल्कि पूरे कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिये काफी हद तक जिम्मेदार हैं। इन चारों की हरकतों का 4 साल तक सरकार को सामना करना पड़ा और अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि या तो बड़े-बड़े जनरल गिरफ्तार किये जा चुके हैं या जान से मार दिये गये हैं। इससे कुछ न कुछ सुधार तो आयेगा।

दूसरी बात यह है कि आतंकवादियों के अस्त्र बड़े पैमाने पर पकड़े जा चुके हैं और जहां तक मेरी सूचना है ए० के० सीरीज रायफल्स 10000 तक पकड़े जा चुके हैं इससे उन लोगों को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। हो सकता है कि उनकी कुल जमा राइफल्स में से यह एक तिहाई हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने पकड़े जाते हैं उनको भरने के लिये इतनी बड़ी मात्रा में आयात भी होता ही है। मगर जिस तरह से वे अस्त्र बाहर से यहां आ रहे थे और हम उनको पकड़ नहीं पा रहे थे और जिसके आधार पर ये उग्रवादी यहां उग्रवाद चला रहे थे, मुझे लगता है कि वह स्थिति आज नहीं है। जो कि 1991 या 1992 में या अगस्त 1993 में हुई। इन तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए हमें विश्वास से

कहना चाहिए कि एक हद तक अब उग्रवादी हमारे काबू में आने लगे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उग्रवाद खत्म हो चुका है। हमें बहुत हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है मगर साथ-साथ निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है।

दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं ज़िक्र करना चाहता हूं वह यह है कि 1989 से 1993 तक उगवादियों का गढ़ सोपोर शहर था और आज सोपोर शहर में आतंकवादी हराए गए हैं। वह एक मुक्त शहर है और वहां खुले रूप से जनता घूम सकती है और जिस भय में वह लगातार चार वर्ष से रहे हैं, गुज़िश्ते दो-चार महीने से वह भी थोड़ा बहुत घट रहा है क्योंकि वहां आम जनता जानती है कि आज वह खुले रूप से कुछ बोलें या सोचें तो उसे एकदम मारने के लिए आतंकवादियों की ए० के० -47 नहीं आ पाएगी। इसका एक और सुबूत है। हाल में हजरतबल की व्याख्या के पश्चात् एक हड़ताल सोपोर में हुई मगर वह आतंकवादियों ने नहीं चलायी। सोपोर के आम शहरियों ने कहा कि आतंकवाद बहुत हो चुका और आम शहरियों ने आतंकवादियों के खिलाफ दो दिन तक लगातार आंदोलन चलाया था। मुझे लगता है कि इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वह दिन आए और जल्दी आए जबकि कश्मीर के हर गांव और शहर में इस प्रकार की एक हड़ताल हो। मगर मैं जानता हूं कि वह कल ही नहीं आने वाला है और जब कि मैं यह जानता हूं, मैं अपने विपक्ष के भाई-बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह न सोचें कि हम आगे नहीं बढ़े हैं और वहीं के वहीं रुके हुए हैं।

तीसरा तथ्य यह है कि हाल में हमने देखा है कि उग्रवादियों के बीच में एक दूसरे को मारने का काम बढ़ता जा रहा है। उन्हीं को पता नहीं लग रहा है कि शत्रु भारत सरकार है या वे आपस में हैं। इस साल की शुरुआत के पश्चात चंद हफ्तों में कम से कम 30 ऐसे उग्रवादी नेता उग्रवादियों के हाथ से ही मारे गए हैं। जबकि इनके अंदरूनी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, यह एक दर्पण सा है जिसमें हम उन्हीं के अस्त्रों से उनका मनोबल टूटते हुए देखते हैं जिन अस्त्रों को अगस्त 1993 और उसके पहले वह हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे इसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए।

चौथी नयी चीज़ जिसके कश्मीर में हम साक्षी बने हैं वह यह है कि लड़ाई चलाने के लिए अब कश्मीरी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है मगर गैर मुल्क के ऐसे उग्रवादी वहां पहुंच चुके हैं जिनका मकसद या तो धार्मिक है या पैसा कमाने का है, दोनों किस्म के, गैर हिन्दुस्तानी और गैर बर्रेसगीरी करवाते हैं। अफगानिस्तान से, यमन से, खुदा जाने कहां-कहां से और हमें बताया गया है कि कम से कम 700 इस प्रकार के उग्रवादी वहां पहुंच चुके हैं। अब किसी को पता नहीं कि सही आंकड़े क्या हैं मगर सैकड़ों की तादाद में ये लोग वहां पहुंच चुके हैं और बजाय हिज़बुल मुजाहिदीन या किसी और गुट की बात सुनने के अब वह सोच रहे हैं कि क्योंकि जो कश्मीरी कल तक लड़ रहे थे और आगे जाकर कल नहीं लड़ना चाहते हैं उनकी जगह हम आएं और हम उन उग्रवादियों को, उन कश्मीरियों को सिखायें कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है जब एक आम फौजी विदेश से यहां पहुंचे और

[श्री एस० एम० लालजान वाशा]

कहे कि मैं उग्रवादियों की सेना में जुड़ जाना चाहता हूं और फिर वह देखे कि उग्रवादियों का जो जरनैल है, वह भी उनको आगे ले जाने को तैयार नहीं है, इसलिये उस फौजी को खुद जनरैल बनना चाहिये, इससे मुझे लगता है कि कश्मीरी उग्रवादियों का मनोबल बहुत हद तक टूट चुका है। जो नेतृत्व कल तक एक कश्मीरी आतंकवादी या एक पाकिस्तानी दे रहा था, आज वहीं एक गैर-बर्रे सगीरी को देना पड़ रहा है।

पांचवीं बात यह है कि हाल ही में एक नयी सियासी शक्ति वहां सामने आयी है जो कि हुर्रियत के नाम से काफी जानी-मानी हो चुकी है। हुर्रियत 27 आतंकवादी गुटों का एक दल है। ऐसा नहीं है कि हम यह कह सकें हैं कि हुर्रियत आतंकवाद को चला रहा है, हम यह कह सकते हैं कि आतंकवादी ही हुर्रियत को चला रहे हैं, मगर जरा सोचिये कि क्यों 1989 में या 1990 से, 1991 में या 1992 में, इन 27 उग्रवादी गुटों को यह ख्याल नहीं आया कि हमें एक सियासी रुख दिखाना है। इसलिये नहीं आया क्योंकि वे सोच रहे थे कि अस्त्र के माध्यम से हम आजादी पा लेंगे। अब यह बात उनकी समझ में आने लगी है कि केवल ए० के० 47 के माध्यम से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब वे जानते हैं कि बन्दूक का फल केवल बुलैट हो सकता है, कोई बैलट नहीं हो सकता। वे जानते हैं कि यदि वे एक० के० 47 निकाले तो हमारे यहां बहुत सी ए० के० 47 उनका मुकाबला करने के लिये हैं। एक जमाना था दिसम्बर, 1989 में, उसका कारण मैं अभी यहां दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बी० जे० पी० के साथी और मुझमें यहां कोई मतभेद हो, मगर दिसम्बर, 1989 से लेकर, उनका मनोबल लगातार बढ़ता गया। अब उनको पता लग गया है और सोचा उन्होंने कि हमें कल आजादी मिलने वाली है, उन्होंने टेलीविजन देखकर उन्होंने सोचा कि रोमानिया में जो कुछ हो रहा है, वही यहां होगा क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे राज्यपाल जगमोहन जी और क्रोचेस्क्यू के बीच में कोई खास अंतर नहीं है और उसमें भी ऐसा सोच कर, वे काफी बुद्धिमान थे। मगर चूंकि उनके मन में अब यह चढ़ चुका था कि केवल बंदूक के माध्यम से वे अपने सियासी लक्ष्य को पा नहीं सकेंगे तो उन्होंने हमें एक सियासी रुख दिखाना शुरू किया।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज कश्मीर की सियासत में कोई बंदूक नहीं है, और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि हुर्रियत की जो सियासी शख्सियतें हैं, वे बिल्कुल आजाद हैं, ऐसा नहीं है मगर जिन उग्रवादियों ने कल तक नहीं सोचा था कि हमें एक सियासी रुख दिखाने की जरूरत है, वे आज कह रहे हैं कि यदि उन्होंने एक सियासी रुख नहीं दिखाया तो वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। यह पांचवां परिवर्तन है।

छठी बात यह है कि जब वहां हजरत बल का वाकया चल रहा था, जब कि लोगों के धार्मिक जजबात उभारे जा रहे थे, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि इस्लाम को बचाने के लिये आप आन्दोलन में निकलिये और वहां जाकर भारतीय फौज से मुकाबला कीजिये तो बहुत कम लोग

निकले। आप सोचिये कि जब एक आन्दोलन या सत्याग्रह या हड़ताल या बंद का ऐलान दिया जाता था, 1990 या 1991 में, तो सैकड़ो, हजारों लाखों लोग सड़कों पर निकल आते थे, वहीं जब हजरत बल का वाकया चल रहा है और मुई मुकद्दस से ज्यादा अमूल्य चीज कश्मीर में नहीं है, उसके बारे में जब जिक्र हो रहा था और आतंकवादियों की तरफ से, हुर्रियत की तरफ से कहा गया था कि लाखों की तादाद में आप सड़कों पर निकलिए, लाखों नहीं आए, चन्द सैकड़ों लोग आए क्योंकि अब आम कश्मीरी को पता लग रहा है कि हिन्दुस्तानी फौज और हिन्दस्तानी सरकार को इतनी आसानी से हम हरा नहीं पाएंगे। उनकी समझ में यह भी आ रहा है कि यदि पाकिस्तान का उसमें हस्तक्षेप हो तो यह पाकिस्तान के हित में है, कश्मीरियों के हित में नहीं। इसलिए जब हजरत बल का वाकया हुआ, चन्द सैकड़ों लोग ही सड़कों पर निकले जहां परसों तक लाखों की तादाद में निकल रहे थे।

सातवां कारण मुझे लगता है, कश्मीर वादी में जो पब्लिक ओपिनियन है, आम आदमी का विचार है, वह यह है कि वह आतंकवाद से तंग आ चुका है। जमाना था दिसम्बर 1979 में, मई 1990 में और आगे 1991 में हमारी सरकार आने के पश्चात् भी, जब वहां के लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सी और कुर्बानी हम दे देंगे और आजाद हो जाएंगे। वे सोच रहे थे कि यदि हमने बन्दूक पर विश्वास रखा तो क्या पता आखिरी बारूद वहीं से निकले और आखिरी हिन्दुस्तानी फौजी को हम मार डालें। अब वे जानते हैं कि उग्रवादियों, आतंकवादियों ने उन्हें बहुत गुमराह कर दिया और गुमराह करते-करते न केवल भारतीय फौज की बन्दूकें उनके ऊपर चली हैं बल्कि उग्रवादियों की बन्दूकें भी उन पर चल रही हैं।

एक छोटा सा आंकड़ा राज्यपाल जगमोहन जी की किताब से मैंने निकाला है। जगमोहन जी ने उस किताब में कहा है कि उनके ऐडीशनल डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने एक रिपोर्ट की थी कि जनवरी 1990 से लेकर 15 मई, 1990 तक कुल मिलाकर 143 मासूम लोग कश्मीर में मारे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनमें से 71 हिन्दू धर्म से जुड़े थे। इसका मतलब यह है कि 63 ऐसे थे जो इस्लामी धर्म से जुड़े हुए थे। उस जमाने में जो हकीकत थी, वह आज तक हकीकत है कि जो लोग कश्मीर वादी में मारे जा रहे हैं, वे न केवल हिन्दू या गैर-कश्मीरी हिन्दुस्तानी हैं, कश्मीरी मुसलमान भी हैं और वह भी बहुत बड़ी तादाद में।

हमने यही चीज पंजाब में देखी थी जहां सिख हित के नाम पर सिख उग्रवादियों ने सबसे ज्यादा मासूम सिखों को जान से मारा। यही चीज कश्मीर वादी में हो रही है जहां आम कश्मीरी सिख हो या हिन्दू, शिया हो या सुन्नी, बकरवाल हो या गूजर, जंसकारी हो या मीरपुरी, वह आतंकवादियों की बन्दूक से जान से मारा जा रहा है।

बलात्कार केवल हिन्दू महिलाओं के प्रति नहीं होता क्योंकि वे सब तकरीबन वहां से भागकर निकल आई हैं जो चोरी या डकैती की जा रही है, वह किसी हिन्दू का पैसा नहीं चुराया जा रहा है, मुसलमानों का पैसा चुराया जा रहा है। आज वहां मुसलमान जान से मारे जा रहे हैं, मुसलमान

[श्री एस० एम० लालजान वाशा]

महिलाओं के प्रति बलात्कार की हरकतें हो रही हैं। इसलिए जो भी जज्बात 1989 या 1990 में हुआ हो, आज की तारीख में आम कश्मीरी जानता है, ये आतंकवादी मुझ पर हमला कर रहे हैं और मुझ पर हमला इस हालत में कर रहे हैं जिस हालत में हमें पता नहीं, उनका मकसद क्या है क्योंकि यदि आजादी बन्दूक के जरिये हासिल करनी थी तो आज तक आजादी क्यों नहीं आई। यदि हमें पाकिस्तान से जोड़ने के लिये प्रयास चल रहा था तो पाकिस्तानी ही क्यों बन्दूक निकाल कर अमानुल्लाह खां पर चला रहे हैं, इस प्रकार के सवाल कश्मीर घाटी में उठ चुके हैं आज आम कश्मीरी इस हिंसा से तंग आ गया है, थक गया है, बस कह रहा है, मगर सुनने के लिये हमारे गृह मंत्री जी के कान खुले हैं या नहीं, यह सवाल है। खुले हैं तो आशा है और खुले नहीं हों तो हम खत्म हो जायेंगे। यह मैं गृह मंत्री से और अपने मित्र शहाबुद्दीन जी से कहना चाहता हूं कि आप केवल हिन्दुस्तानी फौजी के द्वारा मारे गये मुसलमानों की आवाज न सुनें, आप उन मुसलमानों की आवाज भी कृपया सुनें जो कि मुसलमान उग्रवादियों की बन्दूक से मारे जा रहे हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : सुन रहे हैं तो बहुत खुशी की बात होगी ··· **(व्यवधान)** तब आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप सब की आवाज सुनें और यह न कहें कि हमारे कान केवल एक आवाज को ही सुनते हैं या हमारे दिल में केवल एक आंसू के लिये ही दर्द है। हम यह कहें कि यदि हमारे राज्यपाल आज एक सतीश टिक्कू के घर जायें जैसा कि जगमोहन जी गये थे, जब उनकी हत्या हुई थी, 63 ऐसे मुसलमान खानदान उसी दरवाजे पर, उसी कश्मीर में जिन के परिवारों से मिलने के लिये वह राज्यपाल नहीं गये। इन सात कारणों का केवल एक नतीजा निकलता है कि उग्रवादियों का जो मनोबल था, उनमें जो उत्सुकता थी, वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिये।

अंत में यह कहना चाहता हूं, यह मेरे भाषण का अंत नहीं है लेकिन उन 9 बिन्दुओं का अंत है ··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं इसलिये कह रही हूं कि जो समय आपकी पार्टी के लिये निर्धारित है वह केवल एक घंटा 28 मिनट है। आप करीब 30 मिनट बोल चुके हैं। इसलिये संक्षेप में अपनी बात कीजिये।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इसको मद्देनजर रखूंगा। आज कश्मीर में मूल लड़ाई भारतीय फौज और उग्रवादियों के बीच उतनी नहीं है जितनी हिजबुल मुजाहिद्दीन और कश्मीरियों के बीच है। जो खरीदे हुए गैर बर्रे सगीरी फौजों और कश्मीरियों के बीच चलती है। यह है परिवर्तन। बहुत सुधार हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ करने का है। हम रणभूमि पर सही दिशा में निकले हैं। मैं खासतौर से

अपने मित्र जनरल खंडूरी साहब को यह कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा रण नहीं है जहां पर केवल फौज यह तय करे कि क्या करना चाहिये और कैसे करना चाहिये ?

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश रहा है। पाकिस्तान एक तानाशाही देश रहा है। वहां के फौजी नहीं समझें कि फौज को तब बन्दूक उठानी चाहिये जब वहां की सिविल सरकार कहे कि आप उठायें और उनकी कार्यवाही वैसे रहनी चाहिये जैसे कि सियासी लोगों का जो कहना होता है और जो वे मकसद रखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी फौज ये सब समझती है। वह जानती है कि लोकतंत्र में फौजी होने का क्या मतलब है। और उसका मतलब यह है कि जब उनसे कहा जाता है कि आप श्रीलंका चले जाइये या बंगला देश चले जाइये या पाकिस्तान के अन्दर चले जाइये या स्वर्ण मंदिर के अन्दर जाओ या हजरत बल के निकट पहुंचो तो उनको हमेशा सियासी सरकार के कहने को सुनना पड़ेगा और यदि वह न सुने और हम उन्हें उत्साहित करके कहें कि अब आप पहुंच चुके हैं तो आप ही चलाइये तो भारतवर्ष का भी वही हाल होगा, जो पाकिस्तान का हुआ है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि आर्मी अपने आप जो मर्जी चाहे करे। इन्मरजेंसी का जो सिद्धान्त है, वह यह होता है कि आप एक आदमी को, एक संगठन को जिम्मेदार बनाइये और उसको आप निर्देश दीजिए कि क्या करना है, तब उसे वह करना है। फौज का मेरा मतलब यह नहीं है कि हजरत बल के बाहर अगर आपने उनको लगा दिया तो वह जो चाहे करें। उनको आपको आदेश देना है कि आप यहां से इनको हटाइये, तब उनको लगाइये लेकिन आप उनको वहां चौकीदारी पर मत लगाइये। चौकीदारी का उनका काम नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : धन्यवाद ! एक भूतपूर्व फौजी को हमने यह जिम्मेदारी दी है, उनका नाम है जनरल के० वी० कृष्णाराव और यदि मैं गलतफहमी में नहीं हूं तो जनरल कृष्णाराव हमारे जनरल खंडूरी जी से ज्यादा वरिष्ठ हैं। वहां एक और जनरल है, जिनका नाम है जनरल जकी, मुझे नहीं लगता है कि यह जो फौजी संस्कृति है, वह उससे कहीं विभाजित होकर चले गये हों। हां, हकीकत यह है कि आज की तारीख में जनरल राव साहब एक सर्विंग जनरल नहीं हैं। मगर हमारी फौज के चीफ आफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका बहुत अच्छा ज्ञान है कि अपने फौजी भाइयों के साथ उन्हें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। मगर इस विषय पर ···

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आप यह कहकर फौज में भी कुछ गड़बड़ कराना चाह रहे हैं। सवाल फौज का नहीं है, सवाल जनरल राव के एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। सवाल यह है कि जनरल राव के इरादों को तोड़ने के लिए यहां का राजनैतिक प्रशासन ढीला पड़ जाता है। सवाल राजनैतिक इच्छाशक्ति का है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरे ख्याल में जनरल खंडूरी साहब और उनके साथी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वह समझते हैं कि सशक्त होने का मतलब कड़ा रवैया अपनाना है। ··· **(व्यवधान)** ··· देखिये, बातचीत बीच में नहीं हो सकती है। मैं जो कह रहा हूं, यदि वह गलत है तो

[श्री मणि शंकर अय्यर]

जब आपके साथी बोलेंगे तो जवाब दें मगर जब खंडूरी साहब ने बोलते-बोलते यह गड़बड़ की और उन्होंने कहा कि हमे सशक्त होना चाहिए और साथ-साथ उन्होंने कहा कि कड़ा रवैया अपनाना चाहिए तो इससे हमें पता चलता है कि फौजी होने के नाते हो सकता है कि उनके मन में सशक्त होने का मतलब एक ही है कि कड़ा रवैया हो। अब हम जैसे लोग, जो फौजी नहीं रहे हैं और सिविल सर्विस में रहे हैं या सियासत में रहे हैं, हमें पता है कि सशक्त होने के अनेक रूप हैं और हजरत बल में जो कार्रवाई हुई, उसके बारे में आप जरा दो मिनट सोच लीजिए, ऐसा ही एक वाकया स्वर्ण मंदिर में होने वाला था जब हमने सोचा कि फौजियों को वहां भेजने से वहां के उग्रवादी डर जायेंगे और अपने अस्त्र छोड़ देंगे और बाहर आ जायेंगे। हमने यह सोचा कि वह यदि बाहर नहीं आये तो हम सी० एन० गैस अन्दर फेंक देंगे और उन बेहोशों को बाहर निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो वाकया वहां हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी प्रधान मंत्री जान से मारी गईं और उस समस्या को हल होने में बहुत दिन लगे। यही हजरतबल है जहां कि उसी प्रकार का प्रयास चल रहा था कि किसी न किसी तरह हम आम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर यहां उग्रवादी के रूप में ना आयें मगर मुजाहिदीन के रूप में हम यहां अपना काम करें। उस समय फौज भेजी गई मगर साथ-साथ दिमाग के साथ कार्रवाई की गई और इसका क्या नतीजा रहा, वह आपको मालूम है। अब मैं अपना हाथ, मेरे शहाबुद्दीन भाई की तरफ इशारा है,

4.00 म०प०

जब कि आप रूबैया सईद को रिहा करना चाह रहे थे। जबकि आपकी सरकार थी, आप सदन में नहीं थे मगर आपकी सरकार थी तो कितने उग्रवादियों को आपने रिहा किया। जबकि दुरई स्वामी को निकालना था तो कितने उग्रवादियों को आपने रिहा किया और आप मुझे बताइये कि इन ३० लोगों को पकड़ने के लिए कितने उग्रवादी रिहा हुए? एक भी नहीं। कितने लोग मारे गए, एक भी नहीं। इनका कहना है कि आपने बिरयानी क्यों खिलाई, इस एक शब्द को लेकर कि बिरयानी खिलाया जा रहा है इन लोगों ने एक चुनाव लड़ा और चुनाव में ये हार गए क्योंकि भारत की आम जनता जानती है कि यदि उनको दो दिन बिरयानी दी गई थी तो उसका केवल एक कारण था कि कश्मीर के हाई-कोर्ट में मुस्लिम ओकाफ वक्फ को इजाजत दे दी थी कि जिस प्रकार का भोजन आप उनको देना चाहते हैं आप दीजिये। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कश्मीर में बिरयानी नहीं खाते। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : हम इनको यह कैसे सिखायें की वाजबान और बिरयानी में क्या अंतर है। खैर, इसलिए कि इन्होंने बिरयानी कहा इसलिए मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूं। अब हकीकत यह है कि कश्मीर ओकाफ वक्फ को एक कोर्ट से, एक न्यायाधीश से यह काम करने की इजाजत मिली थी। अब हमारे भाजपा के जो दोस्त हैं वे न्याय या कानून के बारे में क्या जानें। उनके मन में

तो यही है कि जो ईमारत नजर आए उसको एक धक्का लगाओ और तोड़ डालो। मगर हम संविधान के प्रेमी हैं और हम इस देश के संविधान के वफादार हैं और हम कहते हैं कि यदि हाई-कोर्ट की तरफ से हमारी नजर में एक गलत किस्म का बयान निकले तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और हम गए, वहां जाने का नतीजा यह हुआ कि जहां की हाई-कोर्ट ने कहा था कि वक्फ की तरफ से जो वाजवात देना चाहते हैं, दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 सौ कैलोरी से ज्यादा आप भोजन न दें और जो यह भोजन दिया जाएगा वह सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसको देने से दुनिया भर को पता लगा और कश्मीरियों को पता लगा कि हमारे दिल में भी एक सहानुभूति और हमदर्दी है। वे जानते थे कि यह सरकार संघ परिवार नहीं चला रही है, अच्छे नेक लोग चला रहे हैं। आज कश्मीर के लोग जान चुके हैं कि हमें भारत के साथ किस प्रकार का संबंध रखना है क्योंकि वे जान चुके हैं हर भारतीय एक खंडूरी नहीं है। हम में वजाहत हबीबुल्ला जैसे लोग भी हैं जो प्यार और मोहब्बत से दूसरों के साथ सलूक कर सकें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, कश्मीर में न केवल हमारी इमेज ठीक हुई है, साथ-साथ उग्रवादियों को हजरतबल से बिना रिहा किए हुए हमने 15 ए॰के॰ सीरीज रायफल्स, 1 स्नूपर रायफल, 1 यू॰एन॰जी, एक राकेट के साथ एक राकेट लांचर, एक ग्रेनेड, माइन्स, बॉम, 24 डेटोनेटर्स, एक वायरलैस और 80 लोगों को वहां से पकड़ा। उन 80 लोगों में हमें 17 मासूम लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। 63 लोगों पर आशंका थी और उनको हम पकड़ कर रखना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उनको बेल पर छोड़ दिया तब हमको उस आदेश को मानना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम बीजेपी के नहीं हैं, हम संविधान को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि कानून के जरिए इस देश को चलाया जाए। तो यह जो गलत इल्जाम हम पर लगाए जाते हैं, इनको हम स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि हजरतबल पर जो कब्जा था, वह केवल एक मस्जिद पर कब्जा नहीं था, बल्कि बहुत सी मस्जिदों पर कब्जा हो चुका था, जिसके जरिए यह बताने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा रही थी कि यहां पर सब बीजेपी जैसे हो चुके हैं और सब मस्जिदों को तोड़ना चाहते हैं। ये आतंकवादी जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद चला रहे हैं, इन्होंने 21 सितंबर 1993 को मकदूम साहब मस्जिद पर, 25 सितंबर को पीर नक्शबंद साहब की जियारत श्रीनगर में है उस पर 27 सितंबर को कंगर मस्जिद, 10 अक्तूबर को अशरे-शरीफ श्रीनगर में है उस पर कब्जा किया और इसके बाद हजरतबल पर हाथ डाला। जिस समय हजरतबल का वाकया हो रहा था, उस वक्त सोपोर जामिया मस्जिद श्रीनगर, शमसावरी, मकदूम साहब और जंग साहब मस्जिद जो सौरा में है, इन चारों पर कब्जा कर लिया।

सभापति महोदय, तो समझने की बात यह एक षडयंत्र था और हमने न केवल इस षडयंत्र को खत्म किया बल्कि कश्मीर का मुसलमान आज जानता है कि कम से कम कांग्रेस सरकार जब तक दिल्ली में है, जब तक आप लोगों की सरकार यहां नहीं आती, तब तक कश्मीरियों के धर्म का सम्मान होता रहेगा। यह एक बहुत बड़ा सबक वहां के लोग सीख चुके हैं। इन परिस्थितियों में एक और

[श्री मणि शंकर अय्यर]

सबक उन लोगों को सिखाना है और वह यह कि यह कोई पहली बगावत नहीं है, पहला आतंक नहीं है। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बोडो लैंड, कर्बियांगलांग, पंजाब और बहुत से अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस प्रकार के आतंकवाद का सामना हमें करना पड़ा है और हम उनको बताएं कि इन समस्याओं का हल ढूंढ़ने के लिए तरीका हमारा क्या था। यह कोई भूलने की बात नहीं है कि लालडेंगा साहब ने 20 वर्ष तक लगातार बगावत चलाई, मगर अंत में उनको सहमत करने के लिए राजीव जी ने अपने चुने हुए चीफ मिनिस्टर को हटा कर लालडेंगा जी से कहा कि आप मुख्य मंत्री बन जाएं और जिस आदमी को 20 साल से आप जान से मारना चाहते थे, वह आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा और जम्हूरियत के जरिए चुनाव कराकर सरकार चलाइए। इसके बाद लालडेंगा साहब जीते, 2 साल बाद वे हार गए, लेकिन उसके बाद वे बगावत के साथ वापिस नहीं आए। एक ऐसा जिला भारतवर्ष में है, जिसका नाम शायद बहुत से माननीय सदस्य भी नहीं जानते होंगे, जो मिजोरम का दक्षिणी जिला है। दूसरा नाम है छिन तुई पुई। वहां नवम्बर में चुनाव हुए तो 92 प्रतिशत लोग वोट डालने के लिए आगे आये। यह एक गर्व की बात है। यह जाकर हमें कश्मीर के लोगों को बताना है। जिस तरह से नागालैंड की समस्या का हल हमने ढूंढ़ा वैसे ही कश्मीर की समस्या का हल निकालने के लिए हम तैयार हैं। जैसा व्यवहार त्रिपुरा में बिजोई-हंगत से था, वैसे ही आपके साथ होगा, यह उनको बताना होगा। हाल ही में बोडोलैंड में क्या हो रहा था, वहां पर बन्दूकें निकाली जा रही थीं। हमने अपने सिद्धांत का सही उपयोग करके एक आटोनामस कौंसिल की घोषणा की है, कार्बियांगलांग में भी इसी प्रकार की कार्यवाही होने वाली है। दार्जलिंग में हमने एक हिल कौंसिल शुरू की। हम कश्मीरी भाई-बहनों से कहें कि संविधान के अंतर्गत बहुत से हल निकल सकते हैं, मगर उनको निकालने के लिए उनको हमारे साथ आकर बैठना होगा। यदि वे बैठकर बात करेंगे तो समस्या का हल निकाला जा सकता है। मगर समस्या का हल निकालने के लिए हम सिद्धांतों पर ही बातचीत करेंगे और संविधान के अंदर ही रहकर बातचीत करने की जरूरत है। इन सिद्धांतों में एक है धर्मनिरपेक्षता। यदि कुछ लोगों का 'पन्नुन कश्मीर' का नारा है कि आज कश्मीर का विभाजन करो, एक हिन्दू राज्य हो और दूसरा मुस्लिम राज्य बने और हम इन साम्प्रदायिक भावनाओं को सुनने लगें तो फिर कोई हल नहीं निकल सकता है। एक तरफ कश्मीर का वह इतिहास है जहां पर मुसलमानों की बहुलता एक अर्से से है और दूसरी जगह हिन्दुओं की बहुलता एक अर्से से है, केवल 1990 में वहां से लोगों ने निकलना शुरू किया है, यह हकीकत है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि 15वीं सदी से वहां दोनों धर्मों के लोग साथ साथ रहते आये हैं, यह भी हमें साफ कहना चाहिए।

जो भी कश्मीरी शरणार्थी हों चाहे वे डोंडा में हों, जम्मू में हों, दिल्ली में हों या कहीं भी हों उनका हित उनका हक है और वह यह है कि वे वापस वादी में जायें। जब तक उनकी वापसी का इंतजाम नहीं होता तब तक इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता।

[अनुवाद]

उनका वादी में वापिसी का अधिकार तो हमारे न्यूनतम कार्यक्रम में से है।

[हिन्दी]

हम केवल उन कश्मीरी शरणार्थियों की बात करें जो वादी छोड़कर बाहर आये हैं तो कश्मीर के अंदर अपने घरों में बैठकर जो जीवन गुजार रहे हैं वे भी शरणार्थी ही हैं, क्योंकि वे आतंकवादियों की बन्दूकों की वजह से बाहर नहीं निकल सकते। हम उनको कहें कि आपको भी इजाजत है कि आप भी खुले तौर पर अपनी जिन्दगी मुक्त रूप से जीयें। हर हाल में हम अपने संविधान के मुताबिक कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए चाहे जितना भी हमारे कंधों पर आर्थिक बोझ क्यों न पड़े, चाहे जितने फौजी भाइयों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, एक साल या सौ साल क्यों न लगें हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। हमारा देश एक है और कश्मीर हमारे देश का एक अटूट हिस्सा है। इस राज्य को हम तोड़ने नहीं देंगे, कोई जम्मू राज्य, लद्दाख राज्य या कश्मीर राज्य नहीं बनेगा, एक ही जम्मू-कश्मीर राज्य रहेगा। कश्मीर में रहने वाले हमारे ही भाई-बहन हैं। उनकी जो समस्यायें हैं, जो भी उनके मन में चिन्तन हो, हम उनको सुनने को तैयार हैं। हम उनके साथ हैं और वे हमारे साथ हैं। हमें यह महसूस होना चाहिए कि कश्मीर में अगर खून बह रहा हो तो हिन्दुस्तान में खून बह रहा है। हम उनके साथ बैठकर पोलिटिकल प्रोसेस शुरू करें। नेशनल कांफ्रेंस है, जो वहां कांग्रेस है उनसे यह कीजिये। जो आज दिल्ली में बैठे हैं वे वादी में जायें और काम करें। हम हुर्रियत के साथ बैठकर बातचीत करें। हम फज़ल की हुर्रियत जैसे लोग नहीं हैं, वे हमारे साथ नहीं हैं। उनके साथ बैठकर बातचीत करें, पाकिस्तान के साथ बातचीत करें मगर दुनिया को दिखायें कि हम बातचीत करने के लिये तैयार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : जम्मू-कश्मीर के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा और वाद-विवाद हम सबके लिए करीब-करीब एक प्रकार औपचारिकता बन कर रह गयी है।

विपक्ष होने के नाते हम कुछ प्रश्न उठाते हैं, हम कुछ मांगें प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक वर्ष सरकार उसी तरीके से जवाब दे देती है। सरकार हर साल उसी तरह से सदन को आश्वस्त करती है और फिर हमारे मन में विषाद की भावना भर जाती है। इस बीच समस्या जटिल से जटिलतम होती जाती है और छः महीने अथवा एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद, हम यहां इस संकल्प को समर्थन देने आ जाते हैं और हमारे लिए इसका समर्थन करने के अलावा अन्य कोई विकल्प भी तो नहीं है।

इन परिस्थितियों में प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के प्रति वास्तव में गंभीर और ईमानदार है भी या नहीं अथवा सरकार अपनी वर्तमान नीति के तहत जम्मू और कश्मीर की समस्या को केवल प्रशासनिक समस्या अथवा कानून एवं व्यवस्था की

[श्री सुदर्शन राय चौधरी]

समस्या बताकर भी संतुस्ट है अथवा जनता के धैर्य की परीक्षा लेने और चुनाव कराने के विचार को लेकर हवा में बातें करने की अपनी नीति को संतोषजनक मानती है। जैसे कि चुनाव कराना ही कश्मीर समस्याओं का एक मात्र हल हो।

दुर्भाग्यवश, महोदया, यदि यही रवैया रहा तो इससे कश्मीर समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

यह सही है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में सभी प्रकार की आतंकवादी तथा पृथकतावादी गतिविधियों को अभी भी सक्रिय रूप से न केवल सहायता प्रदान कर रहा है बल्कि उकसा भी रहा है। वहां के राजनीतिक दल कश्मीर की समस्या को भड़काने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। लेकिन, एक क्षण के लिए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की इस नीति के पीछे अमरीकी सरकार का एक खतरनाक एवं गंदा खेल भी है। हमारी सरकार द्वारा प्रचार करने वाली एक फर्म, जो कि इतनी प्रसिद्ध नहीं है नियुक्त करने के बाद भी अमरीका के राष्ट्रपति ने खुलेआम कश्मीर में मानवाधिकारों के प्रश्न पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रचार करने वाली फर्म को नियुक्त करने के बाद भी अभी हाल ही में, अमरीकी कांग्रेस के विभिन्न दलों के 28 संसद सदस्यों ने कश्मीर के बारे में हमारी स्थिति को चुनौती दी है और मिस राबिन रैफल, जैसा कि बताया जाता है कि वे इस महीने भारत का दौरा करेंगी चाहे भारत उनका स्वागत करे अथवा न करे, जैसे कि हमारा देश कोई प्रार्थी देश है जहां वे अपनी इच्छा अनुसार दौरा कर सकती हैं। हम यह सब कुछ बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व हमने जम्मू तथा कश्मीर के बारे में सदन में एक संकल्प पारित किया था परन्तु उस संकल्प में हम अमरीकी षडयंत्र का उल्लेख नहीं कर सके। अल्पसंख्यकों की ओर पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए यह एक तथ्य है कि मानवाधिकारों के बारे में पाकिस्तान का अपना रिकार्ड बहुत निराशाजनक और विनाशकारी है। खास तौर से जब हम वहां के अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तानी सरकार के रवैये को देखते हैं तो यह एक दम स्पष्ट हो जाता है। यहां तक कि मुस्लिम राज्य अपनी ही जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। यह सब बातें हमें तो अच्छी तरह मालूम हैं। पर अमरीकी सरकार को इसकी खबर नयी है। जो कि प्रत्येक देश की मानवाधिकारों का गला फाड़-फाड़ कर दुहाई दे रहा है। उनसे कभी आपने कहा है कि "हमें मानवाधिकारों पर शिक्षा मत दो। हमें मालूम है आपने वियतनाम में क्या किया और अभी हाल ही में इराक और सोमालिया में आपने क्या किया? यहां तक कि अपने देश में भी, अपने काले लोगों के विरुद्ध भी अमरीका ने क्या किया यह सब आपने कहीं कहा।

सरकार ने अमरीकी सरकार से अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करे जैसे कि हमने अमरीका को विश्व समुदाय का सर्वोच्च मुखिया मान लिया हो। यह

एक हकीकत है कि पाकिस्तान खुले आम हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, और आतंकवादियों को सहायता दे रहा है, चाहे इसे अमरीकी सरकार स्वीकार करे या न करे।

कश्मीर की स्थिति का फिर से उल्लेख करते हुए मेरा यह कहना है कि राज्य में लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बावजूद स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर के लोग जिन्होंने एक समय भारत में विलय के लिये पाकिस्तानी षड्यंत्रों, साम्राज्यवादी शक्तियों, तथा पाकिस्तानी हमलावारों के विरुद्ध संघर्ष किया था, मुझे तो मालूम नहीं कि उनमें से कितनों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी गई है अथवा सरकार द्वारा किसी एक को भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की गई है। लेकिन आज वही देशभक्त लोग अपने आपको अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। राज्य की सभी समस्याओं का मूल कारण ही यह अलग-थलग पर जाने की भावना है। राज्य में शक्तियों का अधिकाधिक केन्द्रीयकरण, संघात्मक मूल्यों तथा सिद्धांतों के द्वारा, संक्रीर्ण राजनीतिक लाभों के लिये निर्वाचन प्रक्रिया में फेर-बदल, किसी भी कीमत पर सत्ता पर बने रहना तथा जनता के दुख-दर्दों की चिन्ता न करना जैसी बातों के कारण ही कश्मीर के लोगों में अलगाव की भावना पनपी है। लेकिन यह सरकार इन बातों से कुछ सीखना ही नहीं चाहती।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण जम्मू तथा कश्मीर के लोगों में व्याप्त अलगाव की भावना को दूर करने के लिये क्या कारगर उपाय किये गये हैं।

पिछली बार जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति पर जब सभा में अगस्त, 1993 में चर्चा की गई थी तो मेरे दल के वक्ता श्री हन्नान मोल्लाह ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों-कारगिल तथा लद्दाख का उल्लेख करते हुये हमें यह चेतावनी दी थी कि यदि इन क्षेत्रों को पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया तो ये क्षेत्र अर्थात कारगिल, लद्दाख तथा जम्मू में भी कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने जो कुछ कहा था उसका सार यही है; और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को सतर्क भी किया था। लेकिन आप जानते हैं कि वहां की स्थिति अभी इतनी ठीक नहीं हुई है और जम्मू की स्थिति भी कश्मीर जैसी होती जा रही है। पहले ही एक पृथक राज्य पानुन के लिए मांग की जा चुकी है। यह मांग बहुत खतरनाक है। यदि हमने प्रवासियों की वास्तविक परेशानियों को दूर कर दिया होता तो हमने उस मांग पर ध्यान न दिया होता। क्या हमने कारगिल में कुछ किया है? पिछली बार कारगिल में एक हवाई अड्डा बनाने की मांग की गई थी। वहां हवाई अड्डा बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी बहुत पुरानी है। इसे सदन में उठाया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, पर्यटन उद्योग तथा रेलवे एवं डाक तार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कारगर कदम उठाये गये हैं। हर चीज़ में गड़बड़ी है। किसी क्षेत्र को आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए अच्छी संचार व्यवस्था का होना मूल रूप से आवश्यक है। महोदया, मैं आपसे अनुरोध

]श्री सुदर्शन राय चौधरी]

करूंगा कि आप भारत के रेलवे के मानचित्र को देखें विशेषकर जम्मू और कश्मीर के। वहां रेल सुविधाओं के प्रभाव को देखकर आपको धक्का लगेगा। केवल इस वर्ष, रेलवे मंत्री ने रेलवे बजट में कुछ धनराशि तथा परियोजनाएं यहां के लिए आवंटित की हैं और मैं इस मुद्दे पर तहे-दिल से उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मैं आपको डाक विभाग की वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि हमें कल ही मिली है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर में 140.23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिये केवल एक ही डाक घर है ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 201 शहरी डाकघर हैं, और 1382 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पिछली बार इन डाकघरों की कुल संख्या 1578 थी और इस पूरे वर्ष में केवल पांच ही डाकघर बढ़े हैं वे भी केवल शहरी क्षेत्रों में ही। वहां संचार व्यवस्था के क्षेत्र में केवल यही उपलब्धि है राज्य की जनता की कभी-कभी कुछ छोटी-मोटी मांगें भी उठती हैं जिन्हें भी हम पूरा नहीं कर पाये हैं। वर्ष 1989 में 1159 युवकों को 1400 पंचायतों में बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया गया था जिन्हें 750 रुपये मासिक मज़दूरी दी जा रही है। उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। उन्हें एक नियमित वेतनमान दिया जाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। एक अन्य अभ्यावेदन है। जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में अंशकालीन अध्यापकों को पूरा समय काम करने वाले अध्यापकों से अधिक काम करना पड़ता है। क्या हम इन अध्यापकों के लिए कुछ नहीं कर सकते? वे जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर के कार्यालय के समक्ष 24 जनवरी से वे धरने पर बैठे हैं तथा 7 फरवरी से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। जब तक लोगों की ऐसी मांगों तथा अन्य मुख्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक सरकार सम्पूर्ण राज्य के विकास के लिये उपयुक्त परियोजनायें नहीं बनाती तथा साथ ही वहां के लोगों को यह आश्वासन नहीं देती कि उनकी सांस्कृतिक एवं मुख्य तरह की पहचान बनाये रखी जाएगी, तब तक लोगों के मन से अलगाव की भावना दूर नहीं होगी। इन मांगों को पूरा किए बिना राज्य में आतंकवाद एवं अव्यवस्था के विरुद्ध कड़े उपाय करने से भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा। बल्कि आतंकवाद एवं अव्यवस्था को और भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य में तुरन्त चुनाव करवाये जायें।

जम्मू तथा कश्मीर की समस्या के स्थाई समाधान के लिये सम्पूर्ण समस्या का निपटारा दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। एक तरफ हमें घुसपैठियों तथा आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ाई से पेश आना चाहिये तो दूसरी तरफ हमें लोगों को यह आश्वासन भी देना चाहिये कि उनकी स्वतंत्र पहचान बनाये रखी जायेगी और स्वायत्तता तथा विकास की उनकी मांगें धर्मनिरपेक्ष भारत के सांवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत ही पूरी की जायेंगी। हज़रतबल मुद्दे को धैर्यतापूर्ण तथा चतुरता से निपटाने से अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई है। उस स्थिति का अन्य समस्याओं का हल निकालने के लिये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सरकार उस स्थिति का सही इस्तेमाल नहीं कर सकी। यदि सरकार इस समस्या का समाधान करने के प्रति गम्भीर है तो इस संबंध में मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं।

प्रथम, सरकार को तुरन्त सलाहकारों का एक पैनल बनाना चाहिये। इस पैनल में धर्मनिरपेक्ष विचार वाले अधिकारियों और सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया जाना चाहिये ताकि यह सलाहकार परिषद् राज्य के लोगों के साथ ताल-मेल कायम कर सके। लोग अपनी परेशानियों के निराकरण के लिए उन राजनीतिज्ञों से मिल सकते हैं जो सलाहकार परिषद् के सदस्य होंगे।

दूसरा, सम्पूर्ण राज्य के कतिपय क्षेत्रों का चयन किया जा सकता है जहां से आतंकवादी गतिविधियों का सफाया किया जा सके। इन क्षेत्रों में सरकार आर्थिक तथा राजनैतिक गतिविधियां शुरू कर सकती है। मुझे विश्वास है कि सरकार राज्य में कुछ क्षेत्रों का चयन कर सकती है।

तीसरा, राज्य में पाकिस्तानी तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों का पता लगाया जाना चाहिए तथा हमें जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों को और स्वायत्तता प्रदान करने के लिये उनके साथ बातचीत शुरू करनी चाहिये। इस संकट की घड़ी में संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम बातचीत करें, तो हमें पता चल सकता है कि वे किस हद तक स्वायत्तता चाहते हैं। इस तरह से हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमें तत्काल ही बातचीत शुरू करनी चाहिए।

इन उपायों के बाद ही, अधिक स्वायत्तता के आधार पर हम राज्य में चुनाव करवाने पर विचार कर सकते हैं। केवल तभी, चुनाव हो सकते हैं। केवल तभी लोग 90 से 92 प्रतिशत तक की अच्छी संख्या में वोट देंगे। इसमें पहले, वोट देने वालों का प्रतिशत केवल 2 प्रतिशत था। जम्मू और कश्मीर के लोग चुनावों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि चुनाव उनकी समस्याओं का हल नहीं है। इसके विपरीत यदि सरकार सुस्ती से काम करती रही और लापरवाही का रवैया अपनाया तथा केवल प्रशासनिक और सुरक्षात्मक उपायों पर ही निर्भर करती रही तो यह मुद्दा हमारे हाथ से निकल जाएगा और यह सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदया, मैं गृह मंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 3 मार्च, 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में पेश किये गये सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। महोदया, जहां तक इस विषय का संबंध है, कुछ माननीय सदस्य यह विचार व्यक्त करते आ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा वहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है। मैं कुछ माननीय सदस्य की इन टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं तथा इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार का संकल्प मात्र कानून एवं व्यवस्था की समस्या को हल करना ही नहीं है, बल्कि इस राज्य की राजनैतिक समस्या को भी हल करना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया था कि सरकार ने उग्रवाद के

[श्री शरद दिघे]

विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की नीति तैयार की है तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों को आंतक-विरोधी-कार्रवाई में व्यापक सफलता मिली है। इसके समर्थन में, माननीय सदस्य, श्री अय्यर जी ने अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया था।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्ष 1993 के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को गहरा धक्का लगा था। इस वर्ष के दौरान अनेक आतंकवादी सुरक्षा-बलों के हाथों मारे गये। यह संख्या इससे पूर्व मारे गये आतंकवादियों में सबसे अधिक थी। यदि जरूरी हुआ, तो गृह मंत्री महोदय इस बारे में आंकड़ें बतायेंगे। लेकिन, जम्मू-कश्मीर में स्थिति के बारे में यही टिप्पणी की गई है। यह मारे गये आतंकवादियों की संख्या मात्र का प्रश्न नहीं है, बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी हम इस राज्य में आतंकवादियों की कमर तोड़ने में सफल हुए हैं। मकबूल इलाही जैसे आतंकवादियों का मारे जाने तथा मास्टर अहसन दर जैसे नेताओं के गिरफ्तार किये जाने से अलगाववादी-आंदोलन को गहरा धक्का लगा था। इसके अतिरिक्त अनेक संगठनों के प्रधान सेनापति जैसे कि जमाईतुल मुजाहिद्दीन के नसीरुल इस्लाम, तेहरीकुल मुजाहिद्दीन के सज्जद मीर, ऑल बर्क के खालिद गिबरन तथा ऑल-जेहाद फोर्स के खालिद-उर-रहमान भी मारे गये थे।

इसके बाद, जैसा कि पहले ही कहा गया है, सुरक्षा बलों ने सोपोर-जिस पर कि आतंकवादियों द्वारा विमुक्त कराये गये क्षेत्र के रूप में दावा किया जा रहा था–में अपनी उपस्थिति संस्थापित करे। ब्रिज बहार कस्बे में–जहां कि हजरत-बल संकट के दौरान सीमा सुरक्षा-बल की गोली-बारी में अनेक लोग मारे गये थे–हाल ही में आतंकवादियों की गतिविधियों के विरुद्ध एक हफ्ते के बंद का अयोजन किया गया है जहां तक लोगों की प्रतिक्रिया एवं उनके द्वारा सरकार एवं सुरक्षा बलों को सहयोग दिये जाने का संबंध है, यह अत्यंत महतवपूर्ण बात है। निस्संदेह, यह आत्मसंतोष प्रकट किये जाने का मामला नहीं है। हमने देखा है कि आतंकवादियों ने गणतंत्र-दिवस समारोह के अवसर पर बाधा डालने के लिए श्रीनगर में एक स्टेडियम की तरफ दो राकेट भी दागे हैं। इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी कश्मीर में कुप्पुवाड़ा बाजार जहां कि 21 लोग मारे गये थे–में नागरिकों को मारे जाने की घटना ने हमारी सुरक्षा बलों एवं सरकार की आंखों को खोल दिया है।

हजरतबल दरगाह की घटना का अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है। पाकिस्तान के दुष्प्रचार से इस घटना की हवा विदेशों में फैली थी, जबकि हम हजरतबल दरगाह की इस घटना को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक सुलझाने में कामयाब हुए हैं। यहां तक कि हमारे कटु आलोचक अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत को दरगाह में तैनात आतंकवादियों को बिना कोई गोली चलाये सफलतापूर्वक बहार निकाले जाने पर बधाई दी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी थी तथा इससे न केवल हमारी सुरक्षा बलों के खाते में, बल्कि इस देश के राजनैतिक नेतृत्व में भी एक

सफलता दर्ज हुई है। वहां से 53 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है तथा वे उस क्षेत्र के जिला एवं सत्र-न्यायाधीश के आदेशों के परिणामस्वरूप जमानत पर रिहा हैं।

महोदया, इस मुद्दे को पेचीदा बनाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण न केवल असहयोगात्मक है, बल्कि यह देश इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के हमारे प्रयासों में हमेशा रुकावट डालता चला आ रहा है। इस संबंध में दो अथवा तीन दृष्टांत भी दिये गये थे। मैं तो रोबिन राफेल द्वारा अक्तूबर-नवम्बर 1993 में दिये गये वक्तव्य को मात्र उद्धृत ही करूंगा। उसने कहा था :

"अमेरिका ने भारत में कश्मीर के अन्तिम रूप से विलय को स्वीकार नहीं किया था।"

यह वक्तव्य हजरतबल संकट-स्थिति के चरमसीमा पर होने के समय जानबूझकर दिया गया था। जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नियुक्त हमारे राजदूत ने एक भाषण में इसके प्रत्युतर में-स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि भारत में कश्मीर के विलय के बारे में आरोप वैध अथवा पूर्ण नहीं है–बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। दो अन्य पत्रों का भी उल्लेख किया गया है। एक पत्र श्री क्लिंटन द्वारा श्री फाई को अलगाववादी संगठनों की वैधता दर्शाते हुए लिखा है। फिर, दूसरी बार 27 सितम्बर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के समक्ष अपने भाषण में अमरीका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने कश्मीर की तुलना बोस्निया एवं अंगोला से की। अमेरिका ने ऐसी शरारतपूर्ण कार्रवाइयां जान-बूझकर की हैं और हमारी सरकार को इस संबंध में आक्रमक रवैया अपनाना पड़ेगा तथा न केवल अमरीका में ही, बल्कि पूरे पाश्चात्य देशों एवं विश्वभर में अपने पक्ष में माहौल उत्पन्न करने के लिये प्रयास करना होगा।

मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रयोजन हेतु विश्व मत एकत्रित करने के लिए संसद के गतिशील सदस्यों की सेवाओं का भी लाभ उठाया जाना चाहिये।

हर व्यक्ति यही कहता है कि कश्मीर समस्या का वास्तविक समाधान राजनैतिक रूप से ही किया जा सकता है। अतः, राजनैतिक स्तर पर पहल की जानी चाहिये। कैसे? आपको विभिन्न राजनैतिक दलों के सुझावों पर अवश्य गौर करनी चाहिये। निस्संदेह, सरकार इस राज्य में यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र शांतिपूर्वक चुनाव करवाने तथा लोकप्रिय सरकार स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने हेतु प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा गृह मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस समस्या पर एक राष्ट्रीय-सहमति बनाने के लिए सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श करें। अब यह समस्या किसी एक ही राजनैतिक दल की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है। अतः मैं सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर इस समस्या के समाधान हेतु अथवा इस राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने में आगे कार्रवाई करने में सहयोग प्रदान करें। यह बहुत अच्छी बात है कि सभी राजनैतिक दलों ने इस संबंध में एक संकल्प पारित किया है। मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं

[श्री शरद दिघे]

तथा आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप सभी एकत्रित रूप से इस समस्या का राजनैतिक हल सुझायें। (व्यवधान) जब हम कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरे विवादास्पद डंकेल मुद्दे को बीच में नहीं लाएं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमने आपको सहयोग दिया था। यह एक सर्वसम्मत संकल्प है। आप डंकेल मुद्दे पर हमारे साथ सहमत क्यों नहीं होते हैं।

श्री शरद दिघे : इस संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा बिना शर्त के किया गया था। कांग्रेस सरकार के कुप्रबन्धन के बावजूद, हमने इसका समर्थन किया था।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : आप पुनः यह शर्त क्यों लगा रहे हैं?

श्री शरद दिघे : मैं इस विषय पर अपने निजी विचार व्यक्त करूंगा तथा इसके बाद इस सभा में चर्चा होती रहेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे पता है कि आप इस बारे में स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते।

श्री शरद दिघे : राज्य-प्रशासन-जिसे कि कानून एवं व्यवस्था की समस्या से जूझने के लिए स्थापित किया गया है–को शायद जनता की शिकायतों को सुलझाने की वर्तमान समस्या के बारे में पूर्णरूप से जानकारी नहीं है। अतः, इस दृष्टि से, मैं यह महसूस करता हूं कि नीति-निर्माताओं के लिए यह चरम स्थिति है तथा उस विशेष स्तर की भी समस्याएं हैं, जब संस्थापन का सुरक्षा तंत्र सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु कोई भी कदम उठाने से पूर्व सिविल-प्रशासन तथा राजनैतिक सहायता प्रदान करने वाले कारगर राजनैतिक तत्वों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। इस ओर भी ध्यान देना होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार वचनबद्ध है तथा जैसा कि मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि श्री अमर कपूर की अध्यक्षता में गठित प्रान्तीय सतर्कता आयोग ने अवैध-परितोषण के आरोपों के कारण वरिष्ठ अधिकारियों सहित 30 सरकारी कर्मचारियों को आरोप-पत्र ज़ारी कर दिये हैं; यह व्यवस्था सही दिशा में जारी रहनी चाहिये, ताकि कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा हो सके यह कि अंततोगत्वा उनके राज्य में भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार की स्थापना की जायेगी तथा भ्रष्टाचार से मुक्त कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे और वहां स्वच्छ तरीके से शासन का संचालन किया जायेगा।

विकास संबंधी गतिविधियां भी अवश्य बढ़ाई जानी चाहिये। सौभाग्य से, इस बार रेल-बजट में, हमने जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान देखा है। रेल लाइन का श्रीनगर तक विस्तार करने के लिए अन्तिम अवस्थिति सर्वेक्षण भी तुरन्त शुरू हो जायेगाा।

सरकार ने यह एक अत्यंत सराहनीय कदम उठाया है। इससे इस क्षेत्र में न केवल एक सशक्त मूल भूत सुविधाओं का विकास होगा, बल्कि इससे कश्मीर के लोगों के लिए और अधिक रोज़गार सृजन करने की सम्भवानाएं बढ़ जायेंगी। इस दृष्टि से, यदि सम्भव हो तो अन्य उद्योगों की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया जाये।

मुझे यह बताया गया है कि इस प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने पर भी विचार किया गया था तथा कम-से-कम एक फ्रांसीसी फर्म द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है। यदि आवश्यक हो, तो सरकार उस परियोजना को अपनी ओर से पहल करके पुनः शुरू करे। इससे न केवल युवकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का भी विकास होगा।

वहां एक और समस्या दिखाई देती है, जिसकी ओर सरकार को अभी से ध्यान देना शुरू कर ही देना चाहिए। जब हम वहां चुनाव कराये जाने के बारे में बात कर रहे थे, तो समस्याएं पैदा की गईं। जैसा कि मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना अस्वीकार कर दिया है। जहां तक परिसीमन का संबंध है, उन्होंने इस अवार्ड को भी अस्वीकार कर दिया है। इस समस्या को सही समय पर निबटाया जाये। अंततः, जब हम निर्वाचन का सामना करें, तो यह समस्या नहीं उठनी चाहिये। सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा।

अंततः, मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक चुनावों का संबंध है, उसे यह सुनिश्चित भी करना है कि वह इस बारे में उचित, तत्परतापूर्वक तथा बेखटके से कदम उठायेगी। हर वक्त यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि वहां चुनाव नहीं कराये जा सकते। किसी तरीके से हमें इसके लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी।

सौभाग्यवश, एक अवसर पर प्रधान मंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि हम कश्मीर समस्या के मामले में पंजाब जैसा ही समाधान निकालेंगे। यदि पंजाब जैसा ही समाधान किया जाना है तो फिर हमें कश्मीर में चुनाव कराने के लिए पंजाब के समान ही साहसी निर्णय लेना पड़ेगा। इसके बाद ही, विभिन्न चुनाव कराये जाने से ही वहां जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों का आविर्भाव हुआ है। पंजाब में ऐसा केवल संसद अथवा विधान सभा के चुनाव कराये जाने से सम्भव नहीं हुआ है, बल्कि स्थानीय-स्वशासन के लिए भी नये नेतृत्व का चुनाव कराये जाने से सम्भव हुआ है। यदि सरकार ने कश्मीर के संबंध में भी ऐसा ही किया, तो उसके भी ऐसे ही परिणाम सामने आयेंगे। अतः कश्मीर में चुनाव कराये जाने के संबंध में साहसिक निर्णय शीघ्र लिया जाये। इन शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह खुशी की बात नहीं है कि अजनतांत्रिक

[श्री भोगेन्द्र झा]

तरीके से सत्ता कश्मीर में चले, लेकिन गृह मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध भी हम नहीं कर सकते, उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। इस दुःखद स्थिति के लिए सरकार की विफलता मुख्यतः जिम्मेदार है। बार-बार राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात की जाती रही, लेकिन अनंतकाल तक उस प्रक्रिया को टाला जाता रहा। यह ठीक है कि कश्मीर समस्या की जड़ वर्तमान हालात में नहीं, बल्कि 1947 में है। उस समय स्वर्गीय महाराजा हरिसिंह भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। जब आक्रमण हुआ तो वहां जन-नेता के रूप में नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने तार सेवा भेजा कि फौज भेजो। हमारे आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल तथा गुलाम भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लार्ड माउंट बेटन और गुलाम भारत के आखिरी तथा आजाद भारत के पहले सेनापति ने इन्कार कर दिया और कहा कि फौज कैसे भेज सकते हैं, शेख अब्दुल्ला कौन होता है, जब तक महाराजा हरिसिंह न कहें। बाद में जब महाराजा जम्मू भाग कर आए और भारत में शामिल होने की बात कही, जब हमारे जवान गए और इस संबंध में मेरी जो जानकारी है, वह यह है कि उस दबाव में गवर्नर जनरल और सेनापति राष्ट्रसंघ में गए और वह फंदा हमारे गले में पड़ गया। यह गुजरी हुई बात है।

यह भी सही है कि सांप्रदायिक आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ और उस काली घटा में कश्मीर के जनगण ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक विद्युत छटा का काम किया।

4.54 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

तो यह चीज बहुत लोगों को नहीं पचती है। बहुत से साधारण पाकिस्तानियों से बात करते हैं तो वे भी यही कहते हैं कि जब वहां पर मुसलमानों का बहुमत है तो बहुमत की बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि समस्या का मूल वहीं पर है।

इसलिए हमारा जनतांत्रिक आधार, हमारी पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, जो हमारे जीवन की प्रक्रिया है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं और इस मामले में और दृढ़ता से अमल करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से हमारे बी० जे० पी० के मित्र कभी इसको तोड़ो तो कभी उसको तोड़ो, ऐसा वातावरण बनाते हैं, जिसके प्रतिकूल संकेत बाहर जाते हैं।... **(व्यवधान)** ...

आपकी नीयत कुछ भी हो, लेकिन जो परिणाम होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं और ऐसा हुआ है। हमने अनुभव किया है। इसके अलावा कांग्रेस चाहती है कि सत्ता हमारी मुट्ठी में रहे, इसलिए चुनी हुई सरकार को जनतंत्र विरोधी तरीके से हटा दिया जाता है। गुल शाह साहब को ले आते हैं। बाद में भी गलती हुई, उस सरकार ने भी गलती की जो हमारे समर्थन से जनता दल की सरकार थी। उस समय असेंबली भंग करने की जरूरत नहीं थी। विधान सभा को भंग करके हमने

ऐसी हालत पैदा कर दी कि आज दिल्ली में और कश्मीर की जनता में कोई जनतांत्रिक रिश्ता नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व का रिश्ता नहीं है। ये गलतियां इतिहास में हुईं। इससे सबक यही है कि जनतंत्र का सबसे बड़ा इलाज जनतंत्र ही है। तब जरूरी है कि जनतंत्र की रक्षा के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य चाहिए।

1947 में इंग्लैंड और अमरीका के नेतृत्व में वह फंदा हमारे ऊपर पड़ा और हम दस्तखत करके समझौते को लागू करने पर मजबूर हुए। आज विलायत तो नहीं लेकिन अमरीका की वही भूमिका है। कई मित्रों ने कहा, हम सब ने एकमत से कश्मीर के मसले पर इस सदन में प्रस्ताव पारित किया है। उस हद तक हमारी राष्ट्रीय एकता में हम 90 करोड़ भारतीय एकमत हैं। उसका यह एक प्रतीक है। मगर मैं महसूस करता हूं कि अमरीका का नाम नहीं देना एक त्रुटि की बात है। क्योंकि बिल क्लिंटन कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है, वे अमरीकी सरकार के राष्ट्रपति हैं। वे राष्ट्रपति केवल प्रतीक के रूप में नहीं हैं, बल्कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति चुने गये हैं। उन्होंने विश्व के कायदे को चुना है और हमारे अन्दरूनी मामलों में दखल दिया है। रैफल ने भी कहा, वह भी सरकारी पदाधिकारी हैं, लेकिन वे तो राष्ट्रपति हैं। अच्छा होता अगर उस प्रस्ताव में यह भी जोड़ दिया जाता। लेकिन सबकी सहमति से जो हुआ यह एक खुशी की बात है। लेकिन एक आवाज संसद से जानी चाहिए कि इस मामले में हम बिल क्लिंटन से नहीं सीखेंगे, अमरीका से सीख सकते हैं। इब्राहिम लिंकन से सीख सकते हैं। अमरीका का जब निर्माण हो रहा था, वह पुराना राष्ट्र नहीं था, जो पुराने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया और आज वे अजायबघर में रखने लायक हैं। रेड इंडियन के रूप में कुछ हजार बाकी हैं जिन पर डंकल प्रस्ताव का कोई असर नहीं है। मगर अमरीका जब राष्ट्र के रूप में निर्मित हो रहा था तब उस एकता को कायम रखने के लिए इब्राहिम लिंकन के नेतृत्व में कत्लेआम किया गया। मैं समझता हूं बिल क्लिंटन को यहां से यह संदेश जाना चाहिए। हम उस हत्याकांड को नहीं चाहते, लेकिन अमरीका का एक राष्ट्रपति खुद दखल दे, हमारी सार्वभौमिकता पर, हमारी राष्ट्रीय अखंडता पर तो यह एक अनुचित बात है। यह हमारी समस्या नहीं है, यह बीमारी बढ़ जायेगी दुनिया में इसकी प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी और फिर प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, यह बड़ी खतरनाक बात होगी। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमें उस आवश्यकता को भी अपने अगले कदम में पूरा करना है। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष को यह देखना चाहिए कि इब्राहिम लिंकन को आप मत ठुकराइये, लेकिन आज की दुनिया में जब शांति का प्रयास हो तो आप देश को तोड़ने का प्रयास करें, यह बहुत भयंकर बात है।

कई बार कश्मीर की हालत सुधरी है। सुधार में यह बात भी हुई है कि जो आतंकवादी हैं वे व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, जिन घरों में रुकते हैं उनसे ही पैसा लेते हैं। मैंने कश्मीर का तीन बार दौरा किया है। मैं कारगिल, लेह और जम्मू भी गया हूं। वहां के बाशिन्दों में जितना गुस्सा हमारे प्रति है उससे ज्यादा गुस्सा आतंकवादियों के खिलाफ है। लेकिन जब वे उस गुस्से के चलते हमारे पास आना चाहते हैं तब कोई ऐसी घटना हो जाती है, भले ही हमारे सुरक्षाबलों की तरफ से हो

[श्री भोगेन्द्र झा]

जैसे बिज-बिहारन की घटना हुई, सोपोर की हुई। इससे उन लोगों को बल मिलता है और उनके पाप पर पर्दा डल जाता है। और अमरीका उसमें आग में घी देने वाला काम करता है। पाकिस्तान तो करता ही है। पाकिस्तान के पीछे जो ताकत है वह अमरीका ही है। अगर हम रोग को सही डायग्नोज नहीं कर पाये तो यह उपचार नहीं होगा। हमें जनतांत्रिक तरीके से धैर्य और शक्ति को साथ लेकर चलना चाहिए। सिर्फ राजनैतिक प्रक्रिया से कि आप अधिक अधिकार दे दें, मैं नहीं समझता कि इससे कोई लाभ होगा।

5.00 म०प०

अभी यह कि राष्ट्रीय एकता की सत्ता एक हाथ में और दूसरे हाथ में शान्ति, जनतंत्र और आम जनता जो हमारी है उनके लिये है। संयोगवश परशुराम की वह बात याद आती है :

अग्रतः चतुरोवेदाः पृष्ठतः सशरो धनुः।

इदं शस्त्रम् , इदं शास्त्रं शपाअदपि शराअदपि॥

कि मुंह में चारों वेद, बीच में तरकश, तीर-कमान शस्त्र-शास्त्र दोनों समान। तो एसी स्थिति में हजरतबल का मामला, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों का हमने प्रयोग किया है। शक्ति रखते हुये, बिना क्रोध में आये हुये हमने धैर्य बरता और उसका परिणाम बेहतर हुआ। जो तालमेल सुरक्षा बलों, स्थानीय बल और सीमा बल में दिल्ली से श्रीनगर तक हुआ, उसमें अभाव है जिसको बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, जो प्रगति होती है, उस संबंध में मैंने अखबारों में एक बात पढ़ी कि हमारे विदेश राज्य मंत्री कश्मीर गये थे। उनकी कोशिशों के बारे में उनको धन्यवाद देने की तबीयत होती है। उन्होंने संसार के सामने सही तरीके से सही स्थिति रखने का प्रयास किया और विफल नहीं हुए। सफल कितने हुए, यह अलग मामला है फिर भी भारत सरकार ने दुनिया के सामने कारगर ढंग से अपनी बात रखी। चूंकि हम सरकार से अलग नहीं हैं, इसलिये संसार के मंच पर अपनी बात को सही रखने के लिये और प्रयास करना होगा। जहां तक जनता को शक्ति देने की बात है, हम किसी प्रकार की गफलत में नहीं रह सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो विद्रोही हैं, वे एक तरफ के नहीं हैं। उनमें से कुछ हैं जो दिल से पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं बल्कि उनका हिस्सा उनसे कुछ ज्यादा है जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। हमारा राजनैतिक दृष्टिकोण प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर होना चाहिये। अगर सब को एक साथ लपेटेंगे तो प्रचार माध्यम गलती से एक साथ कर दें तो देश के सामने सही बात नहीं रखी जा सकेगी। जो लाखों कश्मीरी जम्मू कश्मीर छोड़कर दिल्ली या अन्य स्थानों पर गये हैं, वे लाखों लोगों को प्रभावित करते

हैं, इस जिम्मेदारी से भी भारत सरकार को बरी नहीं किया जा सकता है। उन लोगों के लिये जो कुछ किया जा रहा है, वह नाकाफी है। उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह भारत सरकार को करना है। इस संबंध में एक सुझाव आया है कि जो पूर्व सैनिक हैं, खासकर जम्मू इलाके के लोगों का उपयोग करना चाहिये। वे छानबीन का काम कर सकते हैं। जहां तक मैं समझा हूं चाहे आप वहां के हजार-करोड़ रु० विकास के नाम कर दे दें लेकिन उसमें कुछ हिस्सा अफसर लोग आतंकवादियों को दे देते हैं और फिर कहते हैं कि दिल्ली ने हमारे लिये कुछ किया ही नहीं, यह आम लोगों में रंज का कारण बना हुआ है। यह बात हमारी पार्टी की पिछले साल की बैठक में एक प्रस्ताव के रूप में कही गयी थी।

आप वहां पंचायत राज की शुरुआत तो कर दें। हमने संविधान में संशोधन किया है, पंचायती राज की प्रक्रिया को आप शुरू करें। उसके लिए आप इंतजार न करें। अभी की स्थिति में राष्ट्रपति शासन में आप कर रहे हैं और इसमें कुछ भी खतरा नहीं है। ईमानदारी से करें और जो जीते उसको जीतने दें चाहे वह पाकिस्तान पक्षी हों या भारत में रहने वाले हों, विकास का काम उनके हाथ में दें। ईमानदारी से करेंगे तो हमारे कश्मीर का विकास होगा और हमारी जनता को फायदा होगा। अगर वह गड़बड़ी करेंगे तो जनता का गुस्सा उनके ऊपर होगा और उनका विलगाव होगा। इसलिए दोनों तरफ से वह हमारे लिए फायदेमंद है। मगर इसमें सरकार हिचक रही है। सरकार ही नहीं हिचक रही है कश्मीर के जो राजनेता हैं उनके दिमाग में केवल विधानसभा के चुनाव हैं कि वह किसी तरह से हो और हम एक दो फीसद पर ही मंत्री बन जाएं। मैं उनकी नीयत पर चोट नहीं करना चाहता हूं लेकिन वह इलाज नहीं है इसलिए मेरा आग्रह है कि पहले पंचायतों के चुनाव हो जाएं और पंचायती राज की स्थापना आप कर लें। अगर जुआ खेलना है तो खेलें। इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है और जो जीते उसको जीतने दें ताकि विकास का काम शुरू हो। लेह में शिकायत है। कारगिल तो शिया मुस्लिम इलाका है। शिकायत है कि श्रीनगर हमारा हिस्सा ले लेता है और लेता आया है। वहां की हालत जानने के बाद इस बात का खंडन करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि लेह की उपेक्षा हुई और कारगिल की उपेक्षा होती आई है। इसलिए आप थोड़ी भीतरी स्वायत्तता की जो बातें हुई हैं उनको सही रूप में लें ताकि लेह और कारगिल के लोग समझें कि हमारी तरफ भी ध्यान है।

इसके बाद मेरा आग्रह है कि दूसरे कदम में आप लोक सभा के चुनाव कराएं। हो सकता है दो तीन आतंकवादी जीत जाएं। यहां आकर वे बोलेंगे। बहुत सी वाहयात बातें तो हम बोलते ही हैं, कुछ वह भी बोलेंगे। कुछ उनके हिस्से भी रहेगा। यह हमारे जनतंत्र की मजबूती का सुबूत होगा, कश्मीरियों के सामने और विश्व के सामने भी। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जोर दे रहा हूं कि तब विधान सभा के चुनाव हों। इसके जरिये एक प्रक्रिया पैदा हो। मैं आग्रह कर रहा हूं कि गृह मंत्री जी ने भी कहा था और प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था और पंचायती राज के बारे में हमारी पार्टी ने प्रस्ताव करके भी दिया था। मैं समझता हूं कि सभी लोग इस पर एक मत हों और इसको शुरू कर दें। आप राजनैतिक प्रक्रिया के लिए शांति का इंतजार करेंगे और वह शांति नहीं होने देंगे। कश्मीर के

[श्री भोगेन्द्र झा]

लोग हट जाएंगे तो बाहर से लोग उपद्रव करेंगे, बस में किसी को मार देंगे। तो आप जिस शांति का इंतजार करते हैं वह कभी नहीं होने देंगे तो क्यों हम मृगतृष्णा में पड़े रहें। इसलिए इसकी शुरुआत कर देनी है और पंचायती राज से आप शुरुआत कीजिए, उसके लिए इंतजार न करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी है। खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड वांचू आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए। हमने खून दिया है और अभी भी हमारे साथी लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जो भी कम्युनिस्ट हैं उसमें सौ फीसदी ऐसे हैं जो देश की एकता, पंथनिरपेक्षता और जनतंत्र के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर लड़ रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप घाटी में सीधी सड़क जम्मू के किनारे पठानकोट से बनाइए जिससे कश्मीर में रास्ता सुगम हो जाएगा। उनसे मिलने का रास्ता सुगम हो जाएगा। जैसे लेह के लिए रास्ता सुगम हो गया है इसको भी चालू करने की आवश्यकता है और उस प्रसंग में रेल मंत्रालय को मैं धन्यवाद दूंगा कि श्रीनगर तक रेल पथ के लिए उनकी योजना है। मैं समझता हूं कि वैसे तो सारे देश में रेल पथ की आवश्यकता है लेकिन श्रीनगर का मामला राष्ट्रीय मामला है। कश्मीर के लोगों के लिए इसमें कुछ दिक्कतें होंगी और वहां रेल पथ का निर्माण सुरक्षा के बीच में करना होगा। वह आतंकवादी आसानी से नहीं करने देंगे मगर अगर वे उसका विरोध करेंगे, हत्या-हिंसा करेंगे तो जनता से वह दूर फेंक दिये जाएंगे।

आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं कि जो भी हमारे सैनिक लोग वहां हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वह देश के प्रहरी हैं।

हमारे पंथ निरपेक्ष के, हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के वे प्रहरी हैं और देशभक्ति का काम कर रहे हैं। इसलिये संसद को और देश को एकमत से उनको समर्थन देना चाहिये और ऐसा है भी मगर जिस उद्देश्य के लिये वे जान दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई अति हो जाने से जो नुकसान हुआ है और हो सकता है, आगे वैसा न हो, इसके लिये उन्हें राजनैतिक प्रशिक्षण की भी जरूरत है। जिस काम के लिये वे लड़ रहे हैं वह खुली लड़ाई नहीं है बल्कि लुक-छिप कर हमला होता है। खुली लड़ाई में हमारी फौज के लिये आसानी है। जिनके हाथों में हथियार है, हमारी तरफ से जाकर उन्हें धैर्य दिलाने की जरूरत है कि हम कहां उनको इस्तेमाल करें, कम से कम उस वाकये में, जो निर्देश होता है, उन पर चोट पड़ती है तो धैर्य रखना भी कठिन होता है, जब उनके बहुत से साथी कत्ल कर दिये जाते हैं। यह कठिन काम भी उन्हें करना है जिसके लिये राजनैतिक प्रशिक्षण देने की उन्हें जरूरत है। जो सैनिक नियम हैं, कायदे हैं, जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, उनके अलावा भी उन्हें राजनैतिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है क्योंकि जिस चीज की रक्षा के लिये वे लड़ रहे हैं, सारा देश उनसे यह उम्मीद करता है, उसमें कहीं वे गुस्से में आ गये तो उनकी ही कुरबानी से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, विश्व के पैमाने पर और देश के पैमाने पर। इतना ही कहते हुए मैं फिर जोर दूंगा कि कृपा करके ऐसी स्थिति में दोबारा

इस सदन में मत आइये कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को और बढ़ाया जाए, यह एकता की मांग है। इस बीच में पंचायती राज व्यवस्था की आप वहां शुरुआत कीजिये। सारे देश के सामने बातें आयेगी और जो परिणाम होगा, उसे हम भुगतेंगे, पंचायती राज के साथ लोक सभा को भी मिला दीजिये तो मुझे बहुत खुशी होगी। विधान सभा के चुनाव बाद में करा लिये जायें क्योंकि विधान सभा का वहां के लिये दूसरा महत्व है। तब ऐसा सौदा मत मानिये कि तुम हट जाओ, वैसा अभी नहीं है क्योंकि वह सौदा देश के विघटन का मामला है और संसार भर में एक वातावरण है, जो फिरकापरस्ती है, सम्प्रदायवाद है, वह विश्व के पैमाने पर है। यही कहकर मैं मजबूरी में, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, मगर गृह मंत्री जी दोबारा ऐसे ही किसी प्रस्ताव को लेकर आप सदन में मत आइये, इस आग्रह के साथ मैं बैठता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय रखा गया था। समय समाप्त हो चुका है। क्या हम इस समय में एक घंटे की वृद्धि करें?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री थाईमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : इस समय में और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए ताकि हमें भी पर्याप्त समय मिल सके।

सभापति महोदय : एक घंटा बीत जाने पर हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। आपको बोलने का अवसर मिलेगा। श्री शरद यादव।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, इस कृपा के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बी० जे० पी० के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे जाना है। मैं इस विषय पर विस्तार में नहीं जाना चाहता बल्कि मैं सोचता हूं कि कश्मीर के सवाल पर इस सदन में पिछले 4 वर्षों से जो बहस चल रही है, यदि हम पन्ने उठाकर देखें तो बार-बार उन्हीं बातों की चर्चा और जिक्र आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर, आज वहां जो हालात हैं, वे पहले से ज्यादा गम्भीर हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। मैं इसके इतिहास में, विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे बहुत काबिल मित्र ने इसके पुराने इतिहास को बखूबी रखने का काम किया है। आज मैं दो-तीन बातें ही आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं। आज दुनिया बहुत बदली हुई है और वह यहां तक बदल गयी है कि पहले हम कमजोर थे, गरीब थे और कमजोर तथा गरीब देश विश्व में हमेशा कमजोर रहता है, यह दुनिया का बहुत पुराना नियम है। हम इसलिये बचे हुए थे कि दुनिया में दो ताकतें मजबूती से खड़ी हुई थीं लेकिन रूस के गिर जाने के बाद, आज दुनिया का जो राजनैतिक दृश्य है, वह पलट गया है। आज

[श्री शरद यादव]

एक ही तरफ सारी चीजें झुक गई हैं और मैं सोचता हूं कि आज अमरीका सबसे ज्यादा मजबूती के साथ दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने का काम कर रहा है। हम किस तरह कमजोर हैं, राष्ट्र के हित में हमने एक प्रस्ताव जरूर पास किया लेकिन मन पर पत्थर रखकर किया।

जेनेवा में ह्यूमन राइट्स पर जो सम्मेलन हो रहा है, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए हमने पाकिस्तान की हरकतों को एक राय से यहां पास किया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव बनाते समय जो मजबूरियां सामने आईं, देश का नागरिक होने के नाते उनसे हमें बहुत तकलीफ हुई। आज बदली दुनिया में कश्मीर में जो सवाल चला हुआ है, उसमें हमारे देश की सरकारों के चलते गलतियां हैं।

जब मोरारजी भाई इस देश के प्रधान मंत्री थे, सिर्फ एक चुनाव कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था, लोगों ने बैलेट भी देखा। उसके बाद किस तरह से हमने सरकारों और लोकतंत्र को दबाया है, यह सबको मालूम है। यदि लोगों को आजादी महसूस न हो तो निश्चित तौर पर तनाव और चोट पहुंचेगी।

बदली हुई दुनिया में अफगानिस्तान के युद्ध के बाद आई० एस० आई० ने सबसे ज्यादा अमरीका की सी० आई० ए० की संस्था के साए के नीचे पलने का काम किया। अफगानिस्तान में जब रूस की फौज आ गई और अफगानिस्तान का सवाल खड़ा हुआ, तब यह सवाल ज्यादा मजबूत हुआ। आई० एस० आई० दुनिया की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। कश्मीर में आतंकवाद का सवाल अलग है लेकिन साथ-साथ पंजाब में बाहर से लोग आकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस से लड़ रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारा संकल्प मजबूत हो। जब तक हम हिन्दुस्तान के अन्दर की कमजोरी को दूर नहीं करते, कश्मीर जैसे सवाल हमारे मन को तकलीफ देते रहेंगे। यहां की सबसे बड़ी कमजोरी भूख, गरीबी, बेकारी है और हम आर्थिक तौर पर इतने विपन्न हैं कि डंकल प्रस्ताव जैसे सवाल दुनिया की मल्टी नेशनल्स के दबाव के दस्तावेज हैं। जब देश अन्दर से मजबूत होता है तो वह दुनिया में आगे चलता रहता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। स्थिति बहुत गम्भीर है। बाहर के लोग वहां आकर युद्ध कर रहे हैं। अपनी औलाद अगर गुस्सा हो, उसको तो मनाया जा सकता है लेकिन अगर कोई बाहर का रिस्तेदार नाराज हो तो उसको मनाना मुश्किल हो जाता है। उसको बहुत होशियारी से मनाना पड़ता है। पंजाब में ऐसी हालत नहीं थी। पंजाब के सिख जो बाहर रहते थे, उन्होंने पंजाब के हालात सुधारने में बहुत मदद की थी। बुद्धिजीवियों ने भी वहां एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कश्मीर के हालात सुधारने में हमें सफलता नहीं मिली है। वहां हम प्रैजिडैंट रूल की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं। वहां अभी चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। संसद सदस्यों का एक दल कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिये भी गया था। गृह मंत्रालय और कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था के बीच कोई समन्वय नहीं

है। इस संकट की घड़ी में हमें मिल कर काम करना चाहिये। जिस प्रकार पंजाब के हालात सुधारने में बाहर के लोगों ने काम किया, उसी प्रकार कश्मीर के मामले में भी कोई पहल वहां से होनी चाहिये।

अभी मैं अय्यर जी का भाषण सुन रहा था, वह सरकारी पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने कई देशों और कइयों का नाम लिया। उनके पास तथ्य ज्यादा थे क्योंकि वह सरकारी पार्टी के सदस्य हैं। वहां के लोगों के मन जीतने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिये।

मैं इंजीनियर हूं। मुझे भी बाहर के 20-22 नौजवानों से खबरें मिलती रहती हैं। आज उसका मन भी कश्मीर के हालात अच्छे नहीं होने की वजह से दुखी हैं। कश्मीर में दस्तकारी का धंधा बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। आप किसी होटल में चले जायें वहां आपको कश्मीर का इम्पोरियम मिल जायेगा। हिन्दुस्तान भर में बहुत बड़ा इसका नेटवर्क है। आज कश्मीर की जो स्थिति है, उसको देखते हुए आप सभी पार्टियों को विश्वास में लें और जो नीति इसके सम्बन्ध में बनायें, उसकी जानकारी हम सब को दें। सरकारी पार्टी के सदस्यों ने जो जानकारी यहां दी वह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो कि हम में से किसी के पास नहीं है। यह एक राष्ट्रीय सवाल है। वहां आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। विदेशों में रहने वाले लोग जब अपने बेटे-बेटियों का एडमिशन कराने के लिये यहां आते हैं तो कहते हैं कि यहां आतंकवाद का बहुत बोलबाला है। अगर किसी की बेटी किसी के घर में नौकर है और उसका आतंकवादी से सम्पर्क हो जाता है तो उसके साथ उसकी शादी भी कर दी जाती है। आज बहुत से बुद्धिजीवी यह सोचते हैं कि इस आतंकवाद के चलते हम नहीं बचेंगे।

हमने कश्मीर के मामले में जो सुझाव होम मिनिस्टर साहब को दिये थे, उन पर एक इंच भी बढ़ने का काम नहीं हुआ। यह राष्ट्र का सवाल है। यह देश कमजोर है। दुनिया में जिस तरह के हालात बने हैं, रूस के गिर जाने के बाद हम मानें या न मानें लेकिन राष्ट्र में जो अलग-अलग विचार है, लोकतंत्र और साम्यवाद के बारे में, इन विचारों को छोड़कर भी इस राष्ट्र के भूगोल की और हमारी जो भावनाएं हैं, उसी तरह दुनिया की भावनाएं हैं। आज दुनिया जिन हालात में है, हम जिस डंकल प्रस्ताव पर आज दस्तखत कर रहे हैं, ट्रेजरी बैंचेज को मिनिस्टर साहब, मंत्री जी जब हमारी मजबूरी का इजहार करते हैं तो पता चलता है। किस मजबूरी में आप कहते हैं कि हम गैट से बाहर जायेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी हम बगैर कर्ज के जी नहीं पायेंगे, हमारी ऐसी हालत नहीं है। चीन की भी ऐसी हालत नहीं है, वहां दूसरा विचार है लेकिन चीन की यह हालत आज नहीं है। अमेरिका के आंख दिखाने से चीन आज इस तरह नहीं डरता। आज हिन्दुस्तान का चीन के साथ तिब्बत का मामला है और तिब्बत का मामला कश्मीर से ज्यादा उजागर मामला है लेकिन वह चीन को उस तरह से आंख नहीं दिखा सकता, जिस तरह से अमेरिका हमारी तरफ आंख ट्विस्ट कर रहा है। वह एन० पी० टी० में, अणुशक्ति का विकास हमारे हाथ में न रहे, वह ताकत हमारे हाथ में न रहे, इसके लिए कोशिश कर रहा है। यह सारा देश बाजार बनकर उनके सामने डाल दिया जाय इसके लिए वह बाहर से हमारे हाथों को ट्विस्ट कर रहा है।

[श्री शरद यादव]

आज का समय हमारे लिए संकट काल है। इस दौर में कश्मीर हमारे पूरे देश की चेतना का एक हिस्सा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में कश्मीर वहां कोई मुद्दा नहीं था, वहां जो कम्युनल पार्टी है, वह वहां हारी थी। हमने पाकिस्तान की जनता के साथ भी अपना रिश्ता ठीक करने का काम कभी नहीं किया। कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारे देश के भीतर है लेकिन वहां जो दस्तकार लोग हैं, जो टूरिज्म का धन्धा करने वाले लोग हैं और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, कश्मीर के बहुत से इण्टलैक्चुअल्स आज दिल्ली में बसे हुए हैं। आप इफ्तार पार्टी में जाइये तो वहां उनकी बड़ी संख्या दिखती है तो इन सब लोगों का कभी इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा?

यहां सब लोगों ने कहा कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने का जायजा भी हम सब लोगों को मिलकर सावधानीपूर्वक लेना चाहिए क्योंकि यह कठिन फैसला है। यह फैसला पंजाब जैसा नहीं है। पंजाब की स्थिति और कश्मीर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। पंजाब में वहीं के नौजवान टैररिस्ट्स होकर मुकाबला कर रहे थे लेकिन यहां की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहां बाहर से लोग आकर लड़ रहे हैं। वहां आर्म्ड फोर्सेज को रैस्ट्रेन करना चाहिए और वह कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जिन बुरी परिस्थितियों में हमारी आर्म्ड फोर्सेज वहां खड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, वह तारीफ के काबिल हैं। मैं यह मानता हूं कि राष्ट्र के इस संकट के दौर में उनके द्वारा जो ज्यादती होती है, उन्हें निश्चित तौर पर हमें बताना चाहिए कि आपकी ज्यादती हमारे सिर जायेगी, इस मुल्क के सिर जायेगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे और सरकार से कहना चाहता हूं कि समय के बढ़ाव का समर्थन तो मैं करता हूं लेकिन समर्थन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बाहरी इलाके में जो नौजवान वहां के बड़े पैमाने पर हमारी यूनिवर्सिटीज में, टैक्नीकल कालेज और मैडीकल कालेज में भर्ती हुए हैं, वहां के दस्तकार लोग और वहां के इण्टलेक्चुअल लोग, इन सब लोगों का भी इस्तेमाल वहां राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने में कैसे करेंगे, उनको उसमें शामिल कैसे करेंगे, यह सोचने की बात है।

विकास से पंजाब की समस्या का समाधान हो सकता है। विकास के मामले में जिस तरह हमने देश के पैसे को भ्रष्टाचार में डुबाया है, वह उससे ज्यादा कश्मीर में हुआ है लेकिन उससे कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान तब हो सकता है जब हम लोग इकट्ठे होकर सम्पूर्ण चेतना के साथ लगकर एक रास्ता निकालने का काम करें। आज कश्मीर के जो भीतर के लोग हैं, जो दस्तकार हैं, जो वहां के इण्टलैक्चुअल्स और लेखक लोग हैं, उनके बारे में भी हमको सोचना है। वूमन एट्रासिटीज के आपने वहां कितने केस पकड़े हैं या वहां की औरतों के साथ कितनी बड़ी एट्रासिटीज हुई हैं, जबरदस्ती शादियों का भी मामला है, जो बाहर से आये हुए अतिवादी

लोगों के साथ हुए हैं, इस बारे में एक दस्तावेज हमको बनाना चाहिए और दुनियाभर में जो मानवाधिकार का मामला चला हुआ है, उसमें उसको सामने रखना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इसमें सक्षम नहीं है। आज पाकिस्तान आफेंसिव है, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे करके दुनिया को गुमराह करने का काम किया है लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार इस मामले में डिफेंसिव है। वहां से जो कश्मीरी बाहर आये हैं या वहां के जो विस्थापित हैं, उनकी जिंदगी किस तरह खराब हो रही है, यह हमें दुनिया को बताना चाहिए। अगर उनको नुकसान होगा तो यह हमारे मुल्क का नुकसान होगा और वह वापस वहां नहीं जायेंगे। वे वापस नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे तो कश्मीर बिगड़ेगा, यानी जो वहां की आबादी है वह बाहर तकलीफ और दिक्कत में है। हम चाहते हैं कि जो बाहर बैठे हैं उनके साथ ऐसा सलूक और व्यवहार हो क्योंकि वे उस घर से निकल कर इस घर में बैठे हैं। कश्मीर के जो लोग हैं वे हमारे मुल्क के नागरिक ही नहीं बल्कि हमारे भाई भी हैं। हमारे हृदय के साथ उनका साथ है और उन्हीं के जरिए से मुल्क में एकता का एक नया वातावरण बना।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वह अमेरिका जो बोस्निया में बम बरसा रहा है, वह वियतनाम में कितने दिन तक इराक में, यानी कि वह दुनिया भर का ठेकेदार बना हुआ है। हमारी सरकार उनकी तरफ उलट कर देख नहीं पाई। कश्मीर के अंदर जो बाहर के लोगों ने आ करके जुल्म किए हैं उनके आंकड़े भी हम इकट्ठे नहीं कर पाए। वहां पर औरतों के ऊपर इतने अत्याचार किए, यदि आप वहां के साहित्यकारों के लेख पढ़ेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा किस्सा उन्हीं का मिलेगा। इन साहित्यकारों, कलाकारों, दस्तकारों को वहां के आए हुए, पढ़े हुए नौजवान, जो पढ़ने आए हैं उनको, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को वहां नया वातावरण है और उस वातावरण को पकड़ने के लिए जो कश्मीर से बाहर लोग हैं उन बाहर के लोगों को हम गोलबंद करके हम उंगली पकड़ने का काम करें और राजनैतिक प्रक्रिया को संकल्प के साथ वहां शुरू करें। मैं झा साहब की बात से सहमत हूं कि वहां हम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं इससे हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। हम पहला कदम यह उठा सकते हैं और वहां के लोगों को पंचायत के जरिए हम विश्वास दिला सकें कि लोकतंत्र में तुम्हारी हिस्सेदारी है और जो उनका स्वायत्तता का सवाल है, राजनैतिक पैकेज बना करके, उनके साथ कई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता और तमाम तरह के लोग जो जेल में बंद हैं उनकी राय इतनी खराब नहीं है। मैं उनका नाम नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि समय का अभाव है लेकिन वे लोग जो हजरतबल के समय भी मदद कर रहे थे उन सारे मददगार लोगों का, जिनकी राय इतनी कड़ी नहीं है ऐसे सब लोगों को गोलबंद करने का काम और प्रयास आप करेंगे और यह प्रयास तब सफल होगा जब आप सबको विश्वास में लेंगे। सबको विश्वास में लेने का मतलब मैं कहता हूं कि देश को विश्वास में लीजिए और देश यह संकल्प दोहराता है कि कश्मीर हमारा सरताज है वह कलम हो जाएगा तो हम कलम हो

[श्री शरद यादव]

जाएंगे, यह संकल्प हिन्दुस्तान का है। . . . (व्यवधान) . . . इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन फिर 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव इस सदन के सामने है और सत्ता पक्ष की ओर से जो चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है वह यह है कि कश्मीर में स्थिति बहुत सुधर गई है। वहां हालात अच्छे बताए हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वहां स्थिति गंभीर है तभी इस संसद को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करना पड़ा। मेरा कहना यह है कि सरकार को जो कदम उठाना है वह सख्ती से उठाये। पहली बड़ी नरमी से बहस चल रही थी और आज जब मणि शंकर जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि बड़ा परिवर्तन आया है। कश्मीर के साथ-साथ मणि शंकर जी के स्टाइल में परिवर्तन आ गया है लेकिन हमें लगा जैसे हमें धोखा थाँ कि उनके स्टाइल में परिवर्तन आया। वैसा भी धोखा कश्मीर की स्थिति के बारे में है क्योंकि अंततः वे वहीं पहुंच गए। जिस ढंग से वे बोलते हैं, जिन मुद्दों को उन्होंने छुआ है उसी पर मैं कहना चाहूंगा। मेरा यह कहना है कि वर्तमान संकट का मुख्य कारण कांग्रेस के द्वारा समय-समय पर जब चुनाव हुए हैं उनमें की गई धांधलियां है। लोकतंत्र से कश्मीर के लोगों का विश्वास इस कारण से उठा कि पांचवें दशक, छठे दशक और सातवें दशक में जो चुनाव वहां हुए उनमें धांधलियां हुईं। हम मणि शंकर जी की बात मानें या एस० मंजूर अली, भूतपूर्व वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात माने, मैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है–

[अनुवाद]

> "केन्द्र में कांग्रेसी नेतृत्व कश्मीर घाटी के लोगों तथा नेताओं के उचित विरोध को भी सहन करने को तैयार नहीं था। विरोध की भावना के प्रति यह गहन असहनशीलता कांग्रेसी संस्कृति में लोकतांत्रिक भावना के अभाव को परिलक्षित करती है जिसके कारण कश्मीर के संदर्भ में आज देश को इस अशांत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।"

[हिन्दी]

यह भूतपूर्व कुलपति की राय है, जबकि आप चुनाव की बात कर रहे हैं, स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं।

एक मौका और आया था, शरद जी भी जिक्र कर रहे थे, 1977 में जब जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार को लोगों ने सही मायनों में लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिस्थापित किया था और लोगों को लोकतंत्र में विश्वास पैदा हुआ था। फिर एक मौका आया 1986 में जब फारुख अब्दुल्ला, विरोधी पक्ष के जो मुख्य मंत्री थे, उनके साथ मिलकर राष्ट्रीय मुद्दों पर जो कान्फ्रेंसेस हुई, उनमें आना शुरू कर दिया, तो यह आपको गंवारा नहीं था। आप समझते थे कि शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद डा०

फारुख अब्दुल्ला को मुख्य मंत्री बनाकर आपने बहुत बड़ा अहसान किया, आपने सरकार भंग कर दी। एस० मंजूर अली आगे लिखते हैं–

[अनुवाद]

"इन्दिरा गांधी के तानाशाही–पूर्ण रवैये का उन्होंने विरोधी दलों के साथ मिलकर सामना किया। यह वह समय था जब यह स्पष्ट दिखाई देता था कि कश्मीर के लोगों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप अपने आपको पूर्णतया ढाल लिया है।"

[हिन्दी]

लेकिन वह भी आपको मंजूर नहीं था। आपने गुल मोहम्मद को मुख्य मंत्री बना दिया, सरकार भंग कर दी। फिर आपने उनको मजबूर किया, राजीव-फारुख अकार्ड हुआ। उसके बाद कश्मीर के लोगों को लगा कि जिस बात को लेकर डा० अब्दुल्ला अपने पिता के पद चिह्नों पर चलना चाहते थे, उससे भटक रहे हैं। इसलिए कश्मीर के लोग फिर अलग हुए।

सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री और सत्ता पक्ष के लोगों ने हजरत बल पर बहुत जोर दिया और कहा कि यह तो बहुत गजब की बात हुई और मणि शंकर जी ने कहा कुछ सैकड़ों लोग ही जुलूस की शक्ल में बाहर आए। इसके बारे में वहां के लोगों की क्या राय है, यह बताना चाहता हूं–

[अनुवाद]

"हजरतबल मस्जिद की लम्बे समय तक घेराबंदी, जो कि बिना किसी खून खराबे के समाप्त हो गई, के कारण कश्मीर के लोगों की भारत से पृथकता और उभर कर सामने आई। घाटी के सभी लोग आतंकवादियों के पक्ष में उठ खड़े हुए तथा उन्होंने सरकार के इस कथन का कि मू-ए-मुबारक–हजरत साहिब के बाल को खतरा है, पर विश्वास नहीं किया। इसके साथ-साथ हजरतबल की घटना अपने आप में रहस्यपूर्ण है . . . . यहां पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। फिर आतंकवादी आधुनिक हथियार जमा कैसे कर सके?"

[हिन्दी]

आपरेशन ब्लू-स्टार के बारे में लोग पूछते थे कि गोल्डन टैंपल में हथियार कैसे पहुंचे, वही सवाल यहां पैदा हुआ।

[अनुवाद]

"और उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दी गई? यह राज्य की आसूचना एजेंसियों की असफलता को प्रकट करता है तथा स्थानीय पुलिस तथा नौकरशाही के उस राज्यतंत्र से अलग होने को दर्शाता है जो कि विद्रोहियों की गतिविधियों पर नजर रखता है।

[प्रो० प्रेम धूमल]

[हिन्दी]

इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण रिमार्क भी मंजूर आलम का है–

[अनुवाद]

यू०पी० में चुनावों की पूर्व संध्या के अवसर पर आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पण तथा घेराबंदी का हटाया जाना इस घटना के पीछे राजनैतिक मनोरथ को अनावृत करता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मणि शंकर अय्यर जी ने कहा कि भाजपा ने इस बिना पर चुनाव लड़ा लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। हमारे 177 सदस्य चुनकर आए और आपके सिर्फ 28 सदस्य चुन कर आए और 200 से अधिक लोगों की जमानतें जब्त हुईं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, आप तो हिमाचल प्रदेश से आए हैं, वहां की बात करिए।

प्रो० प्रेम धूमल : मैं हिमाचल से आया हूं। लेकिन सारे देश की बात करता हूं।

. . . (व्यवधान) . . .

सभापति महोदय, यह केवल वाईस चांसलर की टिप्पणी नहीं है। इन्होंने बड़े फख्र से पूछा कि जब रूमा सईद तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी को छुड़ाना था तो तब कितने आतंकवादी छोड़े गए थे। माननीय आडवाणी जी ने उस समय कहा था कि मेरी बेटी होती तो मैं देश पर कुर्बान कर देता लेकिन आतंकवादियों को नहीं छोड़ता, हम उस बात को गलत मानते हैं। मैं मणि शंकर जी से पूछना चाहता हूं कि कितने छोड़ने की बात की है और कहते हैं कि हमने सब छुड़ा लिए। आपने जो सिख पकड़े तो उनमें से कौन पकड़ा? वे कहां हैं और उनमें से कितनों पर मुकदमे चले और कितने गिरफ्तार हुए। आपने पकड़े ही नहीं थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया। जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो उसको छोड़ते जाओ या दूसरे देश का उग्रवादी आए तो उसको छोड़ते जाओ पर हमने कोई उग्रवादी नहीं छोड़ा लेकिन आपने पकड़े ही नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। वहां पर लगातार साजिश चलती रही तो सरकार गलत साबित हुई और उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। बी० एस० एफ० के डी० जी० श्री प्रकाश सिंह ने कश्मीर के बारे में क्या कहा, वह मैं बताना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा उठाए जा रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति करता आ रहा है। यह एक ओर तो आतंकवादियों द्वार उठाए जा रहे नुकसान तथा

दूसरी ओर प्रशिक्षित कश्मीरी तथा अन्य राष्ट्रीयता वाले तत्वों के चोरी छिपे यहां पहुंचने के बीच लगताार संघर्ष चल रहा है।"

[हिन्दी]

उनमें से आपने कितने पकड़े और स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं। यह कहा गया है कि जमायते इस्लामी के लोग भवनों पर आक्रमण कर रहे हैं। वे स्कूलों पर आक्रमण कर रहे हैं और नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल चले, वे मदरसा चलाना चाहते हैं। उसके बारे में बी० एस० एफ० के डी० जी० क्या कहते हैं :

[अनुवाद]

"जमायत-ए-इस्लामी घाटी में आतंकवाद का मूल प्रेरणास्रोत है। पिछले अनेक दशकों के दौरान हमने इस संगठन को प्रफल्लित होने दिया है। राज्य के प्रत्येक हिस्से में जमायत ने मदरसे खोले हुए हैं। अपरिपक्व दिमागों पर वैचारिक मतारोपण के कारण उथल-पुथल मच गई है। जो युवक आज अक्सर पत्थर फेंकते अथवा हथियार लहराते नजर आते हैं, वे इन्हीं मदरसों से ही निकले हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब यह जहर का बीज बोया जा रहा था तो कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा राज्य सरकार ने इस समस्या से मुंह फेरना उचित समझा।"

[हिन्दी]

ये कमेंट्स हैं और आप कहते हैं कि स्थिति में सुधार हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि चिंताजनक विषय की ओर ध्यान दिलाया है। वे कह रहे हैं कि वहां पर जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनमें से बहुत से लोग अपनी आधी तनख्वाह उग्रवादियों को दे रहे हैं। श्री भोगेन्द्र झा जी कह रहे थे कि वहां पर देशभक्त लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अंग रहे। वे इस प्रकार का ट्रीटमेंट देखकर हैरान हैं कि जो कर्मचारी अपनी आधी तनख्वाह उग्रवादियों को दे रहे हैं तो भी वे सर्विस में कंटीन्यू कर रहे हैं लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उद्धृत करना चाहूंगा :

[अनुवाद]

"यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग की निष्ठा पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है। वे हमारे कैम्प के 'ट्रोजन छोड़ो' की भांति है। संवेदनशील मुद्दों पर इन अधिकारियों के दृष्टिकोण से सुरक्षा बल विशेषरूप से खिन्न है। स्थानीय प्रशासन से सहयोग के अभाव में वे अपनी गतिविधियों के संचालन में अपने आपको पंगु अनुभव कर रही है। ये सरकारी कर्मचारी बिल्कुल बेशर्म हैं तथा इनकी निर्लज्जता आघात पहुंचाने वाली है। इनमें से कुछ अपने वेतन का कुछ भाग हर महीने नियमित रूप से उग्रवादियों के खजाने में जमा करवाते हैं। यह एक प्रकार का विकृत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है।"

सभापति महोदय : आप समाचार-पत्रों के उद्धरणों का उल्लेख मत करते रहिये।

प्रो० प्रेम धूमल : सरकार इन बातों का खण्डन करे। यह बात सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने कही है। इसीलिए मैं इनका उल्लेख कर रहा हूं। जिन बातों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, वे पूरी तरह स्पष्ट हैं।

सभापति महोदय : यह कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है।

प्रो० प्रेम धूमल : उन्होंने आगे कहा है :

"यह सर्वविदित रहस्य है कि राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत सरकार के विरुद्ध अपने हस्ताक्षर करके एक याचिका कुछ वर्ष पहले भेजी थी। ऐसे अधिकारियों से किस प्रकार का निष्ठा अथवा वचनबद्धता की अपेक्षा की जा सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।"

हम अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके इन्हें नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं करते?

[हिन्दी]

जब ऐसे लोग प्रशासन में बैठे हैं तो उनसे हम क्या आशा करें। वे अपने वेतन में से एक हिस्सा उग्रवादियों को देते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे खिलाफ रिजोलुशन देते हैं। इस पर भी आप वहां की स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं, इससे मैं हैरान हूं। पिछले सप्ताह हमने जम्मू और उधमपुर में हुए बम विस्फोटों की चर्चा की थी। यही आपका मापदंड है स्थिति में सुधार की बात करने का तो यह हमारी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि मंत्रीजी के ध्यान में शायद यह मामला लाया गया होगा कि पाकिस्तान की एजेंसीस अब इस बात का प्रयास कर रही हैं कि आपरेशन ब्लू स्टार के समय जो हमारे सैनिक भगोड़े हो गये थे उनसे सम्पर्क करके उनको प्रशिक्षित करके हिन्दुस्तान में भेजा जाये। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच करे।

सभापति महोदय, आज वहां इतना पैसा भेजा जा रहा है लेकिन वह विकास पर खर्च नहीं हो रहा है, चारों ओर वहां भ्रष्टाचार है। विकास और भ्रष्टाचार साथ-साथ नहीं चल सकते। सरकार ने कहा कि सतर्कता विभाग का पुनर्गठन किया गया है। मैं चाहूंगा बड़ा स्पष्ट मामला है। बारामूला में टाउन हाल के सचिव ने ठेकेदारों को जितनी पेमेंट करनी थी उससे ज़्यादा कर दी और वह पैसा उग्रवादियों के पास चला गया। जब मैंने पहले इस मामले को उठाया था तो आपने कहा था कि पहले सबूत लाओ। अब तो आपका सतर्कता विभाग कह रहा है, अब तो इसकी जांच होनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ अन्य बातों की ओर भी दिलाना चाहूंगा। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के० और पी०, एंड टी० के अनेक लोग जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आये हुए हैं, वे

गैस कनेक्शन के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं, उनको महीनों वेतन नहीं मिलता है, कई लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा प्राथमिकता के आधार पर सरकार उनकी इन समस्याओं को हल करने के लिए सही कदम उठाये।

सभापति महोदय, कश्मीर के शरणार्थियों की जो समस्या है वह दो किस्म की है। एक वे लोग हैं जो 1947 से शरणार्थी के रूप में चले आ रहे हैं। लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। एक बार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि उनको 12-12 हजार रुपया मुआवजे के रूप में दिया जायेगा। उन लोगों की सम्पत्ति वहां रह गई थी जो पाकिस्तान के नूरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद आदि से आकर यहां बसे थे। उनको मुआवजा दिया जाये और यहां की नागरिकता देकर वोट का अधिकार दिया जाये।

दुर्भाग्यवश हमारी सरकार का रक्षात्मक पक्ष रहा। कहां तो हमें यह मांग करनी चाहिए कि जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। उल्टे पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर अधिकार जताना शुरू कर दिया है। अब तो सदन का सर्वसम्मति से समर्थन भी मिला है, उससे अपना पक्ष दृढ़ता से रखें। मैं मानवाधिकारों की बात थोड़े शब्दों में करना चाहूंगा। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी मानवाधिकारों की बात की है। उसके बारे में जैसा चीन ने कहा है वैसा मानकर चलना चाहिये : "हमारी चिन्ता हमारी चिन्ता है।" यह स्पष्ट कर देना चाहिये क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा का सवाल जब आता है तो हमारा देश सबसे आगे है।

5.51 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मानवाधिकारों की चर्चा करते-करते कुछ माननीय सदस्यों ने सुरक्षा बलों की बात की है। मुझे कुछ सुरक्षा अधिकारियों से मिलने का मौका मिला है जिन्होंने कहा है कि उनको उग्रवादी की गोली से दुख नहीं होता है जितना दुःख इस बात से पहुंचता है कि जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, उस ओर बगैर ध्यान दिये ही कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं से बम आकर गिरा या फायरिंग हो गयी और हम देश की एकता और अखंडता का महान कार्य कर रहे हैं, उस समय संसद में बैठे हुये माननीय सदस्य उनकी तारीफ तो दूर आलोचना करने लगते हैं। वे तो एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं और जिसकी सराहना की जानी चाहिये।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुये अंत में यही कहूंगा कि जो हम आशा करते हैं वह निराशा में नहीं बदलनी चाहिये और ऐसा न हो कि अगले 6 माह बाद आपको फिर हमारा समर्थन प्राप्त करना पड़े लेकिन इस तरफ आप प्रयत्न अवश्य करें कि एक साल में चुनाव जरूर हो जायें और वहां पर लोकतंत्र स्थापित करें न कि वही पुरानी पद्धति अपनायें जो पांचवें, छठवें या सातवें दशक में करवाते रहे हैं।

[प्रो० प्रेम धूमल]

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ कश्मीर के संदर्भ में सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही तथा अपनाई गई नीति का मैं और मेरा दल समर्थन करता है। अभी हाल ही में सदन में कश्मीर सम्बन्धी दृष्टिकोण का समर्थन करने तथा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। मैं यह चाहता हूं कि कश्मीर के लोग भी यह कहें कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। अगर कश्मीर के लोग भी ऐसी भावना व्यक्त करेंगे तो सारा विश्व उनकी आवाज को सुनेगा।

जहां तक कश्मीर समस्या के इतिहास का प्रश्न है, मेरे विचार में इस सम्बन्ध में नेहरू जी तथा सरदार पटेल जी के दृष्टिकोण में मतभेद था।

सरदार पटेल अपनी शैली में किसी भी कीमत पर हैदराबाद की भांति भारत में विलय चाहते थे। नेहरू जी इससे सहमत नहीं थे क्योंकि उन्हें श्री शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व पर बहुत विश्वास था। श्री नेहरू ने सोचा था कि कश्मीर भारत का अंग बन जायेगा। परन्तु जो विश्वास श्री नेहरू ने श्री शेख अब्दुल्ला पर किया था, वह बाद में विश्वासघात सिद्ध हुआ। आज स्थिति यह है कि यह समस्या आज भी बनी हुई है। अगर कश्मीर के सम्बन्ध में सरदार पटेल के प्रस्ताव को मान लिया जाता तो आज इतिहास कुछ और ही होता। मैं इन सब बातों को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इस सम्बन्ध में दो मत हैं। एक मत यह है कि हमने कश्मीर के प्रश्न को पूरी तरह उस समय क्यों नहीं सुलझाया जब हमने दो युद्ध लड़े तथा जो भारत ने जीते? कश्मीर समस्या का उस समय समाधान किया जा सकता था। यह उचित समय भी था क्योंकि उस समय सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दो महाशक्तियां थीं। इस प्रकार अभी भी इस सम्बन्ध में दो मत हैं। एक है पाकिस्तान के साथ पूर्णतया टकरावपूर्ण रवैया तथा दूसरा मत है संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशानुसार पूर्णतया तुष्टिकरण की नीति का अनुपालन।

कुछ लोग इस बात के भी पक्षधर हैं कि आतंकवादियों, विद्रोहियों तथा पाकिस्तानी घुसपैठियों को हमारे सुरक्षा बल भारतीय क्षेत्र से उखाड़ बाहर करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ तुष्टिकरण की नीति अपनाने के पक्ष में हैं। इन दोनों पक्षों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस समस्या का किसी और ढंग से समाधान चाहते होंगे।

मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह उन समस्याओं से जुड़ा हुआ है जिनका सामना उत्तर-पूर्व क्षेत्र में करना पड़ रहा है। कश्मीर की घटनाएं कई बार इस क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों तथा विद्रोहियों को भी प्रभावित करती

है। अगर कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाता है, तो इससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र की समस्याओं को विशेषकर मणिपुर की समस्याओं के समाधान में काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, मैं अपने मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। प्रशासन के दो बाजू होते हैं, एक होती है सशस्त्र अथवा सुरक्षा या पुलिस बल जिसके द्वारा यह विद्रोहियों तथा आतंकवादियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है तथा दूसरा बाजू होता है लोगों के दिलों को जीतना ताकि वे प्रशासन के साथ सहयोग कर सकें।

6.00 म०प०

विद्रोहियों से निपटने की भूमिका काफी कठिन होती है क्योंकि हमारे अपने राज्य में हमारा यह अनुभव रहा कि लोगों के सहयोग के बगैर, उनका साथ लिए बगैर इन विद्रोहियों से निपटना काफी कठिन है। लोग उनको पहचानते हैं तथा जंगलों में उनके छिपने के ठिकानों को ढूंढ़ने में भी मदद करते हैं तथा अगर लोग सहयोग न करें, तो सुरक्षा सेनाओं, प्रशासन अथवा पुलिस के लिए ठीक दिशा में प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करना बहुत कठिन होगा। इसलिए लोगों का सहयोग जरूरी है तथा उन्हें इस कार्य में अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इसके लिए प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का रवैया भी लोगों के प्रति सहयोगपूर्ण होना चाहिए, उन्हें सदैव इनके बारे में सोचना चाहिए, उन्हें इस क्षेत्र के विकास, लोगों को अपना भाई-बहन तथा परिवार का सदस्य समझ कर उनकी सहायता के प्रति अपने आपको समर्पित करना चाहिए; यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए, तभी इस कार्य में सफलता मिल सकती है।

अभी-अभी अनेक माननीय सदस्यों ने रेलवे लाइन का श्रीनगर तक बढ़ाने इत्यादि के बारे में उल्लेख किया। मैं इसका समर्थन करता हूं। यह कार्य बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इस क्षेत्र में हुए क्रम विकास के कारण लोगों में अलगाव की भावना है। मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत समिति है।

मैं इतना कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि कश्मीर के लोगों तक पहुंचने के लिए हमें अनेक विकास कार्य करने होंगे ताकि हम उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त कर सकें, तभी सरकार के कार्यक्रम सफल हो पायेंगे; तथा इससे उन्हें सरकार की नीति का अनुपालन करने में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : इस विषय पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैंने इस विषय पर सभी भाषण सुने हैं। जिन सदस्यों ने आतंकवाद के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, मेरे विचार से उन्हें इसके वास्तविक तथ्यों

[श्री उमराव सिंह]

की जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने आतंकवाद देखा नहीं है, वे उस क्षेत्र में नहीं रहे हैं जहां लोगों को आतंकवाद का सामना करना पड़ा था। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश मैं उस राज्य का निवासी हूं जहां लगभग दस वर्षों तक आतंकवाद रहा। जहां कुछ सदस्यों ने यह कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, वहीं कुछ ने यह कहा कि सरकार की नीति कमजोर है और इसे उनके साथ दृढ़ता से पेश आना चाहिए। ऐसे ही भाषण हमने पहले पंजाब के मामले में भी सुने हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक हम वास्तविक तथ्यों को नहीं समझेंगे इन भाषणों से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि अब हम वास्तविक तथ्यों पर बात करना और चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो इस सभा में मतैक्य बनाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि कश्मीर पर एकमत से संकल्प पारित किया गया था। लेकिन आज विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। कश्मीर में वास्तविक स्थिति क्या है? मेरे विचार से हमारे बलों ने लगभग 10,000 ए.के. किस्म की राइफलें और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। इससे दोगुनी अर्थात् 20,000 राइफलें तथा अन्य अस्त्र-शस्त्र अभी भी उनके पास हैं।

जिन व्यक्तियों को सेना के बारे में जानकारी है, वे जानते हैं कि उस अस्त्र शस्त्रों से सेना के चार डिवीजनों को पर्याप्त रूप से हथियार बन्द किया जा सकता है। जबकि इतनी भारी मात्रा में अभी भी उनके पास विस्फोटक सामग्री है और इस पर भी कुछ लोग राजनीतिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मेरे विचार से उन्हें वास्तविक तथ्यों की जानकारी बिल्कुल नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि लोग वहां किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। लगभग 2,50,000 व्यक्ति कश्मीर से पलायन कर गए हैं और उन लोगों को अपने घरों में वापिस भेजे बिना ही क्या हम राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात कर दें।

मेरा कहना है कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है फिर भी अभी वहां स्थिति गंभीर ही है। इसमें कुछ समय लगेगा। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि अगले छः महीनों में भी अच्छी स्थिति नहीं होगी क्योंकि आतंकवाद से निपटने के लिए 6 माह की अवधि पर्याप्त नहीं है। यह एक लम्बी प्रक्रिया है।

आतंकवाद से धैर्य और संयम से ही निपटा जा सकता है क्योंकि आतंकवाद को हराने के लिए यही एकमात्र हथियार है। आप उनसे तभी आत्मसमर्पण करवा सकते हैं जब वे बिल्कुल हताश हो गए हों और उन्होंने आशा छोड़ दी हो। वह समय अवश्य आएगा, हो सकता है वह समय जल्दी न आये पर हम आशा करते हैं कि ऐसा समय आएगा अवश्य ।

कुछ व्यक्तियों का कहना है कि पंजाब में स्थिति भिन्न थी पर जम्मू और कश्मीर में स्थिति अधिक गंभीर है। हमने कश्मीर में लगभग 40 महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों को खोया है। पंजाब में हमने सैकड़ों राजनीतिज्ञों को खोया है जिनमें कम से कम 10 भूतपूर्व मंत्री, दर्जनों विधायक और अन्य

अनेक राजनीतिज्ञ थे। हमने न केवल एक ही समुदाय के व्यक्ति खोए हैं बल्कि हमने अधिकांशतः सिख समुदाय के व्यक्तियों को खोया है और उनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।

जो ताकतें कश्मीर में आतंकवाद की सहायता कर रही हैं हमें उनको पहचानना है। वहां की जनता नहीं लड़ रही है वहां के लड़कों के पास हथियार नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं। हर कोई जानता है कि ये हथियार कहां से आ रहे हैं, हथियार कौन भेज रहा है, ए.के.-47 राइफलें तथा अन्य बंदूकें कहां से आ रही हैं, क्या पाकिस्तान हथियार दे रहा है या अफगान मुजाहिदीन हथियार दे रहे हैं? पाकिस्तान को ये हथियार कौन दे रहा है? मेरे विचार से यह सभा जानती है कि पाकिस्तान को कहां से हथियार मिल रहे हैं।

अब हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं और उनसे न्याय करने का आग्रह करते हैं।

[हिन्दी]

यह तो वही बात हुई–
वही कातिल, वही शाहद, वही मंजर ठहरे,
ऐ कुर्बां मेरे करे कत्ल कर दावा किस पर।

[अनुवाद]

हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम आई॰एस॰आई॰ की बात करते हैं। उन्हें कौन सहायता दे रहा है, ये ताकतें कौन सी हैं? हमें इन ताकतों के साथ देश के भीतर और देश के बाहर राजनीतिक तरीके से लड़ना है। हमें उन ताकतों को बेनकाब करना है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार ने इस पर सक्रियता से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस संबंध में राष्ट्रपति का अभिभाषण बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है और हम वहां किसी भी आंतरिक या बाह्य ताकत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अतः हमें उस ताकत के साथ लड़ना होगा।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है हमें उनकी शक्ति का उनकी ताकत का पता है।

[हिन्दी]

"न खंजर उठेगा, न तलवार इनसे,
यह बाजू मेरे आजमाये हुए हैं।"

[अनुवाद]

हम जानते हैं कि 1971 में क्या हुआ था। हमारे साथ जनता की इच्छा-शक्ति है। एक बार हमने कार्यवाही शुरू कर दी तो श्रीमती बेनजीर भुट्टो को वहां और लोग भेजने के लिए सौ बार सोचना पड़ेगा।

[श्री उमराव सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। अतः कृपया मुझे कुछ और मिनट बोलने की अनुमति दें।

मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह ने अपने भाषण में कहा है कि कथित धैर्य, धैर्य नहीं है बल्कि यह पूर्णतः निष्क्रियता है। हजरतबल के मामले में जो कुछ हुआ है यदि उसे हमारी निष्क्रियता माना जाए तो मुझे दुख है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के मामले में क्या हुआ था, शायद इस बात को जनता भूल गई है। जो दल उस समय यह कहते थे कि "आप जाकर स्वर्ण मंदिर पर धावा क्यों नहीं बोलते हैं?" वही आप कह रहे हैं कि वह श्रीमती इंदिरा गांधी की भारी भूल थी। सरकार को अपने विवेक से कार्य करना होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर का अनुभव हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वारा जो आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में छुपे थे वे स्वेच्छा से बाहर आ गए थे। हजरतबल मामले में भी वैसा ही किया गया। हजरतबल एक साधारण तीर्थ स्थान नहीं है। यह न केवल एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थान है बल्कि यह....

[हिन्दी]

हजरत मोहम्मद का वहां मुंहे मुबारक है।

[अनुवाद]

यदि हजरतबल दरगाह को नष्ट किया जाता तो इस पर न केवल कश्मीरियों की प्रतिक्रिया होती बल्कि पूरे मुस्लिम राष्ट्रों में इस पर प्रतिक्रिया होती है। मुस्लिम राष्ट्र हमारे मित्र हैं। वे हमारा समर्थन कर रहे हैं। यदि हजरतबल मामले को हमारी कमजोरी माना जाता है तो क्या आप संयम को हमारी कमजोरी मानेंगे? यदि कोई 'रिस्ट्रेंट' का अर्थ नहीं जानता है तो वह शब्दकोश में इसका अर्थ देख सकता है।

[हिन्दी]

यहां एक तरफ कमजोरी की बात की जाती है दूसरी तरफ कहा जाता है कि जम्मू-कश्मीर को, और अटॉनमी मिलनी चाहिये। शहाबुद्दीन जी ने भी जम्मू-कश्मीर को और अटॉनमी देने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक अमैंडमेंट दिया है। वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं–

[अनुवाद]

"कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संघ की स्वायत्तता के आधार पर समझौते का निर्णय करने में कश्मीर घाटी के लोगों के वास्तविक प्रतिनिधियों से बिना शर्त बातचीत करने पर विचार नहीं किया गया है।"

[हिन्दी]

किससे बात करें? हमारे पंजाब में भी कहते थे कि बात करो। उग्रवादियों के जितने नेता थे, वे तो पाकिस्तान में थे और वे खालिस्तान मांगते थे। वहां कौन से नुमाइंदे हैं? हमारे लॉर्ड ऑफ कश्मीर लंदन में बैठे हुए हैं। हमारे साथी यहां बड़े जोर से कहते हैं कि कश्मीर में झंडा लहरायेंगे तो जम्मू से हैलीकाप्टर में जाते हैं और झंडा लहराकर वापस आ जाते हैं। मैं खुश होता, अगर आप वहां रहते। हमारी क्या बात है, हमने तो पंजाब में बैठकर इलैक्शन लड़ा है, वहां हमने फाइट किया है। आपके नेता तो अमृतसर छोड़कर चण्डीगढ़ भाग आये थे, जो भाटिया साहब के खिलाफ इलैक्शन लड़ते थे। जब तक जम्मू कश्मीर में पोलिटिकल एक्टीविटीज शुरू नहीं होती, मैं आपसे यह विनती करूंगा कि वहां कोई पोलिटिकल प्रोसेस शुरू करने का मतलब नहीं है। वहां कौन-सी पार्टी है जो वहां आज पोलिटिकल एक्टीविटीज शुरू करे। वहां पहले आप हमारे साथ चलकर पोलिटिकल एक्टीविटीज तो शुरू करें। वहां पोलिटिकल एक्टीविटीज शुरू होगी तभी वहां की स्थिति सुधरेगी। पंजाब में हमने गांव-गांव जाकर इलैक्शन लड़ा। सी० पी० आई० और सी० पी० एम० वाले हमारे साथ थे और उनमें से बहुत से लोग मारे गये। हम वहां गांव-गांव गये हैं और वहां पिछले 10 सालों में हमारे नेता, हमारे प्रधान बेअन्त सिंह जी अपने घर में नहीं बैठे, लोग मरते थे तो उनके घरों में जाते थे।

मुझे पता है, जब पिछला इलैक्शन हुआ था, जब 1991 का जनरल इलैक्शन हुआ था तो वहां अकाली दल के मान साहब और दूसरों की तरफ से यह कहा गया कि यह जो इलैक्शन है, यह खालिस्तान का रैफरैण्डम है तो उस इलैक्शन का कांग्रेस ने बायकाट किया, क्योंकि वह इलैक्शन उसमें नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उस इलैक्शन में हिन्दुस्तान से बाहर जाने का इश्यू था लेकिन आपकी पार्टी ने उसमें अकालियों के साथ इलैक्शन लड़ा और इलैक्शन को लीगल बनाने के लिए उनका साथ दिया। उसके बाद हमारे 28 कैण्डीडेट्स मारे गये लेकिन आपकी पार्टी के एक भी कैण्डीडेट को किसी ने हाथ नहीं लगाया। सिर्फ यहीं तक बस नहीं, जब भी पंजाब में अकालियों की सरकार बनी, आपने उनका साथ दिया और पिछली बातों को छोड़ दें तो मेरे इलैक्शन के समय जालन्धर में कभी बी० जे० पी० इलैक्शन नहीं लड़ी थी लेकिन यहां दिल्ली में अकालियों की मदद लेने के लिए इन्होंने वहां जाकर अपना कैण्डीडेट खड़ा किया ताकि हिन्दुओं के वोट बंट जायें लेकिन उसकी मैंने जमानत जब्त कराई, जो वहां आपका सबसे बड़ा नेता है।

अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकाली दल वाले कहते हैं कि क्लिंटन हमारा बड़ा नेता है, वह हमारा आह्वान करते हैं तो अब आप बताओ कि आप उसके साथ जायेंगे? ... **(व्यवधान)** ... आज दिल्ली में मदन लाल खुराना यहां चीफ मिनिस्टर हैं, वह बड़े फख के साथ कहते हैं कि अकालियों ने मेरी मदद की है ... **(व्यवधान)** ... वह मालूम है तो बताओ। अभी तो मैं आपकी असलियत बता रहा हूं। दिल्ली में आप यह बात झुठला सकते हैं कि अकालियों ने आपकी मदद नहीं

[श्री उमराव सिंह]

की? पंजाब में हर वक्त, जब भी कांग्रेसियों की सरकार बनी है, इन्होंने उसके साथ नहीं बनाई और यहां हाउस में बैठकर क्लिंटन की प्रशंसा करते हैं।...**(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह, आपने पहले ही बीस मिनट का समय ले लिया है। सरकार इस संकल्प को पूरा करना चाहती है।

(व्यवधान) *

श्री उमराव सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि कश्मीर में एग्रो इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाये। वहां लोग एप्पल उगाते हैं, उनको उसका अच्छा भाव दिया जाय, वहां के लोग गलीचे बनाते हैं, उनको उसमें समर्थन दें और उनके ट्रेड को बढ़ायें। वहां की लेबर हमारे यहा हर साल आती थीं, इस बार सर्दी में वह नहीं आईं। हमें उनको बुलाना चाहिए, उनको यहां लाना चाहिए और उनको रोजगार देना चाहिए। इन कामों से हमारे ताल्लुकात उन लोगों के साथ बढ़ेंगे। इस वक्त हम सस्पीशन में हैं। मैं यह कहना चाहता हूं पाकिस्तान वालों को भी और उग्रवादियों को भी...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।

"उन्हें कहना मेरी जानम से वह रहबर या राहजन,
सरे मंजिल कभी लुटने न देंगे कारवां अपना।"

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। इस मद पर चर्चा के लिए नियत समय हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। मैं वक्ताओं से अपील

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करना चाहता हूं कि समय को ध्यान में रखते हुए वे संक्षेप में अपना भाषण दें और विषय के संबंध में ही बोलने का प्रयास करें ताकि हम शीघ्रातिशीघ्र इस चर्चा को समाप्त कर सकें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि जो समय निर्धारित किया था वह समाप्त हो रहा है लेकिन यह बात भी सही है कि 8 बजे तक समय बढ़ाया गया है। अब हर रोज दो घंटे ज्यादा बैठना है। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल वासनिक : पाण्डेय जी, सदन का समय बढ़ाया गया है लेकिन जो इसके लिए समय रखा था वह तीन घंटे का समय था। यह दो बजे शुरू हुआ, 5 बजे तक 3 घंटे समाप्त हो गया था, उसके बाद और समय दिया गया। **(व्यवधान)**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : श्रीमान, कुछ माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं और कश्मीर का मामला ऐसा है कि जिस पर हर कोई बोलना चाहता है। इसलिये इसके लिए और समय दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जानते हैं कि कल कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि जम्मू और कश्मीर संबंधी इस उद्घोषणा को और जम्मू और कश्मीर बजट पर साथ-साथ चर्चा होगी और आज हम 8.00 बजे तक बैठेंगे। संसदीय कार्य मंत्री का यह दायित्व था कि जम्मू और कश्मीर का बजट प्रस्तुत करते क्योंकि यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था लेकिन बजट है कहां ?

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है। मेरे विचार से जिन माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है वह इसके बारे में जानते हैं। बजट सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बजट पर चर्चा अलग से होगी। आज सुबह जब सभा में कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति दी जानी थी तब इस पर भी चर्चा हुई थी । मेरा अनुरोध है तो केवल इतना ही है कि हालांकि जब हमने यह निर्णय ले लिया है कि आज सभा को 8.00 बजे तक बैठना चाहिए परन्तु भविष्य में ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब हमें 8.00 बजे के बाद भी बैठना पड़ सकता है। मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि ऐसे अवसरों पर वे हमें सहयोग दें जैसा कि वे पहले भी देते रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : 7 बजे तक माननीय सदस्य बोल लें और उसके बाद रिप्लाई हो जाए **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जम्मू और कश्मीर का बजट इस उद्घोषणा के साथ-साथ लिया जाएगा। इसीलिए हमने 8.00 बजे तक बैठने का निर्णय लिया था। लेकिन बजट कहां है? आज उन्होंने बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया? यही मुख्य मुद्दा है। क्या वह सभा को यह बताएंगे कि आज उन्होंने बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया? **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : नहीं महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में इस पर निर्णय लिया गया था। वह यह बताएं कि यह क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। वह हमारे सहयोग के लिए कह रहे हैं लेकिन हम तो पहले से ही आपके साथ सहयोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, जैसा कि श्री जेना जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन परिचालित भी किया गया था। इसे संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया था और सभा ने इसे स्वीकृति दी थी। लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन किया जा रहा है। बजट और संकल्प पर साथ-साथ चर्चा करने का निर्णय लिया गया था। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : आज किसी कारण से जम्मू-कश्मीर का बजट प्रेजंट नहीं हो सकता था इसलिए यह तय किया गया कि आज जम्मू-कश्मीर के ऊपर चर्चा हो जाएगी, . . . **(व्यवधान)** . . . इसके बाद बजट प्रेजंट हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : बजट सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वह यह अवश्य बताएं कि यह क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था कि इस आयटम पर चर्चा करने में हमने बहुत समय ले लिया है, अगर इसी तरह से करेंगे तो और अधिक समय लग जाएगा।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : क्या कारण है? कृपया विस्तार से बताइए।

प्रो० प्रेम धूमल : उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में यह घोषणा की गई थी कि कश्मीर बजट . . .

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंहपुर) : संसदीय कार्य मंत्री, बिना पूरी बात जाने बहस समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए वह भड़क गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे भड़के नहीं। उन्होंने बहुत ही विनम्र भाषा में सहयोग देने का अनुरोध किया था।

श्री एस०बी० चव्हाण : यदि माननीय अध्यक्ष महोदय कोई निर्णय लेते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे केवल एक परेशानी यह है कि 7 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है। इसलिए यदि इसे सदन की स्वीकृति मिल जाती है, तो हो सकता है कि मैं मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकूं। अन्यथा मुझे उनको सूचित करना होगा कि मैं मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकूंगा। **(व्यवधान)** यदि आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो मैं यहां बैठने के लिए तैयार हूं; मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री नीतीश कुमार : वे विंग में इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अवसर मिलेगा।

श्री एस०बी० चव्हाण : चूंकि बहस मैंने शुरू की है इसलिए नियमानुसार उत्तर भी मुझे ही देना होगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : आप संक्षेप में उत्तर दीजिए ताकि कम से कम समय में आप ऐसा कर सकें।

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, कश्मीर, हमारे राष्ट्र के जन्म से ही हमारे लिए समस्या बना हुआ है लेकिन 1994 की वर्तमान कश्मीर समस्या 1947 की कश्मीर समस्या से एकदम अलग है। हमें यह बात याद करके बड़ा गर्व अनुभव होता है कि कश्मीर की जनता ने, जहां मुस्लिम लोग बहुसंख्यक हैं, पाकिस्तान जाने की न तो कोई इच्छा व्यक्त की और न ही कोई इरादा व्यक्त किया बल्कि उन्होंने यह घोषणा की है कि वे भारत में ही रहेंगे। कश्मीर के मुसलमान हमारे साथ हैं और आज हम गुमराह युवकों, आतंकवादियों इत्यादि की बात करते हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर के लोगों द्वारा व्यक्त इरादों और इच्छाओं को और सुदृढ़ करने की बजाए, हम उन्हें अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पिछले पांच-छः महीनों से पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे प्रचार से जम्मू और कश्मीर का मामला एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। आरम्भ से ही भारत का दृष्टिकोण इस मामले में एक जैसा

[श्री पी० जी० नारायणन]

और स्पष्ट रहा है। हम बता रहे थे कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस देश में जम्मू और कश्मीर में रह रहे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान अपने राजनीतिक कारणों से इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने का प्रयास कर रहा है।

इस बात के काफी सबूत हैं कि केन्द्र जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने की नियमित योजना बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। लम्बे समय से चले आ रहे राजनीतिक भ्रम को समाप्त करने तथा हिंसा की प्रवृत्ति को रोकने के सरकार के इरादों से यह पता चलता है कि सरकार ने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये नये प्रयास शुरू कर दिये हैं।

गृह मंत्री की यह उद्घोषणा कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही वहां के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाएगी, इस बात का एक और संकेत है कि बातचीत के अवसर अब भी खुले हुए हैं और यह भी साफ-साफ बता दिया गया है कि अहिंसा की भाषा से किसी हल तक नहीं पहुंचा जा सकता।

सरकार को आतंकवादियों के विरुद्ध काफी सफलता मिली है और इसके लिए आतंकवादियों पर लगातार दबाव डालने की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके।

सेना की सक्रिय सहायता से राज्यपाल के शासन ने एक हद तक कश्मीर के लोगों को प्रशासन से अलग कर दिया है और यदि राजनीतिक प्रक्रिया की सार्थक शुरुआत करनी है तो हमें मौजूदा प्रक्रिया से हटना पड़ेगा। यदि सरकार यह धारणा बना सकती है कि वे राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्प है तो प्रधान मंत्री की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह एक ऐसा दृष्टिकोण अपना सकें जो सभी राजनीतिक दलों को मान्य हो उसमें सफल होने के पूरे अवसर हों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जम्मू और कश्मीर में चुनाव सम्भव है। इस बात का उत्तर है कि सरकार किस हद तक आतंकवाद को समाप्त करने की स्थिति में है। कश्मीर पर सभी दलों की प्रस्तावित बैठक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह हमारे राष्ट्र हित के समक्ष अत्यंत गंभीर खतरों को चुनौती दे सके। इस उद्देश्य के लिए सरकार एक कार्य सूची प्रस्तुत करेगी जो कश्मीरियों को संविधान के अनुच्छेद 370 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रावधान की शर्तों के अनुसार स्वायत्तता प्रदान करने का आश्वासन देगा और जो कश्मीरी समस्या का सही हल होगा।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि स्थिति में सुधार होता जा रहा है और पहले के मुकाबले स्थिति सुधर रही है। यह

वस्तुस्थिति से परे है, भ्रामक है और निराधार है। पिछले दिनों जम्मू के इन्द्रा चौक पर बम काण्ड हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं और काफी लोग उधमपुर में हताहत हुए हैं अगर हजरतबल को छोड़ भी दिया जाए तो ये घटनाएं साबित करती हैं कि स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है और जिस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है वह नहीं हुआ है इसलिए आपको समयावधि बढ़ाने के लिए कहना पड़ा। डोडा और किश्तवार में घटनाएं हुईं तो वहां के नागरिकों में भय है। समाचार पत्रों में यह आया है कि किश्तवार के निकट वुलहस्ती में विद्युत परियोजना में उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया था तो उससे डोडा जिले में और अन्य जगहों पर लोगों में भय है। मैंने वहां का दौरा किया था और देखा कि वहां के लोगों में भय व्याप्त है तो उसको समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। वहां के लोगों का कहना है कि या तो सेना के हवाले कर दिया जाए या स्थिति में सुधार किया जाए जिससे भय समाप्त हो जाए। इसी प्रकार पुंछ के बारे में 16-1-94 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली नियंत्रण रेखा के साथ सटे राजौरी व पुंछ सैक्टरों में पाक सेना द्वारा की जाने वाली भारी गोलीबारी तथा कश्मीरी जंगजुओं द्वारा दनादन किए जाने वाले राकेटों के हमलों ने सीमावर्ती गांव के लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया है। यह स्थिति कब तक बनी रहेगी। सेना को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए और ज्यादा घटनाएं हों, अगर आवश्यकता हो तो सारा क्षेत्र सेना के सुपुर्द करे। किश्तवार और भद्रवार में लोगों ने मुझसे कहा कि क्या करें हमारे पास हथियार नहीं हैं।

हमें आप शस्त्र दो तो हम उन उग्रवादियों का सामना कर सकते हैं, अगर सेना को यह करने का अधिकार नहीं है तो, लेकिन जब हम सेना के जवानों से मिले तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, यहां की स्थानीय पुलिस हमें उन पर आक्रमण करने का अधिकार नहीं देती। इसलिए हम उनको रोक पाने में सीधे कार्यवाही नहीं कर पाते। मैं कहना चाहता हूं कि उनको यह अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें यह लगे कि यहां पर उग्रवादियों के हमले का अंदेशा है तो वे रोक सकें। पिछले दिनों या डोडा के डाक बंगले पर वह कब्जा करने वाले थे, वे आगे बढ़े थे, तो उसको रोका जाना चाहिए था। क्योंकि यह बड़ी दुखदाई स्थिति है। वहां से पलायन को भी रोका जाना चाहिए। मैं वहां गया था तो मैंने वहां की दीवारों पर यह लिखा हुआ देखा– "भारत तेरे हाथ में वह लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है।" इस तरह के पर्चे भी वहां पर हमारे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बांटे गये और हम इसको रोकने में असमर्थ रहते हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है।

पाकिस्तान आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच से कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार कर रहा है, कल हमारे विदेश मंत्री ने उत्तर दिया था कि हमने भी उसका मुकाबला करने के लिए अमरीका में एक लाबी से सम्पर्क साधा है और उसको पचास हजार डालर प्रति मास दे रहे हैं, जो कि हमारा सशक्त प्रचार करेगी और पाकिस्तान द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उसका खंडन करेगी। यह स्थिति क्यों पैदा हुई है, पाकिस्तान को ऐसा करने का साहस कहां से आया, इस पर भी विचार करना चाहिए।

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

अमरीका आज पाकिस्तान को सहायता दे रहा है। हो सकता है कि उसकी अपनी कोई मजबूरी हो। क्योंकि सोमालिया और बोस्निया में उसने जो कुछ किया है उससे मुस्लिम धर्म अमरीका से नाराज हो गया है। इसीलिए वह इनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है।

हमारे लिए यह खुशी की बात है और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके इस बात को कहा है कि कश्मीर के मामले में हम किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे। कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है और रहेगा। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार भी इस दिशा में ठीक से विचार करे और जो वहां स्थिति बनी हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करे।

लेह को लेकर एक स्वायत्तशासी बोर्ड आप बनाने जा रहे हैं, वह कह तक बनेगा? उसको आपको जल्दी बनाना चाहिए। जिससे वहां के लोगों की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग पूरी हो सके। अभी वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

पलायन और भय की स्थिति से राहत दिलाने के लिए सरकार को इस बारे में ऐसी योजना या कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि आम नागरिक सुरक्षा महसूस कर सकें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जम्मू की आबादी काफी बढ़ रही है इसलिए वहां पर विधान सभा की सीटों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। आप जब भी राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करके वहां चुनाव करायें तो इस बात को भी ध्यान में रखें की जम्मू की आबादी काफी बढ़ गई है इसलिए वहां पर अधिक सीटों का प्रावधान करना चाहिए। यह जम्मू वालों की मांग है।

जो लोग पाकिस्तान से 1947 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जम्मू और कश्मीर आ गये थे, वे आज भी वहां पर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से जो लोग श्रीनगर और अन्य इलाकों से दिल्ली, गाजियाबाद और देश के अन्य हिस्सों में आ गये हैं। वे भी यहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह फैसला हुआ था कि जो लोग पाकिस्तान से वहां पर आये हैं उनको 12-12 हजार रुपये मासिक देंगे। लेकिन उनको अभी तक अपनी जमीन-जायदाद का मुआवजा और इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अभी तक इनके मुआवजे के प्रश्न अधूरा पड़ा है। दिल्ली और गाजियाबाद में जो कश्मीर से लोग आये हैं उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

यहां पर मानवाधिकार की बात कही गई है। यह एक तरफा नहीं है। पाकिस्तान इसको लेकर जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है इसका जवाब दिया जाना चाहिए। हमें दृढ़ता से कहना चाहिए कि वहां से प्रशिक्षित होकर व शस्त्रास्त्र लेकर जो आतंकवादी यहां आकर हमारी सेना पर हमला करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाकर सेना के जवानों को मारते हैं उसके बारे में भी विश्व को सोचना चाहिए। क्योंकि उसकी मानवाधिकारों से चर्चा नहीं होती है। ठीक नहीं है। सेना को पूरे

अधिकार दिये जायें और जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, उन्हें सेना के सुपुर्द कर देना चाहिये। कश्मीर घाटी के बारे में कहा गया है कि उसी प्रकार डोडा जिला में जो उग्रवाद बढ़ रहा है। उसमें उनकी गतिविधियों पर रोक लगायी जाये ताकि वहां पर बड़े पैमाने पर हो रहा पलायन रोका जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत कम है और इस संबंध में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं, इसलिये मेरा माननीय गृह मंत्री से निवेदन है कि जब इन बातों का उत्तर देंगे तो मेरे सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे और इन बातों की तरफ ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि कश्मीर समस्या निःसंदेह रूप से एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या का हल केवल राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही निकाला जा सकता है लेकिन एक प्रश्न जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि घरेलू पक्षों सहित कश्मीर समस्या के बाह्य पक्ष भी हैं।

मैं इस मामले में स्थिति का और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाए गए रुख का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करना चाहता हूं। यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों या सरकार के निचले स्तर के प्रतिनिधियों का प्रश्न नहीं है लेकिन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्वयं अपना एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, मेरे हिसाब से जो भारत के लिए कश्मीर के सम्बंधित हमारे हितों के प्रतिकूल है और साथ ही विरोधी भी।

यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं श्री क्लिंटन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितम्बर, 1993 में दिए गए भाषण, श्री राबिन रफेल के 29 अक्तूबर, 1993 के वक्तव्य, श्री क्लिंटन के श्री गुलाम नबी फई को 27 दिसम्बर, 1993 को लिखे गए पत्र का, श्री क्लिंटन द्वारा श्री ग्रे कॉडिट को लिखे गए पत्र का और अंत में भी क्लिंटन द्वारा 14 फरवरी को व्यक्त की गई राय, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह कश्मीर में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के बारे में पाकिस्तान की चिन्ता से सहमत हैं, का उल्लेख करना चाहता हूं। यह सब बातें भारत के अन्दरूनी मामलों में दखल देना है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुख होता है कि हमारे देश की संप्रभुता के इस तरह से अतिक्रमण के बारे में पर्याप्त प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय सरकार की ओर से इस तरह के दृष्टिकोण पर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस समस्या के दूसरे पहलुओं की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में अक्तूबर, 1993 में ब्रूसेल्स में यूरोपीय संसद के तत्वावधान में कश्मीर के बारे में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसलिये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं बल्कि यूरोपीय संसद के प्रतिनिधियों ने भी कश्मीर के बारे में चर्चा की है जो कि भारत का अन्दरूनी मामला है।

[श्री चित्त बसु]

मैं ब्रूसेल्स सम्मेलन में प्रस्तुत किये गये विचार पत्रों पर हुई चर्चा के अत्यधिक आपत्तिजनक अंशों को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

> "वास्तविक कश्मीर और व्यापक अस्तित्व जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य था, जैसा कि यह "1846 और 1946" के बीच था, में अन्तर निर्धारित करना होगा।"

इसका मतलब यह है कि कश्मीर के बारे में अन्य यूरोपीय देशों का दृष्टिकोण भी हमारे इस दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है कि कश्मीर का विलय अंतिम है और इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता; और यह भारत का अभिन्न अंग है। सरकार ने इस दुष्प्रचार का सामना करने के लिए राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर सरकारी संगठनों, कुछ सरकारी संगठनों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा कश्मीर समस्या और इसके समाधान के बारे में अनेक प्रस्ताव रखे गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार कश्मीर समस्या का हल करीब-करीब सभी ने यह निकाला है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिये। वे लोग चाहते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक पैकेज होना चाहिए जिसके आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य भारत से अलग हो जाए। इस संबंध में बहुत से अन्य प्रस्ताव भी हैं। मैंने उनमें से केवल कुछेक का जिक्र किया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की मध्यस्थता, माध्यम किस्म के हल अधिक स्वायतता और क्षेत्रीय स्वायत्तता इत्यादि सम्बंधी कई प्रस्ताव हैं। मैं इस बात को इसी समय एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं और इसी बात ने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए प्रेरित किया है। कश्मीर का भारत से अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता और मध्यस्थ किस्म के किसी हल का प्रश्न ही नहीं हो सकता है। 1953 की स्थिति में लौटने का सुझाव भी दिया गया है। सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इन प्रस्तावों पर सरकार की खामोशी एक सोची समझी खामोशी है और इसका उद्देश्य हमारे देश और देश के बाहर के विशेषरूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी देशों के देशभक्तों और लोकतांत्रिक लोगों में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः सरकार को इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, कतिपय निहितस्वार्थी संगठनों द्वारा दिए जा रहे गैरजिम्मेदाराना सुझावों पर सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

जहां तक मेरी पार्टी और मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, हम चाहते हैं कि स्वायत्तता में वृद्धि हो, और हम अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता भी चाहते हैं लेकिन यह भारत के संविधान के संघीय ढांचे के दायरे में होनी चाहिए। ऐसी कोई क्षेत्रीय स्वायत्तता नहीं हो सकती, अथवा क्षेत्रीय स्वायत्तता में आगे और ऐसी वृद्धि नहीं की जा सक[illegible] है जिससे कि जम्मू और कश्मीर भारत से अलग हो जाए। इससे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी क्षेत्रीय स्वायत्तता का प्रश्न उठे उसके साथ कश्मीर की एकता का प्रश्न

भी उठना ही चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि लेह क्षेत्र को कुछ अतिरिक्त या क्षेत्रीय स्वायत्तता दी गई है तो यह स्वीकार्य है लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ अन्य अल्पविकसित और पिछड़े हिस्सों को किसी तरह की आर्थिक स्वायत्तता देना स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि क्षेत्रीय स्वायत्तता जम्मू और कश्मीर के पृथकत्व या विच्छेदन तक बढ़ जाती है तो फिर यह राष्ट्रीय हितों और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता के लिए हानिकारक होगी। जम्मू और कश्मीर समस्या का कोई भी हल निकालते समय राष्ट्र की एकता और अखण्डता का प्रश्न सर्वोपरि होना चाहिए और इसी बात पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

हम चाहते हैं कि इस बारे में बातचीत हो। राजनीतिक समाधान ही इसका एकमात्र समाधान है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि सैनिक समाधान कोई समाधान नहीं हो सकता, इससे बचा जाना चाहिए। सैनिक समाधान एक ऐसी स्थिति की तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है जिसमें हम अपनी परंपराओं को एवं अपनी भारतीयता को सुरक्षित रख सकें। अतः जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय अपरिवर्तनीय निर्णय है। हमें धर्मनिरपेक्षवाद की धारणा को सुरक्षित रखना है। जम्मू और कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न अंग है, भारतीयता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और उसका प्रतीक है। यदि उसे अलग किया जाता है तो भारतीय राष्ट्रीयतावाद भी टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। अतः जम्मू और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप के दायरे के क्षेत्रीय स्वायत्तता राष्ट्रीय सहमति को व्यापक आधार होने चाहिए।

मुझे आशा है कि भारत सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाएगी। मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर के दौरान यह कहा कि सरकार का मूल दृष्टिकोण कश्मीरियत को तथा कश्मीर के लोगों की सांस्कृतिक एवं अन्य दूसरी पहचान को बनाये रखना है। लेकिन मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस आधार पर इस नीति का अनुसरण नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कश्मीर के आम लोगों का भारत में विमुखीकरण हुआ है। अतः सदन में की गई उस वचनबद्धता को पूरा किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे अमल में लाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। जम्मू और कश्मीर के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर सावन्त, श्री चेन्नित्तला, प्रो० रासा सिंह और श्री विजय कुमार यादव को बोलना है। हर एक सदस्य दो या ढाई मिनट तक बोलेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) महोदय, हमने मंत्री महोदय की व्यस्तता को समझ लिया है कि वह सात बजे चले जाएंगे। इसलिए कृपया इस चर्चा को 7 बजे तक या अधिक से

[श्री लोकनाथ चौधरी]

अधिक सात बजकर पन्द्रह मिनट तक समाप्त करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा हम उनके प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, को मंत्रिमंडल की बैठक में जाना है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

श्री सुधीर सावन्त (राजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने वाले संकल्प का समर्थन करता हूं।

मैं केवल उस बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं जिसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने सामने लाने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से उन्होंने सेना को इसमें शामिल करने की कोशिश की है और सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मिकों द्वारा दिए गए कथित वक्तव्यों से श्रेय लेने की कोशिश की है जिसे मैं अपमानजनक समझता हूं और यहां पर ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मैं इस मुद्दे पर चौथी बार बोल रहा हूं। 1991 में जब मैं इस मुद्दे पर बोला था तो उस समय मैंने भी इसी तरह के मुद्दों को उठाया था जिन्हें एकीकृत कमाण्ड, प्रशासन की भूमिका और वहां पर व्याप्त परिस्थितियों इत्यादि के बारे में मेजर जनरल खन्दूरी ने यहां पर उठाया है। मैंने उस समय प्रशासन की आलोचना की थी। दो वर्ष बाद स्थिति निश्चित रूप से बदल गई है और इसमें जबरदस्त परिवर्तन हुआ है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। दो वर्ष पूर्व सरकार की आलोचना कर चुकने के बाद, मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे सरकार को श्रेय मिलता है।

[अनुवाद]

यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है तथा इस मुद्दे को पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं लिया जा सकता। यह कैसा परिवर्तन है! मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल है। लेकिन प्रशासन का दृष्टिकोण निश्चित रूप से बदल गया है तथा जिस विश्वास के साथ केंद्र सरकार इस समस्या को ले रही है, उससे भारत की जनता में विश्वास पैदा हुआ है। हम इस समस्या की पकड़ में हैं तथा सरकार इस समस्या को समग्र रूप से सुलझाने के लिए एक निश्चित कार्य-विधि का अनुसरण कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्रोह एवं इससे संबंधित समस्याओं के मामले में जहां कहीं भी किसी विशिष्ट वर्ग में एक सीधे रास्ते से विचलन होता है, तो उसका समाधान करने में काफी लम्बा समय लगता है। मिजोरम को इसका समाधान करने में लगभग 18 वर्ष तथा नागालैंड में लगभग 20 वर्षों का समय लगा था। केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कि इस समस्या का समाधान एक वर्ष में हो सकता हो।

मैं सरकार को हज़रतबल घटना पर इसके द्वारा अपनाये गये रवैये के लिये बधाई देता हूं। जनरल खन्दूरी तथा भाजपा के अन्य साथियों ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल गलत है। जिस

वाहिनी ने हजरतबल की घेराबंदी की थी, उस वाहिनी में मैंने 15 वर्ष तक सेवा की हुई थी। अतः, वहां जो भी कारवाई की गई है, उसकी पूर्ण जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। थल-सेना और वह भी मेरी ही वाहिनी पर यदि कोई व्यक्ति धब्बा लगाने की कोशिश कर रहा हो, तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं यहां पर दिये गये सभी वक्तव्यों की निन्दा करता हूं। हजरतबल में, आई० एस० आई० एवं पाकिस्तान ने सरकार के लिये एक जाल बिछाया हुआ था। कश्मीर घाटी में नौ मुस्लिम मस्जिदों को ध्वस्त करने के बाद, हजरतबल को ध्वस्त करने का उनका लक्ष्य था। उनकी योजना सशक्त बलों को उस मस्जिद पर आक्रमण के लिए उकसाने की थी। जब इस मस्जिद पर ध्वस्त करने हेतु हमला किया जाता है, तो उसके परिणामस्वरूप बचे अवशेषों के कारण न केवल जम्मू-कश्मीर की जनता बल्कि विश्वभर में लोग इस बात पर हमसे अलग हो जाते। यह जाल बड़ी सावधानी से बिछाया गया था। उस समय, जो कुछ घटित हो रहा था, मैं उससे भी आशंकित था। मैंने उस समय गृह मंत्री महोदय से भी सम्पर्क किया था। हमारी आशंकाओं के होते हुए भी, सरकार ने जितने आत्मविश्वास के साथ इस समस्या को लिया तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया, वह वास्तव में ही प्रशंसनीय है। इसी वजह से, अब मुझे जिस ढंग से केंद्र सरकार इस समस्या से निबट रही है, उस पर पूर्ण भरोसा है। मुझे विश्वास है कि अगर हम इसी ढंग से इस समस्या से निबटे, तो यह समस्या तुरन्त सुलझ जायेगी क्योंकि हज़रतबल की घटना के बाद, कश्मीर घाटी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, जिसकी वजह से आतंकवादी वहां से तितर-बितर हो रहे हैं; चार महत्वपूर्ण आतंकवादियों– शाघर, अंधाघर, अफगानी एवं उनमें बाकी बचे आतंकवादियों को मार अथवा समाप्त कर दिया गया है। एकीकृत कमांड संबंधी अवधारणा का मामला केवल जनरल खन्दूरी जी द्वारा ही रखा गया था। मैंने भी 1991 में इस सिद्धान्त का प्रचार किया था। इस सिद्धान्त को घाटी में लागू किया गया था। एकीकृत कमांड संबंधी अवधारणा अभी भी वहां विद्यमान है। आपसी तालमेल में वृद्धि हुई है। मेरा तो मात्र यही सुझाव है कि एकीकृत कमांड संबंधी यह अवधारणा आसूचना मुख्यालय सहित प्रत्येक जिला स्तर पर शुरू होनी चाहिये। यदि आप उग्रवाद को दबाना चाहते हैं, तो आपको तत्परता से कार्रवाई करनी पड़ेगी।

मैंने यह भी सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिले में कोई ऐसे तीव्र प्रतिक्रिया दल होने चाहिये, जो कि खुफिया तौर पर हर जिले में तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर सकें। इन दलों को जम्मू-कश्मीर में सोपोर एवं श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में उग्रवाद का विशेषतौर पर सफाया करना चाहिये। ये ही मुख्यतः समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सोपोर को इस समस्या से मुक्त कर दिया गया है तथा वहां से उग्रवादियों का सफाया कर दिया गया है। ये शहरी क्षेत्र हैं। यदि हम इन पर ध्यान केन्द्रित करें, तो हम इसमें अत्यधिक सफलता हासिल कर सकते हैं।

जहां तक राजनैतिक प्रक्रिया का संबंध है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी शुरुआत पंचायतों से करे। जम्मू-कश्मीर प्रांत मे पंचायती-राज प्रणाली लागू की जानी चाहिये। ऐसा पहले ही किया जा चुका है। अगर हम ग्राम-स्तर से लेकर खण्ड-स्तर तक चुनाव करवाने के बाद जिला स्तर पर चुनाव करायें, तो निश्चित रूप से निष्कासित किये गये लोग अर्थात् युवक, जो कि 1987 में इस देश

[श्री सुधीर सावन्त]

की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे, को वहां आशा की कोई किरण दिखाई देगी। राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

मैं इस सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि यह पक्षपात से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, जिस पर कि इस देश का भविष्य निर्भर करता है क्योंकि कश्मीर इस देश का सिर है। इसलिए हमें अपने सभी तुच्छ विचारों को एक तरफ फेंककर इस राष्ट्रीय मुद्दे को लेना चाहिये। गृह मंत्री महोदय ने अपील की है और इस विषय पर व्यापक चर्चा की है। इस समस्या को स्थाई रूप से सुलझाने के लिए आपको उन्हें सहयोग देना ही चाहिये।

अंततः, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ संसद सदस्यों तथा इस विधेयक के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों को लेकर एक समिति गठित करें ताकि इस विषय में समुचित सलाह प्राप्त की जा सके। हमने यह संकेत दिया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अंग है तथा यह भारत का ही अंग बना रहेगा। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमने ऐसा किया है। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं सरकार से खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर का जो सवाल है, वह उग्रवादियों से और पाकिस्तान से निपटने के लिए तो अपनी जगह पर है लेकिन अमरीका की ओर से जो कार्यवाही की जा रही है, जिस तरह से उग्रवादियों को भड़काया जा रहा है और देश के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसके बारे में हमें एक पोजीशन लेनी होगी। यह सही है कि नई आर्थिक नीतियों की वजह से हमारी सरकार ने अमरीका के सामने घुटने टेक दिए और उसके प्रभाव में इतनी ज्यादा आ गई है कि देश की आजादी पर, देश की अखंडता पर और सार्वभौमिकता पर भी यदि अमरीका की ओर से नजर डाली जाती है तो उसका नाम लेने से भी सरकार, हमारे मंत्री हिचकते हैं।

मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। अमरीका की पार्लियामेंट के मैम्बर हिन्दुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, चाहे मानवाधिकार की बात हो चाहे कोई और बात हो। कश्मीर हिन्दुस्तान का इनटैगरल पार्ट है, इसके खिलाफ बोलते हैं और अमरीका की सरकार कहती है कि हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां तक कि वहां का राष्ट्रपति बोल जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि आप राष्ट्रपति जी से एकाएक बुलवाइए।

7.00 म०प०

प्रधान मंत्री से इस बारे में बुलवाइये, कम से कम वासनिक साहब से बुलवाइये, राही साहब

से बुलवाइये। हमारे होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उनसे बुलवाइये, लेकिन आप बिल्कुल चुपचाप इस मामले में बैठे हुए हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में डर की वजह से आपने अमरीका का नाम नहीं लिया है। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को एक नया मोर्चा अमरीका के खिलाफ बनाना चाहिये। ऐसे लोग जो अमरीका से प्रताड़ित हैं, जिनके मामलों में अमरीका ने हस्तक्षेप किया है और ऐसे लोग जो ईमानदारी के साथ देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता की रक्षा करना चाहते हैं, उन सब को लेकर एक टीम बनाइये और अमरीका के खिलाफ डिफैंसिव में नहीं ऑफेंसिव में प्रचार करिये।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं गृह मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं। जब हम इस संकल्प पर यहां चर्चा कर रहे थे तो जिनेवा में मानव अधिकार आयोग में भी जम्मू-कश्मीर में तथाकथित मानव अधिकारों के हनन पर चर्चा हो रही थी। यद्यपि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में मानव अधिकारों के हनन पर एक संकल्प सभा पटल पर रखने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उन्हें इस संकल्प का समर्थन करने वाला कोई नहीं मिला। वे इस मामले में अकेले पड़ गये हैं। मैं भारतीय शिष्टमंडल को उनके प्रयासों एवं सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं इस शिष्टमंडल एवं भारत के प्रधान मंत्री को जिनेवा सम्मलेन में जिस तरीके से अपना समर्थन जुटाया है तथा कठोर कदम उठाये हैं–उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। यह चर्चा चल रही है और पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय-स्वरूप देना चाहता है। विश्व-संस्था के सदस्य इस बात को प्राथमिकता देंगे कि इस्लामाबाद से जो लोग नई दिल्ली में नियुक्त हैं, वे इस संबंध में मतभेदों को आपसी बातचीत के जरिये सुलझायें। मुझे पता चला है कि पाकिस्तान इस बारे में पूरी तरह से सहमत हो गया है लेकिन वे अस्वीकार्य शर्तें लगा रहे हैं, ताकि वे चालबाजी से जिनेवा तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू-कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र को सक्रिय रूप से शामिल कर सकें। जैसा कि श्री चित्त बसु तथा अन्य सदस्यों ने अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा दिये गये वक्तव्यों का उल्लेख किया ही है। उन्होंने अनेक वक्तव्य दिये हैं और उनका खंडन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे देख रहा है। वह बार-बार वक्तव्य देते हैं तथा उनका खंडन करते हैं। इससे पता चलता है कि भारत के पास अपना समर्थन जुटाने की विशाल शक्ति एवं सामर्थ्य है तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच एवं समुदाय इस बारे में हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहे हैं। इससे हमारे देश की सुदृढ़ एवं सक्षम कूटनीति प्रदर्शित होती है कश्मीर हमारे देश का अतरंग हिस्सा है तथा इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। फिर, इसमें मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। वे जम्मू-कश्मीर के युवकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तथा सीमापार से उग्रवादी गतिविधियों में सहायता प्रदान कर रहे हैं। जिस क्षण भी पाकिस्तान उग्रवादी गतिविधियों में सहयोग देना बंद कर देगा, उसी क्षण जम्मू-कश्मीर में घटित हो रही आपदाएं समाप्त हो जाएंगी। अतः, हमें उनके साथ राजनैतिक, राजनयिक तथा प्रशासनिक रूप से निबटना है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

स्वामित्व के बारे में कोई विवाद नहीं है। शिमला-समझौते के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर का विलय भारतीय संघ में किये जाने के बारे में कोई विवाद अथवा मतभेद नहीं है। मात्र नियंत्रण रेखा के बारे में विवाद है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान यह दावा करने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू-कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें इस मुद्दे को बिल्कुल सुस्पष्ट करना चाहिये।

मेरे पास पेश करने को अनेक मुद्दे हैं लेकिन समयाभाव के कारण, मैं विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहता। महोदय, पाकिस्तान किसी चोर के समान है, जो कि चोरी करने के बाद अन्य लोगों के साथ मिल जाता है तथा 'चोर', चोर कहकर चिल्लाता है। उनके जिनेवा संकल्प के चाहे जो भी परिणाम हों लेकिन यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बारे में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है। यहां तक कि इस्लामी देश भी उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वे न केवल उग्रवादियों को प्रेरित एवं सहायता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि तथाकथित मानव अधिकारों के मुद्दे को हौवा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भ्रांति भी पैदा कर रहे हैं। हमारे साथी श्री चित्त बसु जी ने ठीक ही कहा है कि आज मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दे को विकास संबंधी गतिविधियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कतिपय यूरोपीय देश यह दलील दे रहे हैं कि विकास संबंधी गतिविधियों को मानव अधिकार संबंधी मुद्दे के साथ जोड़ा जाना चाहिये। अब हमारे देश में ऐसे ही संकेत आ रहे हैं। अमरीकी प्रशासन हमारे क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से यह एक गलत संकेत है। हमारे राजनयिक दूतवर्ग तथा भारत सरकार ऐसी बातों को रोकने के लिए सभी कदम उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसी बातों के बारे में अत्यंत सतर्क रहना चाहिये। हमारी खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया जाना चाहिये। 'न्यूजवीक' के ताजा अंक में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान भारत में अनेक ठिकानों को क्षति पहुंचाने हेतु एक अत्यंत खतरनाक कट्टरपंथी संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस संगठन के नेता अल फकरा के पाकिस्तान की आई० एस० आई० के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उन्होंने भारत में कुछ ठिकानों को क्षति पहुंचाने के लिए चुना है। ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए, हमें अपनी खुफिया एजेंसियों को मजबूत करना चाहिये ताकि ये घुसपैठिये तथा आतंकवादी हमारी सीमा में प्रवेश न कर पायें।

प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से भी, हमारी सरकार जम्मू तथा कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास कर रही है। इस अवस्था में, मैं अपने सैन्य बलों को बधाई देना चाहूंगा जो हमारे देश के इस भाग में घुसपैठ तथा अन्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। वे उस क्षेत्र में विद्यमान एक अत्यंत कठिन एवं खतरनाक स्थिति में कार्य कर रहे हैं। हमारे सैन्य बलों तथा अन्य अर्ध-सैन्य बलों का मनोबल बनाए

रखा जाना चाहिए अन्यथा हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। उनके कार्यों की आलोचना करना बहुत आसान है। किन्तु, जो लोग हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अति प्रतिकूल परिस्थितियों एवं अत्यंत खतरनाक स्थिति में कार्य कर रहे हैं, वे अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के लिए हमारी बधाई के पात्र हैं। यदि कुछ व्यक्तियों द्वारा ज्यादतियां की गई हैं, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए तथा दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। किन्तु, हमें सम्पूर्ण सैन्य बलों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय गृहमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस के मित्र अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे और "अरो रूपम् , अहो ध्वनि" के अनुसार कश्मीर नीति के आधार पर मंत्रियों की वाहवाही कर रहे थे लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अगर हर घटना से भारत सरकार नीति बदलती रही तो निश्चय ही समझ लेना चाहिए कि कोई स्पष्ट नीति और स्पष्ट दिशा नहीं है और हर्डल रेस की भांति वह कभी गिरती और कभी उठती रही है।

मैं, उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अखबारों के अन्दर जब वहां के कश्मीरी संगठनों के नाम पर, नकली कश्मीरियों के नाम पर, पता नहीं कौन-कौन से नाम थे, अमेरिका की अखबारों के अन्दर विज्ञापन छपते रहे, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे और भारत सरकार ने एक भी शब्द वहां पर बोलने का प्रयास नहीं किया और न ही विरोध जताया, इसका क्या कारण था? मुझे अफसोस है कि जिनीवा के अन्दर मानवाधिकार का जब अधिवेशन हुआ तब सरकार की नींद खुली लेकिन उससे पहले सरकार कुम्भकरणी निद्रा में सोई रही और उसने पाकिस्तान के विषैले प्रचार को, पाकिस्तान के दुष्चक्र को निष्फल करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस्लामिक देशों का जो संगठन बना हुआ है ओ० आई० सी०, और जो इस्लामिक संघ है वे हमारे देश को कश्मीर के नाम पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं और ठुकरा देना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो सूडानी, अफगानी, इराकी या ईरानी इस प्रकार के भाड़े के सैनिक घुसपैठियों और आतंकवादियों के नाम पर, कश्मीर के अन्दर इस्लाम के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं आप उन देशों के नाम बताइये कि वे कौन-कौन से देशों के भाड़े के सैनिक हैं। वे देश अगर हमारे मित्र देश हैं तो उनके खिलाफ विरोध जताया जाए कि आपके नागरिक यहां आ करके भाड़े के सैनिक बन करके पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के अन्दर लड़ाई लड़ रहे हैं।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार के द्वारा एक तरफ तो देशभक्तों को गोली से भूना जाता है और जो देशद्रोही हैं, देश के शत्रु हैं उनको बिरयानी परोसी जाती है तो क्या हमारे सैनिकों का जो मोरल है वह नीचे नहीं गिरेगा। हमारे यहां सैनिकों को खुली छूट नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं वे आतंकवादियों को समाप्त करने को

[प्रो० रासा सिंह रावत]

तैयार हैं लेकिन आप उनको खुली छूट दीजिए। उनको तो यह आदेश है कि जब तक हमारे ऊपर कोई आक्रमण न करे, तुम्हारा जीवन संकट में न पड़े तब तक तुम्हें गोली बिल्कुल नहीं चलानी है और जब तक 2-4 सैनिक मर जाते हैं तब उसके बाद में वे जो कार्यवाही करते हैं तो एकदम भारत सरकार तुरंत कहती है,

"लम्हों ने खता की, सदियो ने सजा पाई"

1948 में जब कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवादियों को आगे करके, कबालियों को आगे करके भारत में पाकिस्तान की सेनाएं बढ़ती चली जा रही थीं उस समय हमारी हिन्दुस्तान की सेना वहां पहुंची। ऐसे समय में अगर श्री जवाहर लाल नेहरू, तत्कालीन प्रधान मंत्री सुरक्षा परिषद में नहीं जाते और वहां सीजफायर की बात को नहीं मानते तो शायद आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तान के हाथ में है उसका सारा हिस्सा हमारी सेना जीत लेती। उसी प्रकार से 1965 में हमने हाजीपीर दर्रा जीत लिया था और भी कई चौकियां जीत ली थीं। मुझे अफसोस है कि आज की सरकार सियाचीन के नाम पर वापस पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार हो रही है। मैं जानना चाहता हूं वह सियाचीन के नाम पर कौन-सी बातचीत करना चाहते हैं। जो सियाचीन हमारा रक्षा का अभेद्य कवच है और जहां पर हमारे सैनिक कुर्बान हो चुके हैं। ' ' ' **(व्यवधान)** ' ' ' आपने पाकिस्तान को जो 6 प्रस्ताव भेजे हैं आप सियाचीन के नाम पर क्या कुछ करना चाहते हैं, देश की जनता यह जानना चाहती है।

मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार का जो शासन है वह ताकत के बल पर होता है, "दण्डेन शास्ति प्रजाम"। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि देशवासी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमारे जवान पाकिस्तान के दांत खट्टे करने को तैयार हैं। बहादुर कब किसी का आसरा-अहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं, जो दिल में ठान लेते हैं, दिलवर मर्द का लोहा सब मानते हैं, जो कमजोर होते हैं, उसके कान सब पकड़ लेते हैं। अतः भारत सरकार कमजोरी छोड़े। आपको आह्वान करना चाहिए कि,

"झूम उठो ए भारत के वीरो, तुम हो ताकत से भरपूर,

एक बार फिर मार दो ठोकर, करो शत्रुओं को चकनाचूर।"

आज की दुनिया इसी भाषा को समझती है। अमरीका दुनिया का कितना ही बड़ा देश हो या इंग्लैंड कितना शक्तिशाली देश हो, हमको श्री बिल क्लिंटन और जॉन मेजर से भी कह देना चाहिए कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, भारत माता का सरताज है और बिना मस्तक के धड़ की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर पाकिस्तान कहता है कि बिना कश्मीर के पाकिस्तान अधूरा है तो हमको भी कहना चाहिए कि बिना पाकिस्तान के हिंदुस्तान अधूरा है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तभी पाकिस्तान मानेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह से राष्ट्रपति शासन लादना कोई अच्छी बात नहीं है और हम चाहते हैं कि वहां पर जल्दी से चुनाव कराए जाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...**(व्यवधान)** *...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार यादव ने अपनी बातें केवल ढाई मिनट में पूरी कर ली हैं जिसके फलस्वरूप अनेक माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी समय का ध्यान रखने की कोशिश की है, किन्तु वे ऐसा कर नहीं पाए हैं। फिर भी, सूची अनुसार, एक और वक्ता बचे हैं और वे हैं श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही।

श्री मुकुल वासनिक : वे बोलना नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : माननीय सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए तथा समय की सुई को भी ध्यान में रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं तथा मैं अपने विचार किसी अन्य अवसर पर व्यक्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी राजनीतिक दलों के सचेतकों द्वारा दी गई सूची अनुसार, सभी सदस्य भाग ले चुके हैं। यदि मैं कुछ और सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं, तो इससे कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। अतः, मैं अब माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उत्तर दें।

श्री एस०बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन किया है। प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके मन में हो सकता है कि किसी प्रकार का संकोच हो, फिर भी उन्होंने इस संकल्प का समर्थन करने की कोशिश की है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस मसले को एक राष्ट्रीय मसला बनाकर पूरा सहयोग प्रदान करेंगे तथा अपने मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखेंगे। कौन उत्तरदायी है? किसने यह सब शुरू किया? यदि हम सारी बातों को छोड़कर इसी के पीछे पड़े रहे, तो मैं नहीं समझता कि हम देश में सभी राजनीतिक दलों का कोई संयुक्त दृष्टिकोण बना पाएंगे। मैं कुछ माननीय सदस्यों से, जो अपने संबंधित दलों के दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यह एक अति नाजुक मसला है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जब हमें विश्व में होनेवाली घटनाओं को भी ध्यान में रखना होगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

यदि हम उस सन्दर्भ को नहीं समझते हैं जिसमे हम इन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अपने लिए कठिनाइयां पैदा कर लें और मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहेंगे। लेकिन, कभी-कभी भावावेश में और कभी-कभी किसी दल की स्थायी विचारधारा होने के कारण, ऐसा करना आदत-सी बन जाती है, जैसा कि अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने किया है। इस सभा में ऐसी प्रथा नहीं है।

[हिन्दी]

'जय-भारत' आपने भाषण में कहा है, वह अच्छी बात है, इस बारे में आप बाहर भाषण देते हैं, इसलिए उसमें हवा आ गई है, ऐसा लगा है।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हमें स्थिति की बारीकियों को समझना चाहिए और कभी-कभी हमें ऐसी स्थितियां पैदा करने से भी बचना चाहिए जिसके कारण हमें समस्याओं का सामना करने में परेशानी न हो।

इस अवस्था में, मैं माननीय सदस्य, श्री सैयद शहाबुद्दीन से भी एक अपील करना चाहूंगा। मुझे खेद है कि वे बैठे नहीं हैं हो सकता है कि रमजान के कारण वे सभा में उपस्थित न हो पाए हों, लेकिन साथ ही मैं इस बात को समझने में बिल्कुल असमर्थ हूं कि एक वर्ष के लिए अवधि को बढ़ाने हेतु राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किए जाने के बारे में सही-सही उनकी समस्या क्या है तथा किस प्रयोजनार्थ वे जम्मू तथा कश्मीर के संविधान में संशोधन चाहते हैं। उन्होंने कोई बात कही है, किन्तु ऐसा हुआ है कि या तो मैं उनकी बात को सही ढंग से समझ नहीं पाया हूं अथवा वे अपनी बात इस प्रकार नहीं कह पाए हैं कि वह मेरी समझ में आ जाए। फिर भी, सारी बातों का निचोड़ यह है कि इस मसले पर कोई दुविधा नहीं है। विधि की दृष्टि से एवं संवैधानिक रूप से इस मसले पर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। कोई कठिनाई नहीं है। राष्ट्रपति को प्राधिकार प्राप्त है। वे इस प्रकार का आदेश जारी कर सकते हैं। अतः, इस बारे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।

अब, मैं जिस अगले मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है। किसी-न-किसी प्रकार से, कुछ सदस्यों के मन में दुविधा की स्थिति दिखाई पड़ती है, जब वे ऐसा महसूस करते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं आया है। मुझे इसके लिए खेद है, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। कृपया भगवान के लिए ऐसी धारणा न बनाएं कि सेना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही थी जिससे सरकार सहमत नहीं थी। यह बिल्कुल झूठी बात है। इसका कोई आधार नहीं है। सेना, अर्ध सैन्यबल और संयुक्त कमान, किस प्रकार वे ऐसी दरार पैदा करना चाहेंगे। यह तो हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। हमें अनावश्यक रूप से किसी ऐसी समस्या को जन्म नहीं देना चाहिए जो अस्तित्व में नहीं है। हमारे पास संयुक्त कमान है जिसमें इन सबके प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यदि वे किसी चीज के बारे में सोचते

हैं कि वह न्यायपूर्ण और उचित नहीं है, तो निश्चित रूप से, उन्हें उस बैठक में व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है और कम-से-कम मेरी सूचना अनुसार, इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। प्रत्येक व्यक्ति इस मामले से संबंधित था। उनके बीच पूर्ण समन्वय और सहयोग विद्यमान है। अतः, हमें अनावश्यक रूप से इस प्रकार की धारणा देश में नहीं फैलानी चाहिए, मानों सेना के कुछ लोग आकर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, वस्तुतः जिनका कोई आधार नहीं है। यदि वे वास्तव में एक फौजी हैं, तो मैं उनके साथ इस संबंध में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। वे आएं और मुझे बताएं कि यह कहां तक सही है। मेरा विश्वास है कि संभवतः वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर-भाव है। उन्होंने शायद कानपुर या किसी अन्य स्थान पर अपने भाषण में कहा कि सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि वस्तुतः उनका कहने का भाव क्या है, सेना को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कहकर वे क्या कहना चाहते हैं। कोई अवरोध नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। केवल यही नियंत्रण है कि सिविल अधिकारियों की सहायता करने के लिए वहां सेना मौजूद है। सेना द्वारा अपने कर्त्तव्य को पूरा किया जाना तथा सेना द्वारा सिविल अधिकारियों को सहायता प्रदान किया जाना, दो भिन्न बातें हैं जिसे हमें समझना होगा और उनके काम करने की भी एक सीमा होती है। कोई समस्या नहीं है। पूरी समझ, पूरा सहयोग और समन्वय बना हुआ है, फिर भी कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे वहां समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, शायद उन्हें उन कारणों का ज्यादा पता होगा, वे अपने आपको इस प्रकार क्यों पेश करना चाहते हैं, मानो वे सेना के बारे में विशेषज्ञ हों।

वास्तव में, जम्मू और कश्मीर में जिन कठिन परिस्थितियों में हमारी सेना को अपनी भूमिका निभानी पड़ रही है, उसके लिए वे बहुत सम्मान के पात्र हैं। सेना तथा अर्ध सैन्यबल और पुलिस, सभी अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें जो काम सौंपा गया है, वह बहुत कठिन है। उन्हें काफी विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अतः, प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार की असमर्थता का शिकार होता है। यदि हम एक-दूसरे के बीच इस प्रकार की स्थिति पैदा करने की अनावश्यक कोशिश करेंगे, तो मुझे खेद है कि इससे विभिन्न बलों के बीच गलतफहमी पैदा होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहेंगे। मुझे जम्मू तथा कश्मीर में कार्य कर रहे सभी बलों पर समान रूप से गर्व है। अतः, हम उन्हें अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करें। वे अपना काम बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं और वस्तुतः उन पर हमें गर्व है बिना किसी भेद-भाव के।

एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया है कि सेना कहती है कि 'यद्यपि वे घुसपैठ कर रहे हैं लेकिन यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है।'

[अनुवाद]

मैं इस वक्तव्य पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। सेना ऐसा कभी नहीं

[श्री एस० बी० चव्हाण]

कहेगी। सेना जैसी संस्था इस प्रकार की बात कह भी नहीं सकती कि उनके सामने कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं और वह यह कह दें कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है।

जिम्मेदारी का निर्णय तो हम बाद में भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने कोई गलत बात घटित होती है तो हरेक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि यह सुनिश्चित करे कि कम-से-कम वह गलती न होने पाये और उसके बाद हम जिम्मेदारी निर्धारित कर सकते हैं। हमें अनावश्यक रूप से इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिये।

महोदय, एक और मुद्दे के बारे में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका जिक्र किया गया है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य ने दो झंडों की बात या कुछ ऐसा कहा,

[अनुवाद]

जो कि मेरे अनुसार अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला है। आपको पता है कि किस प्रकार की स्थिति में ऐसा किया गया था।

लुटेरों ने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया; वास्तव में, वे श्रीनगर के बिल्कुल निकट पहुंच चुके थे तथा महाराजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। यद्यपि, उनका पाकिस्तान के साथ एक यथास्थिति बनाये रखने संबंधी समझौता था। इसके बावजूद उन्होंने जवाहर लाल नेहरू को नहीं बल्कि माउंट बेंटन को पत्र लिखा, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारत-सरकार से सैनिक सहायता मांगी थी ऐसा करने के लिए उन्होंने विलय संबंधी दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे और इसी कारण भारत सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह भारत के इस हिस्से की सुरक्षा करे। अतः उस क्षेत्र में तुरंत सेना भेज दी गई थी एवं इसके लिए आवश्यक संख्या में सैनिक कर्मिकों को भेज दिया गया था। इस विलय संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कुछ शर्तें रखी थीं।

इसके बावजूद, काफी समय से अनुच्छेद 370 के कारण इसमें अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम भारत में कर रहे हैं और साथ ही यह भी मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में भी किये जाने की आवश्यकता है। जब वहां निर्वाचित सरकार थी, तो निर्वाचित सरकार की सहमति से यह प्रावधान वहां लागू नहीं किये गये थे। यद्यपि वहां इस वक्त निर्वाचित सरकार नहीं है, तो भी ऐसे मामलों में राज्यपाल से सलाह-मशविरा किया जाता है तथा यदि वह जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में अपनी सहमति भेज देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति को इस संसद द्वारा पारित कानून जम्मू-कश्मीर पर

भी लागू करने के अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील अवसरों पर हम इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते आ रहे हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : प्रारूप बनाते समय यह अनुच्छेद 356 था।

श्री एस०बी० चव्हाण : मेरे विचार से आपको अनुच्छेद 370, भारत सरकार अधिनियम, 1935 तथा स्वतंत्रता अधिनियम का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको इन तीनों अधिनियमों का एकसाथ अध्ययन करना पड़ेगा। यहां हर व्यक्ति कश्मीरियों के बारे में बातें करता है। कश्मीर होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि वह समाज का कोई विशिष्ट वर्ग हो। इसमें जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सभी लोग शामिल हैं। अतः, मैं यह समझ सकता हूं कि हर एक व्यक्ति जो वहां रहता है उसे कश्मीरी होने का गर्व है। यदि कश्मीरी लोग अपने उसी आत्मसम्मान, अपने उस क्षेत्र के साथ अपनी पहचान बनाये रखने की मांग कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि हमें इसमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त है। मैं माननीय सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि कश्मीरियों को इस स्वाभिमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न होने पाये। उनके मन में इस प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिये कि अगर हम पूर्ण सहयोग देते हैं, तो हो सकता है वे लोग (इस क्षेत्र के लोग) इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करें।

महोदय, इस मौके पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। जवाहर लाल नेहरू एवं सरदार पटेल का अनावश्यक रूप से यहां उल्लेख किया गया है। मुझे इस विषय की गहराई में जाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग महान् व्यक्ति थे। ये दोनों ही व्यक्ति अपने आप में शीर्षस्थ दर्जे के नेता थे। उनकी मृत्यु के इतने वर्ष बीत जाने के बाद यदि एक को सही और दूसरे को गलत बताने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि हम उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। यह अपनी-अपनी समझ की बात है। मुझे खेद है कि मुझे कुछ ऐसा कहना पड़ रहा है, जिससे कि शायद आपको ठेस लगे। जब आपने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया था, तब हमने आप लोगों पर विश्वास किया था तथा आपके मामले में हमने बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लिया था। लेकिन यह तो मेरा फैसला है। यदि यह फैसला है तो मैं भी गलती कर सकता हूं। मैं यह कभी नहीं कहता कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता तथा मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। मेरा यह दावा नहीं है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि जवाहर लाल नेहरू जी ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाकर भारी भूल की थी। आज चालीस अथवा पचास वर्षों के बाद किसी घटना का विवेचन करना बहुत आसान है। जवाहर लाल नेहरू न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में एक महान विभूति थे। उनके शब्दों में काफी वजन होता था तथा विश्व के सभी राजनेता जवाहर लाल नेहरू से मित्रता करने के इच्छुक रहते थे। उनके दृढ़ विश्वास के कारण ही, इन सभी व्यक्तियों ने उनको सहयोग देने की कोशिश की थी और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। यह भारत का एक हिस्सा है तथा पाकिस्तान द्वारा जो लुटेरे एवं और लोग वहां

[श्री एस० बी० चव्हाण]

भेजे गये थे, उनका कश्मीर से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस समस्या को बड़ी अच्छी तरह समझा था एवं मूल्यांकन किया था। इसी वजह से वह यह मानते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वह इसके प्रति भारी समर्थन जुटा पाने में सफल हो जायेंगे। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि वे इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही स्थिति अन्य मामलों में भी थी। उनके अपने आदर्श थे। एक दार्शनिक एवं महान् राजनेता के रूप में, विभिन्न देशों के बारे में उनका अपना मूल्यांकन था। अतः, हमें अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। हमारे मन में सरदार पटेल के प्रति अत्यधिक सम्मान है तथा ऐसी बात नहीं है कि हमने उन्हें जवाहर लाल नेहरू से किसी तरह भी छोटा माना है। लेकिन उनके लिए भारत को एक रख पाना बिल्कुल सम्भव नहीं हो सकता था। इस बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार पटेल के बीच इस प्रकार की द्वेषपूर्ण तुलना करना अच्छा नहीं है। दोनों ही व्यक्ति अत्यंत महान् व्यक्ति थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः, हमें अनावश्यक रूप से कोई ऐसी बात नहीं कहते रहना चाहिये, जिससे कि फिजूल की गलतफहमी पैदा हो। मेरे विचार से मैं आप लोगों से यही अपील कर सकता हूं **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : वे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते।

श्री एस०बी० चव्हाण : नहीं, वे उन्हें राष्ट्रपिता मान रहे हैं। मैंने यह महसूस किया है कि ऐसा परिवर्तन पहली बार आया है। एक प्रश्न पर पूरी तरह से गलतफहमी साफ दिखाई देती है। वास्तव में, इस प्रश्न पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। मुझे इस मुद्दे पर सभी राजनैतिक दलों से चर्चा करने में कोई परेशानी नहीं है। वास्तव में, मैंने इस मुद्दे पर कुछ राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से चर्चा की भी थी। मैंने स्वयं इस मुद्दे पर चर्चा की है तथा जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं बाकी लोगों से भी व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूंगा क्योंकि राष्ट्रीय एकता परिषद् में यह बात कही गई थी कि अगर आप हमसे सामूहिक रूप से पूछेंगे, तो हम बिल्कुल अलग किस्म की राय देंगे। लेक्रिन यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं, तो मैं ज्यादा खुलकर बोल सकूंगा। चूंकि कुछ माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा इस सभा में उठाया है, मुझे विश्वास है कि उनके जो प्रतिनिधि मेरे पास बातचीत करने के लिए आये थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हमारे विचारों से उन्हें अवगत नहीं कराया। अन्यथा, छोटी-सी बात पर भी यदि हम यहां चर्चा करते हैं, तो वह हमें अगले दिन ही अखबारों में छपी मिलती है कि इस विषय पर चर्चा की गई थी। अतः, एक तरीके से, तो यह अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें सभी को विश्वास में लेने की कोशिश करनी चाहिये तथा हमारे विचारों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। हम सभी लोगों को मिलकर ऐसा कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करनी चाहिये जहां हमारी नीतियों पर चर्चा हो सकती है। आप यह समझते हैं कि हमारी नीतियां आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं और इनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता

है। निश्चित रूप से हम अपनी नीतियों में सुधार करने को तैयार हैं। इस बारे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके लिये ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। दूसरे देशों ने जो कहा है, मैं उसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता। मैं तो केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के बारे में भी चिन्तित हूं। यदि मैं ऐसा करने में सफल हो जाता हूं, तो मैं यह महसूस करूंगा कि हमारी नीतियां सही हैं। एक बात अब बिल्कुल स्पष्ट है। आप इस बात को मानें अथवा न मानें लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जम्मू-कश्मीर के वातावरण में गुणात्मक सुधार हुआ है क्योंकि प्रारम्भ में वहां हिंसा व्याप्त थी तथा उग्रवादियों को स्थानीय लोगों से भी सहयोग मिल रहा था। अब, स्थानीय लोग उन्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं केवल अब एक ही कारण शेष है अर्थात् वहां अभी हिंसा व्याप्त है। मैं इस सभा को यह बता कर किसी गोपनीय बात को प्रकट नहीं कर रहा हूं कि हमें इस प्रकार की हिंसा को कुछ समय के लिए और बर्दाश्त करना पड़ेगा।

मुझे विश्वास है कि जब तक पाकिस्तान को विभिन्न स्तरों से प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तब तक वह समस्या पैदा करता रहेगा और हमें अपने आपको इसके लिये तैयार रखना है। अतः, जब तक हमें स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त करने में सफलता मिलती रहेगी, तब तक पाकिस्तान को उस प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा, जैसा कि उसे पहले मिलता रहा है। उन लोगों ने जिस तरह के अत्याचार वहां की जनता पर किये हैं, उनसे वास्तव में जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों में इन उग्रवादियों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई है। वास्तव में उनके लिये 'उग्रवादी' शब्द का प्रयोग करना गलत है। यह शब्द उस प्रकार के अर्थ का बोध नहीं करा पा रहा है जिसे हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं।

वे उग्रवादी नहीं बल्कि वास्तव में आतंकवादी हैं। पर पाकिस्तान अभी तक इस बात से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे विश्वास है कि अमरीकी सरकार अब इस बारे में पूर्णतः अवगत है। वे पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में घोषित करने वाले थे। लेकिन वे इस खेल को संतुलित रखना चाहते थे और इसी कारण मानवाधिकार का यह मुद्दा उठाया गया है। केवल पाकिस्तान ही क्यों? यही प्रश्न भारत से भी क्यों नहीं करते ताकि हमें गलत न समझा जाए? मैं समझ सकता हूं कि ऐसे सन्तुलन रखने वाले खेल की अपनी एक अलग शैली होती है। मैं यह जानता हूं। लेकिन जब हजरतबल के मुद्दे का समाधान निकाला जा रहा था तभी एक कनिष्ठ अधिकारी रोबिन रफेल ने एक वक्तव्य दिया और जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय पर प्रश्नचिह्न लगाया उन्होंने यह जानबूझ कर किया या अनजाने में किया, यह तो वे ही बेहतर जानें। रिपब्लिकन पार्टी के तीन सीनेटर मुझसे मिलने आए थे। मैंने यह प्रश्न उनके समक्ष रखा। अभी तक अमेरिका का कोई राजदूत हमारे यहां नहीं है जब मैंने इन तीन सीनेटरों से यह प्रश्न किया तो वे वहां पर मौजूद राजनयिक की ओर देखने लगे। राजनयिक को यह कहना पड़ा कि अमरीकी सरकार की नीति यह नहीं है। उन्होंने कहा : "हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। हम चाहेंगे कि इन मुद्दों पर शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीय बातचीत की जाए। यह आपकी समस्या है, इसका

[श्री एस० बी० चव्हाण]

समाधान भी आप ही निकालिए।" मैंने कहा : "इसके बावजूद यह महिला इस बात को बार-बार दोहरा रही है।" इसके बाद, एक डैमोक्रेटिक सीनेटर श्री मोहिनियन मुझसे मिलने आए। वह यहां पर कुछ अवधि तक राजदूत रहे थे। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। हमने उनके साथ चर्चा की थी। मैंने उनसे कहा कि हम अमरीकी सरकार के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं। मैंने कहा : "हम भारत और अमेरिका के बीच विद्यमान गलतफहमी को दूर करना चाहेंगे और हम इसके लिए पूरी निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। अब यू० एस० एस० आर० पूर्णतः लुप्त हो गया है। अब केवल आप ही एकमात्र महाशक्ति हैं। आपको और अधिक उत्तरदायी बनना होगा। आपको अधिक संतुलित बनना होगा। अगर कोई महाशक्ति एक विशेष विवाद में एक पक्ष में हो जाए तो निःसन्देह वह समस्या उत्पन्न करेंगी ही और मुझे विश्वास है कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के इच्छुक नहीं हैं।"

श्री लोकनाथ चौधरी : आपको इस महाशक्ति के प्रति भ्रम है।

श्री एस०बी० चव्हाण : हमें कोई बात मानकर नहीं चलनी चाहिए। हमें थोड़ी उदारता भी बरतनी चाहिये। हमें सिर्फ यह कारण बनाकर कि वे ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे स्वयं को संकुचित हृदय वाला नहीं बनाना चाहिए। यह संभव है कि कभी कोई गलती हो जाती है कभी भूल चूक हो जाती है। अतः, अब उन्होंने राजनयिक की तरफ देखा तो उनके पास इसी बात को दोहराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था कि यह अमरीकी सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने कहा : "मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अमरीकी सरकार की यह नीति नहीं है।" दुर्भाग्य से उनके भारत छोड़ने से पूर्व श्री बिल क्लिंटन का एक वक्तव्य आया। जब पाकिस्तान के राजदूत ने अपने परिचय पत्र उन्हें प्रस्तुत किए तो उन्होंने उस समय एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने दोनों बातें कहीं। उन्होंने कहा : "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर मुद्दा विवादित है और विलय का करार हमें स्वीकार्य नहीं है।" मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें उनका सही दृष्टिकोण क्या है? मैं यह समझ सकता हूं कि ब्रिटेन के भारत के साथ कुछ संबंध हैं। हम एक प्रकार से कुछ समय तक उसका उपनिवेश रहे थे। अगर ब्रिटेन ऐसा रुख अपनाए तो मैं समझ सकता हूं। मैं सभा को यह बता कर कोई गोपनीयता प्रकट नहीं कर रहा कि मैंने ब्रिटेन की कैबिनेट के एक अत्यधिक जिम्मेदार सदस्य से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे बताया कि ब्रिटेन अमरीकी सरकार के इस मत से खुश नहीं है। मैं उन मंत्री महादेय का नाम नहीं बताऊंगा जो मुझसे मिलने आए थे लेकिन उन्होंने यह कहा था। उनका मत एकदम स्पष्ट है। क्लिंटन अथवा अमरीकी सरकार के राष्ट्रपति होते कौन हैं? विलय-करार को स्वीकारने या अस्वीकारने का उन्हें क्या अधिकार है? मेरे पास तेरह राज्यों की सूची है जो पाकिस्तान में मिल गए हैं।

मैं बहावलपुर के मुद्दे पर पूछना चाहूंगा। क्या वह यह स्वीकार कर करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान में हुए सभी राज्यों का विलय भी चर्चा के लिए खुला है? क्या वह यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है कि वे केवल जम्मू-कश्मीर के मुद्दों पर

भी यह रवैया अपनाते हैं और अनावश्यक ही विवाद उत्पन्न करते हैं? विशेषकर ऐसे समय जबकि मानवाधिकार समिति इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है तब ऐसे वक्तव्य दिया जा रहा है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अमरीकी राष्ट्रपति को समुचित रूप से अवगत नहीं कराया गया। समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है बात उससे भी कहीं अधिक है। मेरे मित्र श्री भाटिया इस बारे में मामले की गहराई में जाकर यह पता लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे यह बात स्पष्ट हो गई है कि वे लोग जम्मू-कश्मीर में दिलचस्पी रखते हैं। वे पाकिस्तान की मदद करने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान को अभी भी यह भ्रम हो रहा है जैसा कि वे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वास्तव में वे पाकिस्तान की मदद करने के इच्छुक नहीं हैं। वे न तो पाकिस्तान की मदद के इच्छुक हैं और न ही भारत की मदद करने के इच्छुक हैं। वे अपना फायदा चाहते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। उनका रुख किसी सन्देह के बगैर एकदम स्पष्ट हो चुका है। हमें अपने रवैये को तय करके उनके साथ स्पष्ट रूप से चर्चा करनी होगी और मामले पर गहराई से विचार करके यह पता लगाने का प्रयास करना होगा कि वास्तव में अमरीकी सरकार की मंशा क्या है? वे निजी तौर पर कुछ कहें, अगर वे अपने सार्वजनिक रवैये से एकदम भिन्न रहते हैं तो हमारा दायित्व है कि यह देखें कि बदली हुई स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो। मैं और कुछ नहीं कह सकता। इस मामले पर विचार करना पूर्णतः विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता हक मैंने तो वही कहा है जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है। लेकिन नीतिगत मुद्दे पर निर्णय मुझे नहीं लेना है। नीतिगत मुद्दा विदेश मंत्रालय द्वारा तय किया जाना है और मुझे विश्वास है कि पूरे देश के हितों के मद्देनजर वे इस बारे में निर्णय लेंगे।

वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम क्षमा याचना की मुद्रा में हों। मैं कुछ माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारा मुद्दा श्रेष्ठतम है। विश्व में कोई भी संभवतः उस भाषा में नहीं बोल सकता जिसमें हम बोल सकते हैं। हमारा पूरा इतिहास मानवाधिकार पर आधारित है। हमारे अलावा कौन ऐसा कह सकता है कि विश्व में सबसे अधिक सहनशील उनका समाज है? किसी को भी इस वक्तव्य से इनकार नहीं हो सकता जब अमेरिका की अखंडता और प्रभुसत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा तो अमेरिका ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने खुलेआम उन क्षेत्रों में बमबारी की और हजारों लोगों को मार डाला। अब हमारे मित्र इन व्यक्तियों से सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं जिनसे दरअसल बात करने का कोई फायदा ही नहीं है और पाकिस्तान इस बात का प्रचार कर रहा है। अब जरा उनके सिन्ध क्षेत्र को देखिए; सीमावर्ती उत्तरी क्षेत्र को, बलूचिस्तान को, गिलगिट क्षेत्र को देखिए। ये सभी क्षेत्र चीख-चीखकर ये बताते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अतः पाकिस्तान द्वारा हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ाना एकदम हास्यास्पद है। यदि कोई अन्य देश भारत को यह सिखाने की कोशिश करे कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए तो मैं मान सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। हमारी यह धारणा है कि हमारा मामला एकदम स्पष्ट है और इसलिये विश्व में हम पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता।

लेकिन अब हर मामले, यहां तक कि मानवाधिकार भी राजनैतिक मुद्दा बन गए हैं। यह

[श्री एस० बी० चव्हाण]

दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर मानवाधिकार के मुद्दे को इसी रूप में लिया जाए तो इसे स्वीकारने में कम से कम मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं विश्व के हर उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हूं जो भी जम्मू-कश्मीर जाना चाहता है। लेकिन मानव अधिकार के मामले को मानव अधिकार के मामले के रूप में नहीं माना जा रहा है। मैं ऐसे देशों को निश्चित तौर पर जानता हूं जो मानवाधिकार के मुद्दे पर एकदम नहीं बोलते। यह बहुत ही सौहार्दपूर्ण देश है जहां आप किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं। निःसन्देह हमारी अपनी समस्याएं हैं। हम अपनी समस्याओं के प्रति अनभिज्ञ नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही गरीबी के कारण हम जो विश्व के कुछ देशों से जो सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वह दान नहीं है। मुझे अफसोसपूर्वक यह कहना पड़ रहा है।

हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में योगदान करते रहे हैं। अतः वह जो हमें अदायगी कर रहे हैं हम पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं और वे हमारा विगत व्यवहार देख सकते हैं कि हमने किश्तों की कितनी तत्परतापूर्वक अदायगी की है। हम एक बार भी अदायगी करने में नहीं चूके। हम किश्तों की अदायगी समय से पूर्व भी कर रहे हैं। कल ही वित्त मंत्री कह रहे थे कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1.4 बिलियन डालर की अदायगी करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने फालतू राशि खर्च की है।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं इस बारे में अब बोलना नहीं चाहता। मैं इसे डा० मनमोहन सिंह के लिए छोड़ता हूं। वह इसकी उचित रूप से व्याख्या कर सकेंगे। अन्ततः हमारी पूरी विदेश नीति हमारी आन्तरिक शक्ति पर निर्भर करती है। कलह, कमजोरी और हर प्रकार के आन्दोलन करने से हम अपने समाज को कमजोर कर देते हैं और फिर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं। मैं नहीं समझता कि हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उससे बेहतर हमें मिल सकता है। हमें शक्ति उत्पन्न करनी होगी और इस आन्तरिक शक्ति के आधार पर ही हम स्वयं में एक ऐसा विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी वास्तव में जरूरत है। **(व्यवधान)**

मैंने सूचित कर दिया है कि मैं नहीं आ रहा हूं। मुझे प्रधान मंत्री को सूचित करना है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने चर्चा को बढ़ा दिया है और अनेक सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं इसलिए मैं केबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सकूंगा। इसी कारण मैं इत्मीनान से बोल रहा हूं। कुछ सदस्य मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के इच्छुक थे।

फिर भी, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया है और मुझे कोई सन्देह नहीं है और पूरी आशा है कि सभा इस संकल्प को किसी कठिनाई के बगैर पारित कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 3 मार्च, 1994 से छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 3 मार्च 1994 को 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

7.54 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 3 मार्च, 1994, 12 फाल्गुन, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।